# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 ] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र, 1967 का 39 वां दिवस [ संख्या 20

शनिवार, दिनांक 10 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**(यातायात, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, खाद्य, विद्युत, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत एवं विकास विभाग)**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न श्री श्रवण लाल !

### जयपुर से करौली-महुआ-हिन्डौन बस रूट का राष्ट्रीयकरण

383. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार जयपुर से करौली-महुआ-हिन्डौन रूट पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती हैं ?

(2) यदि हां, तो इस रूट पर कब तक रोडवेज की बसें चलेंगी ?

(3) यदि रोडवेज की बसें चलाने का विचार नहीं हैं, तो क्यों ?

**यातायात मंत्री** (श्री अमीनुद्दीन) : (1) जयपुर से करौली वाया महुआ-हिन्डौन रूट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपनी बसें चलाने का विचार वर्तमान में नहीं रखता है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) राज्य परिवहन निगम, जयपुर से भरतपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अपनी बसें चलाता है जो महुआ तक जाती हैं । महुआ से हिन्डौन प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें चलती हैं । निगम ने ऐसा निर्णय लिया है कि ओवरलेपिंग रूट्स का राष्ट्रीयकरण पहले किया जावे व बाद में अन्य मार्गों का ताकि प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा निगम को नुकसान न पहुंचाया जा सके । यह मार्ग ओवर-लेपिंग मार्ग नहीं है फिर भी परमिट के लिये दौसा--लालसोट--गंगापुर--करौली के लिये प्रार्थना-पत्र दे रखा है । मगर आर० टी० ए० से निगम को परमिट नहीं मिला है । मिलते ही निगम की बसें चला दी जावेंगी ।

**श्री श्रवण लाल** : प्रथम प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि विचार नहीं रखती तो कब तक इस प्रकार का निर्णय लिया जायगा, 6 महीने में, साल में, दो साल में कब तक इस रूट को राष्ट्रीयकरण में सम्मिलित किया जायेगा ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने कहा कि पहले हमारा प्रोग्राम है ग्रोवरलेपिंग रूट्स है जयपुर-कोटा में, इनको कवर किया जाय। इसके बाद जैसी व्यवस्था बसों की होगी कि हमारे पास कितनी बसें खाली हैं, फिर ग्रौर रूट्स को लेने की कोशिश की जायगी।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या यह सही है कि कई बसेज रोडवेज के पास फालतू पड़ी हैं।

**श्री अमीनुद्दीन** : उनके पास बसेज हैं पर सब के लिये जोइन्ट प्रार्थना-पत्र दे रखा है।

**श्री दिग्विजय सिंह** : जब ग्रापके पास बसेज फालतू हैं तो फिर इन रूट्स पर चालू करने में ग्रापको क्या दिक्कत है ?

**श्री अमीनुद्दीन** : यह दिक्कत है कि ग्रार. टी० ए० इजाजत देगा तभी तो बसेज चलेंगी।

**श्री श्रवण लाल** : क्या यह सही है कि 6 महिने पहले इस बात का निर्णय लिया जा चुका था कि इस रूट पर दो बसेज गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जायेंगी ?

**श्री अमीनुद्दीन** : इस पर निर्णय तो लिया जा चुका था, तभी तो कहा था कि परमिट की दर्ख्वास्त दे रखी है। परमिट मिलेगा तब बसें चलेंगी।

**एक माननीय सदस्य** : पब्लिक की दर्ख्वास्तें तो बहुत हैं।

**श्री अमीनुद्दीन** : ग्रार० टी० ए० में दे रखी हैं।

**श्री मदन सिंह** (दांता रामगढ़) : जो दर्ख्वास्तें दी जाती हैं, उनकी सेंक्शन हो जाती है, हाई कोर्ट उनको नामंजूर कर देता है, हाई कोर्ट की वजह से रुक जाती हैं, सैंकड़ों बसेज चलाने से। क्या सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि इसके लिये हाई कोर्ट में मदद की जाय ?

**श्री अध्यक्ष** : ग्रलग से प्रश्न।

**श्री मदन सिंह** : इससे कन्सर्निंग क्वेश्चन है।

**श्री अध्यक्ष** : ग्रार्डर। नेक्स्ट श्री फलचन्द बापना।

**श्री श्रवण लाल** : सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं। सवाल इस बात का है कि 6 महिने पहले इस बात का निर्णय लिया जा चुका था कि ग्रमुक तारीख से दो बसेज चला दी जायेंगी, फिर उस निर्णय को ग्रमल में क्यों नहीं लिया है ?

**श्री अध्यक्ष** : दो बसेज चलाने का निर्णय लिया था, क्या ?

**श्री अमीनुद्दीन** : टेम्परेरी परमिट के लिये निर्णय लिया गया था, उसकी दर्ख्वास्तें पड़ी हुई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री मदन सिंह** : क्या यह सही है कि टेम्परेरी परमिट को हाई कोर्ट ने नामंजर कर दिया है ?

**श्री अध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था दे दी है कि यह ग्रलग से प्रश्न है।

**श्री मदन सिंह** : मैं मानता हूं पर मन्त्री महोदय को सलाह दी जाती है। हाई कोर्ट से ना हो गया है कि ऐसे टेम्परेरी परमिट नहीं दिये जायं।

**श्री अध्यक्ष** : हाई कोर्ट से क्या हुआ है, आप देख लें।

**श्री अमीनुद्दीन** : मैं देख लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बापना।

**मेजर श्री फतेसिंह** :

(प्रश्न संख्या 384)

**अन्न उत्पादन में कमी**

384. **मेजर श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : [श्री फूलचन्द बापना (सुमेरपुर) की ओर से] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 66-67 (संवत् 2022-23) में अकाल सहायता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (ता० 30-7-64 को प्रकाशित) की तालिका (ख) के अनुसार सन् 61-62 का अन्नोत्पादन 50·74 लाख टन था और वह कम होते होते सन् 66-67 में 33·60 लाख टन हो गया है? यदि हां, तो क्या उत्पादन गिरने का कारण केवल वर्षा की कमी ही है?

(2) क्या सन् 61-62 के पश्चात् के पांचों वर्षों में (सन् 66-67 सहित) वर्षा कम हुई है? क्या अन्नोत्पादन की कमी का वर्षा के अलावा अन्य कोई कारण नहीं है?

**कृषि मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा): (1) उत्पादन गिरने का कारण वर्षा की कमी ही है।

(2) जी हां, केवल सन् 64-65 को छोड़ कर।

अन्न उत्पादन की कमी का कारण वर्षा की कमी के अलावा नहरों व बांधों में पानी की कमी भी है।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : क्या अधिक वर्षा के कारण उत्पादन में कमी नहीं आती है?

**श्री परसराम मदेरणा** : जहां पर खरीफ की फसल है वहां पर अधिक वर्षा के कारण भी असर पड़ता है। पर राजस्थान की एवरेज रेनफाल 53·63 सेन्टीमीटर्स है। पिछले सालों में 62-63 से 65-66 में एवरेज से भी रेन फाल कम रहा है, उसका असर प्रोडक्शन पर रहा है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : यह तो ऐसा मसला है 'नाच न आवे आंगन टेढ़ा'। वर्षा की कमी के कारण सभी उत्पादन गिर गया है यह मेरे ख्याल से संतोषजनक नहीं है। क्या आप यह नहीं समझते कि आपने यहां पर मौके पर फर्टीलाइजर नहीं दिया, इन्सेक्टिसाइड्स आप समय पर नहीं दे सकते, अच्छा बीज समय पर नहीं दे सकते, सब्सिडी समय पर नहीं दे सकते, पम्पिग सेट्स नहीं दे सकते, जो योजनाबद्ध तरीके हैं, जिन चीजों को कृषि की पदावार बढ़ाने के लिये देना आवश्यक है, उन चीजों को समय पर नहीं दे सकते, जो साधन कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये समय पर उपलब्ध होने चाहिये वह समय पर उपलब्ध नहीं करा सकते तो क्या आप समझते हैं कि आप अपने फरायज पूरे कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप अपने फरायज पूरे नहीं करते।

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या समझते हैं?

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, जो फर्टीलाइजर या इन्सेक्टिसाइड, हमारे

# Page No. 4



(श्री परसराम मदेरणा)

पास उपलब्ध हैं, जो हमें भारत सरकार देती है, वह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 74 हजार टन फर्टीलाइजर और 80 हजार टन इन्सेक्टिसाइड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पर बरसात नहीं होती, बांधों में, तालाबों में पानी कम आता है, 62 से 66 तक केवल 64 को छोड़ दीजिये, वर्षा कम होने से वाटर लेवल नीचे उतर गया है, बांधों में पानी कम आया है, खरीफ का इलाका है, डेजर्ट का इलाका है वहां 66 के अन्दर बाड़मेर के अन्दर जो सबसे ज्यादा खरीफ प्रोडक्शन का एरिया है, बाजरे का एरिया है वहां पर 1 सेंटीमीटर तक वर्षा नहीं हुई, इससे प्रोडक्शन पर बड़ा खराब असर पड़ा है। 30 साल में ऐसी नजीर नहीं मिलेगी, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां 1 सेंटीमीटर वर्षा नहीं हो पर बाड़मेर के 300, 400 गांवों में 1 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं हुई, इसका असर खरीफ की प्रोडक्शन पर पड़ा है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मुझे तो बचारी इस सरकार पर दया आती है। कम से कम इतना तो अनुभव करते होंगे कि फर्टीलाइजर, इन्सेक्टिसाइड्स, स्पेअर पार्ट्स, क्रूड आईल का आपके पास स्टॉक कितना है, अमुक जिले में उसके डिस्ट्रिब्युशन की सुव्यवस्था कर सकते हैं, पर आपकी तरफ से डिस्ट्रीब्युशन का अभाव, आप उनको समय पर वे चीजें नहीं दे सकते जिनसे वे कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अधिकांश रुप से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन का अभाव, आप काश्तकारों के साथ विश्वासघात करते हैं। मैं मानता हूँ कि राजस्थान में अमुक क्षेत्र ऐसा है कि जहां बिल्कुल पानी नहीं पड़ता पर जहां जहां पानी पड़ता है, वहां पर इन चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन का इतना तो इन्तजाम कर सकते हैं, कम से कम आधे राजस्थान में, 1/3 राजस्थान में आप इन्तजाम कर सकते हैं, फर्टीलाइजर की पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं, पर आपकी सब जगह अव्यवस्था है, आप किंकर्तव्य विमूढ ह, नोंन्लॉन एट आल।

**श्री परसराम मदेरणा :** परसों जिस समय में कृषि की मांग पर उत्तर दे रहा था, विरोधी पक्ष के माननीय नेता अगर सदन में उपस्थित होते तो उनको जानकारी होती।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मैंने आपका उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अगर आप उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है।

**श्री परसराम मदेरणा :** मैंने आश्वासन दिया था कि हाई-ईल्ड क्राप के समय डेजरटेड एरियाज में फर्टीलाइजर्स को नहीं काम में लाते हैं क्योंकि ज्यादा पानी की आवश्यकता होती ह लेकिन कहीं भी कुओं से सिंचाई हो सकती है तो उसके लिए हमारे पास बीज और इन्सेक्टीसाइड्स मौजूद हैं, उसका आश्वासन मैंने दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि खाद, बीज और इन्सेक्टीसाइड्स हाई - ईल्डिग वैराइटी प्रोग्राम में इस फसल पर किसानों को समय पर मिले, इस बात की व्यवस्था की जायगी और मैं समझता हूं कि जब हम दुबारा इस सदन में इकट्ठे होंगे, परसनल तौर पर

( श्री परसराम मदेरणा)
इस बात की कोशिश करेंगे कि सब चीजें किसान को कैश प्रोग्राम के लिए मुहैया हों ।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : पिछले कुछ वर्षों से लोगों की कैश क्रॉप बढ़ाने की मनोवृति इस तरह की बढ़ गई है। क्या सरकार अनुभव नहीं करती कि इससे उत्पादन में कितनी कमी आई है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : कैश क्रॉप्स की कहीं कहीं टेन्डेन्सी बढ़ी है लेकिन दूसरे राज्यों में देखते हैं तो वहां पर कैश क्रॉप्स, खास तौर से कपास, ग्राऊंड नट, गन्ना, इत्यादि को कैश क्रॉप्स में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं लेकिन में निवेदन करूं कि यहां पर राज्य सरकार ने कैश क्रॉप्स, नोन सीरियल क्रॉप्स पर पिछले साल सिंचाई के रेट्स बढ़ाये, इसका मतलब यह था कि सीरियल्स पर ज्यादा तवज्जह देना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि दूसरे इलाके भी हैं जहां पर सीरियल क्रॉप्स होने चाहिये। अगर उनके अंदर पूरी बरसात और इन्पुट्स मिलें तो राजस्थान खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो सकता है, ऐसी राज्य सरकार की मान्यता है ।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ): बरसात तो हमेशा धोखा दे रही है और लगातार देती आई है और प्रति वर्ष इस तरह से सूखा रहेगा। क्या सरकार की मन्शा है कि भविष्य में इस अभाव को रोकने के लिए, हम कौनसी ऐसी योजना तय करें, जिससे पानी रोकें और अच्छी पैदावार पैदा करें या फिर सूखे से रोकर बैठे रहें या कदम उठाकर पानी को रोककर कुछ सिंचाई करें ?

**श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि बरसात पर निर्भर न रहकर और कभी हमने अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करने की स्कीम बनाई है ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): यह जो आंकड़े हैं वह बिलकुल विश्वासप्रद नहीं हैं। पंखे के नीचे बैठकर और बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर आंकड़े तैयार किए जाते हैं। वास्तविक स्थिति और सही तस्वीर न तो सरकार के सामने आती है, न आयोजन कर्त्ता के सामने है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह !

**उत्तर प्रदेश की नहरों से धौलपुर उप-जिले में सिंचाई**

385. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या राजस्थान सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार से यह प्रार्थना करने का है कि उत्तर प्रदेश की उन नहरों से जो राजस्थान-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित हैं, राजस्थान के इलाकों को भी सिंचाई की सुविधा दी जाय ?

(ख) यदि हां, तो धौलपुर उप-जिले की राजाखेड़ा तहसील व धौलपुर तहसील के जो गांव इस सीमा पर नहर के पास स्थित हैं, उनको सिंचाई की सुविधा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
देने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है ?

(ग) ये सुविधा कब तक मिल जाने की संभावना है ?

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री मनफूलसिंह) : (क) और (ख) इस विषय में उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकार के बीच वार्तालाप चल रहा है ।

(ग) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार से राजस्थान की नहरों से पानी मांगने की लिखा पढ़ी हुई है ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री हरीदेव जोशी) : चर्चा हुई है लिखा पढ़ी नहीं हुई है । यह बात प्रश्न (ख) के उत्तर में कही गई है । उत्तर प्रदेश सरकार पार्वती बांध से २० क्यूसेक्स पानी हमसे लेना चाहती है और उसक बदले में हम उस इलाके में पानी लेना चाहते हैं । हमने तो स्वीकृति दे दी है । हम चाहते हैं कि वे भी हमको पानी देदें । जब तक यह फाइनेलाइज नहीं हो जाता है तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि जब तक उत्तर प्रदेश हमें पानी नहीं देगा तब तक आप भी उसको पानी नहीं देंगे ?

**श्री हरिदेव जोशी** : ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं । जब तक वे नहीं देंगे हम कैसे देंगे ?

**श्री मनफूलसिंह** : फाइनल मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : क्या सरकार ने यह फैसला लेने से पहले, 20 क्यूसेक्स पानी पार्वती बांध से देने क पहले, क्या यह अंदाजा लगाया है कि उसका जो कमांडेड एरिया है उसके लिए ही पर्याप्त पानी नहीं है ?

**श्री हरिदेव जोशी** : आप राजस्थान के एक हिस्से के लिए जो कि उनकी नहरों के नजदीक पड़ता है, पानी चाहते हैं और वे यह कहते हैं कि हम पानी उतना तभी दे सकते है जब कि आप हमको अमुक जगह पर पानी दो ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : क्या यह शर्त वहां पर भी लागू होगी जो भरतपुर की गंभीर नदी है उसके पानी का बहुत बड़े इलाके में ठहराव पड़ता है, बांध बना हुआ नहीं है और जितना पानी भरतपुर जिले में देने को तैयार हैं और एक मूल भूत अधिकार है, क्या राज्य सरकार उस पर स्टे करेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : यह अलग सा प्रश्न है ।

(प्रश्न संख्या 386)

**श्री जुझारसिंह** !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

**श्रीमती मदन कौर** !

Page No. 7



**बाड़मेर में अग्निकाण्ड**

387. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या राजस्व (रिलीफ) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 12 मई, 1967 के बाड़मेर के अग्निकांड में कितने माल और जान की क्षति हुई है ?

(2) जिन व्यक्तियों के जान माल की क्षति हुई है उनको राज्य सरकार की ओर से क्या राहत दी गई है ? ऐसे मामलों में राहत देने सम्बन्धी राज्य सरकार की क्या नीति है ?

**उप-मंत्री, राजस्व** ( श्री गंगाराम चौधरी): (1) इस अग्निकांड से माल की क्षति 1,25,493) रु० आंकी गई है । किसी की भी जान की क्षति नहीं हुई है । राज्य सरकार ने पुनर्वास हेतु टेंट लगा दिये हैं तथा 5,000) सहायता क रूप में तथा 5,700) ऋण के रूप में स्वीकृत किये हैं ।

(2) ऐसे मामलों में राज्य सरकार विज्ञप्ति संख्या 21 (1) जी० ए० ए।52, दिनांक 21-3-58 व एफ० 13 (31) रेवेन्यू बी०/58, दिनांक 16-6-59 के तहत सहायता देती है ।

**श्रीमती मदन कौर** : क्या मंत्री महोदय उस विज्ञप्ति का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : कौनसी स्वीकृति ? मैंने कहा कि 5,000) सहायता के रूप में तथा 5,700) ऋण के रूप में...

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : कितने लोग इससे प्रभावित हुए ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : 15 र कच्चे और पक्के ।

**श्री बिरधी चन्द** (बाड़मेर) : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में हर साल आगजनी से क्षति हो जाती है ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : जी हां ।

**श्री बिरधीचन्द** : उनके लिए क्या प्रावधान है ?

**श्रीमती मदन कौर** : इस विज्ञप्ति का ब्यौरा बतायें ।

**श्री ब्रजसुन्दर शर्मा** (राजस्व मंत्री) : विज्ञप्ति की नकल आपको दे देंगे ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : आगजनी से नुकसान के बारे में सरकार बहुत ध्यान रखती है । राज्य सरकार को ऐसे जिलों के लिए राशि रखनी चाहिए ताकि पर्याप्त सहायता दी जाये ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री अमीलाल यादव ।

**मांढन से काठुवास (अलवर) एप्रोच रोड**

388. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला अलवर, तहसील बहरोड़ में मांढन से काठुवास तक की एप्रोच रोड स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारंभ होगा ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री अमीनुद्दीन) : जी नहीं। यह काम योजना में शामिल नहीं है ।

**श्री अमीलाल यादव** : क्या इसका सर्वे हो गया है ? जो जमीन एक्वायर की जाती है तो उसके नोटिसेज जारी हो गए हैं। तो क्या एप्रोच रोड्स को बगैर योजना के रखा हुआ है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारंभ हो जायगा ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने कहा न कि यह काम योजना में शामिल नहीं है। अब आपने सवाल किया कि क्या जमीन एक्वायर की है, तो मैं उसके मुताल्लिक जांच करूंगा लेकिन पाबंदी नहीं है कि योजना में जो चीज शामिल नहीं है उसको बनाया जाय।

**श्री अमीलाल यादव** : मैंने पूछा है कि क्या यह स्वीकृत हो गई है और यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारंभ होगा ?

**श्री अमीनुद्दीन** : योजना के अंदर है ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष** (मंत्री महोदय से): प्रश्न यह है कि इसका टेन्डर और प्रेलिमिनेरी सर्वे हुआ है क्या ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने अर्ज की कि क्या सर्वे हो सकती है, इस बारे में मैं मालूम करूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : टेन्डर भी हो सकते हैं ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैं मालूम करूंगा ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : जब प्लान में नहीं है तो सर्वे कहां हो गया ?

**श्री अमीलाल यादव** : इसका जनवरी 1967 में सर्वे हुआ है और दो तरफ से मांढन से और मंगलपुर गांव से यह रोड है, स्वयं मंत्री महोदय वहां पधारे थे। उस समय राजा हरिश्चन्द्रजी ने भी ऐलान किया था कि यह काम स्वीकृत हो गया है। एक पत्र घासीराम को भी दिया गया था कि सर्वे हो गया और उसके बाद डिस्प्यूट केवल यह था कि.....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय-सदस्य भाषण न करें। आप जानकारी करेंगे। नेक्स्ट।

**श्री मदनसिंह** : ऐसी योजना नहीं है तो काश्तकारों ने जो जमीन दी है क्या उनके द्वारा उन पर वापिस कब्जा कर लिया जाये ?

**श्री अध्यक्ष** : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन।

**श्री विजयसिंह**

**नसीराबाद में राशन वितरण**

389. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चतुर्थ आम चुनाव के दो सप्ताह पहले नसीराबाद में 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति बढ़ा कर 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति राशन कार्ड द्वारा देना शुरू कर दिया गया था ? लेकिन चुनाव के परिणाम घोषित होते ही 5 किलो गेहूं से 2 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति राशन वितरण अधिकारी, अजमेर ने कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

# Page No. 9



**खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):** जी नहीं।

**श्री विजयसिंह रावत:** मैं सदन के सामने कई प्रमाण पेश करूं फिर उस पर आप विचार करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष:** हाइपोथेटिकल। आप जो हो कह दीजिये।

**श्री विजयसिंह रावत:** मैं क्या फरमान पेश करूं। राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने नसीराबाद से चुनाव लड़ा और नसीराबाद में उन्होंने जो घोषणा की और बोर्ड लगाया जिसका फोटो मेरे पास है।

**श्री अध्यक्ष:** मुझे दे दीजिये।

**श्री विजयसिंह रावत:** इसमें लिखा हुआ है :

"**मंडल कांग्रेस कमेटी नसीराबाद**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री बालकृष्ण कौल द्वारा जो कांग्रेस टिकिट पर खड़े हुए हैं 13-1-67 को घोषणा करते हैं कि राशन में उतना ही अनाज मिलता रहेगा जितना अजमेर शहर को मिलेगा।

मूलचन्द सेठी,
मंत्री
कांग्रेस कमेटी"

**श्री बृजसुन्दर शर्मा:** इसमें क्या है ?

**श्री अध्यक्ष:** मुझे दे दीजिये।

**श्री मदनसिंह:** मंत्री का है।

**श्री परसराम मदेरणा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मंडल कांग्रेस कमेटी के बोर्ड का फोटो खींचा है उसका यहां पर एक नतीजा निकालने की कोशिश की है कि फरवरी के महीने में आम चुनाव हुए थे इसलिए नसीराबाद में 5 किलो खाद्यान्न वितरण किया जायगा और बाद में कम कर दिया गया। मैं निवेदन करूं कि आम चुनाव से खाद्यान्न वितरण का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से गेहूं का कोटा 13 हजार टन मार्च में मिला। अजमेर में फरवरी में 3 हजार 62 टन गेहूं दिया। मार्च में 1,856 टन गेहूं दिया। मार्च में कटौती गेहूं में की गई। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में 5 किलो खाद्यान्न किया गया, फरवरी में 5 किया गया, मार्च में कम हुआ तो 3 किलो किया, अप्रेल में 5 किलो किया मई और जून में अधिक कर रहे हैं। आप किसी भी पार्टी के सदस्य हों, आप कह सकते हैं कि पहले पांच किलो किया था और अब 6 किलो किया गया है। जहां तक खाद्यान्न के वितरण का सवाल है सूखा ग्रस्त इलाके हैं उनको पहले देते हैं, बड़े बड़े शहरों और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को देते हैं और उसके बाद कमी होती है तो दिक्कत होती है। डेफिसिट एरिया है। अजमेर ऐसा जिला है जिसमें काफी मात्रा में दूसरी जगहों को नहीं दे सकते हैं और डेफिसिट एरिया है इसी लिये दे रहे हैं मई-जून में 6-6 किलो दे रहे हैं।

**श्री विजयसिंह रावत:** अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा

(श्री विजयसिंह रावत)
फरवरी और मार्च महीने में पांच पांच किलो दिया, क्या यह सही नहीं है कि नसीराबाद में मार्च के महीने के बाद दो किलो गेहूं और दो किलो ज्वार दी गई जबकि पांच किलो गेहूं अजमेर में दिया गया। मैं भी उस सभा में सुनने वाला एक ऑडियेन्स था। आम पब्लिक में उन्होंने यह घोषणा की थी यह लगाया गया है यह सही है। सरकार किसी एक मकसद को सामने लेकर चलती है, उसको राजनैतिक बात हो या न हो खाद्यान्न के मामले में ऐसा नहीं करना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर। ऑर्डर !!

**श्री विजयसिंह रावत** : और उसके बाद सरकार यह कहती है कि राजनैतिक बात नहीं थी।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

**श्री विजयसिंह रावत** : इस वक्त नसीराबाद के लिए कहना चाहता हूं कि दो किलो गेहूं मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। 95 प्रतिशत वहां की शिक्षित जनता है। शक्कर के लिये निवेदन करूं····

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न दूसरा है।

**श्री विजयसिंह रावत** : इसी से सम्बन्धित है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर): मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं ? 6 किलो कह रहे हैं। चुनावों के पश्चात् कितना मिल रहा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : नसीराबाद के अन्दर या दूसरी जगह कौन कहां से जीत कर आया है और कौन कहां से नहीं जीत कर आया है, किसने किस को वोट दिया है यह खाद्यान्न वितरण के लिये कन्सीडरेशन नहीं है। ज्यादा गेहूं था तो ब्यावर और दूसरी जगह दे दिया। कम था तो सब के अन्दर रिडक्शन बराबर किया है। एक म्युनिसिपल टाउन है जहां 50 हजार की केटेगरी में आता है वहां पर जरूर ज्यादा दिया गया है। दूसरे म्युनिसिपल टाउन में पांच पांच किलो खाद्यान्न किया है। मई में 6 किलो दिया गया है, नसीराबाद में और जून में 6 किलो किया जा रहा है। माइलो की मात्रा बढ़ रही है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : करने जा रहे हैं या कर दिया है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मई के महीने में नसीराबाद में 6 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया।

**श्री विजयसिंह रावत** : यह गलत है। अभी दो किलो गेहूं देते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : यह आपकी जानकारी गलत है। माननीय प्रश्नकर्त्ता डिनाई कर रहे हैं। यह और भी स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार है। आपकी जानकारी ठीक नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरी जानकारी बिल्कुल सही है और विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह गलत है यह बात सही नहीं है। सही स्थिति यह है कि मई के महीने में 6 किलो अनाज वितरण

(श्री परसराम मदेरणा)

किया गया दो किलो गेहूं और चार किलो माइलो। जितना गेहूं और माइलो मिलता ह उतना वितरित करते हैं। जिनकी परचेजिंग पावर कम है और खाने के लिये अनाज चाहिये, माइलो होगा तो माइलो देंगे और गेहूं होगा तो गेहूं देंगे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मैं यह समझता था कि 6 किलो गेहूं दे रहे हैं। अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 2 किलो गेहूं दे रहे हैं और चार किलो माइलो दे रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : 6 किलो अनाज के लिये कहा।

**श्री अध्यक्ष :** यह स्पष्ट है।

**श्री विजयसिंह रावत :** अभी क्या मिल रहा है इससे सम्बन्ध नहीं है। वह नया प्रश्न है। 13-1-67 को नसीराबाद में इस तरह की घोषणा की थी या नहीं ? इसको मंत्री महोदय डिनाई कर रहे हैं जबकि मैं प्रमाण पहुंचा चुका हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं इसको अलाऊ नहीं करता। प्रमाण है भूतपूर्व मंत्री महोदय का। It does not mean the Government.

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** कांग्रेस के मंत्री भी कांग्रेस केन्डीडेट थे। एक संस्था है जिसके मंत्री थे सरकार में।

**श्री अध्यक्ष :** He was a Congress candidate and not the Government candidate.

**श्री मदनसिंह :** क्या यह 6 किलो स्पेशियली नसीराबाद के लिये ही है या अन्य जगह के लिये भी है और कोई एम० एल० ए० ज्यादा कहे तो ज्यादा बढ़ाया जाय और दूसरे नहीं कहें तो नहीं बढ़ाया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** ये दोनों ही प्रश्न नहीं उठते हैं।

**श्री मदनसिंह:** चाहे बालकृष्ण कौल हों, विजयसिंह हों, या कोई हो।

**श्री विजयसिंह रावत :** क्या 6 किलो दूसरे शहरों के लिये भी है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** मई में था, जून में कहीं 5 किलो है, कहीं 6 किलो है। अप्रेल में चार था। जबकि अजमेर-ब्यावर में 6 या बाकी शहरों में भी 6 था। माइलो की मात्रा ज्यादा आई तो 6 किलो वहां भी कर दिया।

**चम्बल परियोजना, कोटा के कर्मचारियों को प्रोजेक्ट भत्ता**

390. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा के कर्मचारियों द्वारा प्रोजेक्ट एलाउन्स दिये जाने की मांग सरकार से लगातार की जा रही है ? अगर हां, तो कब से ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(2) क्या यह सही है कि हैडक्वार्टर्स पर भी लेबर को प्रोजेक्ट एलाउन्स दिया जाता है ? अगर हां, तो क्यों व कब से ?

(3) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को 30 प्रतिशत प्रोजेक्ट एलाउन्स देती है ?

(4) क्या यह सही है कि वित्त विभाग ने हैडक्वार्टर्स पर प्रोजेक्ट एलाउन्स दिये जाने की स्वीकृति अपने आदेश एफ 3128 एफ. डी. एक्स. पे. III, 65 दिनांक 1-3-66 द्वारा दे दी थी ?

(5) क्या सरकार कर्मचारियों को प्रोजेक्ट एलाउन्स देने का विचार रखती है ?

**उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह):**

(1) जी हां। सन् 1964-65 से।

(2) जी नहीं।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जिला मुख्यालय पर एलाउन्स देने का विचार नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : इस विचार नहीं पर निर्णय कब हो जावेगा ?

**सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी):** फैसला हो चुका। जिला हैडक्वार्टर पर प्रोजेक्ट एलाउन्स नहीं दिया जावेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : कर्मचारियों को तो मिलेगा न ?

**श्री हरिदेव जोशी** : जो लोग प्रोजेक्ट के साइट पर हैं उनको तो मिलेगा, पर जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर हैं उनको नहीं मिलेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से साइट पर ट्रान्सफर होने पर ?

**श्री हरिदेव जोशी** : तब आटोमेटिकली मिल जावेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : जो साइट पर हैं उनको दिया जाता है?

**श्री हरिदेव जोशी** : जी।

**माउन्डा से मेवाड़ा सड़क की स्वीकृति**

391. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम-का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार के पास माउन्डा से मेवाड़ा तक की सड़क बनाने के कागजात विचाराधीन हैं ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन):** जी नहीं।

**श्री मोहनलाल मोदी** : 14 मील का टुकड़ा है।

**श्री अमीनुद्दीन** : क्योंकि यह हमारे विचाराधीन नहीं है और इसकी इत्तला नहीं है। वैसे माइल 12 हों या 14 हों।

**श्री मोहनलाल मोदी** : क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि 14 मील का यह टुकड़ा बन जाने से राजस्थान हरियाणा और पंजाब का लिंक हो जावेगा ?

# Page No. 13



**श्री अमीनुद्दीन** : जाती इत्तिला चाहते हैं तो अलग बात है, कागजी इत्तिला मेरे पास नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : अलग से जानकारी नहीं है।

**प्रश्न संख्या 392**

श्री रामानन्द अग्रवाल
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 383**

श्री बी० एन० जोशी
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री लादूराम सुलानिया।

**झोटवाड़ा में पुख्ता तामीरात**

394. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम झोटवाडा का जो क्षेत्र नगर परिषद् में दि. 7-10-65 से सम्मिलित हुआ है उसमें खातेदारी की आराजी पर किन किन खातेदार एवं काश्तकार व गैर खातेदार व अन्य व्यक्तियों ने अनधिकृत पुख्ता तामीरात की है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने अनधिकृत तामीरात की है उनमें उद्योग मार्ग एवं उद्योग मार्ग से झोटवाडा बस्ती में जाने वाले मार्ग पर जयपुर के धनाढ्य व्यक्ति अनधिकृत तामीरात रात दिन कर रहे हैं।

(3) क्या अनधिकृत तामीरातों की रिपोर्ट की गई और तहसीलदार जयपुर द्वारा तामीरात को कानूनन रोकी गई थी ? यदि हां, तो उसके बाद जो तामीरात हुई उनको क्यों नहीं तुड़वाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत जनता झोटवाड़ा द्वारा लिखित में जिलाधीश, जयपुर को की जा चुकी है ?

(5) क्या अनधिकृत तामीरात को तुड़वाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

(6) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर की मिलीभगत से उक्त क्षेत्र में अनधिकृत तामीरात के कार्यों की भरमार चालू है ?

(7) क्या सरकार तहसील जयपुर द्वारा इस ओर सख्त कदम न उठाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर इस सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है ?

**राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा)** : कृपया इसे पोस्टपोन कर दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया जाता है।

**श्री लादूराम सुलानिया** : क्या इसका उत्तर बाद में मिलेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : जी हां।

**प्रश्न संख्या 395**

श्री रामचन्द्र आर्य
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती कान्ता खतूरिया

**कोलायत क्षेत्र में पशु प्रजनन केन्द्र**

396. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) [श्रीमति मदन कौर (पचपदरा) द्वारा पूछा गया]: क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में सरकार ने पशु प्रजनन केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसके लिये कौनसा स्थान चुना गया है ? यदि कोई योजना नहीं बनाई है तो उसके क्या कारण हैं ?

**पशुपालन विभाग मन्त्री** (श्री परसराम मदेरणा) : जी नहीं । कोलायत राठी नस्ल का क्षेत्र है और इसी नस्ल के लिये एक फार्म वेटरनरी कालेज, बीकानेर में तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला जा चुका है । अतः इसी क्षेत्र में दूसरा फार्म खोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

**टोंक-सवाई माधोपुर व उनियारा-इन्द्रगढ़ सड़क का निर्माण**

397. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) । क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाली सड़क व उनियारा से इन्द्रगढ़ जाने वाली सड़क अभी तक पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो प्रत्येक का कितना-कितना काम बाकी है ? और कार्य पूरा न होने का कारण क्या रहा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि टोंक से सवाई माधोपुर वाली सड़क इस वर्ष भी पूर्ण नहीं हो सकेगी ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक बी० टी० का कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री अमीनुद्दीन) : (1) टोंक से सवाई माधोपुर रोड क्रास ड्रेनेज काम को छोडकर पूरी हो गई है । उनियारा-इन्द्रगढ़ रोड के 6 मील में काम चल रहा है । बाकी काम धन की कमी से नहीं किया जा रहा है ।

(2) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : कुल कितना सी० डी० वर्क बाकी है ?

**श्री अमीनुद्दीन** : इस वक्त तक 33 कलवर्ट्स कन्सट्रक्ट हो चुके हैं ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : कितने बाकी हैं तो ?

**श्री अध्यक्ष** : जो बाकी हैं, वे बाकी हैं ।

**श्री अमीनुद्दीन** : 34 बाकी हैं ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : यह अर्थाभाव का कारण कब तक रहेगा ? 15 सालों से इस सड़क के लिये कहा जा रहा है और चौथी मील है । उसमें भी यह आश्वासन मिल रहा है कि अर्थाभाव से नहीं हो रहा है । यह अर्थाभाव कब तक रहेगा ?

**श्री अमीनुद्दीन** : यह आपको बुला कर बता दूंगा कि कब तक रहेगा और उनकी क्या मौजूदा स्थिति है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : यह तो कन्टीन्यूइंग डिजीज है, केनसर है यह तो ।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** (आसींद): जिनके पास फेमीन वर्क भी चल रहे हैं तो ऐसी योजनाएं बनाएं। सी० डी० में इसको भी ले लिया जावे। अर्थाभाव का कारण भी खत्म हो जावेगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है ?

**श्री अध्यक्ष :** यह अलग से प्रश्न है।

**राज्य सहकारी परामर्शदात्री परिषद्**

398. **श्री शोभाराम :**(रामगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सहकारी परामर्शदात्री परिषद् की गत तीन वर्षों में कितनी बैठकें हुई ?

(2) क्या सरकार ने जो सुझाव परिषद् द्वारा दिये गये थे वे मान लिए हैं ? यदि हां, तो कितने और क्या उन्हें सरकार ने क्रियान्वित किया है ?

**सहकारिता मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : (1) राज्य सहकारी परामर्श दात्री परिषद् की पिछले 3 वर्षों में 2 बैठकें हुई।

(2) परिषद् की इन बैठकों में 9 प्रमुख सुझाव दिये गये थे जिनमें से केवल 5 ही सुझाव ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना था। इन पांच सुझावों में से 3 पर तो सरकार ने निर्णय ले लिया है और अभी 2 पर निर्णय लेना बाकी है। इस प्रकार कुल 8 सुझावों में से 2 सुझाव और शेष रह जाते हैं, जिन पर विभाग स्तर पर ही कार्यवाही की जानी थी। इन सुझावों में से दो पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है और 1 पर अभी कार्यवाही की जा रही है।

परिषद् की प्रथम बैठक में उपरोक्त 9 सुझावों के अलावा 4 और विविध सुझाव दिये गये थे यद्यपि उनके लिये एजेण्डा पर कोई विषय नहीं था। इन सुझावों में से एक (सहकारी समितियों द्वारा खाद व बीज वितरण किये जाने बाबत) पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी थी। खाद वितरण का कार्य सहकारी समितियों द्वारा किये जाने बाबत आवश्यक निर्णय ले लिया गया है और बीज-वितरण के सुझाव की बाबत कार्यवाही चालू है। शेष रहे सुझाव विभाग स्तर की कार्यवाही से सम्बन्धित थे और उन पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

**श्री शोभाराम** : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि वे दो सुझाव कौनसे हैं जिनमें निर्णय होना बाकी है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : एक तो होलसेल भण्डारों के गठन में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में था और फूड विभाग द्वारा इन भंडारों से जो पूर्ण सिक्योरिटी लेने के आदेश थे उनके सम्बन्ध में था कि उसको 1/4 किया जावे। इस पर निर्णय नहीं लिया है।

दूसरा यू० आई० वी० एक्ट में मास्टर प्लान में एरिया ईयरमार्क किया जाने बाबत था कि कोऑपरेटिव इन्सटीट्यूशन्स के लिये निश्चित दर पर जमीन एलॉट की जा सके। इस पर भी राजस्थान सरकार ने निर्णय नहीं लिया है हालांकि मिनिस्टर लेवल पर और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट लेवल पर बात की है। पर टाउन प्लानिंग के लिये निर्णय नहीं लिया है। ये दो सुझाव थे जिन पर राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

**श्री शोभाराम** : कब तक निर्णय ले लेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : पहले सुझाव का सम्बन्ध मेरे ही विभाग से है इसलिये जल्दी निर्णय लिया जावेगा ।

**श्री शोभाराम** : क्या उम्मीद करें कि 30 सितम्बर तक ले लिया जावेगा ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जरूर ।

**मणियारी बांध में पानी का अभाव**

399. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [श्री शंकरलाल (जैतारण) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गांव मणियारी का बांध जो पाली पंचायत समिति में है उसमें पानी की भारी कमी रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उस बांध में पानी लाने की दृष्टि से और उपाय सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उस बांध में यदि पास में वर्षा के दिनों में बहते हुए नाले को डाल दिया जाये तो पानी की समस्या का निराकरण हो सकता है ?

(4) इस मणियारी बांध से कितनी भूमि किस गांव की सिंचित होती है और क्या उसमें और पानी लेने से पास के गांव भादरा की कृषि भूमि भी सिंचित हो सकेगी ?

**उप-मन्त्री सिंचाई** (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, पानी कम आने के कारणों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(2) सर्वे की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही के बारे में सोचा जा सकता है ।

(3) ऐसी जांच के पश्चात् ही कहा जा सकता है ।

(4) इस बांध से मणियारी व भावरी गांवों की क्रमश: 250 व 500 एकड़ भूमि सिंचित होती है । पानी लेने व सिंचाई बढ़ाने के बारे में सर्वे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

**श्री शंकरलाल** : आपने कहा कि जांच के बाद कहा जा सकता है तो इसके बारे में क्या जांच कराई जा रही है ?

**श्री मनफूलसिंह** : जी हां, जांच करवाई जा रही है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल ।

**पंचायत समितियों में व्यर्थ व्यय**

400. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में काफी फालतू खर्च किये जाने की कई शिकायतें राज्य सरकार के पास आती रहती हैं ?

(2) क्या सरकार पंचायत समितियों के फालतू खर्चे में कमी करने की दृष्टि से कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

**पंचायत मन्त्री** (श्री परसराम मदेरणा) : (1) कुछ शिकायतें आती रहती हैं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) राज्य सरकार की जानकारी में फालतू खर्चे का कोई उदाहरण आने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। आम तौर पर मितव्यता के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

**श्री शंकरलाल** : क्या यह सही है कि जितनी शिकायतें आई हैं उसमें अधिकतर जीपों के दुरुपयोग होने के फालतू खर्च करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं आपको यह नहीं बता सकता कि सिर्फ जीपों की शिकायतें ही आई हैं लेकिन परचेजेज और दूसरे मामलों में जो शिकायतें आई हैं उनके लिये कार्यवाही की गयी है और समय-समय पर आदेश भी दिये गये हैं। और जो जीपें पंचायत समितियों के पास थीं उनके ऊपर भी समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

**श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़) : क्या अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की भी शिकायतें अधिकतर आई हैं कि जिस मद का रुपया होता है उसमें उसका यूटीलाईजेशन नहीं हो रहा है और वैसे ही रुपया रख लिया जाता है ? क्या अधिकतर शिकायतें ऐसी नहीं हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने निवेदन किया कि कुछ का यूटीलाईजेशन नहीं है और यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट नहीं आता है तो वह अमाउन्ट जिसका यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट नहीं आता है तो चाहे पंचायत समिति हो या इन्डीविजुअल हो उससे अमाउन्ट वसूल किया जायेगा। लेकिन पंचायत समितियों के संबंध में बताया था कि यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट का सवाल नहीं है। यहां तो जीप और परचेजेज के बारे में प्रश्न पूछने का सवाल है और इसके लिए मैंने निवेदन किया है कि परचेजेज के बारे में शिकायतें आई हैं वहां पर तुरन्त इन्क्वायरी डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर को आदेश दिये और उनकी इन्क्वायरीज हुई हैं। लेकिन अब यह निर्णय ले लिया गया है कि कोई भी विकास अधिकारी परचेजेज करता है और वह अगर 500 रुपये से ऊपर की होंगी तो उसे कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी।

**श्री रोशनलाल** (सलूम्बर) : यह राज्य सरकार के आदेश कब पहुंचे कलेक्टर्स के पास ?

**श्री अध्यक्ष** :- नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी किया क्या उसका उत्तर देने की मन्त्री महोदय कृपा नहीं करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : हां, वह भी ले लेते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : (विराम)

**श्री अध्यक्ष** : नहीं है तो फिर जानकारी दे देना।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह आर्डर्स 1-11-66 को निकले हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** : भ ोंसिंह कोई नहीं है यहां तो।

**श्री अध्यक्ष** : भ.. रों...... सिह

**श्री ैरोंसिह** : कोई नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं है तो आगे चलते हैं।

**श्री भैरोंसिह** : 401 है।

**श्री अध्यक्ष**: नाम नहीं, नम्बर से ले लेंगे।

**राजस्थान नहर से सिंचाई हेतु पानी**

401. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्थान कैनाल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान कैनाल के निर्माण की मूल योजना के अनुसार सन् 66-67 में राजस्थान राज्य को कितना पानी अपने शेयर का लेना चाहिये था और कितने पानी के लिये हमने इण्डेन्ट जारी किया और हमें वास्तव में कितना पानी मिला ?

(ख) मूल योजना में क्या इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो उसके अनुसार भी पानी की क्या स्थिति रही है ?

**उप-मन्त्री सिंचाई** (श्री मनफूलसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर विभाग से मिला नहीं है।

**सिंचाई मंत्री** (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगित किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित।

श्री सुवालाल चौधरी।

**दूदू पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक शालायें**

402. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति, दूदू में कई ग्राम 400-500 की जनसंख्या के हैं जहां प्राथमिक शाला नहीं है ? सरकार सन् 67-68 में पंचायत समिति, दूदू को कितनी स्कूल खोलने की स्वीकृति दे सकेगी ?

**विकास मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा): केवल तीन गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 400 से अधिक है। इस वर्ष नई प्राथमिक शालायें खोले जाने की सम्भावना कम है।

**श्री लाबूराम सुलाणिया** : (फागी): वह 3 गांव कौन से है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : रतपुरा, मालेड़ा, तथा सम्बलपुरा।

**श्री लाबूराम सुलाणिया** : क्या इस वर्ष दूदू पंचायत समिति में ही खोलने का विचार नहीं है या पूरे राजस्थान में ही नहीं खोलने का विचार है ?

**श्री परसराम मदेरणा**: हमने शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्या नई प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रावधान है या नहीं ? उन्होंने कहा कि बजट की वित्तिय स्थिति को देखते हुए कम सम्भावना है। उन्होंने हमें ऐसी जानकारी दी है और यही बात मैंने कही है।

**श्री लाबूराम सुलाणिया** : अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज यह है कि मंत्री महोदय ने कहा कि सम्भावाना नहीं है तो सिर्फ दूदू पंचायत समिति एरिया में ही नहीं है या पूरे राजस्थान में ही नहीं है ?

**श्री परसराम मदेरणा**: पूरे राजस्थान के लिए मैं कह रहा हूं कि सम्भावाना कम है। अकेले दूदू का ही प्रश्न नहीं है। उसको आइसोलेट करने का या उसके

(श्री परसराम मदेरणा)

साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री लादूराम मुलाणिया** : पिछली साल पंचायत समिति दूदू को कितने स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई थी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह इत्तला मेरे पास नहीं है।

**श्री लादूराम मुलाणिया** : इस प्रश्न में है आप देखिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। 399 प्रश्न रह गया है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं ले रहा हूं। जो प्रश्न छूट गये हैं, उनको लिया जा रहा है।

**प्रश्न संख्या 386**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल

**मोटर गाड़ी का हस्तांतरण**

392. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में किसी गाड़ी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते समय क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट रजिस्ट्रेशन अथोरटी के समक्ष पेश करना जरूरी है?

(2) क्या यह सही है कि क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट जारी करने का अधिकार केवल उसी अधिकारी को है जिसने शुरू में गाड़ी को रजिस्टर किया था ?

(3) क्या यह सही है कि कोई भी गाड़ी का मालिक किसी भी जगह अपनी गाड़ी का रोड टैक्स जमा करा सकता है ?

(4) क्या यह सही है कि एक रीजनल ओथोरिटी से दूसरी रीजनल ओथोरिटी के पास टैक्स जमा होने का रेकार्ड नियमित रूप से नहीं भेजा जाता है और न ही आने पर नियमित रूप से दर्ज होता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस प्रकार अप-टू-डेट रेकार्ड के अभाव में किसी भी गाड़ी ट्रांसफर करने वाले के लिए शुरू की रजिस्टरिंग ओथोरिटी से क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट हासिल करना लगभग असम्भव है ?

(6) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड पर टैक्स की अदायगी दर्ज होने पर भी क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट मांगा जाता है ?

(7) क्या सरकार इस नियम में संशोधन करके क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट की जरूरत को समाप्त करने और इसके बजाय टैक्स की अदायगी का वेरीफिकेशन होने पर गाड़ी का ट्रान्सफर कर देने के प्रश्न पर विचार करने का इरादा रखती है ?

**यातायत मंत्री (श्री अमिनुद्दीन):**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** प्रश्न का दूसरा भाग है "क्या यह सही है कि क्लीयेरेन्स सर्टीफिकेट जारी करने का अधिकार केवल उसी अधिकारी को हो जिसने शुरू में गाड़ी को रजिस्टर किया था? क्या आप बतायेंगे कि जो डेफिनेशन है क्लीयेरेन्स सर्टीफिकेट की उसके तहत और किस को अधिकार है ऐसे सर्टीफिकेट जारी करने का?

**श्री अमीनुद्दीन :** वह तो जो आर० टी० ओ० है, वही दे सकता है सर्टीफिकेट।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आपने उत्तर दिया ह जी नहीं। मेरा कहना यही था कि जिस आर० टी० ओ० ने ओरीजिनली जिस गाड़ी को रजिस्टर किया—मान लीजिए कि उदयपुर में किया तो उसी को वह गाड़ी जयपुर में आ गयी, जयपुर के आर० टी० ओ० के क्षेत्र में आ गयी, लेकिन उदयपुर से ही क्लीयेरेन्स सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा—आप कहते हैं जी नहीं और सप्लीमेन्टरी में कहते हैं जी हां, यह डिफरेन्ट बात कैसे है?

**श्री अमीनुद्दीन :** मैं समझा नहीं इस सवाल को।

**श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ) : मैं समझा दूं...

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि यदि एक गाड़ी उदयपुर रीजन में रजिस्टर हुई है और वह ट्रान्सफर होते होते दो तीन रीजन्स में से जयपुर रीजन में आ गयी तो फिर इसका ट्रान्सफर और अगर आगे करना है तो उसका क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट लेना पड़ता है कि सब टैक्स दिये हुए हैं क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट देने का अधिकार रीजनल रजिस्टरिंग ओथोरिटी को है जो कि उदयपुर में थी, तोइसका मतलब यह है कि क्लीयेरेन्स कोटा डिवीजन का लेना चाहिए, जोधपुर डिवीजन का लेना चाहिए और जिन जिन के बीच में ट्रान्सफर हुई है उनसे लेकर फिर उदयपुर जाकर वहां लेना चाहिए। सामान्यत: मोटर व्हिकल्स एक्ट के अनुसार जो पेमेन्ट आफ टैक्स होता है इसकी इत्तला पीरियोडीकली रिटर्न्स आर० टी० ओ० ऑफिस को जाती है, जहां कि गाड़ी रजिस्टर्ड है वहां भेजे जाते हैं लेकिन प्रत्यक्ष में या तो यह रिटर्न्स भेजे नहीं जाते हैं या भेजे जाते हैं तो बन्डल वहां रखे रहते हैं और इन्दराज नहीं होता तो इस तरह का क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट लेना होता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसका भुक्तभोगी हूं और मुझको एक जीप ट्रान्सफर करानी थी ........

**श्री अध्यक्ष :** आप तो प्रश्न कर दीजिए। मंत्री महोदय समझ गये हैं आपके प्रश्न को।

**श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : आपकी आदत भाषण की है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप समझे नहीं थे।

**श्री अध्यक्ष** : समझ गये हैं। काफी प्रकाश डाल चुके हैं। आप तो प्रश्न कर लीजिए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप बतायें कि क्या व्यवस्था है?

**श्री अमीनुद्दीन** : यह सही है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई इत्तिला नहीं दी जाती है। यह सोचने की चीज है इसके लिए जरूर किया जायेगा कि उसका रेकार्ड दूसरी जगह भी भेजा जाये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरा आशय यही है कि जब सारे टैक्स रजिस्ट्रेशन बुक के अन्दर लिखे हुए हैं तो इस तरह की चीज की आवश्यकता क्यों? उसी के बेसिस पर ट्रान्सफर क्यों नहीं किया जाता है?

**श्री अमीनुद्दीन** : दरअसल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वही कलेक्टर ही है और जो टैक्सेशन क्लीयरेंस सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा वह दूसरी जगह से जहां से कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वहीं क्लीयरेंस सर्टीफिकेट के लिए जाना पड़ेगा.....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : माननीय मंत्रीजी मेरी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। एक तो रोड टैक्स देना पड़ता है। रोड टैक्स, कलेक्टर या ए०डी०एम० जो भी ऑथोरिटी किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है, उसके अन्तर्गत आता है और आर०टी०ओ० के यहां टैक्स जमा होता है। अब उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर कराना चाहें गाड़ी को तो क्लीयरेंस सर्टीफिकेट लेने के लिए वापिस ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट में जहां पर कि ओरिजिनली गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है वहां से क्लीयरेंस सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा, यह जरूरी क्यों है? जबकि आपके द्वारा जो किताब दी जाती है ट्रांसफर की उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है तो फिर वहीं का वहीं पर ट्रांसफर क्यों नहीं हो जाता है? जब आपकी किताब में लिखा रहता है। "Do you need that clearance certificate of the back period ?"

तो फिर वहां पर ही ट्रान्सफर क्यों नहीं हो जाता है?

**श्री मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में .....

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिए।

**श्री मदनसिंह दांता** : मैं क्लीयर कर दूं..

**श्री अमीनुद्दीन** : मैं समज गया हूं जो आपने कहा और इसमें जो कुछ भी एमेंडमेंट वगैरा करना होगा तो वह भी करेंगे। अभी तो जो कुछ भी हो रहा है, वह रूल्स के तहत हो रहा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : वह तो ठीक है, लेकिन जो रूल्स में एमेंडमेंट करने की जरूरत है और उसको महसूस करके.....

**श्री अध्यक्ष** : वह महसूस हो गई है।

**श्री मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विचारणीय चीज है और वह इसलिए है कि कई दफा ऐसे घोटाले हुए हैं कि एक एक गाड़ी के पीछे पांच, छः,

(श्री मदनसिंह दांता)
सात गाड़ियां उनके फेवर में हो जाती हैं। जब तक वह ओरिजिनल जगह पर नहीं जायेंगे उसको ट्रेस आउट नहीं कर पायेंगे। लोगों ने नम्बर प्लेट्स तक चेंज करके दूसरे नामों से गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाली हैं। तो जब तक ओरिजिनल जगह पर जांच नहीं होगी, तब तक पता नहीं चल सकेगा। उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं मिलेगी, उसकी सारी कार्यवाही नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे...

**श्री अध्यक्ष** : विचार करेंगे। प्रोसीडिंग और ऐसे सारे मामलों पर विचार करेंगे।

श्री बी० एन० जोशी !

**ग्राम शालाबास, तहसील बसवा तक बिजली की लाइन**

393. **श्री बी० एन० जोशी** (बांदीकुई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बसवा तहसील के ग्राम शालवास कलां (कुट्टी) तक बिजली की लाइन ले जाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

(ख) क्या बिजली के तार रेलवे लाइन के परले पाल ले जाने के लिए पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों से स्वीकृति हेतु विद्युत विभाग कार्यवाही कर रहा है ?

**विद्युत मंत्री** (श्री हरिदेव जोशी): (क) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि यह शालावास कलां गांव से केवल सौ गज के फासले पर बिजली की लाइन और खम्भे मौजूद हैं ? फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है ?

**श्री हरिदेव जोशी** : मेरी जानकारी यह है कि बांदीकुई उसका फीडिंग स्टेशन है और अब तक यह सम्बन्धित गांव किसी स्कीम में नहीं था इसलिए इसके बारे में रेलवे ऑथोरिटीज को लिखने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ किन्तु यदि इस वर्ष की स्कीम में यह गांव आ जाता है, तो सारी फोर्मेलिटीज पूरी कर दी जायेंगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामचन्द्र आर्य !

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**कनवास-धलेट सड़क का निर्माण**

386. 55 सा० नि० मं० **श्री जुझारसिंह** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कनवास-धूलेट रोड प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरी होने वाली थी व इसके लिये फन्डस भी मन्जूर किये गये थे परन्तु अभी तक इस पर एक मील का भी काम नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(2) कनवास-धूलेट रोड को बनाने का काम अब कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

(श्री जुझारसिंह)

(3) क्या यह सही है कि यह रोड कोटा स्टेट के समय से फेयर वेदर रोड थी परन्तु अब इसकी मेन्टीनेन्स तक होना बन्द है ?

(4) फेयर वेदर रोड्स के मेन्टीनेन्स का क्या नियम है और उसको किस प्रकार निभाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मंजूरी से 16 पुलियां और खंरजे बनाये गये हैं।

(2) निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) सालाना मरम्मत कराई जाती है।

(4) 200 रु० की मील फेयर वेदर रोड की मेन्टीनेन्स के लिये दिये जाते हैं। इसके मुताबिक मेन्टीनेन्स की गई है।

**गंगानगर जिले की बसों का राष्ट्रीयकरण**

395. **श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या श्री गंगानगर जिले की बसों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब तक व कौन कौन सी रोड पर चलने वाली बसों का राष्ट्रीयकरण पहले होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गंगानगर जिले में रायसिंहनगर-पदमपुर-गंगानगर-हनुमानगढ़ मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना दि० 30-12-1965 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। प्रारूप योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति-पत्रों की सुनवाई संयुक्त विधि परामर्शी (Joint Legal Remembrancer) द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा योजना के अनुमोदित होते ही इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायगा।

(11.55 म० पू०)

स्थगन प्रस्ताव

**जयपुर, टोंक, गंगानगर आदि में हैजा व आंतशोथ का प्रकोप**

**श्री अध्यक्ष**: जयपुर, टोंक, गंगानगर, भरतपुर एवं झालावाड़ जिलों में हैजा और आंतशोथ के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है। इस विषय की सम्बन्धित मांग पर दिनांक 13 जून, 1967 को सदन में बहस की जायेगी। श्री अग्रवाल इस मामले को उस दिन कटौती प्रस्ताव द्वारा उठा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

**धौलपुर ग्लास वर्क्स बन्द होने पर श्रमिकों की बेरोजगारी**

धौलपुर ग्लास वर्क्स बन्द हो जाने से वहां के श्रमिकों की बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर श्री रामकिशन ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। श्रम

Page No. 24



(श्री अध्यक्ष)
और नियोजन विभाग से सम्बन्धित माग पर इस सदन में दिनांक 15-6-1967 को विचार किया जायेगा। श्री रामकिशन यह मामला उस दिन कटौती प्रस्ताव द्वारा उठा सकते हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

**विधान सभा की विभिन्न समितियों का मनोनयन**

**विशेषाधिकार समिति**

**श्री अध्यक्ष** : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 234 के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को विशेषाधिकार समिति के लिए मनोनीत किया है :–

(1) उपाध्यक्ष श्री पूनमचंद विश्नोई, चेयरमैन

(2) श्री बृज प्रकाश

(3) श्रीमती प्रभा मिश्रा

(4) श्री शंकरलाल

(5) श्री बनवारीलाल

(6) श्री रामनारायण

(7) श्री गंगा सहाय

(8) मेजर श्री फतेसिंह

(9) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

(10) श्री केदारनाथ।

**अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति**

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 239 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के लिए मनोनीत किया है:–

(1) राजवी श्री रूपसिंह

(2) श्री मूलचन्द डागा

(3) श्री विरदीचन्द जैन

(4) श्री किशनलाल (सिकराय)

(5) श्रीमती कान्ता कथूरिया

(6) श्री मजलिस खां

(7) श्री जयनारायण (लसाड़िया)

(8) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(9) श्री मुकुट बिहारीलाल, और

(10) श्री श्रवणलाल।

**आश्वासन समिति**

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 245 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को आश्वासन समिति के लिए मनोनीत किया है :–

(1) श्री यशवन्तसिंह नाहर

(2) श्री देवीलाल (सराडा)

(3) श्री हरीसिंह

(4) श्रीमती मदनकौर

(5) श्री जुझारसिंह।

उक्त नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत श्री यशवन्तसिंह नाहर को समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(श्री अध्यक्ष)

इसी प्रकार पहले घोषित अधीनस्थ विधान की समिति में राजवी रूपसिंह को समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

**सरकारी वक्तव्य**

**सेवाकाल 58 से 55 वर्ष करने में आई०ए०एस० व आई०पी०एस० अधिकारियों को सम्मिलित करना**

**श्री अध्यक्ष** : राज्य कर्मचारियों के सेवाकाल की आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष करने में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के अधिकारियों को सम्मिलित न करने सम्बन्धी मामले पर वक्तव्य। मुख्य मन्त्री जी कृपया वक्तव्य दें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं :

अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती एवं सेवाओं के नियम अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बनाए जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद उनकी भर्ती और सेवाओं के नियम बनाती है, इस तरह के नियम पार्लियामेन्ट के समक्ष रखे जाते हैं और पार्लियामेन्ट को संशोधन करने का अधिकार है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भारत सरकार ने 25 मई, 1963 को एक नोटीफिकेशन के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा-निवृत्ति आयु 55 से 58 वर्ष की कर दी।

यह निर्णय भारत सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके लिया था। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती एवं सेवा नियमों के बारे में राज्य सरकार को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में भारत सरकार ही उनके अन्तर्गत सेवाओं की स्थिति आदि पर विचार कर निर्णय ले सकती है। भारत सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह केवल अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में ही नहीं किन्तु अपनी केन्द्रीय सेवाओं के बारे में विचार करे। जहां तक राजस्थान सरकार के निर्णय का सवाल है, मूल कारण नये भर्ती होने वाले युवकों को मौका देना है, ताकि योग्य व्यक्ति शिक्षण प्राप्त कर जहां तक हो सके रोजगार प्राप्त कर सकें, साथ ही हमें खर्चे में कमी करनी थी और उसके फलस्वरूप जो लोग सरप्लस होंगे उनका भी ख्याल रखना था इस लिये यह निर्णय लिया गया है कि सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से 55 वर्ष तक की कर दी जाए।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं और ये नियम भी राज्य सरकारों के परामर्श से बनाए जायेंगे। लेकिन यह बात भी सही है कि राज्यों पर ही यह निर्भर करता है कि कितनी संख्या में उनको यहां पर रखें और रखें या नहीं रखें। इसके बारे में भारत सरकार की ओर से कोई इस प्रकार का ओब्लिगेट्री प्रोविजन नहीं है कि अमुक राज्य को इतने पर्सेन्ट ऑफिसर अपने यहां रखने पड़ेंगे। जिस समय यह राज्य बना या जिस समय इन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण हुआ उस समय भी हमारे लिए कुछ सेवाओं का निर्धारण हुआ था। उसके बाद

(श्री भैरोंसिंह)
जो भी सिलेक्शन के द्वारा कइयों की नियुक्तियां हुई हैं उसमें हमारे लिए एक प्रकार से कोटा निर्धारित है लेकिन यदि हम कम करने का विचार करें तो हमारे सामने कोई कठिनाई आने वाली नहीं है ।

(12 मध्यान्ह)

मैं इस सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है उसी प्रकार का निर्णय केरल की राज्य सरकार ने लिया है और केरल की राज्य सरकार ने आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के सम्बन्ध में भारत सरकार को यह लिखकर दिया है कि जब हम राज्य सरकार की सेवाओं के लिए 55 वर्ष की आयु का निर्धारण करते हैं तो एक ही राज्य की सेवाओं के लिये दो प्रकार की व्यवस्थाएं लेकर नहीं चल सकते हैं । इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों में हार्ट-बर्निग तो है ही, लेकिन उनके साथ में डिस्क्रीमिनेट्री ट्रीटमेन्ट भी है । इसके पश्चात् अभी तक तो केरल की राज्य सरकार को भारत सरकार ने एक पत्र लिखा है कि उनके पास उनका यह पत्र पहुंचा है उस पर विचार करेंगे, लेकिन केरल की सरकार ने एक डेट निश्चित कर दी कि यदि इस तारीख तक भारत सरकार ने निर्णय नहीं किया तो आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको वापिस भारत सरकार की सेवा में भेज देंगे । तो उसके ऊपर मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी कर ली है कि जिन सर्विसेज को 55 वर्ष की आयु से अधिक का होने के कारण रिटायर हो जाना चाहिए था और जो राजस्थान में टिके हुए हैं क्या हम उन लोगों को भारत सरकार को रिवर्ट करके राजस्थान के कर्मचारियों में जो हार्ट-बर्निग है और उनके साथ जो डिस्क्रीमिनेट्री ट्रीटमेन्ट हो रहा है उस ट्रीटमेन्ट से उनको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते और क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए इस प्रकार का एक्शन लिया है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि क्या जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया तो जैसे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कोई भी निर्णय राज्य सरकारों से परामर्श करके करती है तो क्या राज्य सरकार के सामने जिस समय इस उम्र को कम करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो क्या इस बात पर विचार नहीं किया गया कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को को भी इस प्रकार का ट्रीटमेन्ट दिया जाय ? तथा इस प्रकार की घोषणा करने से पहले राज्य सरकार भारत सरकार से बातचीत करे, और एक ही राज्य में दो तरह के ट्रीटमेन्ट सर्विसेज में न हों और इस तरह की विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो इस प्रकार की अवांछनीय स्थिति पैदा नहीं होने दें ? मुझे जानकारी नहीं है कि हमारी सरकार ने भारत सरकार से इस प्रकार की बातचीत की या नहीं की ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जब यह घोषणा की तो उस घोषणा में यह बात कि कौन कौनसी सर्विसेज में ये रूल्स लागू नहीं होंगे, या निर्णय लागू नहीं होगा उसकी स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, और उसमें साथ में यह भी बताया था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तक नौकी प्रशिक्षकों के सिवाय या डॉक्टरों के अतिरिक्त और राज्य की सेवाओं पर सरकार का यह निर्णय लागू होगा। और, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को यहां पर कहते हुए हिचक नहीं है कि राज्य सरकार जो यह निर्णय ले रही है, इस तरह का जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है उसका वित्त मन्त्रीजी ने घोषणा की उस समय यह प्रश्न राज्य सरकार के सामने नहीं था। राज्य सरकार ने इस तरह का विचार नहीं किया था। यह केवल इस घोषणा के बाद आई० ए० एस० ऑफिसर्स के दबाव के कारण, जो कि हमारी मिनिस्ट्री पर हमेशा हावी रहते हैं, उस दबाव के कारण ही राज्य सरकार ने अपने इस निर्णय में परिवर्तन किया है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज ! यह कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बतला दी है और फिर दुबारा आप प्रश्न करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में will not impute the motives,

**श्री भैरोंसिह** : लेटर तो लिख सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बड़ा क्लियर प्रश्न है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यदि वित्त मन्त्रीजी ने जिस समय घोषणा की उस समय भी यह स्थिति थी तो एक बड़े महत्वपूर्ण तथ्य को इस सदन से छिपाया गया और इस सदन की जानकारी से बाहर रखा गया। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने और सर्विसेज के बारे में जिन पर ये नियम लागू नहीं होंगे उनका उल्लेख किया उसी प्रकार इन सेवाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए था। इसलिए मेरा यह आग्रह के साथ निवेदन है आपके जरिये सरकार से कि राज्य सरकार इस घोषणा को इस प्रकार लागू करे कि आई०ए० एस०, आई० पी० एस० या आर० ए० एस० और दूसरी सर्विसेज में आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं साबित हो।

जिस तरह से केरल सरकार का उल्लेख जैसा कि माननीय भैरोंसिहजी ने किया है उसी तरह से राज्य सरकार कोई पाबन्द नहीं है कि 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों को राज्य सरकार राज्य सेवाओं में रखे ही। जो 55 वर्ष से ऊपर के हों उनको छुट्टी देकर केन्द्रीय सरकार को सौंपा जा सकता है।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में एक तथ्य और भी उठाया है और वह यह है कि युनिवर्सिटी के अन्दर प्रोफेसर्स होते हैं उसी तरह से सरकार के कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा चलाये जाते हैं तो राज्य सरकार के प्रोफेसरों पर तो यह लागू हो जायगा 55 साल वाला नियम, और युनिवर्सिटी में एक ही प्रकार का इस प्रकार का अध्यापन कार्य करते हैं वहां पर यह नियम 60 साल का है और एक्स्टेन्शन देने के बाद 65 साल भी होता है। एक युनिवर्सिटी से सम्बन्धित प्रोफेसर एक ही प्रकार की सेवा में लगे हुए प्रशिक्षक हैं उनके लिए एक तरफ तो 65 साल तक सेवा-मुक्ति की आयु का उपभोग करेंगे और दूसरी तरफ केवल 55 वर्ष का तो यह 10 साल का जो डिफरेन्स है वह बहुत बड़ा डिफरेन्स है शिक्षण-संस्थाओं में और खास तौर से कॉलेज एज्यूकेशन के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा इससे असन्तोष फैलाने के समान है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हालांकि उन्होंने ये संकेत जो किया है कि

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

राज्य सरकार द्वारा नियमित या जो एडेड इन्स्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर भी इस प्रकार का नियम लागू किया जायगा। कहने को यह बात कही जा सकती है कि युनिर्वासिटी के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कहने के मामले में युनिर्वासिटी एक ऑटोनामस बॉडी है। यह तो अपनी जगह सही है, लेकिन राज्य सरकार उसको ग्रान्ट देती है, राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपये का समय समय पर उनको अनुदान देती है जिससे कि वे चलती हैं तो इस तरह की जो मूलभूत नीति है उनके अनुपालन के लिए उनको आप विवश कर सकते हैं। एक ही प्रकार की संस्थाओं में, एक ही प्रकार की सेवाओं में, एक ही युनिर्वासिटी के अन्दर चलने वाले कॉलेजों के अन्दर यह डिस्क्रीमिनेशन नहीं चल सकता है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कह चुका हूं कि अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में नियम-उपनियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जब वित्त मन्त्रीजी ने कुछ सेवाओं के बारे में 58 या 60 वर्ष की घोषणा की थी उस वक्त में यह स्पष्ट था कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हम अपनी तरफ से कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं......

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह उस समय नहीं कह सकते थे क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह सदन को स्पष्ट होना चाहिए और जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है हमारे विभाग में बहुत स्पष्ट था कि आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के जो लोग हैं यहां पर उनके लिए हम इस प्रकार का नियम नहीं बना सकते हैं। जहां तक राज्य-सेवाओं का सम्बन्ध है उनके बारे में बना सकते हैं।

प्रश्न अगर हमारे सामने है तो वह यह है कि ऑल इंडिया सर्विस की उम्र 55 साल नहीं कर सकते हैं तो क्या और सर्विसेज के अन्दर भी 58 साल की उम्र को रखकर चलें तो उसके बारे में हमने बहुत बड़ी गम्भीरता से विचार किया कि जो ब्लॉक ऑफ सर्विस है कि जिनकी वजह से बहुत से व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है और जो इकोनॉमिक मेजर्स हमने लिए हैं उनका जिन पर असर पड़ता है उनका सम्बन्ध अधिकतर राज्य सेवाओं से था, और अधिकतर ऐसा हमने उसी दृष्टि से किया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया।

जहां तक अपने यहां केडर की संख्या कम या ज्यादा करने का प्रश्न है तो यह सही है कि राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह अपनी केडर की स्ट्रेन्थ को तय कर सकती है और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जहां तक हो सके हम अपनी केडर को बहुत ज्यादा बड़ा न बनायें। अब भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां बहुत ज्यादा केडर है। राजस्थान के अन्दर हमारे यहां आई०ए०एस० और आई० पी०एस० का केडर बहुत ज्यादा नहीं है, और आगे भी जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इसके दायरे को कोई बहुत बढ़ाना चाहते हों ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर जो यह कहा गया कि केरल गवर्नमेंट ने जैसा किया है कि अमुक तारीख तक हम जो 55 वर्ष के ऊपर के अधिकारी होंगे उनको लौटा देंगे। हम उस डिफायन्स के रुख को अख्त्यार नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी आज की देश की परिस्थितियों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
को देखते हुए वह भी अगर 55 वर्ष की आयु कर दें तो उचित होगा। उस दृष्टि से जहां उचित जगह पर अपनी बात को कह सकते हैं अपनी बात को कहेंगे, लेकिन हम कोई डिफायन्स का एटीट्यूड लेकर नहीं चलना चाहते कि हम उसी प्रकार का एटीट्यूड लेकर चलें।

यह राज्य सरकार की मोटे तौर से इस सम्बन्ध में......

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : कम से कम रिक्वेस्ट तो करेंगे भारत सरकार को।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने निवेदन किया कि जहां तक राज्य सरकार की नीति है, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे अपने यहां पर जो 55 वर्ष की आयु की है उसकी वजह से हमारी सर्विसेज के दिल के अन्दर आघात पहुंचना स्वभाविक है और उस दृष्टि से भारत सरकार भी, आज की परिस्थितियां हैं, उसमें देश के अन्दर पोटेंशियेलिटी मतलब एम्प्लॉयमेन्ट पोटेंशियेलिटी वगैरह के सवालों पर गम्भीरता से विचार कर इसको रिवाइज करे तो उचित होगा। जैसा मैंने निवेदन किया कि हम अपना दृष्टिकोण, जब आवश्यक हो, उस वक्त उनके समक्ष रखेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब आवश्यक हो तब रखेंगे, आज आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जब आवश्यक हो, यानि ऑल इंडिया लेवल पर जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ में केन्द्र कन्सलटेशन करना चाहें, ऐसे मौके पर जब अपॉचूनिटी आती है, उस अपॉचूनिटी.....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप पत्र लिख कर भेज सकते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप पत्र लिख कर भेज सकते हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं निवेदन कर दूं कि हम अपनी तरफ से सुझायेंगे कि वह अपने यहां भी पचपन वर्ष की उम्र कर दें, यह जब आवश्यक हो तब सुझायेंगे तो उचित होगा और इससे किसी तरह की विश्रृंखलाएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। इतना ही मैं इस मौके पर कह सकता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया जब तक यह स्टेन्ड स्वीकार नहीं कर ले कि 58 के बजाय वह 55 वर्ष की उम्र करती है, उसके लिये पहले तो आप रिक्वेस्ट करें और जब तक वह नहीं करे तब तक जो राजस्थान में 55 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको केन्द्र वापिस ले ले। इस तरह की क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने बताया कि मैं किसी तरह का भी कोई डिफायन्स का एटीट्यूड नहीं लेना चाहता।

**श्री भैरोंसिंह** : इसमें डिफायन्स नहीं है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : और इसके साथ साथ इससे अन्तर भी नहीं पड़ता है यदि ऑल इंडिया सर्विसेज की एज 58 रहती है। प्रश्न यह रह जाता है कि हम अपने यहां पर 55 की उम्र रखते हैं तो उससे कोई मैटिरियल चीज नहीं होती है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने खुद ने स्वीकार किया है कि इससे राजस्थान की सर्विसेज के लोगों की भावनाओं के ऊपर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आघात पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि भारत सरकार को हमारी ओर से मूव करना चाहिये या नहीं, उसके लिए आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में आप मूव करें। इसका अर्थ यह होगा कि जब तक राज्य सरकार की सर्विसेज के लिए जो 55 वर्ष की उम्र रखी है, उस उम्र तक के लोगों को अपनी सेवा में रखेंगे और इससे ऊपर की उम्र वालों को नहीं रखेंगे और आई०ए०एस० या आई०पी०एस० का जहां तक प्रश्न है, उनके लिए एक बदली हुइ परिस्थिति रहेगी।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सदस्य महोदय, नें निवेदन कर दूं कि हम यानि राज्य सरकार भारत सरकार को लिखेगी। जहां तक हमारे लिखने का प्रश्न है वह मैंने निवेदन कर दिया। लेकिन मैं कोई डिफायन्स का एटीट्यूड नहीं लेना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि 55 वर्ष की उम्र भारत सरकार अपनी सर्विसेज के लिए भी कर दे।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल**: कॉलेज एज्यूकेशन के सम्बन्ध में जो सवाल मैंने पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : युनिर्वासिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और उसके आधार पर नियम बनाने का उसको अधिकार है। यह युनिर्वासिटी का काम है। अब राजस्थान के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले ह, दोनों को ही उनकी सर्विस कन्डीशन्स को जानते हुए एप्लाई करके एम्प्लॉयमेन्ट पाने का अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर ! आर्डर !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि मुख्य मन्त्री ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस का तमाम सर्विसेज के तमाम मोरल्स के ऊपर असर पड़ेगा। आपने इसे इतना महत्वपूर्ण निर्णय मानते हुए यह माना है कि आर०ए०एस० और आई०ए०एस० व आई०पी०एस० के अन्दर डिफरेंशियेट करने से यहां की सर्विसेज में हार्ट-बर्निंग होगा। तो आपने इस निर्णय को लेने से पहले, इसके सम्बन्ध में घोषणा करने से पहले भारत सरकार से विचार विनिमय क्यों नहीं किया ? उनसे सलाह मशविरा क्यों नहीं किया कि वह अपने यहां 55 वर्ष की उम्र करने को तैयार हैं ? अगर नहीं हैं तो क्या स्टेट के अन्दर लगे हुए अपने लोगों को वापिस लेने के लिए तैयार हैं ? अगर पहले आप इस पर विचार कर लेते तो अन्य स्टेट में जो निर्णय लिया है, उसको आपको लागू करने में दिक्कत न आती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इस सरकार को इस सम्बन्ध में दुबारा सोचना पड़ेगा। इस सरकार ने ऐसी एनामॉली क्रियेट कर दी है कि जिसकी वजह से सर्विसेज के तमाम लेवल पर हार्ट-बर्निंग का प्रश्न पैदा हो गया है, और बहुत से लोग ऐसी सर्विसेज में हैं.....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज!

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जो सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज होने वाली हैं, एज्यूकेशन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस होने वाली ह।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछ लीजिये ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण सर्विसेज का बण्टाधार हो रहा है....

**श्री अध्यक्ष** : But within limitations of the rules.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सेन्ट्रल सर्विसेज के लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय ले लिया है, इससे राजस्थान सर्विसेज के अन्दर एक.हार्ट-बर्निंग की भावना पैदा हो जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं यह जानना चाहता हूं कि फोरेस्ट सर्विसेज एक ऑल इंडिया सर्विसेज बने – इस बात पर जब विचार चल रहा है, एज्यूकेशन सर्विसेज के बारे में विचार चल रहा है कि एज्यूकेशन सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज बने और जब ऑल इंडिया मेडीकल सर्विसेज बनाने पर विचार चल रहा है...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : फोरेस्ट की तो बन गई है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : फोरेस्ट की तो बन गई है। तो दो तीन महीने के बाद कुछ लोग तो रिटायर कर दिये जायेंगे, लेकिन चार महीने के बाद में ऑल इंडिया सर्विसेज बन जाती है तो उन सर्विसेज के लिए 58 वर्ष की उम्र हो जायगी, तो जो लोग रिटायर हो जायेंगे वह गरीब चिल्लायेंगे कि हमने कौनसा कसूर किया था जिससे हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इसके काफी पहलुओं पर आपको विचार करना चाहिए। हम समझते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज और राजस्थान सर्विसेज के बीच में डिफरेंशियेट किया जाना अनुचित है, और इसका शासन तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन सब मुद्दों पर गवर्नमेंट ने..

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : विचार न करके बहुत भारी गलती की है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली छः तारीख को जब इस सदन में वित मंत्रीजी ने अपना भाषण दिया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में इस बात की घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने राजस्थान में नौकरियों के लिये 58 वर्ष की आयु को घटा कर 55 वर्ष की आयु कर दी है, और यह कदम राज्य सरकार ने इसलिये उठाया है कि राजस्थान के अन्दर नये लोगों को, नौजवानों को काम करने का मौका मिल सके, उनको नौकरियों में आने का मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, उस दिन किसी को भी यह कल्पना नहीं थी कि इनकी घोषणा में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। जब यह डिस्क्रिमिनेशन की भावना बाद में प्रकट हुई तो इस सदन के माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किये। उस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने अपना वक्तव्य इस सदन में आज दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस सदन की भावनाओं को मुख्य मन्त्रीजी ने सही ढंग से नहीं समझा। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया है कि इस डिसीजन के कारण काफी लोगों में हार्ट-बर्निंग होगी, जो आई० ए०एस० और आई० पी० एस० अधिकारी हैं उनके ऊपर यह नियम लागू न होने के कारण और राजस्थान के जो व्यक्ति हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आर०ए०एस० के और बाकी की दूसरी सर्विसेज के उनके गले पर तो छुरा चल जायगा, लेकिन जो आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के अधिकारी हैं क्योंकि उनका सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सम्बन्ध है इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होगा ।. इस प्रकार का अभी मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्टीकरण किया, तो इस सदन में इस बात की पुरजोर शब्दों में मांग की गई है कि राजस्थान की सरकार केरल सरकार की भांति केन्द्रीय सरकार पर इस बात का दबाव डाले, जब कि आपने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान सर्विसेज में 55 साल के ऊपर के व्यक्ति नहीं रहेंगे । तो इसी सिद्धान्त के अनुसार जो आई०ए०एस० या आई० पी०एस० के अधिकारी हैं, जो 58 वर्ष के होने वाले हैं या जो 55 वर्ष के ऊपर के हैं, उनको राजस्थान सरकार अपने यहां नहीं रखेगी इस प्रकार का दबाव केन्द्रीय सरकार के ऊपर डाला जाय, केरल सरकार की भांति भारत सरकार पर यह दबाव डाला जाय–तो इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि वह डिफायन्स का एटीट्यूड नहीं लेना चाहते हैं......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं निवेदन करना चाहता हूं......

**श्री अध्यक्ष** : मैं थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो प्रश्न आपने अभी तक कहे हैं वह वही हैं जो माननीय सदस्य ने उठा दिये हैं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं फिर अपील कर रहा हूं राज्य सरकार से । इस सदन की जो भावना है, उसको मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं उस पर स्ट्रेस करना चाहता हूं, एम्फेसिस डालना चाहता हूं कि इसमें कोई डिफायन्स का सवाल खड़ा नहीं होता है । यह अपनी सर्विस के, राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा का सवाल है । हम इस बात को मानते हैं कि आने वाले नौजवानों को भी काम करने के लिए निश्चित रूप से मौका देना चाहिए लेकिन राजस्थान सरकार को, केन्द्रीय सरकार पर केरल सरकार की तरह दबाव डालना चाहिए और इस सदन की भावनाओं को केन्द्र तक पहुंचाना चाहिए । इस सदन के अन्दर जो विरोधी पक्ष हैं, उसकी यह भावना है और मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में हैं कि जो आई०ए०एस० और आई० पी० एस० के सम्बन्ध में डिसीजन हुआ है वह आई० ए० एस० की क्लिक के कारण हुआ है और इस कारण राजस्थान सर्विसेज पर बड़ा गहरा आघात पड़ा है । इस सदन में बहुमत इस पक्ष में है, और इसके सिवाय कोई सवाल खड़ा नहीं होता है कि बहुमत की भावनायें इस प्रकार की हैं कि केन्द्र के ऊपर राज्य सरकार को दबाव डालना चाहिए और कहना चाहिए कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के सम्बन्ध में उम्र पचपन के ऊपर किसी हालत में नहीं रखी जायगी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपकी यह जो दलील है कि आप केन्द्र की डिफायन्स नहीं करना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें डिसओबीडियेन्स का सवाल नहीं है, इसमें (समय-समाप्ति-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सूचक घंटी) इन्डिसिप्लिन का सवाल नहीं है, इसमें तो केन्द्र के ऊपर दवाव डालने का सवाल है....

**श्री अध्यक्ष** : मैं रेग्युलर डिबेट एलाऊ नहीं करूंगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : आप रेग्युलर डिबेट की तरह नहीं बोलेंगे, पाइन्ट बोलेंगे।

**श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** : इस सारे मसले को आप समझिये। इसके कारण विरोधी पक्ष के और कांग्रेस पक्ष के सारे माननीय सदस्य एजीटेटेड हैं क्योंकि आपके इस तरह के रवैये से राजस्थान सर्विसेज के साथ में इनजस्टिज हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा कि वह केन्द्र के सामने डिफायेन्स नहीं करना चाहते। यदि आप केन्द्र के सामने हर बात के अन्दर सरेन्डर करेंगे, तो उससे राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने हमेशा हर मामले में सरेन्डर की नीति अपनाई है, मुख्य मंत्री ने सर्विसेज के मामले के अन्दर केन्द्र के सामने सरेन्डर करने की नीति अपनाई है, राजस्थान केनाल के मामले के अन्दर सरेन्डर करने की नीति अपनाई है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर! आर्डर। माननीय सदस्य!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के इस सारे रवैये के विरोध में उन्हें इस सदन से बहिर्गमन करना चाहिए। राजस्थान सर्विसेज के मामले के अन्दर केन्द्र के सामने सरेन्डर करने की राजस्थान सरकार की नीति का हम समर्थन नहीं कर सकते, हम समर्थन करने के लिए इस सदन में नहीं बैठ सकते। इस सदन की भावनाओं का ध्यान न कर राजस्थान सरकार इस तरह महत्वपूर्ण मामले में भी कहती है कि वह डिफायेन्स नहीं करना चाहते। वह तो केन्द्र को दण्डवत करके, उनके सामने घुटने टेक करके बैठ जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इस सदन के सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने कहा कि इस प्रश्न के ऊपर वह राजस्थान सर्विसेज में हार्ट बर्निंग होने की बात को महसूस करते हैं, यह केवल कहने के लिए है और वास्तव में राजस्थान के लोगों के साथ सहानुभूति या सद्भावना प्रकट करने का रवैया मुख्य मंत्री का नहीं है। इसलिए मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम इस प्रश्न को लेकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व जनसंघ के सदस्य सदन से बहिर्गमन के लिये उठे)

**श्री नत्थीसिंह** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : अब बहिर्गमन हो गया, अब सवाल नहीं उठावें।

**श्री राम किशन** : अध्यक्ष महोदय....

Page No. 34



**श्री अध्यक्ष** : पहले वाक आउट हो जाने दीजिये, उसके बाद में मैं सुनूंगा, जो सदन में रह जावेंगे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (सदन से बहिर्गमन करते हुए) हमने तो सबकी ओर कहा है ।

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल व जनसंघ के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

**श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : इनको खाना खाने जाना है, इसलिये जा रहे हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा है......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । वाक आउट पर कोई डिबेट नहीं होती, कोई स्पीच नहीं होती । आप वाक आउट करना चाहते हैं, तो बिना स्पीच के वाक आउट करें ।

**श्री राम किशन** : आप मजबूर कर रहे हैं, हमें वाक आउट करने के लिए ।

**श्री अध्यक्ष** : मजबूर नहीं कर रहा हूं ।

**श्री राम किशन** : तो आपने यह कैसे मान लिया कि हम वाक आउट कर रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : यह रामानन्द जी के रुख से स्पष्ट है, जो एक दो वाक्य कहे हैं, उससे उनका रुख साफ है और ऐसा है कि जिसकी वजह से उसके सम्बन्ध में बोलने की मैं इजाजत नहीं दूंगा । अन्दर रहते हुए जो कुछ बोलना चाहते हैं, वह बोलिये ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: जो कुछ बोलूंगा, मैं जब तक अन्दर हूं, तभी बोल सकूंगा ।

**श्री अध्यक्ष**: मैं कोई डिबेट करके वाक आउट करने के लिए अलाऊ नहीं करूंगा ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बाद में देख सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं । उस समय आप कहें ।

**श्री अध्यक्ष** : मुझको इन्डीकेट कर दीजिये कि आप भाषण वाक आउट के सम्बन्ध में नहीं दे रहे हैं । मैं डेफीनेट हो जाऊं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जो डिफायेन्स न करने के एटीट्यूड करने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के लोगों को पचपन वर्ष से अधिक की उम्र के बाद राजस्थान के अन्दर नहीं रखा जायगा—यह राजस्थान सरकार की यदि नीति है तो इसको सरकार को इम्पलीमेंट करना चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूं......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज!

**श्री** [illegible] **न्द अग्रवाल** : यह केन्द्रीय [illegible] की डिफायेन्स नहीं है, यह तो [illegible] यल आॅटोनोमी है, यह राज्य [illegible] अधिकार है....

**श्री** [illegible] माननीय सदस्य [illegible] ! आर्डर [illegible]

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: × × ×

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज !

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: × × × × × ×

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य!

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: × × ×

**श्री अध्यक्ष** : Speech be expunged.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के इस रवैये के....

**श्री अध्यक्ष** : I shall have to name the Hon'ble member.

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: विरोध में हम वाक आउट करते हैं ।(श्री रामानन्द अग्रवाल का बहिर्गमन)

**एक माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य यह कह रहे थे....

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज !

**श्री राम किशन** (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के बयान को सुन कर मुझे भी निराशा हुई है, इस रूप में नहीं कि आप यह पहले मान लें कि हम वाक आउट करना चाहते हैं । वह तो सरकार के व्यवहार पर निर्भर है । वह अपने व्यवहार को बदलेंगे तो हम वाक आउट नहीं करेंगे । अब उनका वही पुराना स्टेन्ड है या नहीं, इसके लिए मैं जानकारी चाहूंगा । मैं कोई भाषण नहीं दूंगा । उनका उत्तर सुनने के बाद में मैं शासन को बताऊंगा कि हमारा रुख कैसा होगा । मैं यह जानना चाहूंगा की जो यह स्थगन प्रस्ताव कल मिला मुख्य मन्त्री जी को, उस समय या उससे पहले राज्य सरकार ने भारत सरकार से परामर्श किया है ? अगर नहीं किया है, तो उन्होंने खुद अपने मन में यह कैसे मान लिया है कि उनको इस तरह का काम करके सेन्टर का डिफायेन्स नहीं करना चाहिए ? मैं यह जानकारी और चाहूंगा कि कोई निर्णय लिखा हुआ नहीं बतलाया गया था जब वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी, उस वक्त उसके बाद में सदन में तथ्य पूरे रखे गये तो सदन के माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्ताव दिये । जब आपको स्थगन-प्रस्ताव की सूचना कल मिल गई थी तो क्या कल वह इस स्थिति में थे कि वह यह जवाब दे सकते कि वह अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहते । इसमें अनुशासन की बात कहां से आई जब कि आपने भारत सरकार से बात ही नहीं की है, चर्चा ही नहीं चलाई है ?

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप ।

**श्री राम किशन** : हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कह रहा हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : आप तो रिपीट कर रहे हैं।

**श्री राम किशन** : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

**श्री राम किशन** : रिपीट करने की मेरी आदत नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : आदत तो नहीं है लेकिन अभी चल रहा है । जो कुछ माननीय सदस्य,

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

# Page No. 36



(श्री अध्यक्ष)
श्री सतीशचन्द्र जी ने कहा या रामानन्द जी ने कहा, वही का वही ढंग है, वही के वही तथ्य हैं, वही का वही आधार है....

**श्री राम किशन** : ढंग तो एक है, लेकिन चेहरे तो अलग-अलग हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : चेहरा अलग है, यह मैं जानता हूं ।

**श्री राम किशन** : स्थिति अलग हो सकती है, आप समझिये साइकोलॉजिकली ।

मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने जब बात नहीं की दिल्ली वाली सरकार से तो फिर यह कैसे कहते हैं कि राज्य सरकार अनुशासन भंग नहीं करना चाहती । आप उनसे कहते कि राजस्थान की यह स्थिति है और हमें लोगों को रोजगार देना है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस पर विचार करती और मुख्य मन्त्री जी के पास में वापिस उसका उत्तर आता । एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मुख्य मन्त्री जी ने भारत सरकार से परामर्श किया है या उन्होंने अपने मन से मान लिया है कि यह स्थिति है यह डिफायेन्स करने वाली स्थिति है ? यह पहले मुझे जानकारी करनी है, इस जानकारी के आने के बाद में तय करूंगा कि सदन में रहना है, या सदन छोड़ना है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा और दोनों का उत्तर मुख्य मन्त्री जी, साथ ही मैं भी निवेदन कर दूं, तो एक साथ दे सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह बड़ा नाजुक मसला है । इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के सम्बन्ध में, सेन्ट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, मुख्य मन्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त किये । क्या मुख्य मन्त्री जी ने केन्द्र को यह पूछा कि उनकी हठधर्मी जो 58 वर्ष के ऊपर कायम है, उसके क्या कारण हैं ? इसके कई कारण हो सकते हैं ? यह भी मैं जानना चाहूंगा और वैसे तो सिद्धान्ततः जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा है वह बात एक हद तक तथ्यहीन नहीं है । शायद वह केन्द्र को मजबूर नहीं कर सकते, डिफायेन्स का एटीट्यूड शायद नहीं ले सकते । जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, हम संयुक्त दल में हैं, डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न है, स्टेट सर्विसेज और सेन्ट्रल सर्विसेज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने का यह सवाल है, इसमें संतोषजनक उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमको भी वही रवैय्या अख्तियार करना पड़ेगा जो हमारे साथी जनसंघ वालों ने किया या एस० एस० पी० वाले कर रहे हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : एस० एस० पी० ने नहीं किया ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें । मेरा प्रश्न है कि केन्द्र क्यों तुला हुआ है कि 58 साल हो ?

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दें इसके......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर, माननीय सदस्य !!

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय......

**श्री जसराज** (भिनाय):
On a point of order...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो डिफायेन्स के एटीट्यूड की बात कही......

**श्री जसराज** :
On a point of order...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया और अब कोई नई बात कहने के नहीं रही......

**श्री अध्यक्ष** : क्या है आपका पॉइन्ट ऑफ आर्डर ?

**श्री जसराज** : एक माननीय सदस्य बोलना चाहते थे......

**श्री अध्यक्ष** : This is a privilege of the chair.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरी सर्विस के और आई० ए० एस० के भेद को लेकर यह बात ज्यादा किसी उद्देश्य से कही जा रही है। मैं एक बात समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य जानते होंगे और जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह 55 वर्ष से 58 वर्ष की आयु या 58 साल की आयु जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए की गई है, वह स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्ज के साथ बातचीत करके निर्णय किया गया है। आगे भी इसके अन्दर कोई परिवर्तन करने की बात आयेगी तो वह हिन्दुस्तान की जो दूसरी स्टेट्स हैं, उनके कन्सल्टेशन के बाद आ सकती है। आज केरल ने जो एटीट्यूड लिया, अगर मैं यह कहूं, तो उसका मतलब यह होता है कि आज हिन्दुस्तान की 13 स्टेट यह करती है कि 58 साल की आयु नहीं हो, तब भी मैं कहूं कि 13 स्टेट की बात, जो ऑल इंडिया स्टेट मानते हैं तो हम मेजोरिटी स्टेट की राय के खिलाफ डिफायेन्स एटीट्यूड लेना चाहते हैं। इस कदम की तरफ मैं नहीं बढ़ना चाहता। मैं इस बात को मानता हूं कि इस प्रश्न पर चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में बातचीत की जाय, उसमें विचार किया जाय और जो अधिकांश की राय होगी, वह ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए स्वीकार की जा सकती है। इसलिए जब सारे भारतवर्ष के, आम तौर से जो दूसरे स्टेट्स हैं, वह यह कहें कि इस आई० ए० एस० सर्विसेज के लिए 58 वर्ष कर दी जाय, तो जैसा केरल ने किया है, वैसा ही मैं करूं—मैं ऐसा एटीट्यूड लेना उचित नहीं समझता। मैंने कहा कि ऑल इंडिया के सामने, मतलब गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने इस बात को रखना चाहते हैं। सारे भारतवर्ष का प्रश्न है। अब हमने अपने यहां निर्णय ले लिया। केरल ने लिया है, यू० पी० वाले निर्णय लेने जा रहे हैं और हो सकता है कि और दूसरी स्टेट्स भी निर्णय लें और उसके बाद में वह एक राय पर आयें तो एक वातावरण बन कर सर्विसेज के बारे में निर्णय पर पहुंच सकते हैं। हमारे मन में हम यह कहें कि जब दूसरी स्टेट्स एक ओपिनियन रखती है तब भी मैं यह कहूं कि राजस्थान ने तो यह दूसरा अलग निर्णय कर लिया है तो उसका कुछ परिणाम नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आई० ए० एस० की टोटल स्ट्रेन्थ और केडर की बात है, यह इम्पॉर्टेन्ट बात है। अब 55 वर्ष वाले ही रहें या ज्यादा वर्ष वाले रहें तो यह टोटल केडर की बात है।

अब जो राजस्थान में कदम उठाया है, उसका मूल कारण है कि हमारे यहां सवाल हुआ कि 55 वर्ष के बजाय 53 में रिटायर करें तो सवाल पैदा हुआ कि जो यंगस्टर हैं, उनको रिटायर करके भेज दें। उसमें भी हजारों का प्रश्न इन्वॉल्व्ड है। उनको सामने रख कर सोच-समझ कर निर्णय किया कि नौजवान को बेकार करने या उनकी अपार्चुनिटी को बन्द कर देने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट ने यह फसला किया कि यहां की सर्विसेज के बारे में तो यह फैसला करें और ऑल इंडिया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सर्विसेज को इस लाइन के ऊपर लाने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयत्न करें। जैसा मैंने कहा कि हम कोई ऐसा एटीट्यूड लें कि और स्टेट्स तो मिल कर एक राय पर चलती हैं और दो स्टेट मिल कर विरोधी एटीट्यूड लेकर चलें, तो यह विरोधी एटीट्यूड केन्द्रीय सरकार के प्रति हम लेकर नहीं चलना चाहते हैं......

**श्री राम किशन** : आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बाद भारत सरकार से कन्सल्ट किया है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे।

**श्री राम किशन** : इसका मतलब यह हुआ अब तक आपने बातचीत नहीं की।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अब तक नहीं की है, बातचीत करूंगा। यहां का निर्णय और ऑल इन्डिया सर्विसेज के सम्बन्ध में निर्णय दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मैंने यहां के निर्णय के बारे में एक्सप्लेन किया। हमें एक तरफ तो यह देखना था कि जो नव जवान सर्विसेज में हैं या तो उनको निकाला जाय, या उनको सरप्लस डिक्लेयर किया जाय या उन लोगों को जिनकी आयु 55 साल की हो चुकी है, उनको ग्रेचुएटी, पेन्शन आदि के लाभ देकर उनको अलग किया जाय। इस सम्बन्ध में निर्णय जल्दी में करना था ऑल इन्डिया सर्विसेज का फैसला जब तक न हो इसको रोकना उचित नहीं समझा।

**श्री राम किशन** : मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कोई नयी बात तो कही नहीं। आपने अपने कहे हुए बातों की ही भूमिका बनाई है......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, अब आपको कोई राइट नहीं है।

**श्री राम किशन** : आपने आई० ए० एस० के बारे में सिफारिश करने का विचार किया है क्या......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !!

**श्री राम किशन** : हम इस वक्तव्य के प्रति अपना असन्तोष प्रगट करने के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !!

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना)**: माननीय अध्यक्ष, आप पैर पर नहीं रहकर नीचे बैठिये ताकि हमें सदन से बहिर्गमन करने में सुविधा हो।

**श्री अध्यक्ष** : आप तो विदा ले लीजिये।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस संबन्ध में एक हद तक सहानुभूति है लेकिन मैं यह समझता हूं कि जहां राजस्थान का प्रश्न है उसके बारे में जो कुछ आपने निर्णय लिया, वह ठीक है। इस संबन्ध में मेरी आपसे एक हद तक सहानुभूति है। मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्र से यह क्यों नहीं पूछा कि आप 58 साल से घटाकर 55 साल क्यों नहीं कर देते ? इस पर प्रकाश नहीं डाला।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने निवेदन किया कि सारी स्टेट्स की ओपीनियन लेने के बाद में डिसाइड करते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : आप अपनी ओपीनियन तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। यह हमारे लिये आवश्यक है चूंकि हम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

संयुक्त दल में हैं हमारे जनसंघ के साथी और पी० एस० पी० के साथी वहिर्गमन कर रहे हैं तो मैं इस निर्णय पर माइल्ड प्रोटेस्ट की तौर पर अपने दल के सदस्यों के साथ वहिर्गमन करता हूं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर! आर्डर!! अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं, इस बारे में (श्री मनोहरसिंह मेहता के बार-बार खड़े होने पर) आसन पैरों पर है आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

## विशेषाधिकार का प्रश्न

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि कल दिनांक 9-6-67 को उन्होंने श्री कृष्णस्वरूप भारद्वाज निवासी अलवर को विधान सभा के स्वागत कक्ष में मिलने के लिये बुलाया था और इस उद्देश्य से उन्होंने श्री भारद्वाज को एक चिट भेजी थी जिसमें पूछताछ कार्यालय से उनको स्वागत कक्ष तक आने देने के लिये कहा गया था। पूछताछ करने पर यह पता चला कि इस प्रकार की कोई चिट सूचना कार्यालय में नहीं पहुंची थी। यह विशेषाधिकार का प्रश्न केवल भावनाओं के आधार पर है। यहां पर मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस सचिवालय का पूछताछ एवं स्वागत कार्यालय विधान सभा भवन के मुख्य द्वार के बाहर जलेबी चौक में उपमहानिरीक्षक आरक्षी के पास स्थापित किया गया है तथा सूचना कार्यालय विधान सभा भवन में बरामदे में स्थापित किया गया है जैसा कि माननीय सदस्यों को विधान सभा सचिवालय के बुलेटिन द्वारा सूचित किया गया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी स्पष्ट कर दूं कि विधान सभा भवन में माननीय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 303 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। इन्ही आदेशों के अनुपालन में विधान सभा सचिवालय द्वारा बुलेटिन भाग 2 दिनांक 25 मई, 1967 (पैराग्राफ संख्या 48) जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विधान सभा की बैठकों के दौरान यदि कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति से विधान सभा भवन में मिलना चाहे, तो वे उसका नाम व मिलने की सूचना विधान सभा के सूचना कार्यालय को अग्रिम में दे देने की कृपा करें। ऐसे आदेश निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में विधान सभा भवन में किसको आने देना चाहिये, किसको नहीं, यह सब अधिकार स्पीकर को है। विधान सभा का एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर के अधीन एवं उनके आदेश से चलता है। यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, वह भावनाओं के आधार पर है, इसमे कोई तथ्य नहीं है। मैं चाहता हूं आयन्दा इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न फिर नहीं आयेंगे। ऐसी स्थिति में मैं इस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अनुदान की मांगे। श्री मथुरादास माथुर!

## मांग संख्या 2

**श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री मथुरादास माथुर)

मांग संख्या, 2, मुख्य शीर्षक 10,–राजकीय आबकारी कर के संबन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,13,71,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 4

**श्री मथुरादास माथुर** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 63,10,000 रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(माननीय सदस्य जो बहिर्गमन कर गये थे, सदन में लौट आये)

(12.35 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था.....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर! आर्डर!!

**श्री राम किशन** (वैर): स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ? उनका कोई रेफरेन्स ही नहीं हुआ। माननीय आबकारी मंत्री तो ऐसे मौकों की तलाश में ही रहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : जितने भी स्थगन-प्रस्ताव थे, उनका मुख्य मंत्री जी द्वारा एक साथ जवाब दे दिया गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जयपुर में हैजा फैल रहा है, उसको सरकार रोकने में असमर्थ है, उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव था...,.....

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो कल ही अस्वीकार कर दिया गया था और यह कहा गया था कि संबन्धित मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कल अस्वीकार नहीं किया गया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह व्यवस्था दी गई थी कि जब अस्पतालों से सम्बन्धित मांग आयेगी, उस समय इस पर वाद-विवाद किया जा सकता है। इस लिये अस्वीकार कर दिया गया।

**श्री राम किशन**: धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के मजदूरों के बारे में मेरा स्थगन-प्रस्ताव था। फैक्टरी बन्द है एक हजार मजदूर बेकार हो गये हैं, उस बारे में था।

**श्री उपाध्यक्ष** : धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव था, उस पर व्यवस्था दे दी गई थी, थोड़ी देर पहले दी थी।

**श्री राम किशन** : वहां के मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया, उनको अलग करने का नोटिस नहीं दिया, इस सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरा एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव था।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : चम्बल बान्ध का पानी और बिजली के संकट के ऊपर मेरा स्थगन-प्रस्ताव है जो सात दिन से पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय को उस बारे में स्टेटमेन्ट देने को कहा गया है, वे स्टेटमेन्ट देंगे।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : कब तक देंगे?

**श्री उपाध्यक्ष** : सुविधा के अनुसार देंगे।

# Page No. 41



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सुविधा तो उनको बिल्कुल नहीं देने में है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी थी। अध्यक्ष से उसको प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप जिस समय वहिर्गमन कर गय थे उस समय उसके बारे में व्यवस्था दे दी गई थी। उसको अस्वीकार कर दिया गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मुझे तो सूचना होनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह जरूरी नहीं। आप उसके लिये प्रोसीडिंग देख सकते हैं। यह परम्परा नहीं कि उसको दुबारा दोहराया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषधिकार का जो प्रश्न होता है वह कोई टक्निकल प्रश्न नहीं वह इस प्रकार का प्रश्न है जो इस सदन के माननीय सदस्य के अपमान से सम्बन्ध रखता है जो माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध रखता है......

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !! इस पर व्यवस्था दे दी गई अब इस प्रकार वाद विवाद नहीं हो सकता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विशेषाधिकार में सदन के माननीय सदस्यों का सवाल ह उसके संबन्ध में पुर्नविचार नहीं हो सकता, यह दृष्टिकोण इसमें नहीं होना चाहिये। आया जिस माननीय सदस्य ने प्रीविलेज का मोशन रखने का नोटिश दिया हैं उसकी नॉलेज में तो आना चाहिये कि उसके प्रस्ताव का क्या हुआ ? उसकी अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस बारे में व्यवस्था हो चुकी है। इसको अस्वीकार कर दिया गया है।

मांगों पर विचार होगा जो कटमोशन प्रस्तुत किये गये हैं उन सब को मूव समझा जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इस संवन्ध में मेरा एक नम्र निवेदन है कि यह एक लोक सभा आदि में स्वस्थ परम्परा है, और बहिर्गमन एक प्रथा और व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष जो सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में बहिर्गमन करते हैं तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में है और सदन की परम्पराओं के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार के ऐसे निर्णय भविष्य में नहीं दिये जावें, इसका ध्यान रखा जावे। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहिर्गमन तो क्षणिक है। वे लोग सरकार की नीतियों के विरोध में प्रोटेस्ट के लिये वहिर्गमन करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में यदि इस प्रकार का रवैया रहेगा तो माननीय सदस्य कुछ भी कहने से वंचित हो जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में कोई भी कार्यवाही होगी, उसके लिये जब सदस्य वापिस लौट कर आवेंगे, कहेंगे और 10 मिनिट का समय यों ही खराब होगा। क्योंकि वो एजिटेटेड हे और मैं निवेदन करूंगा कि रामानन्दजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उनके संबन्ध में घटना हुई है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले सदन उनको सुनता और अपना मानस बनाता और उसके अनुसार अपना मानस बनाता तो उचित था। उसके बाद उसको अस्वीकार किया जाता तो सदस्य को भी विश्वास होता और सदन को भी, एसी मेरी मान्यता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई इस प्रकार का प्रस्ताव किसी टेक्निकल बात पर उठाया जावे तो वह दूसरी बात होती, पर इस प्रकार की बात जो रोजमर्रा की बातों से संबन्ध रखती है। हम किसी सदस्य को हमसे मिलने के लिये आनेवाले लोग हैं, उनको जो हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी से आते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता है। यह उनका अपमान होता है। हमारी जिनके पास चिट हो और उनको रोका जावे जिसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है तो मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आपको विचार करना चाहिए। भले ही आप अपना निर्णय रिजर्व रखें मगर इस ओर और उस ओर बैठने वाले सदस्यों के साथ इस प्रकार का वर्ताव होता है तो यह उचित नहीं। जहां तक दर्शक दीर्घा में बैठने का प्रश्न है, हमारे रूल्स बने हुए हैं लेकिन जहां तक स्वागत कक्ष में आने का संबन्ध है, हमारे कोई रूल्स नहीं हैं और हम जो चिट देते हैं कि फलां व्यक्ति मिलने आवे उसके लिये कोई रूल्स नहीं है कि इतने लोग मिलने आवेंगे और इतने नहीं आवेंगे और मैं समझता हूं कि इस तरह का डिसक्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं है।

कल इसी प्रकार एक प्रश्न पर आवश्यक सूचना के लिये मैंने एक व्यक्ति को बुलाया और वह व्यक्ति भाग कर यहां पर आया। उसके पास चिट थी, मगर उसको रोक दिया गया। उसने टेलीफोन से बात करने की कोशिस की, उसको वह भी संपर्क नहीं करने दिया। हमारे विधान सभा के स्वागत कक्ष तक आने पर रोक लगाने के लिये कोई नियम नहीं है। इसलिये उसको रोकने से मुझे कल जो आवश्यक सूचना मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिल पाई। आखिर इसके लिये कोई व्यवस्था की जावे। उनको गेलेरी में मिलना नहीं और फिर अगर आध आध घंटा क्यू में खड़ा होना पड़े तो मैं कहूंगा कि जितने जल्दी वे काम करना चाहते हैं और हम से संपर्क करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। लोक सभा में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि स्वागत कक्ष तक आने के लिये उन पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जाती है और इसके लिये उनको एक कॉपी होती है उसमें से वह स्लिप काट कर दे देते हैं। मगर यहां उनको नये नाम लिखाने पड़ते हैं और दूसरी स्लिप इश्यू की जाती है तो फिर इस दोहरे अरेन्जमेंट से क्या फायदा? क्लर्क अपने हाथ से लिखेगा तो आप उसको आने देंगे और हमने स्लिप दी है उस पर उसको नहीं आने देंगे। आपका यह रवैया है वह सिवाय हमारे अपमान के कुछ नहीं। क्लर्क के दस्तखत चलें, आपके संतरी उनकी आज्ञा को मानें और हम जो लिख कर दें, उसको नहीं मानें। मैं समझता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि यह हमारा अपमान है और सदन का अपमान है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपको इस व्यवस्था में तबदीली करनी चाहिये।

इसके लिये कोई रूल्स नहीं हैं। गेलेरीज में आने के लिये रूल्स है कि दो सदस्य आ सकते हैं। अगर दो से ज्यादा सदस्य आने को हैं, तो उसके लिये विशेष आज्ञा लनी पड़ती है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि बाहर स्वागत कक्ष में आने में आपको कोई आपति नहीं होनी चाहिए और उसके लिये पाबन्दी नहीं लगाई जानी चाहिये। इसके लिये कोई नियम नहीं है और अगर इस प्रकार की पाबन्दी लगाई जाती है तो हमारे अधिकारों का हनन होता है और मैं निवेदन करूंगा कि मौजूदा नियमों में तबदीली करनी चाहिये। हम यह भी नहीं चाहते कि इस तरह से अनुचित व्यक्ति आ जावे। इसलिये आपने पूछताछ की व्यवस्था की है, उसके लिये हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो सदस्यों से स्वागत कक्ष में मिलने आना चाहें और उनके पास चिट हो तो उस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो सदस्य अपने साथ में लावें वो ला सकते हैं और उन पर कोई रोक नहीं लगाते है तो यह क्यों रोक लगाई जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, कल मुझे एक आवश्यक सूचना नहीं मिली और इस कारण मैं उसका उपयोग नहीं कर सका। यह सदन का प्रश्न है। अगर कोई इसके संबन्ध में डिसीजन ले लिया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि आसन इस पर पुनः विचार करे।

**श्री उपाध्यक्ष** : जब व्यवस्था की गई थी तो इन सब बातों का ध्यान रख कर की गई है। जहां तक सदन में प्रवेश का अधिकार है, वह आसन या स्पीकर का है। इसलिये इस बात पर और ज्यादा विवाद नहीं हो।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह सदन का सवाल नहीं है। यह तो स्वागत कक्ष का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन के हाल से ही मतलब नहीं है, प्रेमिजेज वगैरा इसके साथ हैं।

**एक माननीय सदस्य** : इसके नियम होने चाहियें।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके नियम बने हुए हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : दर्शक दीर्घा और दूसरों के हैं। स्वागत कक्ष के लिये नहीं हैं। यह तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से लागू होते हैं। जब तक 144 धारा लागू नहीं है, तब तक नहीं होता।

**श्री मथुरादास माथुर** : सरकार का इससे क्या लेना देना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की परिसीमाओं का तात्पर्य सभा भवन, सभा कक्षों, दीर्घाओं और उनको मिला कर ऐसे अन्य स्थानों से है जिनका अध्यक्ष समय समय पर उल्लेख करे।

**श्री रामकिशन** : जब तो जलेबी चौक भी हो सकता है जबकि यह इससे मिला हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : उससे भी अधिक हो सकता है अगर अध्यक्ष चाहें। जहां पर अन्दर प्रवेश करने पर पाबन्दी है उसके आगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अलग अलग रूल्स हैं। हाल और लॉबीज के लिये अलग। एकाउन्ट ऑफिस की बात छोड़िये। क्या कोई कैंटीन के लिये भी नियम है कि चाय कब और कितनी बार पी सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार के नियम आपके यहां हों, तो उसकी पिछले 6 वर्षों से हमें कोई सूचना नहीं मिली है। इस तरह का कोई अध्यक्ष का विश्लेषण नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, प्लीज।

जहां नियम नहीं हैं वहां यह व्यवस्था है कि जो अध्यक्ष आदेश देंगे, वही नियम माने जावेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या अध्यक्ष महोदय के आदेश दिये हुए हैं। कोई मेम्बर लिख कर भेजे कि अमुक व्यक्ति मेरे से मिलने के लिये आना चाहता है, इसे आने दिया जाय, उसको संतरी न आने दें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं। यदि ऐसे आदेश हैं तो उनको सदन की टेबिल पर रखा जाना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब इस पर ज्यादा वाद विवाद नहीं होगा। काफी कटौती प्रस्ताव हैं।

**श्री रामकिशन**: वाद विवाद तो नहीं करना है, पर मैं एक जानकारी चाहूंगा। आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय चाहें तो किसी हिस्से को इस सदन की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय के विवेक पर हमें भरोसा है पर यदि कल कोई ऐसा अध्यक्ष आ जाये जो यह कह दे कि यह सारा ही इलाका सदन की परिभाषा में शामिल किया जाता है, सदन की प्रेमिसेज है तो बड़ा बवाल खड़ा हो जायगा। रोजाना सदन के प्रिविलेजेज के मामले सदन में चला करेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ये तो माननीय सदस्य ने चिट लिख कर भेजी थी कि ये मेरे से मिलने आना चाहते हैं, आने दिया जाय, उनको तो रोक दिया पर ये मंत्री न मालूम किन किन आदमियों को, औरतों को, गाड़ी में भर भर कर ले आते हैं, दस दस को गाड़ी में भर कर ले आते हैं, इन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा ध्यान में लायेंगे तो सोचा जायगा।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** ( हवामहल, जयपुर ) : जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, वह ठीक है, जो अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देते हैं, वह मान्य है पर अध्यक्ष महोदय आदेश दे दें हैं कि फलां फलां क्षेत्र सदन की प्रेमिजेज में आता है, इस पर कोई माननीय सदस्य किसी को बुलाना चाहते हैं तो उनके पत्र को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। इतना प्रिविलेज तो माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये। माननीय सदस्यों के लिये जानकारी प्राप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि मंत्री महोदय अपने सारे सेक्रेटेरियेट स्टाफ को बुलाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस बात पर विचार किया जा सकता है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : हम यह नहीं चाहते कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की आपत्ति आये या सदन की कार्यवाही में किसी तरह की बाधा आये, पर जो हमारी लेजिटिमेट डिमान्ड्स हैं, उनको आपके सामने रखेंगे, आप उन पर विचार करें। कोई व्यवस्था दी गई है तो उस पर फिर से विचार किया जा सकता है।

**श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): उपाध्यक्ष महोदय......

**श्री उपाध्यक्ष** : अब इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मैं बहस नहीं करता, मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य अपने दस्तखत करके चिट लिख कर भेज दें; जिसके पास माननीय सदस्य की चिट होगी उसको गेट के अन्दर स्वागत कक्ष तक आने की इजाजत दी जायगी, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

**श्री मुकुट बिहारी लाल** : दूसरी पार्लियामेंट्री पद्धतियां देखी हैं, वहां पर लॉबीज के दो लॉबी असिस्टेन्ट्स होते हैं। यहां दो लॉबीज हैं, एक विरोधी पक्ष की और दूसरी हां पक्ष की। दोनों लॉबीज के लिये लॉबी असिस्टेन्ट्स क्रियेट किये जाने चाहियें और दोनों लॉबीज में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे ट्रंक काल्स आते हैं, वे सूचना कक्ष पर आते हैं वहां से चपरासी को भेज देते हैं, चपरासी इधर उधर देख कर चले जाते हैं और कह देते हैं कि नहीं हैं। कल माननीय सदस्य रामकिशनजी के टेलीफोन आये.........

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर..

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मैं बहस नहीं करता.......

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य को क्या सुविधाएं होनी चाहियें, वह अलग तरीके से दिया जा सकता है।

**श्री मुकुट बिहारीलाल** : मैं केवल आधे मिनिट में खत्म कर देता हूं। लॉबी असिस्टेन्ट्स का काम होना चाहिये कि कोई टेलीफोन आये तो हमको बुला ले जायं, पुस्तकालय में जा रहे हैं तो सूचना छोड़ जायं, और कोई हमें बुलाने आये तो बता दें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। विरोधी पक्ष की लॉबी और 'हां' पक्ष की लॉबी, दोनों लाबीज के लिये एक एक लॉबी असिस्टेन्ट की व्यवस्था होनी चाहिये......

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, प्लीज। इन सब समस्याओं पर अलग से विचार किया जा सकता है। अगर सदन के माननीय सदस्यों को सुविधाओं के बारे में शिकायत हो तो बहुत सहानुभूति और दिलचस्पी से हमेशा विचार किया जायेगा।

**श्री रामकिशन** : हमारी सबसे बड़ी सुविधा तो यह हो कि कांग्रेस राज चला जाय। ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हों, तो ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : वित्त मंत्री !

### मांग संख्या 2

**श्री मथुरादास माथुर** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,13,71,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मांग संख्या 10, तारीख 10 और रखने वाले भी 10।

**श्री मथुरादास माथुर** : और सुनने वाले भी 10 ।

### मांग संख्या 4

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के संबन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 63,10,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

### मांग संख्या 5

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5, मुख्यशीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,53,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

### मांग संख्या 3

**श्री अमीनुद्दीन** (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के संबन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,61,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मांगे प्रस्तुत हुईं ।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:-

### मांग संख्या 2

1. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु० कर दिया जाय (राज्य की आबकारी नीति के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

2. **श्री रामकिशन** (वैर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नाजायज शराब बनाने वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में ढिलाई पर चर्चा के लिए) ।

### मांग संख्या 3

3. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बस रूटों के लिए दिये जाने वाले परमिटों में बरती जाने वाली मन मानी पर चर्चा के लिये) ।

4. **श्री सांवर मल बासोतिया** (नवलगढ़) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100 रु० कम कर

(श्री सावरमल वासोतिया)
दिया जाय (वसों में अत्याधिक भीड़ को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

5. **श्री केशरीसिंह** (हिन्डोली) मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10:—राजकीय आबकारी कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (आवकारी एवं बिक्री कर विभाग पृथक् करने से राज्य कोष पर अतिरिक्त भार पड़ने के बारे में चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (ठेके की प्रथा से टेन्डर व इसको वदल कर ओफर प्रथा में परिणत करने पर चर्चा के लिये)।

7. **श्री मोहन नाथ मोदी** (नीम का थाना) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आवकारी कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (आवकारी कर में जो चोरी होती है, उसके विषय मे चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

8. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर वसूली में भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

9. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13 अन्य कर और महसूल में से 100)रु० कम कर दिया जाय (माल तथा यात्रियों पर कर में जो चोरी होती है, उसके विषय में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

10. **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आवकारी कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (आवकारी कर वसूली की प्रणाली पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 3

11. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गाड़ियों के कर की वसूली में ढिलाई वरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

12. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में स्टाफ की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

13. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा जनता के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर शराब की दुकानें खुलवा देने पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100)रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकाने खोली जाने के अनौचित्य के बारे में चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 3**

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

15. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की कारें, स्कूटर आदि अलॉट करने की गलत प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बसों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (रोड टैक्स और पेसेन्जर टैक्स एक ही विभाग द्वारा वसूल किये जाने के औचित्य के बारे में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कारों और स्कूटरों के अलॉटमेन्ट में पक्ष-पात, धांधली और अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में सी० टी० एस०, द्वारा अनुचित रूप से किराया बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ट्रान्सपोर्ट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से विभिन्न फण्ड इकट्ठा करने के अनौचित्य पर चर्चा क लिये)।

**मांग संख्या 4**

21. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर की वसूली में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की बकाया वसूली पर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 5**

23. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13- अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर का कुछ हिस्सा म्युनिसिपल बोर्डों को न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13- अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अलवर नगर परिषद को मनोरंजन कर का भाग न देने में सरकार के अनुचित रुख पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 2**

25. **श्री रावतराम** (छापर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शराब बन्दी के लिए सरकार की नीति पर विचार करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

26. **श्री रावतराम**: मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गांव गांव में देशी शराब के ठेके चालू हो गये हैं, उन्हें रोकने के संबंध में चर्चा के लिए)।

27. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय खर्च में बचत हेतु आबकारी विभाग का कर विभाग में विलिनीकरण पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (Preventive force) का कार्य पुलिस विभाग के सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100-रु० कम कर दिया जाय (सहायक एवं जिला आबकारी अधिकारियों के पद समाप्त करके उनके कार्य एस० डी० ओ० एवं उप-जिला विकास अधिकारियों के सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 3**

30. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ट्रांसपोर्ट विभाग का पुलिस विभाग में विलीनीकरण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गाड़ियों के inspection व checking एवं रोड टैक्स व पेसेंजर टैक्स की वसूली का काम पुलिस के सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 4**

32. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर में से 100-रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर एवं आबकारी विभाग का विलीनीकरण करने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 5**

33. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13 अन्य कर और महसूल में से 100-रु० कम कर दिया जाय (पेसेंजर टैक्स की वसूली का कार्य यातायात विभाग के सुपुर्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 3**

34. **श्री अहमद अली** (फतेहपुर): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस एवं R.T.O के दोहरे शासन पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 3**

35. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देशी शराब की गारन्टी प्रथा पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 3**

36. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम

(देवीदत्त गाडि़या)
कर दिया जाय (मोटर गाडि़यों के निरीक्षण में किये जाने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 4**

37. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बक्री कर में से, 100) रु०कम कर दिया जाय (कोटा जिले में बिक्री कर वसूल किए जाने में बड़े 2 उद्योग-पतियों व फर्मों के साथ पक्षपात किए जाने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 5**

38. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13- अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार स्वयं मनोरंजन कर वसूल न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 2**

39. **श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद):** मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाये [हाथ से बनी शराब (Illicit Liquor) का खुले आम व्यापार हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये ]।

40. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खाजपुरा व हटून्डी जिला अजमेर, से शराब की दुकान बारह पत्थर बाहर है, उसे हटाने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शराब में पानी इत्यादि की मिलावट पर रोक-थाम के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 3**

42. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 11- गाडि़यों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राइवेट सवारी गाडि़यों का निरीक्षण ठीक तरह से न करने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 2**

43. **श्री गिरधारीलाल व्यास (श्रीसीन्द)** मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (Guarantee System के चलने से राज्य को होने वाली हानि पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 4**

44. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में बिक्री कर वसूल करने में गड़बड़ पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 3**

45. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):** मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाडि़यों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मोटर गाडि़यों के कर की वसूली ठीक ढंग से नहीं की जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

46 **श्री अर्जुनलाल (हिन्डौन):** मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में गत महिनों

(श्री श्रवणलाल)
से भंग की कमी के कारण जनता को अति परेशानी हो रही है और इस तरफ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में आबकारी कर की वसूली के संबंध में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 3**

48. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गाड़ियों के कर की वसूली में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

49. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

50. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देशी शराब की गारन्टी प्रथा पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 5**

51. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा स्वयं मनोरंजन कर वसूल न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

52. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में शराब बन्दी पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शराब की विभागीय एवं कमीशन की दुकानों के संबंध में चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नाजायज़ शराब एवं अफीम के धन्धे रोकने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 3**

55. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (आर० टी० ओ० के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में यात्रा गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

57. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर): **मांग** संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध पर चर्चा के लिए)।

58. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा शराब बिक्री को प्रोत्साहन देने संबंधी भयंकर त्रुटि पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 4**

59. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12– बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली संबंधी सरकार की गलत नीति पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

60. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शराब की बिक्री की गारन्टी प्रणाली के द्वारा गरीब ग्रामीणों व अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक हानि पर चर्चा के लिए)।

61. **श्री सहदव** (आमेर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर वसूल करने में बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

62. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की कर की बकाया की वसूली में असफलता पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 3**

63. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11– गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय बकाया समय पर वसूल न करने पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

64. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बोतलों पर हैल्थ टोनिक के लेबल्स लगाने के बारे में चर्चा के लिए)।

65. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गारन्टी सिस्टम के बारे में चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शराब में मिलावट रोकने के संबंध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

67. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11– गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गाड़ियों का नियमित चैकिंग न करने के बारे में चर्चा के लिए)।

# Page No. 53



68. **श्री पृथ्वी सिंह** : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गाड़ियों के कर की बकाया वसूली के बारे में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 4**

69. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (समय पर बिक्री कर का एसेसमेन्ट नहीं करने के बारे में चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर में से 100 ) रु० कम कर दिया जाय (बकाया वसूली के बारे में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 2**

71. **श्री रामचन्द्र** (खन्डेला): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स देने में पक्षपात किया गया है। इन दुकानों के लाइसेन्स मंन्सूख किये जाकर दुकानें नीलाम की जावें, इस पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 3**

72. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में बसों में अधिक यात्री भरने तथा पुरानी बसों को चालू रखे जाने पर चर्चा के लिए)।

73. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा A.R.T.O. कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 4**

74. **श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर): मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर व्यवस्था की अव्यवहारिकता के कारण राज्य की व्यापार को क्षति पहुंचाने पर चर्चा के लिए)।

75. **श्री हीरालाल** (कुम्भलगढ): मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली की प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 5**

76. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल से 100) रु० कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का जो हिस्सा दिया जाता है, उसमें कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

77. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों से Electricity Duty और Surcharge वसूली में धांधली पर चर्चा के लिए)।

78. **श्री शिवचरण माथुर** (मांडल): मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिन रूट्स पर सरकारी बसें नहीं चलतीं वहां यात्री कर की वसूली में गड़बड़ी के सुधार के संबंध में चर्चा के लिए)।

79. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अलवर शहर की म्युनिसिपेलिटी को मनोरंजन कर न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

### मांगों पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरसिंह मेहता !

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह कभी सोचा भी नहीं था कि आजादी के २० वर्ष बाद शराब बन्दी के लिये कुछ कहना होगा। हम सोचते तो यह थे कि यहां के मंत्री का नाम प्रोहिबीशन मिनिस्टर होगा, यहां के कमिश्नर का नाम प्रोहिबिशन कमिश्नर होगा, इस डिपार्टमेंट का नाम प्रोहिबीशन डिपार्टमेंट होगा पर दुर्भाग्य की बात है कि गांधी के नाम पर इस राज्य को निरंतर चलाने के बाद कांग्रेस सरकार ने जो कुख्याति कमाई और राजस्थान के भाल पर कलंक का काला टीका लगाया है, उसको देख कर हमें दुख होता है और शर्म आती है। गारन्टी सिस्टम एक कलंक की बात है, शराब पर डेढ़ करोड़ का टैक्स बढ़ाया है, कहने के लिये तो यह कितनी अच्छी बात है? हमारे वित्त मंत्री इतने माहिर हैं कि लोग आसानी से इनके चक्कर में आ जाते हैं पर मैं कहना चाहता हूं कि शराब के मामले में टैक्स बढ़ाने से शराब कम नहीं होती, शराबखोरी बढ़ती है, प्रिवेन्टिव फोर्स भी कम कर दिया है जो नाजायज शराब की कशीदगी को रोकता था। कहा जाता है कि नाजायज शराब की कशीदगी कम होगी, वह कम नहीं होगी और ज्यादा बढ़ेगी। हमारे मेवाड़ में कहावत है, टट्टी की आड़ में घास बढ़ती है, आड़ नहीं हो, तो घास नहीं बढ़ती है। इस शराब की आड़ में नाजायज शराब बढ़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह टैक्स बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाय।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से इस राज्य ने काम सम्भाला है, शराब पर टैक्स निरंतर बढ़ता जा रहा है, आमदनी बढ़ती जा रही है। बम्बई का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि बम्बई में शराब की हालत देख लीजिये, गुजरात में शराब की हालत देख लीजिये, कहते हैं कि गुजरात से लोग शराब पीने के लिये यहां आते हैं। मैं कहता हूं कि गुजरात से शराब पीने के लिए यहां क्यों आते हैं? इसलिये आते हैं कि यहां पर आपने शराब बन्दी नहीं की है, आपने यहां पर शराब को जारी रखा है, इसलिए यहां शराब पीने आते हैं। आपका कर्तव्य था कि शराब पीने वालों के पास जा कर उनकी हालत को सुधारते। काम तो आपके अधिकारियों का भी यह था कि नाजायज शराब की कशीदगी को रोकते, शराब को बिल्कुल बन्द करने की चेष्टा करते, पर "आपके अधिकारी नाजायज शराब कशीद करने वालों से कहते हैं कि 10 बोतल हमारे लिए भी कशीद करना। आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में शराब चालू रखी है, इसलिए गुजरात से लोग शराब पीने के लिए वहां आते हैं, और शराब पीने के लिये कौन लोग आते हैं? आते वे ही हैं जिनके पास

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मोटरें हैं, कारें हैं। मजदूर शराब पीने के लिए गुजरात से नहीं आते। वहां शराब बन्दी होने के कारण मजदूर आज खुशहाल हुए हैं, मजदूरों की औरतें खुशहाल हुई हैं, आज उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। 30 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने राज में आते ही शराब बन्दी की तो केन्द्र ने कहा कि इससे आपकी आमदनी में जो भी कमी आयेगी, घाटा पूर्ति में, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। उस घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने सेल्स टैक्स बढ़ाया। पर हमारे यहां तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सेल्स-टैक्स भी ले रहे हैं और शराब भी चला रखी है। यहां राज करने वाले इन बातों में बड़े माहिर हैं। ग्राम पंचायतों ने जगह जगह शराब बन्दी के प्रस्ताव पास किये, ऑक्ट्राय ड्यूटी का 2 पर्सेन्ट का फॉर्मूला बनाया, 2 प्रतिशत टैक्स अधिकारी लेंगे और यह पैसा पंचायतों के यहां पहुंच जाय। शुरुआत 2 पर्सेन्ट से हुई है, वह 20 पर्सेन्ट तक पहुंचेगी। अभी तो हमें सरकार से ही लड़ना पड़ता है पर थोड़े दिनों बाद में जो पंचायतें शराब बन्दी का प्रस्ताव आज पास करती है, वे भी कुछ कहने लग जायेंगी कि अगर शराब बन्दी कर दी जायगी तो हमारे पास पैसा कहां से आयेगा, सब पंचायतें मदिरालय बन जायेंगी।

कहा जाता है कि नाजायज शराब पीकर लोग मरेंगे। इसी कारण आपको उनके हित में अच्छी शराब देना पड़ता है। इसी प्रकार कल आप वेश्यालय खोलेंगे और उसमें भी यह कहेंगे कि सिफिलस और गनोरिया से बचाते हैं, इसलिए इसको भी जायज रूप देते हैं। कोई आदमी मरना नहीं चाहता है, मरना किसी को पसंद नहीं है। डाक्टर ने ब्लड प्रेशर के रोगी को कह रखा है कि नमक मत खाओ। इसलिये अलूनी रोटी बुरी तो लगेगी लेकिन फिर भी खाते हैं। किसी को डायबिटीज की बीमारी है, शक्कर जैसी प्रिय चीज भी वह छोड़ देगा क्योंकि उसे जीना है। इतना होते हुए भी यदि कोई शराब पर हावी होकर मरना चाहता है, उसे मरने दीजिए लेकिन कम से कम इस व्यसन के व्यापार को बंद कीजिए। आप कहते हैं कि हमारा वेलफेयर स्टेट है। लेकिन आप कितने गलत काम करने पर तुले हुए हैं। केवल एक पवित्र जमीन-कर था उसको बंद किया। सस्ती ख्याति के चक्कर में न पड़ें। जनता के मत बदलते देर नहीं लगती।

जनता को मत बदलता रति न लगे देर,
एक पलक में आपणा और एक पलक में गैर।
फूल उछलते देखकर आप गर्व मत करिए।
फूल उछलता देखकर तू मत मन में फूल,
फेंक सके ये फेंकण्या, कदी कया पे धूल।

इसलिए आप इस चक्कर में मत फसें। आप सोचें कि कैसे इसको बंद किया जाय। अगर आप सोचकर बंद करना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं। जितने लोग नौकरी करने वाले हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी, चाहे प्रथम श्रेणी, उनके लिए सेवा नियमों में प्रावधान किया जाय कि शराब पीने वाले व्यक्ति को राज्य के अंदर नौकरी में नहीं लिया जायगा। आपने तो सिर्फ यह नियम बना रखा है कि जब ड्यूटी पर कर्मचारी होगा तो वह शराब नहीं पीएगा।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : मंत्रीगण जो शराब पीते हैं, उनका क्या होगा?

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : आज हालत यह है कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के अधिकारी शराब पीना शान की चीज समझते

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

हैं और जहां कहीं भी 30-40 लोग इकट्ठे होते हैं, तो बोतलें खोली जाती हैं और जो नहीं पीते हैं उनकी मखौल उड़ाई जाती है, उनको दकियानूसी मानते हैं। अब तो शराब की बोतलें बाजार में आ गई हैं। एक समय था जब शराब बेचने वाले कलाल की जाति को ओछा समझा जाता था। लेकिन आज तो बाजार के बीच शराब की दुकानें आ गई हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और हमने इज्जत पाली है।

दूसरी बात यह करिये कि पंचों से लेकर संसद सदस्यों तक नियम कर दें कि जो भी शराब पीता होगा वह इस पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अयोग्य होगा। इसके बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसे दफ्तर दस से साढ़े पांच बजे तक सिर्फ खुलते हैं। इस तरह से शराब की दुकानों के लिए भी पाबन्दी रखें और जैसे गजेटेड होलीडेज दफ्तरों में होती हैं उसी तरह शराब की दुकानों के भी होलीडेज रखें तो फर्क पड़ेगा।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : तो फिर गारंटी पूरी नहीं होगी।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : सब से शर्म की बात यह है कि सरकार इस तरह के नोटिसेज जारी करती है। यह इसलिए कहता हूं कि रावण राज्य से लेकर आज तक कोई ऐसा राज नहीं आया जिसमें शराब के ठेके इस प्रकार दिए गए हों कि इतनी शराब तो बेचनी ही पड़ेगी। मैं यह नोटिस पढ़कर सुनाता हूं :

**नोटिस**

"आप श्री जगन्नाथ ने दुकान आबकारी रायरा 1965-66 के लिए गारंटी 10,005) रुपये पर ली। आपको आखिरी माह सितम्बर तक 5,007) रुपये तक की गारंटी का शराब उठाना चाहिए था। इस हिसाब से आपने 1,150,28 रुपये की गारंटी का शराब कम उठाया। इस बाबत आपको पूर्व भी हर माह नोटिस दिए गए किन्तु आपने उनकी पालना न कर आपने गारंटी पूरी नहीं की।

अतः इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मिलते नोटिस के अन्दर मियाद 8 दिन याने दि० अक्टूबर, 1965 तक की गारंटी के साथ साथ चढ़ी हुई कमी गारंटी का शराब उठावें। अन्दर मियाद शराब नहीं उठाया गया तो आपकी दुकान कैन्सल कर दुबारा गारंटी पर निलाम की जावेगी और जो खिसारा रहेगा वह आपसे वसूल होगा और आपका कोई उजर समाअत नहीं होगा।

जिला आबकारी अधिकारी,
भीलवाड़ा।"

तो इस तरह शराब की बिक्री बढ़ा रहे हैं। शर्म की बात है कि केरल में शराबबन्दी बन्द होने पर उत्सव मनाया गया जैसे कोई दिवाली का त्योहार हो। अच्छा था कि गांधीजी जीवित नहीं थे। अगर उनकी आत्मा आज भी यह देखती होगी तो गोडसे की पीठ थपथपाती होगी कि "शाबास है तुमको जो मुझे समय पर उठा लिया"।

विनोबाजी के लिए गांधीजी कहते थे कि मेरे आश्रम में सब आदमी लेने के लिए आते हैं लेकिन एक ही आदमी ऐसा है जो देने के लिए आया है। वही विनोबाजी भी कहते हैं :—

"पैसा कमाने के लिये शराबबन्दी खोल दी गई है। चीनी अफीम खाकर सोये थे।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जब जागृत होगए, तब अफीम छोड़ दी। क्या, अफीम मुक्त चीन के साथ शराबयुक्त होकर लड़ते जाओगे ?"

कहा जाता है कि बोर्डर पर पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए हैं तो क्या आप लोगों को शराब पिलाकर मदहोश करके वहां भेजेंगे ? मदहोश देश की रक्षा कैसे करेंगे ?

(एक माननीय सदस्य के कुछ कहने पर)

अगर ऐसा ही है तो मैं शराब को रोग मानता हूं और शराबी के प्रति किसी प्रकार की नफरत नहीं करूंगा। अगर यह रोग है तो भी इसको छोड़ना पड़ेगा। 'हां' पक्ष में इधर बैठने वाले कई लोग, दुर्भाग्यवश शराब पीने लग गये हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आपके पक्ष में भी पीने वाले हैं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : इधर भी कुछ हैं लेकिन आप बताइये क्या भैरोंसिंहजी पीते हैं ? रामकिशनजी पीते हैं ? मास्टर आदित्येन्द्रजी पीते हैं ? सिर्फ कुछ लोग पीते हैं। उनसे भी मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि वे भी आज संकल्प करें कि वे न पीयें मंत्री भी पीते हैं तो वे भी छोड़ दें और कम से कम महकमे का कोई भी अधिकारी ऐसा न हो, जो शराब पीता हो।

**एक माननीय सदस्य** : हमारे यहां तो यह संकल्प है कि दारू और मारू चलते हैं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : गांधीजी ने कहा था कि जितनी शराब की खराबियां मैं जानता हूं, उतनी कोई नहीं जानता। इसलिए कहता हूं कि अगर एक घंटे के लिए भी मुझे भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो सबसे पहला काम करूंगा कि तमाम शराबखानों को बिना मुआवजा दिए बन्द करूंगा। उन्होंने तो यह भी कहा था कि मैं भारत का कंगाल हो जाना पसंद करूंगा लेकिन कभी यह सहन नहीं कर सकता कि भारत के कुछ हजार लोग शराबी हों, अगर बच्चों की शिक्षा भी बन्द करनी पड़ेगी तो भी यह मूल्य चुकाकर शराब को सदा के लिए समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप शराबबन्दी कर देंगे तो आपको सद्बुद्धि आवेगी अभी तक तो आपको कुबुद्धि है। यह आपका दोष नहीं। श्रवण-कुमार ने एक जगह का अन्न खा लिया था तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो श्रवणकुमार रात दिन उसके माता पिता की सेवा करता था, वह भी उनसे एक दम विमुख हो गया।

**एक माननीय सदस्य** : कहां का खाया अन्न ?

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप शराब चलाते हैं तो यह कम से कम तो सोचिये कि इसका असर किस पर पड़ता है ? कंट्री लिकर पर आपने टैक्स बढ़ाया। लेकिन मजदूर तो निश्चितरूप से पीयेगा। ठेकेदार उसके घर पहुंच जाता है, वह उसको उधार दे आता है, तो वह निश्चित रूप से उसको पीयेगा। वह कटौती किसमें करेगा ? बच्चों के भोजन में वह कटौती करेगा। स्त्री के कपड़ों में वह कटौती करेगा। क्यों आप गरीबों के घरों को उजाड़ रहे हैं ? क्यों गरीबों को और बरबाद कर रहे हैं ? क्यों आप गरीबों को लूट रहे हैं ? कृपा कर आप शराब की आमदनी से बचिये। लगान जैसे पवित्र टैक्स को अपने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

घर में डालिये। आप साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप साथियों के मन में भी तड़प है कि शराब बन्द हो, इधर भी बैठने वाले साथी चाहते हैं कि शराब बन्दी हो चाहे और प्रस्ताव पास करलें लेकिन कृपा कर इस मांग को पास न करें। इधर के 86 सदस्यों की मांग है कि शराबबन्दी हो और यह मांग पास न हो, उधर से केवल 8 आदमी ही आप कह देंगे कि यह मांग मंजूर न हो तो देखिये कितना आनन्द आता है और आप में कितनी बड़ी शक्ति है।

**एक माननीय सदस्य :** सब पीने वाले हैं उधर।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** काश। इस हाउस में सब ही साथी मौजूद होते। मैं यहां नया ही आया हूं। जब मैं देखता हूं कि कूलर लगे हुए हैं इस वजह से माननीय सदस्य लाबी में चले जाते हैं। सदन में बैठने के लिये वे यहां आते हैं या लाबी में बैठने के लिये आते हैं? आप कूलर यहां हाउस में लगवा दीजिये ताकि यहां बैठने लगेंगे। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरे घर में कूलर नहीं है। मुझे तो उससे जुकाम होने का डर है। जब माननीय सदस्य लाबी में रहते हैं और हाउस में नहीं रहते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अधिकारी लोग यहां रहते हैं। हम उनको कैसे कह सकते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिये जब कि हम ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। सदन में न बैठ कर लॉबी में सोते रहते हैं। मैं नया आया हूं यदि मैंने कोई, अभद्र बात कही हो और अशिष्टता हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। कल से ही मुझे पीड़ा हो रही थी कि लाबी में तो सोते रहते हैं और यहां सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनको यहां जो वाद विवाद चल रहा है उसमें दिलचस्पी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से कहूंगा कि आप चले जाइये गंगानगर। वहां भौतिक समृद्धि हुई है, लाखों रुपयों की उनके पास सम्पत्ति है। लेकिन उनकी भौतिक समृद्धि के साथ साथ नैतिक समृद्धि नहीं हुई है। ऐसी दशा में भौतिक समृद्धि किसी काम की नहीं है। फसल आजाती है तो किस प्रकार परिवर्तन आता है भौतिक समृद्धि के कारण। कहता है मेरे इतना माल पैदा हुआ है, मैं तीन मर्डर कर सकता हूं। जहां यदि नैतिक समृद्धि भी साथ में हुई होती तो वह कहता कि मेरे इतनी फसल हुई है, मैं दस लोगों को सुखी बना सकता हूं। वहां इस प्रकार की क्रान्ति हुई है। इस प्रकार की समृद्धि है कि फौजदारी जुर्म बढ़ते जाते हैं, एक्सीडेन्ट्स बहुत होते हैं, रिश्वत बहुत चलती है। एक हजार रुपया दे तो अधिकारी माने या न माने पर चार शेम्पियन की बोतल पहुंचा दीजिये देखिये उसका क्या होता है?

अधिक वक्त न लेकर इतना ही निवेदन करूंगा कि कृपा करके उनकी इस मांग को मंजूर न करें। गांधी शताब्दी के पहले राज्य में पूर्ण प्रोहिबीशन कर दें और प्रथम चरण में गारन्टी सिस्टम को अविलम्ब समाप्त करें और जो जिले गुजरात से लगे हुए हैं, उनके यहां प्रोहिबीशन के काम को सफल बनाने के लिये अपने पड़ौसी जिलों से शराब की दुकानें उठा दें इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री रामकिशन !

**श्री रामकिशन (वैर) :** उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी, मोटर वाहन-कर और

(श्री रामकिशन)
दूसरे सब मुद्दों पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। में उन प्रस्तावों के द्वारा विशेष तौर से वित्त मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा और में समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी उन कठिनाइयों को ध्यान में रख कर जो जो नये टैक्स लगाये हैं या जिस तरह से विभागों की दिक्कत है उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे।

सबसे पहले आबकारी के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। अभी माननीय मनोहरसिंहजी ने बड़ी भावात्मक अपील की है कि गांधी शताब्दी के प्रथम चरण में राजस्थान सरकार शराबबन्दी के लिये निर्णय ले। लेकिन में समझता हूं अपीलों और सर्मन्स से काम नहीं चलेगा। जब से हिन्दुस्तान बना है तब से लेकर वेद उपनिषद् और पुराणों ने कई प्रकार के सर्मन्स दिये हुए हैं लेकिन आज तक उनका क्या असर हुआ है या नहीं हुआ है, यह आप हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह कभी नहीं है कि जो अच्छे काम हैं उनको छोड़ दें। माननीय मनोहरसिंहजी को एक ही बात कहूंगा कि शराबबन्दी करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय के सब ही बच्चों को शराब पीना सिखा दें। डायोमेट्रिकल थ्योरी बता रहा हूं। अपीलों से काम नहीं चलेगा। दो बोतल खरीदें और माथुर साहब के औरत बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। जब घर में क्लेश होगा, घर बरबाद होगा, तो उनको एहसास होगा कि किस प्रकार शराब के कारण घरों की बरबादी होती है। किस प्रकार गरीब लोग बरबाद हो रहे हैं। आपने रखा है गांधी वाद और में दे रहा हूं मार्क्स वाद। आप इसको करे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : डायोमेट्रिकल थ्योरी बता दीजिये।

**श्री रामकिशन** : इतना ही निवेदन है माथुर साहब से।

आखिर कर लगाने का उद्देश्य क्या है? क्यों लगाये हैं ये कर आपने? एक तरफ कर इसलिये लगाये जाते हैं कि राजस्व बढ़े और राज्य का विकास हो और असमानता घटे। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुआ है जो निर्माण कार्यों में नहीं लगता है।

जहां तक आबकारी शराब का सम्बन्ध है, समाज का बड़ा वर्ग बहुत ज्यादा शराबी बन गया है। आज से 20 वर्ष पहले शराब पीना एक अप्रतिष्ठा माना जाता था। आज इस कांग्रेस सरकार के शासन में शराब-पीना एक प्रतिष्ठा और उच्च सभ्यता और कुलीनता माना जाने लगा है। पहले कोई शराब पीता नहीं था, छिप कर ही कोई शराब पी सकता था, घर में बैठ जाता और कोई शिष्ट आदमी मिलने आया तो उससे मिलना भी पसन्द नहीं था। आज यह स्थिति हो गई है कि अच्छे होटलों में, अच्छे मित्रों के यहां मिलने में अच्छी पी न जाय, अच्छे तरीके पर न पी जाय, तब तक न समाज में प्रतिष्ठा है और न उच्च और कुलीन माने जा सकते हैं।

इसके समाजिक पक्ष पर आना चाहता हूं। राजस्थान में आबकारी का जितना पैसा बढाया है, आपकी योजना में कोई चीज सफल न हुई हो, अनाज का लक्ष्य पूरा न हुआ हो, चाहे आप सिंचाई का लक्ष्य पूरा न कर पाये हों, राजस्थान सरकार एक बात कह सकती है कि उसने राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा शराबी पैदा कर दिये हैं। राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले में

(श्री रामकिशन)
पंजाब के सिवाय आबकारी की आमदनी सबसे अधिक है। पंजाब में 6·93 पैसा प्रति व्यक्ति। बिहार, उड़िसा, गुजरात में प्रोहिबीशन हो गया है जहां प्रति व्यक्ति टैक्स की आमदनी 36 है, आन्ध्र में आबकारी 2·3, यहां 37 रुपया टैक्स की आमदनी है तो आबकारी की आमदनी 4·11 पैसे। माथुर साहब और उनकी सरकार इस मामले में सबसे श्रेष्ठ है कि राजस्थान जहां आबादी कम है और शिक्षा प्रसार कम होते हुए भी इतना ज्यादा शराबी बना दिया। आपने 20 साल में जो योजनाबद्ध शराबी बनाये, मैं तो माथुर साहब आपकी तारीफ करूंगा। आपने योजनाबद्ध तरीके से लोगों को शराबी बनाया और देश को क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। माथुर साहब, अच्छा कर रहे हो जिससे बुराई के प्रति प्रतिशोध की भावना तीव्र हो जावेगी। अच्छा है आप इसकी आमदनी बढ़ा दें और देश को क्रान्ति के लिये अग्रसर कर दें। धीरे धीरे बढ़ायेंगे तो उसको बर्दाश्त करने के अभ्यस्त हो जावेंगे।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। इस विभाग की जो हालत है इस सम्बन्ध में। टैक्सों की हालत बताई। बजट एस्टीमेट में देखेंगे तो राजस्थान का सबसे ज्यादा है।

पर अनैतिक जो है, गैर कानूनी शराब का मामला है, दूसरे लोग नाजायज शराब बनाते हैं बेचते हैं। इनको रोकने में यह विभाग बिल्कुल असफल हुआ है। सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है। नाजायज शराब के बनाने के मामले पकड़े जाते हैं, पर राजनैतिक दबाव के कारण उनके चालान नहीं हुए। गांव के गांव ऐसे हैं जिनकी आमदनी का जरिया ही यही बना हुआ है। अनेकों बार शिकायतें की गईं, पर राज्य सरकार ने राजनैतिक कारणों से इन पर दखल नहीं दिया। उनको पकड़ा तो केस नहीं बनाये, चालान नहीं किये, सजा नहीं दी। ऐसी सरकार के बारे में तो कुछ कहना है नहीं।

इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सों की रेट को देखते हुए कम से कम एक काम मत करिये। जहां तक मनोहरसिंहजी ने बात कही उसका मतलब समझती है यह सरकार। सरकार जो यह कहती है कि पंचायतें इस शराब पर दो प्रतिशत तक चुंगी लगा सकती है। आज राज्य सरकार को इस शराब की आमदनी पर मोह हो गया है। कहते हैं इसे बन्द करो, तो अपनी आमदनी की बात कहकर टाल जाते हैं, तो इसी तरह से दो साल बाद पंचायतें भी यही कहेंगी कि शराब बन्द मत करो, करोगे तो हमारी दो परसेंट चुंगी की आमदनी कहां से आवेगी, क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी? तो बुराई समझते हैं आप इसे तो इसे प्रारम्भ में ही समाप्त कर दो।

इसलिये निवेदन करना है कि यह राज्य सरकार न गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार चल रही है और न टेकचन्द कमेटी की सिफारिशों के अनुसार चल रही है। वह तो यह कर रही है कि राजस्थान को एक चीज में तो देश के सभी राज्यों से आगे बढ़ा दें। राजस्थान को कम से कम एक चीज में, शराब पीने में तो इतना अधिक शराबी बना दें, तो कभी बात चले तो कहा जा सके कि अगर शराब से सबसे अधिक आमदनी है तो वह राजस्थान में है। अगर देश के सभी राज्यों ने किसी न

(श्री रामकिशन)
किसी बात में मात दी है, तो राजस्थान सरकार ने शराबी बनाने में मात दी है। और इस बारे में उसे बधाई का पात्र समझ सकते हैं।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है मोटर वहिकल विभाग के बारे में। इस विभाग के बारे में क्या कहा जावे। पुलिस की रिश्वतों की चर्चा चलती है, आम लोगों को इसका पता लग गया। राजस्व विभाग की हालत सब को मालूम है।

पर ट्रान्सपोर्ट में जितनी बेईमानी और रिश्वतखोरी है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इसे मात दे सके। इन्सपेक्टर और क्लर्क बेईमानी करते हैं, रीजनल अफसर करते हैं, समझ में आ सकता है, पर ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी का चेयरमैन है सोहनलाल अग्रवाल। उन्होंने जो कर्म किये हैं, वे शोचनीय हैं। एक बात बताऊं। यह कहा जाता है कि जुडीशियरी के लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं। पर यही नमूना जूडिशियरी का है, तो मैं चाहता हूं ऐसी जुडीशियरी से तो राजस्थान को बचाओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, जब तक पहले उसके लिये इत्तला नहीं दे देते कि फलां के नाम से यह चर्चा सदन में उठाई जावेगी। आपका प्रस्ताव चूंकि केवल परमिट देने की व्यवस्था के बारे में गडबडियां हैं, उनके बारे में है। आप अधिकारी का नाम न लें।

**श्री रामकिशन** : परमिट देने वाली ऑथोरिटी है। खैर अब नहीं लूंगा। अब नाम की जरूरत ही क्या है?

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : वह तो आप ले चुके हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : यह अच्छा किया। क्या हर्ज है।

**श्री रामकिशन** : जिस तरह से मामला चल रहा है, अनेकों परमिट दिये जाते हैं, और एक एक परमिट के पांच पांच हजार से दस दस हजार रुपया परमिट की बोली लगती है। उतना पैसा दो और परमिट लो। कानून-कायदों की वहां परवाह नहीं है। वहां तो पैसा दो और परमिट लो। इससे राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ी। 54-55 में इस विभाग से सरकार को 25 लाख की आमदनी होती थी, वह 67-68 में जाकर 2 करोड 40 लाख तक पहुंच गई है। और भ्रष्टाचार और बेईमानी को रोक देते तो इस मद से राज्य सरकार की चार पांच करोड़ की आमदनी हो सकती थी। पर इस परमिट की शर्त क्या है। कोई कायदा नहीं। कुछ नहीं। अभी अभी 18 परमिट भरतपुर में ऐसे दिये गये, जो सरक्युलेशन से ही परमिट दे दिये गये ऐसे लोगों को जिनके पास एक गाडी नहीं, दो नहीं, चार चार गाड़ियां पहले से थीं। इन सब को भी छोड दें। आज हमारा इरादा समाजवादी समाज बनाने का है और राजस्थान सरकार कहती है लेकिन इस ओर पूरी तवज्जह नहीं देती। रोडवेज सरकार का अपना है। नान टैक्स रेवेन्यू इससे मिलता है। इसको पूरा पूरा संरक्षण देना हमारा और इस सरकार का पूरा पूरा कर्तव्य है। पर राज्य सरकार का ही एक अधिकारी

(श्री रामकिशन)

सभी नियमों को ताक में रखकर परमिट दे रहा है। पैसे के बल पर। यह नियम है कि जिस रूट पर रोडवेज की बसें चलेंगी उस पर प्राईवेट ऑपरेटर को एक भी परमिट नहीं दिया जा सकता। पर रोडवेज के लगातार विरोध करते रहने के बावजूद जनरल मैनेजर और अन्य अधिकारियों ने विरोध किया, पर फिर भी 18 परमिट पैसे के बल पर दे दिये गये। हाई कोर्ट में जैसा है केस दिया गया। सरक्युलेशन से ही यह सारे परमिट दे दिये गये, मीटिंग नहीं हुई। इसकी सारी शिकायत मैंने खुद ने ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब को भी पहुंचाई। अब वे जवाब इसका अपना जवाब देते वक्त देंगे।

पर कहने का मतलब यह है कि इस विभाग की हालत खराब है। हो सकता है कोई अधिकारी अच्छा आ गया हो। पर मैं माथुर साहब से कहता हूं माथुर साहब, आप चन्दा लेने क्यों सेठों के पास या दूसरे लोगों के पास घूमते हैं? आप ट्रान्सपोर्ट विभाग को ही पकड़ लेते। साहू जैन को क्यों पकड़ा? मैकेनिकल इन्सपेक्टर है अलवर भरतपुर का—एक रिन्युअल का फिटनैस का एक सौ रुपया लेता है। और चार पांच सौ गाड़ियों का जो उस जिले में है, हिसाब लगावें तो चालीस-पचास हजार रुपया एक एक जिले में एक एक इन्सपेक्टर एक एक साल में अपनी जेब में ले जाता है। और इस एक इन्सपेक्टर की ही बात नहीं कहता हूं, सारे विभाग की हालत यही बनी हुई है।

राजस्व बढ़ाने का यह सबसे अच्छा महकमा था। लोगों को परेशान नहीं करना पड़ता। गलत नीतियों के कारण आपका राजस्व गिर रहा है आपको विभाग का एक क्लर्क दो-चार, पांच-सात हजार का चन्दा दे सकता है। आप इन क्लर्कों को, इन्सपेक्टर को पकड़ लो। आपका सारा इलेक्शन का और दूसरा खर्चा वे अकेले ही चला सकते हैं।

इस सरकार ने इस मोटर वहिकल पर टैक्स भी बड़े गलत ढंग से बढ़ाया है। नया रास्ता खोलकर आमदनी बढ़ाते तो अच्छी बात होती। पर इस विभाग पर टैक्स लगाते वक्त हर एक की नजर जाती है। जब कभी जिस किसी स्टेट का बजट पेश होगा, चाहे देश की कोई सरकार हो, चाहे सेन्टर की हो, चाहे स्टेट की हो। उन्होंने टैक्स हर साल बढ़ाने के लिये तीन आईटम बना रक्खे हैं। एक तो मोटरों पर टैक्स बढ़ा दीजिये, दूसरा आबकारी पर और तीसरा बिक्री कर की दर। इनके अलावा आमदनी के नये स्त्रोत खोजने का काम राज्य सरकार के दिमाग का है ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि आज से 13 साल पहले जहां इस विभाग से 1.90 प्रतिशत की आमदनी होती थी, वहां वह आज घटती जा रही है। पहले राज्य की तमाम आमदनी का यह 1.90 भाग होता था अब जब रेट बढ़ गये, क्षेत्र भी बढ़ गया, लोगों का बस मोटरों में सफर करने का दिमाग बढ गया है, तब भी आमदनी घट गई। 1966-67 में यह 1.53 ही रह गई।

हम टैक्स लगाते जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जहां आर०टी०ओ० ऑथोरिटी को पैसा मिला अन्धाधुन्ध परमिट देता जाता है, दबाव वाली जगहों पर परमिट दे दिये जाते हैं। दबाव वाली जगहें नहीं होतीं तो अन्धाधुन्ध दे दिये जाते हैं।

(श्री रामकिशन)
एक सैक्टर फेल होता जा रहा है और दूसरा सैक्टर बढ़ता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बिक्री कर की हालत देखें। 1954-55 में $4\frac{1}{2}$ करोड़ की आमदनी थी आज $17\frac{1}{2}$ करोड़ तक पहुंच गई है। मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ सके तो जरूर आमदनी बढ़ानी चाहिये। पर इस तरह आमदनी बढ़ाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखें कि उनसे आमदनी बढ़ने के बजाय घट तो नहीं जावेगी या व्यापार बढ़ने के बजाय घट तो नहीं जायगा।

आपने कुछ चीजों पर रेट बढ़ाई। खास तौर से मोटर ट्रक वगैरह पर रेट बढाई ह। तेल पर भी बढ़ाया है। बढ़ाई यह अच्छा किया, पर इससे पहले पड़ौसी राज्यों की स्थिति भी जरा देख लेते। वहां क्या रेट है और आप कितनी लगाने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो जायगा कि आपने रेट बढ़ा दी तो आपके यहां खरीददारी ही खतम हो गई। लोग उन चीजों को बाहर से खरीद कर ले आवेंगे। जसे मैं बताऊं भरतपुर में तेल का उद्योग है। उत्तर प्रदेश और आपकी रेटों में फर्क होगा तो यह उद्योग उत्तर प्रदेश में चला जावेगा। उधर तरक्की आ जावेगी व्यापार में और आपके यहां कमी हो जावेगी। आपने सोचा होगा मोटरों पर सेल्स टैक्स लगाने से आपको अधिक आमदनी होगी, ऐसा नहीं है। आपके टैक्स से दिल्ली और जयपुर की खरीद में चार साढ़े चार हजार का फर्क पड जावेगा। तो क्यों जयपुर से खरीदेगा? दिल्ली से खरीद कर अपना चार साढ़े चार हजार बचावेगा। चार पांच सौ का फर्क पड़ने तक तो दिल्ली नहीं जावेगा क्योंकि आखिर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह तो उसको यहीं कराना है। तो चार पांच सौ का अन्तर रुकावट नहीं डालेगा, पर जहां चार साढ़े चार हजार का फर्क पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वह दिल्ली से माल खरीदेगा, राजस्थान में नहीं और इससे आपको घाटा होगा।

इसी तरह से तेल है सरसों का। राजस्थान में तेल कन्ज़ूम होता हो, इस दृष्टि से भरतपुर में मिल नहीं लगाते। वहां का तेल उड़ीसा, आसाम, बंगाल में जाता है। पर अगर रेट आपकी बढ़ गई, तो यहां से क्यों जावेगा? जहां रेट कम है, वहां से जावेगा। उत्तर प्रदेश से जावेगा। तो इसका नतीजा यह होगा कि आपका राजस्व घटेगा और उत्तर प्रदेश का बढ़ेगा। तो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पड़ौसी स्टेटों के टैक्स देखकर लगाना होता है, नहीं तो परिणाम उल्टा निकलेगा।

दो तीन सालों से राजस्थान में सरसों की पैदावार घटी है। पर टैक्स अधिक नहीं होने से उत्तर प्रदेश और हरियाणा से तिल आता है, भरतपुर के कारखानों में। पर जिस तरह से आपका टैक्स स्ट्रक्चर है, नियम बने हुए हैं, चैक पोस्टें हैं, उससे आपकी आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। मेरा यह विश्वास है।

सरकार टैक्स लगाते वक्त दो बातों का ध्यान रक्खे। जितनी ज्यादा बिक्री होगी तो टैक्स उन पर लगाने और बढ़ाने की मना नहीं करता पर एक बात का ध्यान रक्खें कि टैक्स आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा से या किसी भी पड़ौसी राज्य

(श्री रामकिशन)
से ज्यादा न हो। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो या तो आप उस पर पुनर्विचार करें या पड़ौसी सरकारों को मजबूर करें कि वे भी उतने ही टैक्स बढ़ा दें ताकि आपकी आमदनी घट नहीं जावे।

इन्हीं बातों के बाद एक दो बात और कहना चाहता हूं रीजनल ट्रान्सपोर्ट आॅथोरिटी के डाइरेक्टर ने जब माथुर साहब ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थे तो माथुर साहब तो बहुत ही कमाल के पुरुष हैं, उन्होंने अपने समय में काफी लोगों को फियेट एलाट करदी और सन् 68 तक का एलॉटमेन्ट कर दिया ताकि उनके बाद में आने वाले मंत्री को केवल दस्तखत ही करने हों ...

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर, यह आपके कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

**श्री रामकिशन** : परमिट के लिए है तो परमिट अन्धाधुंध दे दिये जाते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : परमिट की परिभाषा अलग है। यह परमिट नहीं है और यह परमिट की परिभाषा में नहीं आता है।

**श्री रामकिशन** : एक मिनट में ही बता देता हूं.....

**श्री उपाध्यक्ष** : जो संगत बात हो, उसके लिए एक मिनट नहीं आधा घन्टा भी लेते हैं तो आपत्ति नहीं है लेकिन जो आपके कटौती प्रस्ताव में नहीं हैं उसके बारे में कहना उपयुक्त नहीं है।

**श्री रामकिशन** : उपाध्यक्ष महोदय, नीति के संबन्ध में निवेदन है। हां, अब मैं यह कहूं कि फियेट कब दी किसको दी, क्यों दी, किस तारीख को दी, तब तो कटौती प्रस्ताव में नहीं आता और तब तो गरुड़ पुराण होता, लेकिन मैं तो नीति सम्बन्धी बात कह रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं कि जिस अधिकारी को भी फियेट दी जायेगी वह बिना सरकार की मन्जूरी नहीं बेच सकेगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपकी आॅथोरिटी थी परमिट देने वाली उसके चेयरमैन ने उदयपुर में आर० टी०ओ० को कार बेच दी और बिना सरकार की मंजूरी के तो न तो बेचने वाले ने सूचना दी और न लेने वाले ने सरकार को सूचना दी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब आप अपने सरकारी अधिकारियों से ही नियमों की पालना नहीं करा सकते तो आम लोगों से इस सारे मामले को कैसे बचा सकते हो? उपाध्यक्ष महोदय, आज हम टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमने सीमेन्ट के ऊपर टैक्स बढाया। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि कुए बनें और, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर का सीमेन्ट की रिंग्स के कारण बहुत महत्व है। आपने उनके ऊपर 10 पर्सेन्ट का टैक्स कर दिया और आपके इस टैक्स बढ़ाने का नतीजा यह है कि लोग आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे राजस्थान में इसके कारण घाटा हो रहा है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि आप टैक्स तो बढ़ाते चले जाते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि पुरानी वसूलियों को भी वसूल करें। इसी सदन में एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया कि राज्य के मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं उनके अन्दर लाखों रुपयों की बकाया है। हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने

(श्री रामकिशन)

पेसेंजर्स टेक्स का पैसा दे रखा है लेकिन आप वसूल नहीं करते हैं। आज स्थिति यह है कि लोग यात्रियों से कर का पैसा तो ले लेते हैं लेकिन आपको जमा नहीं कराते हैं। आज लाखों रुपयों की बकाया है तो इसकी वसूली का आप प्रबंध करें और इस टैक्स के स्ट्रक्चर को बदलें। जब तक आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा आपकी बकाया बनी रहेगी और यदि यही हालत बनी रही तो आप आज एक मुख्य मंत्री से तो वसूल कर लेंगे तो मेरे रिश्तेदार दाबकर बैठ जायेंगे। लाखों रुपया सरकार का बकाया है और आपके विभाग की आमदनी नहीं बढ़ रही है और निश्चित रूप से लोग पैसा अर्जित करते जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सीमेन्ट के संबन्ध में, तेल के सम्बन्ध में, मोटर वहीकल्स के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और दूसरी सीमाओं में टैक्स रखा गया है, उसी प्रकार अपने यहां भी रखें और जो ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी में गड़बड़े हुई हैं उसके लिए ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय उचित व्यवस्था करें अन्यथा यह राज्य केवल भ्रष्टाचार और परमिट का राज्य बन सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकेगा। इसी के साथ में अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सांवरमल बासोतिया !

**श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बसों में अत्यधिक भीड़ को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बसों की जो दयनीय हालत है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। यह सत्य है कि पूरे राजस्थान में प्राईवेट मालिकों द्वारा जो बसें चलाई जाती हैं उनमें जिस तरह से भीड़ भेड़ और बकरियां की तरह इकट्ठी करके यात्रियां को लेकर जिस तरह से बसें जाती हैं और यात्रियां को ही नहीं बल्कि उनके साथ में बकरी और कुत्ते जैसे जानवरों को भी उन्हीं यात्रियों के साथ बैठने का मौका दिया जाता है और यह दयनीय हालत उन्होंने पूरे राजस्थान में बसों की बना रखी है, यह सत्य है और यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन बसों में 52 या 54 सवारियों की जगह होती है, वहां पर मैंने आंखों से एक बार नहीं अनेकों बार जब भी मैं बसों से यात्रा करता हूं, देखा है। 52 और 54 की जगह 90 और 95 यात्रियों को ठूंसा जाता है और कन्डक्टर्स जो बसों के होते है, वह किसी को ना तो करते ही नहीं हैं। वह तो कह देते हैं कि घुस जाओ और बस सवारियां अपने आप मौका ले लेती हैं और अन्दर की जो हालत होती है, वह यात्रा करने वाला ही अच्छी तरह से बता सकता है और वही महसूस कर सकता है, उन तकलीफों को। यह हालत केवल आदमियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि बसों में स्त्री और बच्चों की हालत भी बड़ी दयनीय हो जाती है। इस कड़कड़ाती धूप में जहां हमारे राजस्थान में टूटी फूटी सड़कें हैं और दूसरी तरफ हमारी बसों की हालत खराब है, ऐसी स्थिति में अन्दर के यात्री और खास तौर से स्त्री और बच्चों को ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि इसको कोई यात्री सहन नहीं कर सकता।

(श्री सांवरमल बासोतिया)

यह हालत जो मैं बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह है जो कि पक्की सड़कों पर बसें चलती हैं किन्तु गांवों में जहां कच्चे रास्ते हैं और जहां पेट्रोल की गाड़ियां चलाई जाती हैं उन रूटस की हालत इतनी खराब है कि ताज्जुब होता है कि यात्री लोग यात्रा कैसे करते हैं। यह पेट्रोल की गाड़ियां जिनमें 25 और 32 यात्रियों की जगह होती है और इन गाड़ियों में मैंने आंखों से देखा है कि 80-80 और 85-85 सवारियां बैठती हैं और सब अन्दर भेड़-बकरी की तरह ठूंस दिये जाते हैं और छतों पर बैठ जाते हैं और बसों के तीनों तरफ—पीछे और दोनों तरफ लटकते हुए, लोग यात्रा करते हैं। इस तरह की हालत हमारे यहां राजस्थान में बसों की चल रही है लेकिन अब तक हमारी सरकार ने इस तरफ ध्यान कतई नहीं दिया है। अनेक शिकायतें अनेक क्षेत्रों को आती हैं लेकिन चूंकि जो बसों के मालिक होते हैं, वह सरकार के अधिकारियों से और सरकार के मंत्रियों से मिले हुए होते हैं और उनकी मिली-भगत से सारे काम चलते हैं। इसलिए उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। सारी शिकायतों को बन्डल बांध कर गटर में डाल दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण आपको बताऊं कि कुछ महीनों पहले मैं जयपुर से लुहारू वाली बस में जा रहा था। उसमें इसी तरह से लोग ठूंसे हुए थे और हालत यहां तक थी कि एक आदमी दूसरे आदमी का चेहरा तक नहीं देख सकता था। यदि कोई आदमी अपना चेहरा बाहर निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता, कोई अपना पैर इधर से उधर नहीं कर सकता और यहां तक कि बच्चे गर्मी में मर रहे हों, तो खिड़की से पानी तक नहीं लाया जा सकता। उस बस की हालत यह थी। जब रींगस बस स्टेशन पर बस रुकी तो मुझे पता चला कि आगे की सीट पर एक पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है। वह वहीं रींगस उतर गया था। मैंने उससे निवेदन किया कि आपके बैठे हुए बस की यह हालत और आप कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने बड़े तपाक से कह दिया कि मैं तो आगे बैठा हुआ था, मैंने पीछे की तरफ नहीं देखा कि क्या हालत है? इतना कहकर और टालकर चल दिया। यह हमारे लिए, दूसरे अधिकारियों के लिए और यातायात अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि इस तरह से जो यात्रियों की दुर्दशा की जाती है, उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

**श्री श्रवणलाल:** मंत्रियों की तरह वे भी सो रहे होंगे।

**श्री सांवरमल बासोतिया:** यह एक तथ्य है कि हमारे यातायात अधिकारी.....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह:** सुनते तो हैं देखते नहीं।

**श्री सांवरमल बासोतिया:** जो और दूसरे अधिकारी हैं, उनकी रिश्वत की मात्रा मासिक तौर पर बंधी हुई रहती है। इन बस मालिकों की ओर से पैसे बंधे हुए हैं जिससे ये देखते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और यातायात अधिकारी खास तौर से, और भी गवर्नमेंट के कई ऐसे आफिसर हैं वे अक्सर इन बसों में फ्री फण्ड खाते में यात्रा करते

(श्री. सांवरमल बासोतिया)

हैं और इसलिये इन बस मालिकों को, कण्डक्टरों को और ड्राईवरों को पूरा २ मौका इन यात्रियों को हजामत बनाने का रहता है, इनको तकलीफ देने का रहता है और खुले दिल से यात्रियों के साथ शरारत करने में इनको छूट रहती है।

एक शिकायत मेरी खास तौर से इस सिलसिले में यह है कि बस में एक जगह प्लेट पर लिखा हुआ होता है कि कम्पलेंट बुक बस कण्डक्टर के पास में है। जिसका अर्थ आम तौर पर यह लगाया जाता है कि कम्पलेंट बुक कण्डक्टर के पास में है और यात्री को यह अधिकारी है कि उसको किसी भी तरह की तकलीफ हो, किसी भी तरह की शिकायत हो, तो वह उस कम्पलेंट बुक में लिख सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, कम्पलेंट बुक या तो कण्डक्टर के पास में रहती ही नहीं है और अगर वह रखता है तो उसे ताले में रखता है और मांगने पर भी दर्शन तक नहीं कराता। आज तक मैंने कितनी ही बार कम्पलेंट बुक मांगी मगर किसी कण्डक्टर ने आंख से दिखाई भी हो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आता है। तो इस मुत्तल्लिक में सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम इस कम्पलेंट बुक को लेकर कुछ ऐसे नियम बनावे जिससे प्रत्येक यात्री को वह आसानी से कम्पलेंट बुक उपलब्ध हो सके और अपनी शिकायतों को, अपनी तकलीफों को वह उसमें लिख सके। ऐसा करने से मैं सोचता हूं कि जरूर कुछ यात्रियों को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भीड में मुसाफिरों को तकलीफ तो होती है, इसके अलावा ऐसी भीड़ में गुंडों को गुंडागर्दी और चोरों को चोरी करने का भी बड़ा मौका मिलता है। पहले तो यात्री इस तरह से ठसाठस बस में भरे रहते हैं तो वैसी हालत में खुद को ही सम्भालना कठिन होता है। इस तरह से वह अपने आपको सम्भाले या अपने सामान को सम्भाले। होता यह है कि रास्ते में यात्रियों का सामान उतर जाता है और बस मालिक बस के अन्दर प्लेट लगा देता है कि यात्री अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इस प्लेट को लगाकर बस मालिक अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बुरी बात है कि बस में बैठने को जगह नहीं, अपने हाथ पैरों को हिला नहीं सकते, मुंह को बाहर नहीं निकाल सकते और ऊपर से एक प्लेट लगा कर बस मालिक अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। यात्रियों का सामान रास्ते में उतर जाता है तो जब वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो बेचारे अनपढ़ व्यक्तियों को महज यह उत्तर देकर टाल दिया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे सामान की रखवाली करनी चाहिए थी। बस मालिक की इसमें क्या जिम्मेदारी है। उसने तो प्लेट लगा रखी है। जब तुम स्वयं अपने सामान की हिफाजत नहीं कर सकते तो बस वाला कहां तक हिफाजत करेगा ? इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करके उसको टाल दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको ऐसे यात्रियों की तकलीफों को दूर करने के लिए पूरे २ साधन अपनाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सॉरी, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं सम्बन्धित मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि यातायात की

(श्री सांवरमल वासोतिया)

इस अत्यधिक भीड को रोकने में आप बिल्कुल असफल रहे हैं लेकिन मैंने जो एक दो सजेशन कम्पलेंट बुक और माल की चोरी वगैरह के बारे में दिए हैं, उनकी तरफ खास तौर से ध्यान रखें और यात्रियों के साथ में जो जानवर बैठाए जाते हैं कम कम वे तो न बैठाये जावें और यात्रियों की ओर अधिक सुविधा दे सकें तो यही मेरा सुझाव है।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय केसरी सिंह!

**श्री केसरीसिंह** (हिण्डोली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आबकारी कर के विषय में दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव आबकारी एवं बिक्री कर विभाग को पृथक करने से राज्य कोष पर अतिरिक्त भार पड़ने के बारे की चर्चा करने के विषय में है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने न मालूम किन कारणों से यह निर्णय लिया कि आबकारी कर को और कर विभाग को पृथक पृथक कर दिया जाय। यह पहले से एक ही विभाग चला आ रहा था और 1963-64 से यह पृथक किया गया। इसके पृथक करने से राज्य पर दोहरा भार बढ़ गया। इसके अन्दर कमिश्नर दोहरे हो गये, डिप्टी कमिश्नर दोहरे हो गए, इंस्पेक्टर्स दोहरे हो गए, यहां तक कि चपरासी और गाडियां भी दोहरी २ हो गईं। मैं समझ नहीं पाया कि जब पहले पूर्णतया काम चल रहा था आबकारी का भी और टैक्सेशन का भी, फिर क्या ऐसी मुश्किल आ गई, ? क्या ऐसी चट्टानें उनके सिर पर टूट पड़ी कि उनको पृथक -पृथक करना पड़ा ? इसमें मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसे कर्मचारी और ऐसे अधिकारी होंगे जो फालतू फण्ड की तनख्वाह खाते होंगे, उनको कहीं न कहीं लगाना पड़ता। इसलिए उनको अलग से लगाने के लिए दो महकमें कर दिए और अगर आप आज तक का उदाहरण देखें तो 1963-64 के बजट में जो प्रावधान है उससे कहीं अधिक...

**श्री श्रवणलाल** : उपाध्यक्ष महोदय वित्त मंत्रीजी और बिक्री कर के मंत्री जी मौजूद नहीं हैं यहां पर।

**श्री अमीनुद्दीन** : उनकी तरफ से भी नोट ले रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय बैठे हैं, यातायात के।

**श्री केसरीसिंह** : उससे कहीं अधिक 1963-64 में बढ़ गए।

**श्री श्रवणलाल** : ये तो नये नये हैं। बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं है इसलिए दूसरे मंत्री महोदय को बुलाया जाय।

**श्री केसरीसिंह** : वे जरूरी नहीं समझते कि जब माननीय सदस्यों की तरफ से प्रस्ताव दिए जायें उन्हें नोट किया जाय। इनका तो धांधली करने का ठेका है जो धांधली करेंगे। कितना ही आप कहें ये सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस अन्धी गूंगी सरकार के सामने कितना ही कहें, यह न तो देख पायेगी और न ही सुन पायेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कहने का और उनका कर्तव्य है सुनने का। अब यह उन पर है कि वे सुनें या न सुनें। मैं आगे ...

**श्री अमीनुद्दीन** : मैं नोट कर रहा हूं आप फरमाये जावें । जो कुछ आप कह रहे हैं उसको ध्यान से नोट किया जा रहा है।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : आपके पहले जितने मिनिस्टर नोट करते हैं उतने नोट ही कर लेंगे तो भी काफी है ।

**श्री केसरीसिंह** : इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वे नोट करेंगे या नहीं करेंगे ? वे तो अपने विभाग को सम्भाल लेंगे, वही बहुत है । इसलिए मेरा यह कटौती का प्रस्ताव है कि दोनों विभागों को अलग करने से राज्य कोष में काफी भार बढ़ा है और इसको अलग नहीं करना चाहिए । अलग क्यों किया गया है इसके बारे में जो भी कुछ उनका निर्णय हो वह कह दें ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव है कि ठेका प्रथा से टेन्डर और जो ऑफर सिस्टम लागू किया है, उसके विषय में है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं सका कि मुद्दत से जो ठेके की प्रथा थी, जो ठेके से दुकानों का का ठेका हुआ करता था, वह चला आ रहा था, वह किस कारणवश सरकार ने बदल कर यह ऑफर सिस्टम चालू किया ? हर दुकान का हर साल ठेका हुआ करता था और हर ठेकेदार को जो अपने ठेके की रकम थी, उस ठेके की रकम को पूरा करना पड़ता था..

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : चाहे पानी मिला कर ।

**श्री केसरीसिंह** : और इसका नियंत्रण रखा जाता कि अगर वह पानी मिलाए तो इंस्पेक्टर डिग्री डाल कर पानी की जो तादाद है, जो उसमें मिलावट हुई है उसकी जानकारी कर ले और जानकारी करने के बाद उसको ठेके से हटा दे या उसकी सिक्योरिटी जो जमा हुई है, उसको फोरफीट कर ले मगर बाद में क्या हुआ कि जो कोटा के अन्दर, मैंने प्रश्न किया था, पहले ठेका सिस्टम था तो उससे कितनी रकम आई तो 16 लाख की आय हुई। जिसके बाद में ठेका प्रथा से 23 लाख की आय हुई। उसके बाद में ऑफर सिस्टम कर दिया। गया कि जिस आदमी को 23 लाख का ठेका था उसी को यह ऑफर किया गया कि अगर उसकी इच्छा है 23 लाख में ठेका लेने की तो उसको पूर्णतया यह उचित है कि वह 23 लाख में अपना ठेका वापिस अगले साल के लिए ले ले । मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी अब कृपापूर्वक आगये हैं उनसे......

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सदस्य इस बात की तसल्ली रखें कि उन्होंने जो कट मोशन्स दिये हैं उनका जवाब दिया जायगा। अगर 2-3 मिनिट के लिए बाहर चला जाता हूं तो आपसे हम इतनी कर्टसी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर आप कह देते हैं कि मंत्रीजी बराबर यहीं नहीं रहते हैं । आपके क्वेश्चन्स का जवाब नहीं मिलता हो तो आप कह सकते हैं । एक आनरेबल मिनिस्टर यहीं पर बैठे हुए हैं और तीन मिनिट मुश्किल से मुझे बाहर जाने में लगे हैं तो आप कहने लगे कि हाउस के हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और कर्टियस नहीं हैं । आप से भी थोड़ी बहुत कर्टसी हम एक्सपेक्ट करते हैं ।

**श्री केसरीसिंह** : मने यह नहीं कहा कि क्यों गये ?

**श्री विजयसिंह रावत** : एक ही मंत्री नहीं बल्कि सारे मंत्रियों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मंत्री लोगों की ओर भी रेस्पान्सिबिलिटी है जो कि हाउस ने उन पर डाली है । यहां पर 24 ही घन्टे सभी मंत्री नहीं बैठे रह सकते हैं । जिसकी डिमाण्ड होगी वह बैठा रहेगा और जवाब देगा । आपको जवाब मिलना चाहिए । उसमें कमी हो तो आप बताएं । वैसे यहां सभी बैठ जायं और जवाब एक भी न दे तो उससे क्या मतलब है ?

**श्री केसरीसिंह** : आपने कहा उसके लिए धन्यवाद । आप नाराज मत होइये ।

**श्री मथुरादास माथुर** : नाराज होने की बात नहीं है ।

**श्री मदनसिंह** : कोई भी नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना विचार प्रारम्भ रखिये ।

**श्री मथुरादास माथुर** : आप कितना बैठते हैं यह तो देख लें पहले ।

**श्री केसरीसिंह** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि 66-67 के अन्दर 23 लाख रुपये ऑफर सिस्टम से कोटा में प्राप्त हुए । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर इसका ठेका दिया जाता, अगर इसका ऑक्शन होता तो सरकार को निश्चित 5-10 लाख विशेष प्राप्त होते । मगर मैं नहीं समझ पाया कि किस कारण से वहां पर यह ऑफर सिस्टम चालू रखा या सरकार इसको क्यों लागू रखना चाहती है ? हो सकता है कि इसके अन्दर कुछ रहस्य हो । हो सकता है कि चुनाव-फण्ड में पैसा मिल सके, हो सकता है कि गाड़ियों का साधन मिल सके, हो सकता है कि ट्रकों का इससे साधन मिल सके, और जैसा कि मैंने सुना है कि मालपुरा में 100 ट्रकें और जीपें चलीं । इन लोगों का क्या आकर्षण था कि अपनी जीपें दे दीं, क्या आकर्षण था कि ट्रक दे दें ? इसलिए ऑफर सिस्टम को वहां पर लागू किया है और यह प्रमाणित होगया है कि इनको रियायत दी जाती है और राजकीय आय पर कुठाराघात किया जाता है । जो ऑक्शन सिस्टम से पहले पैसा मिलता था उससे उतना नहीं मिलता है ।

**श्री मथुरादास माथुर** : आपका मतलब यह है कि गारन्टी ऑक्शन नहीं हुई और ऑफर से दे दी गई ?

**श्री केसरीसिंह** : मेरा निवेदन करना यह है कि ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए, ठेके का नीलाम होना चाहिये ।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं यह समझ पाया हूं कि आप यह चाहते हैं कि ऑक्शन सिस्टम हो और जो गारन्टी सिस्टम है, वह नहीं चलना चाहिये । यही बात है ना ? यह अभी से नहीं चल रहा है । यह सन् 62 से गारन्टी सिस्टम चल रहा है ।

**श्री केसरीसिंह** : मैंने नहीं कहा कि अभी चालू किया है ।

**श्री मथुरादास माथुर** : आपने कहा है इलेक्शन के मामले में सो वह तो 3-4 महीने पहले था, लेकिन यह तो सन् 62 से चल रही है ।

**श्री केसरीसिंह** : ऑफर सिस्टम से इसमें मदद मिलती है ।

**श्री मथुरादास माथुर** : गारन्टी सिस्टम है, ऑक्शन सिस्टम नहीं है ।

**एक माननीय सदस्य** : गारन्टी नीलाम नहीं होना चाहिये, वैसे ही दे दें ।

**श्री केसरीसिंह** : आॅफर सिस्टम है आक्शन नहीं है ।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं समझ गया ।

**श्री केसरीसिंह** : दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि भांग का ठेका होता है। उसके अन्दर बड़ा घोटाला है विभाग में। मेरे पास में बूंदी से एक पत्र आया है और उसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि बूंदी का जो ठेकेदार है वह भांग की कीमत फी किलो 50-60 रुपये ले रहा है और उसका नाम अगर मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं बतला सकता हूं....

**श्री मथुरादास माथुर** : जरूर बतला दें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : बता दें तो महरबानी होगी ।

**श्री रोशनलाल** (सलूम्बर): भांग पीने का शौक कब से लग गया आपको ?

**श्री केसरीसिंह** : आप यह कहना चाहते हैं कि विधान सभा में जो कुछ कहे वह खुद करें। चोरों के लिए कहा गया तो आप खुद चोरी करते हैं, इसलिये चोरों के लिए कहते हैं, डकैती के लिए कहा जाय तो खुद डकैती करें। मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य 52 से हैं......

**श्री रोशनलाल** : बीच में नहीं था ।

**श्री कसरीसिंह** : मेरे साथ रह चुके हैं। यह जरूरी नहीं है कि भांग, दारू और चोरी के लिये कहा जाय तो स्वयं दारू पीते हों, भांग पीते हों ।

**श्री रोशनलाल** : भांग पीना अच्छी चीज है। मैंने तो यह कहा है कि यह शौक आपको कब से लगा है ?

**श्री केसरीसिंह** : आप पीजिये और शौक से पीजिये ।

भंवरलाल उस ठेकेदार का नाम है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों द्वारा बातचीत करने पर) आर्डर, आर्डर ।

**श्री केसरीसिंह** : जो सरकार द्वारा गोदाम से ठेका दिया जाता है वह 9 रु० 70 पैसे फी किलो दिया जाता है और बेचने का अधिकार है 10 रु० 30 पैसे किलो, मगर वह बेचता है 50-60 रुपये किलो के हिसाब से, लिहाजा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह खास तौर से ध्यान दें और वहां के अधिकारियों को लिखें कि इस प्रकार से यह घोटाले हो रहे हैं ।

इसलिए मैं अपने यह दो कटौती के प्रस्ताव सदन के सम्मुख, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर मंत्री महोदय गौर करेंगे और अपना निर्णय करेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोहनलाल मोदी !

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं उसके बारे में निवेदन है कि गाडी कर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गाड़ी कर में 10 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट जो टैक्स बढ़ा दिया गया है उससे हमारी आय में कोई वृद्धि नहीं नहीं होने वाली है, बल्कि उससे आय में कमी होने की सम्भावना है। किस प्रकार से कमी होने की सम्भावना है, वह इस प्रकार है कि जब दूसरे बराबर के राज्यों में 10 पर्सेन्ट यह टैक्स लगता है तो यहां पर जितने भी लोग हैं वे गाड़ी की खरीद करेंगे तो वहां पर जाकर खरीद करेंगे

(श्री मोहनलाल मोदी)

और जो 10 पर्सेन्ट टैक्स का मिलता था, वह भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखते हुए 15 पर्सेन्ट की वृद्धि जो की गई है, वह नहीं की जानी चाहिए।

पेसेन्जर टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज जो पैसेन्जर टैक्स की वसूली का तरीका है, वह बिल्कुल गलत है। आज जो बस कन्डक्टर्स पैसेन्जर टैक्स का पैसा वसूल करते हैं वह अपने पास में रखते हैं। उसके बाद में वह पैसा जमा नहीं होता है गवर्नमेंट में। डिपार्टमेंट की तरफ से उनसे वसूली का कोई प्रावधान नहीं है कि बहुत जल्दी आपको वह पैसा मिल सके। मेरा निवेदन यह है कि दूसरे राज्यों की तरह हमारे यहां भी उनको टिकिट दिये जायं कि बस के टिकिट पर उनको चस्पा कर दें तो टैक्स का जो रुपया मिलता है वह हमको पहले मिल जायगा और आपको उनसे वसूल नहीं करना पड़ेगा। मेरा इसमें निवेदन यह है कि जिस तरह से सेल्स टैक्स पेट्रोल के ऊपर किया गया था और वह आखरी पाइंट पर सेल्स टैक्स था तो आखिरी पाइन्ट पर सेल्स टैक्स होने से तो जितने पेट्रोल के डीलर्स थे, उनमें 20-25 हजार रुपया बकाया रह गया और उसकी वजह से कई पेट्रोल पम्प बन्द हो गये और वे लोग बरबाद हो गये और गवर्नमेंट का पैसा भी डूब गया। उसके बाद फर्स्ट पाइंट पर कर दिया तो आज यह स्थिति है कि पैसा भी सेल्स टैक्स का बरबाद नहीं होता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह प्रणाली टिकिट की वहां भी चालू की जानी चाहिए।

गाड़ियों का रोड टैक्स है, वह भी इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जो ट्रक चलाने वाले हैं उनको मजबूरन चोरी करनी पड़ती है और वे बिना रोड टैक्स दिये हुए ही गाड़ियां चलाते हैं और उसके अन्दर कई वर्षों का टैक्स बाकी रहता है फिर भी वह टैक्स वसूल नहीं होता है। वह उस ट्रक को बेच देते हैं और दूसरों के नाम से खरीद लेते हैं।

(2 म. प)

दूसरे के नाम से ट्रक खरीदते हैं और आपको पता नहीं लगता कि कितने रुपये बाकी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितना टैक्स वहन कर सकें, उतना ही लगाना चाहिए।

इसके बाद में यह निवेदन करूंगा कि प्राइवेट बसों और सरकारी बसों के बारे में पहले भी यह चर्चा चली कि प्राइवेट बसों के मालिकों को प्रोफिट होता है और वे मुनाफे में चलती हैं और सरकारी बसें नुकसान में चलती हैं, इसका एक कारण जो मैं समझता हूं वह यह है कि प्राइवेट बसेज वाले 40 सवारियों के बजाय 80 सवारियों को भर लेते हैं और गवर्नमेंट वाले जितनी सवारियां के लिये सीटें होती हैं उनसे ज्यादा नहीं लेते, इससे नुकसान होता है। लेकिन एक ऐसी बात है कि गवर्नमेंट की बसेज में ज्यादा असावधानी रहती है और जो किराये के टिकट काटे जाते हैं उसमें कन्डक्टर चोरी करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसा आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जावे तो सरकार का उसके प्रति बहुत कड़ा रुख होना चाहिये और उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर बस वाले पकड़े जावें तो उनके परमिट कैंसिल कर दिये जावें। जो सरकारी कन्डक्टर बस पर हो उनके पीछे भी आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। उनको मामूली सजा देने से कोई चोरी बन्द

(श्री मोहनलाल मोदी)

नहीं होगी, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई चोरी करता हुआ कन्डक्टर पकड़ा जाता है तो उसको सर्विस से फौरन निकाल दिया जावे। यह तो एक प्रकार का व्यापार है, उसमें ईमानदारी से काम करने वाले होने चाहिए। अगर किसी बनिये का मुनीम ईमानदार नहीं हो तो बनिया कमा नहीं सकता। इसी तरह से यह जो लोग रखे जाते हैं, वे मुनीम ही होते हैं और अगर वे चोरी करते हैं तो ऐसे लोगों को रखने से सरकार को कभी भी किसी प्रकार का फायदा नहीं हो सकता। इसलिए बेईमान कन्डक्टर को नहीं रखा जाना चाहिए।

अब शराब के बारे में निवेदन करूंगा। शराब के बारे में टैक्सों में बहुत चोरी होती है। ज्यों ज्यों आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं, चोरियें बढ़ती जाती हैं। जितनी मंहगी शराब आप करते हैं, उतनी ही देशी नाजायज शराब ज्यादा तादाद में निकलती है। आज हर घर में लोग नाजायज शराब निकालते हैं और बेचते हैं। शराब पर कीमतें बहुत हो जाती हैं मगर फिर भी पीने वाले पीवेंगे और नाजायज शराब ज्यादा बनाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग नाजायज शराब बनाते हैं, उनके प्रति सख्त कदम उठाना चाहिए।

माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने शराब बन्दी के बारे में काफी कहा है कि शराब बन्द होनी चाहिये और मैं भी उनमें शामिल हूं कि शराब बन्द कर दी जावे। मगर मैं बताना चाहता हूं कि चुनावों में जिस कदर शराब की नदियाँ बहाई गई, उसको वे भूल रहे हैं जब कानोता में शराब की नदियां बहाई गईं....

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** क्षीर सागर में क्या हुआ था ?

**एक माननीय सदस्य :** खीर के बजाय दूध की शराब पिलाई गई थी।

**एक माननीय सदस्य :** कानोता में क्या हुआ ?

**श्री मदनसिंह दांता :** पीने वालों को पिलाया गया।

**श्री मोहनलाल मोदी :** कानोता की जेलों में शराब की नदियां बहाई गई। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा.....

**श्री विजयसिंह रावत :** माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने नदियां बहाई, मगर अब क्या आप हमारे साथ होकर शराब को बन्द कराने में सहयोग देने को तैयार हैं ?

**श्री मोहनलाल मोदी :** इस योजना में एक है......

**श्री उपाध्यक्ष :** आप आपस में कोई बात न करें।

**श्री मदनसिंह दांता:** मैं विरोधी दल की तरफ से वचन दे कर कहता हूं कि हम शपथ लेकर कहते हैं कि अगर आपने शराब बन्द करा दी तो हम शराब पीना बन्द कर देंगे। आप करिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ! आर्डर ! श्री मोहनलाल मोदी।

**श्री श्रवणलाल :** आपको इसके लिये पता तो है......

**श्री उपाध्यक्ष :** आप भाषण के बीच में बाधा न डालें।

**श्री मोहनलाल मोदी** : जो घरों पर शराब का इन्तजाम करते हैं, वे दूसरों के लिये कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिये, यह शोभा नहीं देता है। इसलिए जो ऐसी बात कहते हैं उनको चाहिए कि पहले अपने घर को तो सुधारें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपनी मांग पर और कटौती के प्रस्तावों पर ही कहें। किधर से कितनी शराब पिलाई गई, उसका लेखा जोखा करने की जरूरत नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : शराब की वजह से बढ़ोतरी हुई, उसका लेखा जोखा देना जरूरी है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मेरा यह निवेदन है कि जब नाजायज शराब आती है तो.....

**श्री मदनसिंह दांता**: आपको नाजायज देशी शराब और दूसरी शराब का फर्क मालूम है ?

**श्री मोहनलाल मोदी** : मैं माननीय सदस्य के संपर्क में बहुत रहा हूं, इसलिये मुझे सारी जानकारी है।

मेरा यही निवेदन है कि शराब से जो लोग नफरत करने की बात कहते हैं तो उस पर थोड़ा पहले खुद अमल करें। अभी हमारे क्षेत्र में प्रधान का चुनाव हुआ। उसमें एक एम० पी० के लिये खड़े हुए, उन्होंने 8 महीने पूर्व 20 हजार की शराब पंचों और सरपंचों को पिलाई।

अब मेरा निवेदन है बिक्री कर के बारे में कि जितना बिक्री कर लगाया जाता है उससे छोटे छोटे व्यापारियों को असुविधा होती है। और वे बिक्री कर में चोरी करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लास्ट पाइन्ट की जगह फर्स्ट पाइन्ट पर कर दें तो चोरी नहीं होगी और राजस्थान सरकार को कोई घाटा भी नहीं होगा। यह जरूर है कि फर्स्ट पाइन्ट पर 102) कीमत रहती है और लास्ट पाइन्ट पर वह 110) होती है। इस तरह 8 या 10 पर तो आपको बिक्री-कर नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि बिक्री कर फर्स्ट पाइन्ट पर रखना चाहिये जिससे करों में चोरी नहीं हो। अब पेट्रोल पम्प के बारे में मैंने कहा कि पहले उसमें काफी रुपया बाकी था, आज कोई पेट्रोल का पैसा बाकी नहीं है।

इसके अलावा एक मेरा यह भी निवेदन है कि 15 हजार के बजाय 30 हजार की आय का प्रावधान रख दिया जावे। आज के भावों को देखते हुए 15 हजार के बजाय 22½ हजार तो वेल्यू वैसे ही हो जाती है। इसलिए आप 30 हजार कर दें तो व्यापारियों को ज्यादा सुविधा होगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो व्यापारियों का एटेचमेंट किया जाता है उसमें बहुत बड़ी ज्यादतियां की जाती हैं। और इससे व्यापारियों को अपील में आना पड़ता है। उस वक्त उनसे रुपया वसूल करने के लिये उनके खिलाफ एटेचमेंट लगा देते हैं। इन्सपेक्टरों को यह मालूम है कि सारा पैसा अपील में माफ हो जावेगा मगर फिर भी व्यापारी को तंग करने की नीयत से ऐसा किया जाता है। तो इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो व्यापारी ऊपर की अदालत में अपील करता है तो उससे जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाए, तब तक रुपया वसूल नहीं किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री मोहनलाल मोदी)

एक पुनः कर निर्धारण की व्यवस्था है। उसको धारा 12 में की गई है। ऐसा भी देखा गया है कि कानून की गलती से हो तो धारा 17 में ठीक हो सकता है। इसको 12 की तहत में किया। इसलिये 16 (ए) में रखना चाहिये ताकि व्यापारियों को सहूलियत हो सके।

इसलिये मेरा यही निवेदन है कि उनको राहत मिलनी चाहिए जिससे चोरी बिक्री करों में नहीं हो।

**श्री शिवचरणसिंह** (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में यह मद्यपान भूतपूर्व राजाओं के शासन से चला आ रहा है। आज के समय में जिस प्रकार से इस शराब के बारे में चर्चायें होती हैं जैसी कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें बताईं। वह सब भूतपूर्व राजाओं की देन है। उनके सामाजिक और पारिवारिक संस्कार इस प्रकार के थे जिसके कारण यह शराब का चलन हुआ। मैं इस बारे में ज्यादा न कहता हुआ एक्साइज विभाग का जो रिआर्गेनाइजेशन चल रहा है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने उसमें कटौती करने की बात कही है। आपने देखा होगा कि हमारे पहले तीन डिप्टी कमिश्नर्स थे और 14 असिस्टेन्ट कमिश्नर्स थे। अब रीआर्गेनाइजेशन करते समय असिस्टेन्ट कमिश्नर्स जो जूनियर ग्रेड के हैं और डी०सी० एस० सीनीयर केडर के थे, उनकी जगह हमारे यहां पर दस पद सीनियर ग्रेड के बना रहे हैं। असिस्टेन्ट कमिश्नर्स को यह ग्रेड दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो आप इकोनामी मेजर्स अपना रहे हैं, दूसरी तरफ जो जूनियर ग्रेड के पद थे उनको सीनियर ग्रेड के बना रहे हैं, इसमें किस प्रकार से इकोनॉमी होगी ? जब आप तीन डिप्टी कमिश्नर्स के पद समाप्त कर रहे हैं, चौदह असिस्टेन्ट कमिश्नर्स के स्थान पर दस करने जा रहे हैं, आप इनको सीनियर ग्रेड में न रखकर आप इनको जूनियर ग्रेड में ही रखें तो इकोनॉमी हो सकती है। जब आप दस को सीनियर ग्रेड में मुकर्रर करेंगे तो यह सही बात है कि खर्च पहले के मुकाबले अधिक होगा। आपको इस विभाग का रिआर्गेनाइजेशन ऐसा करना चाहिए, इसमें इकोनॉमी हो सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पर एक आबकारी प्रणाली बना रखी है जिसके अन्तर्गत कुछ कम्पनियां हमें शराब की सप्लाई करती हैं। हमारे राजस्थान में गंगानगर शुगर फैक्टरी ही एक ऐसी फैक्टरी है जो हमको शराब सप्लाई करती है। गंगानगर मिल यदि जवाब देदे कि हम सप्लाई नहीं कर सकते तो हमें दूसरी जगह से मंगानी पड़ती है। उससे हमें लोस होता है। और शुगर फैक्टरी पर किसी प्रकार की पेनेल्टी नहीं लगाते, इसलिए यह फैक्टरी सप्लाई करने में कीन नहीं रहती। इसका असर यह होता है कि इससे स्टेट रेवेन्यू को भारी नुकसान पड़ता है। पिछले दो माह में जब यहां की सप्लाई कम रही तो हमें पचास-साठ लाख का लॉस हुआ। अगर उसके लिये गंगानगर शुगर फैक्टरी पर जुर्माना रखते तो उसको यह लॉस अदा करना पड़ता। इससे राज्य सरकार के कोष में हानि नहीं होती। इसी प्रकार मैं अर्ज करूं कि वहां माल खराब हो जाता है उसका असेसमेंट ठीक नहीं होता। गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्ज जितने हैं उनपर पेनेल्टी लागू नहीं करने के कारण अव्यवस्था वहां रहती है।

(श्री शिवचरणसिंह)

इनके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी कानून में भी बडी भारी खामियां हैं। जयपुर के बाजारों के अन्दर आप देखेंगे आज होटलों में शराब बिकती है। वहां से शराब पकड़ी जाती है। यह आपके कानून की खामी की वजह से कार्यवाही नहीं होती। एक आदमी को अपने पीने के लिये तीन बोतल लेजाने की छूट है। इसी के अनुसार कोई होटल वाला तीन बोतल लेजाता है, इस पर कोई पाबन्दी नहीं। इसीलिये यह चोर बाजारी के अड्डे खुले हुए हैं।

इल्लीसिट डिस्टिलेशन के बारे में मैं निवेदन करूं। इसको रोकने के लिए कानून में संशोधन होना बहुत जरूरी है। इसके लिये चेकिंग की जो व्यवस्था है, वह पूर्ण नहीं है इसलिये इस प्रकार के चेकिंग का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा मैं अर्ज करूं, आबकारी विभाग यह टेकनिकल विभाग है। इसमें जो भी सीनियर आफिसर मुकर्रर किये जायें, वे अनुभवी हों और इस शराब के बारे में जानते हों....

**श्री मथुरादास माथुर** : आप क्वॉलिफिकेशन्स भी बता दीजिए शराब के मामले में किस प्रकार एक्सपर्ट हो।

**श्री शिवचरणसिंह** : उसमें पीनेवाला तो हो ही।

इसके अलावा आपने इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोकने के लिए प्रीवेन्टिव फोर्स बनायी। एक तरफ तो आपके इल्लीसिट डिस्टिलेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप प्रीवेन्टिव फोर्स में जहां 600 आदमी काम करते थे वहां 200 करने जा रहे हो। एक तरफ तो आप अफसर जो जूनियर ग्रेड के थे उनको सीनियर ग्रेड के कर रहे हो और दूसरी तरफ फोर्स की संख्या कम कर रहे हो। इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप फोर्स को बढ़ायें और अफसरों की तादाद कम की जाय।

आपने इस विभाग का बाइफरकेशन किया। आपको इसके आंकडे देखने चाहिये कि इसकी इफीशियेन्सी में क्या तब्दीली हुई? आपको पता चलेगा, इससे आपका खर्चा बढ़ा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक्साइज और सेल्स टेक्स दोनों विभागों को मिलाकर एक कर देना चाहिए। इससे काफी इकोनॉमी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इंगलिश वाइन्स के लिये परमिट सिस्टम प्रणाली हटाकर नीलामी सिस्टम करना चाहिए। आपने इस पर सेल्स टैक्स बढ़ाया है, इससे व्यापारियों को असुविधा हुई। सेल्स टैक्स के बजाय एक्साइज टैक्स आपको बढ़ाना चाहिए, इससे व्यापारी असुविधा से बच सकता है। सेल्स टैक्स के कागजात मेन्टेन करने पडते हैं। आप एक्साइज टैक्स बढाइये। इससे रेवेन्यू बढ़ सकती है।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी अर्ज करूं, देशी शराब पर प्राइस कन्ट्रोल नहीं है, उसमें गारन्टी सिस्टम है। गारन्टी सिस्टम इसलिए लागू किया कि इसमें एडल्ट्रेशन न हो। गारन्टी सिस्टम की खराबी एक यह है कि जो ग्राहक शराब पीता है उसको अच्छी क्वालिटी की शराब नहीं मिलती। जैसे एक बोतल एक शराबी पीता है या दो बोतल पीता है तो जो बेचने वाले होते हैं वे क्या करते हैं। उस शराब में पानी अधिक मिला देते हैं। इससे जिसकी तृप्ति एक बोतल पी जाने

(श्री शिवचरण सिंह)

से हो जाती थी उसकी तृप्ति तीन बोतल भी पीने से नहीं होती। दुकानदार एक बोतल से तीन बोतल बना लेता ह । इस साल गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं हुई। यू० पी० से स्प्रिट नहीं आई । लेकिन आज बाजार में हजारों गेलन शराब आपको मिल सकती ह । लोगों ने पुराने माल को लेकर दबा दिया है। आज वे उसको ऊंची रेट पर बेच रहे हैं। आप आज ऊंची कीमत पर लेना चाहें तो दस लाख का माल जयपुर में मिल सकता है। आखिर यह माल आता कहां से है। यह हमारे विभाग की कमजोरी है, इस वजह से यह माल छिपा हुआ है।

ठेका प्रणाली की बजाय ऑफर सिस्टम किया पर जिन लोगों ने इसमें काम किया है, उनको ऑफर नहीं कर के ऐसों को ऑफर करते हैं जिनका इसमें वजूद तक नहीं था। इसके लिये आपको कन्ट्रेक्ट करना चाहिये था, ठेके में आमदनी बढ़ सकती थी। ठेका प्रणाली में और ऑफर प्रणाली में भी भेद है। कहीं आप 5 पर्सेन्ट जमा करते हैं तो कहीं आप 10 पर्सेन्ट जमा करते हैं। जयपुर में आप 5 पर्सेन्ट जमा करते हैं और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में 10 पर्सेन्ट लेते हैं, इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। इस प्रकार की चीजों को बन्द करना चाहिये, जिससे कि व्यवस्था में सुधार आये और आपकी आय बढ़े।

सेल्स टेक्स के बारे में निवेदन करूं कि जैसे ऑल इन्डिया लेवल पर सर्वे होती है, उस तरह की सर्वे हमारे यहां नहीं होती है। बिना सर्वे की लिस्ट के हर आदमी को चेक किया जाता है और इससे जिनका टर्न-ओवर ज्यादा नहीं होता है, उन दुकानदारों को भी परेशानी होती है। सेल्स टेक्स का स्टाफ है, उसका जो चेकिंग का एवरेज टाइम है वह एक ठेकेदार को चेक करने के लिये 5 मिनिट भी नहीं मिलते। इससे जो चतुर और चालाक हैं वे बच जाते हैं और जिन लोगों का टर्न-ओवर ज्यादा नहीं है, उनको परेशानी होती है।

आपका सेल्स टेक्स का स्टाफ होता है उसका मोटर ट्रान्सपोर्ट बिजिनेस से लगाव नहीं होता। वह असेसमेंट करता है, असेसमेंट के बाद They are supposed to depend upon the truck owners or motor owners.

जो असेसमेंट के कागजात बनाते हैं, उसी के आधार पर करना पडता है। आर० जी० टी० का डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट के पास हो तो ट्रान्सपोर्ट विभाग को पूरी नालेज रहती है, कि गुड्स की क्या पोजीशन है, कितना माल कहां जाता है ? इसलिए यह डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए। इससे आपकी रेवेन्यू बढेगी। यह नहीं हो सके तो मैं एक सुझाव दूंगा। आपकी मोटरें डीजल से चलती हैं, डीजल पर हैवी टेक्स लगा दीजिये, जिससे टेक्स की चोरी नहीं होगी। जितना डीजल कन्ज्यूम करेगा, उतना ही आपको टेक्स मिल जायेगा।

इसी प्रकार सेल्स टेक्स की प्रणाली में दोहरी प्रणाली है। एक जगह एक चीज पर फर्स्ट पाइन्ट पर टेक्स लेते हैं और दूसरी जगह लास्ट पॉइन्ट पर टेक्स लेते हैं। करौली के इलाके में पत्थर का बडा प्रोडक्शन है। उससे सेल्स टेक्स में आय है, पर वहां सेल्स टेक्स फर्स्ट पॉइन्ट पर लिया जाता है, लास्ट पॉइन्ट पर नहीं लिया जाता। वह लास्ट पॉइन्ट पर लिया जाना चाहिए। इस पर सेल्स टेक्स यदि लास्ट पॉइन्ट पर लिया जाय तो लाखों रुपयों की जो सेल्स टेक्स की चोरी होती है,

(श्री शिवचरण सिंह)

वह चोरी बन्द हो सकती है और इससे आपकी आय बढ़ेगी। आपके डिपार्टमेंट के लोग इस पर काबू नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाने का कारण यह है कि वहां सेल्स टेक्स लास्ट पॉइन्ट पर नहीं है। यदि आप इस पर लास्ट पॉइन्ट पर सेल्स टेक्स कर देंगे तो आपको अभी जो मिलता है उससे तिगुना सेल्स टेक्स वहां से मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि पत्थर के प्रोडक्शन पर लास्ट पॉइन्ट पर टेक्स लगाना चाहिये इससे टेक्स की चोरी रुकेगी और राज्य की रेवेन्यू बढ़ेगी।

राज्य सरकार की जिस प्रकार नीति थी राष्ट्रीयकरण की, वह राष्ट्रीयकरण की नीति से परे हो रही है।....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रखिये।

**श्री शिवचरणसिंह** : उन्हीं तक रखूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : उन्हीं तक सीमित नहीं रख रहे हैं।

**श्री शिवचरण सिंह** : ट्रान्सपोर्ट की पोटेन्शियलिटी का पता नहीं है, इसके लिये आपको सर्वे करानी चाहिये कि जहां रेल्वे की फेसिलिटी नहीं है वहां ट्रान्सपोर्ट की फसिलिटी कैसे दे सकते हैं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां रेल्वे नहीं हैं, तो मैं ट्रान्सपोर्ट मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां रेल्वे नहीं हैं वहां ट्रान्सपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। जहां रेल्वे भी नहीं है और राष्ट्रीयकरण की बसेज का लाभ भी नहीं है तो वहां की जनता के लिये यह बडी असुविधा की बात है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ट्रान्सपोर्ट विभाग में मेकेनिकल इन्स्पेक्शन में बड़ी अनियमितताएं होती हैं....

(समय-समाप्ति=सूचक घंटी)

इन अनियमितताओं की ओर ध्यान देकर इन्हें दूर करना चाहिए।

दूसरी जगह, दूसरे राज्यों में ट्रान्सपोर्ट विभाग के अलावा कोई और विभाग मोटरों का चेकिंग नहीं कर सकता पर हमारे यहां राजस्थान में कई विभाग चेकिंग करते हैं।

इतना निवेदन करने के पश्चात मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों पर मनन करें और जो उचित हो उन्हें मानने की कृपा करें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल!

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है। आज देखने में आ रहा है कि सरकार की ओर से ऐसे ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें खुलवा दी गई हैं जो स्थान या तो शैक्षणिक महत्व के हैं, जहां हमारे नवयुवक शिक्षा पाते हैं, या सार्वजनिक स्थान जहां पर आम तौर पर लोग भ्रमण करने जाते हैं या जहां से गुजरते हैं। ऐसा मालूम पडता है जैसे पहले शराब पीने का काम निन्दनीय माना जाता था और ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें रखी जाती थीं जहां पर आम लोग जाना पसन्द नहीं करें, जहां आम लोगों का जाना बहुत कम हो। पर अब सरकार ने वह नीति बदल कर ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें रखी हैं, जिससे ऐसा लगता है, जैसे कि माननीय मनोहरसिंह जी ने कहा, इस शराब के पीने को निन्दनीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काम नहीं समझ कर आदर का स्थान दिया जा रहा है ।

आज जो बस स्टाप्स हैं, वहां जहां पहले सोडा लेमन मिलता था, चाय मिलती थी, वहां अब इनके साथ साथ शराब भी मिलने लग गई, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। शराब सफर में भी हर जगह उन्हें मिलती रहे, इसमें उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। गाडी ठहरती है तो मुसाफिर अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है । उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य तो यह देख कर होता है कि शराब की जो दुकानें हैं, गारन्टी की दुकानें हैं उनके पास समाज-कल्याण विभाग के विज्ञापन, पोस्टर्स जिनमें यह बताया गया है कि शराब पीने में बुराइयां कितनी हैं, वह पोस्टर्स चिपके हुए हैं । मैं सरकार से और वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि एक खर्चा तो आप अवश्य बचा लें । यदि आप गारन्टी सिस्टम से शराब की सेल को एनकरेज कर रहे हैं तो समाज-कल्याण विभाग को कह दीजिए कि शराब बन्दी के इस तरह के पोस्टर्स निकाल कर पैसा जाया न करें। इस प्रकार की सरकार की कॉन्ट्रेडिक्ट्री नीतियां हैं । एक विभाग उसको प्रोत्साहन दे रहा है और दूसरा विभाग उसको रोक रहा है, यह उचित नहीं है ।

शराब की समस्या एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है । मैं भी मानता हूं कि केवल भाषणों से, अच्छी इच्छाओं को रखने से शराब बन्दी नहीं होगी। जब तक कि उसके लिए भौतिक परिस्थितियां न पैदा करें । तब तक इस बुराई को समाज से नहीं निकाल पायेंगे। इसलिए आज विभिन्न सरकारों को, विभिन्न लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ रहा है और जैसे केरल सरकार ने यदि शराब बन्दी बन्द भी की है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सरकार शराब को प्रोत्साहन देना चाहती है, लेकिन चूंकि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके कारण ऐसे शराब बन्दी करने से शराब बन्द नहीं हुआ बल्कि कुछ अवांछनीय तत्व ब्लैक मार्केट के रूप में जो लोग फसल बोते थे, उन लोगों को . . . . .

(2·30 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

बड़ा भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया। इसलिए जब तक समाज में आर्थिक स्थिति जो हमने पैदा की है उसमें परिवर्तन करके ऐसी भौतिक परिस्थितियां पैदा नहीं करेंगे तब तक इसको प्रेक्टीकल तरीके से लागू करना मुश्किल है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बुराई हटे, भारत म कम से कम जिस प्रकार की हवा है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करें कि ग्रेजूअली इस बुराई को हटाया जा सके।

यातायात विभाग के बारे में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं ! सबसे पहले मुझे राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कहना है । हमारी सरकार को जो किसी समय थोड़ा बहुत उत्साह नजर आता था, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार उससे वापस पीछे हट रही है और जिस तरह से इस निगम को चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी भौतिक परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि प्राइवेट लोगों की तरफ से यह आवाज उठे कि यह खोटा धंधा है, राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये और इस प्रकार की लॉबी तैयार की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जा रही हैं। इस प्रकार विभाग की तरफ से भौतिक परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं ताकि जितना भी राष्ट्रीयकरण हुआ, उसको भी समाप्त कर दिया जाय। आज राजस्थान में इतने वर्षों में जितने रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसमें निगम की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2,260 मील के रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया गया है, और मैं समझता हूं कि यह संख्या डबल तरीके से ओवरलेपिंग करके रूट्स के माइल भी इसमें शामिल किए गए हैं। सारे राजस्थान का माइलेज 29,559 किलोमीटर है और यदि उसमें से हम गांवों की सड़कों को निकाल दें तो यह करीब 21,478 किलोमीटर या 13 हजार मील के करीब आता है तो 13 हजार मील में से हमने केवल 2200 मील का राष्ट्रीयकरण किया है और 2200 मीलों में भी काफी ओवरलैपिंग रूट्स हैं, इसलिये काफी कम हो जायेंगे।

अगर हमें राष्ट्रीयकरण की ओर जाना है तो कोई कारण नहीं कि दूसरे मार्गों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाय आज इसमें भी रीजनलिज्म, जो इस सरकार का परम धर्म बन गई है, चल रही है। कुछ डिवीजन्स में राष्ट्रीयकरण को कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को खुश रखने के लिए लगातार रोका जाता है। आज बीकानेर डिवीजन में राष्ट्रीयकरण किसी रूप में शुरू तक नहीं हुआ। गंगानगर के बारे में बार बार मांग आती है फिर भी कुछ नहीं किया जाता। उदयपुर डिवीजन में भी वही हाल है। यूं तो वह माननीय मुख्य मंत्री जी की डिवीजन है, लेकिन वहां जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं, जिसके आधार पर मुख्यमंत्रीत्व बना हुआ है, उनकी वजह से आज उदयपुर में राष्ट्रीयकरण बसों का नहीं किया जा रहा है।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे जितने राष्ट्रीयकृत रूट्स हैं, 8,220 किलोमीटर, यह माइलेज लंबा बनता है और 77 रूट्स हैं जहां अब तक राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें उदयपुर डिवीजन में केवल 4 रूट्स हैं और उनकी लम्बाई केवल 326 किलोमीटर है। क्या कारण है? इस तरीके से सरकार भेदभाव की नीति को बढ़ावा देती है और एक वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को एक क्षेत्र के अन्दर पनपाने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ते हैं, नॉन टेक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, उनके लिए आप दिक्कतें पैदा करते हैं, क्षेत्रीय भावनाओं के जरिये।

यह सही है कि आज जो राष्ट्रीयकृत रूट्स हैं, जहां स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन चल रहा है, उनमें बहुत खामियां हैं, बहुत सुधार की आवश्यकता है लेकिन जो यह आवाज उठाई जाती है इन खामियों की बुनियाद पर, इन गलतियों की बुनियाद पर, इसका राष्ट्रीयकरण करना गलत है, यह उनको वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है जो वास्तव में अपना प्रीव्हेट रखकर शोषण जारी रखना चाहते हैं। इस पर गंभीरता से सोचिए कि अगर एक कन्डक्टर ने चोरी कर ली, एक रूट पर 10-20 रुपये की तो यह बुरा है, इसको रोका जाना चाहिये, लेकिन उस बुनियाद पर यह आवाज उठाई जाय कि राष्ट्रीयकरण गलत है, इसको खत्म किया जाय, तो यह सही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्राईवेट इंडस्ट्रीज वाले जो करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाते हैं, क्या यह लीगेलाइज्ड करप्शन, लीगलाइज्ड शोषण नहीं है। बाकी राष्ट्रीयकरण में कोई इल्लीगल चीज आप पाते हैं तो हो हल्ला मचाते हैं ? आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और भी जरूरी हो गया है कि फौरन कार्य-क्रम बनाएं और राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट रूट्स पर चलने वाले तमाम मार्ग हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण करें। आप फाइनेन्सेज की बात करते हैं कि कहां से इसके लिए पूंजी लगायें ? मैं समझता हूं कि अगर इन बातों को बुनियादी तौर से सोचें तो इसका इंतजाम हो सकता है। आज बैंकों के, बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की आवाज उठ रही है। इनका पैसा बचाइये, आप अपने हाथ में लीजिए, राष्ट्रीयकरण की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी दिशा राष्ट्रीयकरण करने की नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण को वापस उल्टा करके निजो उद्योगपतियों को धंध देने की है।

हमारे यातायात विभाग के बारे में मुझे निवेदन करना है कि एलॉटमेंट्स कारों की और स्कूटरों की होती हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान श्री राम किशनजी ने भी खींचा, आज बहुत बड़े मनमाने करप्शन का एक कारण बन गया है, और ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि यह करप्शन उस लेविल पर हो रहा है जो कि हमारे राज्य के प्रशासन में सबसे चोटी पर है। आश्चर्य है कि आज फियट कार की जो मार्केट वैल्यू है और जो इसकी प्राइस है उसमें कहा जाता है कि 10-10 हजार का फर्क है।

**श्री अमीनुद्दीन:** अब नहीं है।

**श्री रामानंद अग्रवाल:** कितना है ?

**श्री अमीनुद्दीन:** कुछ भी नहीं है।

**श्री रामानंद अग्रवाल:** मैंने तो कभी फीयट कार नहीं खरीदी, न कभी उम्मीद रखी, लेकिन कम से कम यह जानता हूं कि आज वह फर्क नहीं रहा, इसलिए मंत्री महोदय को दिलचस्पी नहीं रही होगी। लेकिन आपके पहले के लोगों ने इसके अंदर काफी मजे किए हैं। मुझे इस बात की जानकारी है। सेक्रेटरीज ने, हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ने, मंत्रीयों ने और मुझे दुख है कि इसमें माननीय सदस्यों को भी खींचने की कोशिश की जाती है, उनके लिए लालच दिए जाते हैं और इस प्रकार का एट्रेक्शन डालकर इन कारों का एलॉटमेंट होता है, स्कूटर्स का एलॉटमेंट होता है। उन गाड़ियों को थोड़े समय के बाद बेच दिया जाता है, मुनाफा कमा लिया जाता है, फिर दुबारा उनको एलॉटमेंट करायी जाती है और इस तरीके से इसमें भारी मुनाफाखोरी हो रही है। इसके कोई नियम नहीं हैं। आपने स्टेट कोटा बनाई हुई है। एम० एल० एज० को भी देते हैं, प्रधानों को भी देते हैं और मंत्री महोदय अपनी मर्जी से जिसको चाहें एलॉट करते हैं। फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व्ड का कोई सिस्टम नहीं है। तो आप चाहते हैं कि विधायक आकर आपकी खुशामद करें, आपको फोन करें, आपको पत्र लिखें। अभी तक जो एलॉटमेंट्स हुए हैं स्कूटर्स का, उनके बारे में मुझे पता लगा है कि पिछली बार लोगों को दो-दो तीन-तीन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टर्म्स के एलॉटमेंट कर दिए। किस बुनियाद पर? कोई नियम है आपका? किस आधार पर एलॉटमेंट किया है?

क्या आप फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ड के प्रिन्सिपल को सही मानते हैं? आप स्टेट कोटा में इस प्रिन्सिपल को स्वीकार नहीं करते। उसकी बुनियाद पर एलॉटमेंट नहीं करते हो, मंत्रीजी आप नये आये हो और आपको इसीलिए गुमराह किया जा रहा है। आप गर्दन मत हिलाइये। पिछले तीन क्वार्टर के एलॉटमेंट हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री विजयसिंह रावत** : सभापति महोदया, पॉइन्ट ऑफ आर्डर है मेरा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : और.....

**श्रीमती सभानेत्री** : आपका पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

**श्री विजयसिंह रावत** : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सदन में कोरम पूरा नहीं है। यदि नहीं है तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

**श्रीमती सभानेत्री** : पूरा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं यह निवेदन करूंगा कि इस हाउस को कान्फिडेन्स में लिया जाय। हमारे सेक्रेटरीज, हमारे मिनिस्टर्स और हमारे एम० एल० एज० के लेवल पर इस तरह की बात हो, तो अपनी इस पोजिशन की वजह से पिक्युनरी इन्ट्रेस्ट लेने की वजह से, इस प्रकार का दुरुपयोग करें तो इससे भयंकर भ्रष्टाचार और नहीं हो सकता है। राज्य की नीति बनाने वाले राज्य की चोटी पर बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचार को इस राजस्थान में खत्म करने का स्वप्न ही नहीं कर सकते।

**श्री भैरोंसिंह** : केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, ब्लेक मार्केटियर हैं ये मिनिस्टर।

( समय समाप्ति–सूचक घंटी )

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, मैंने एक सजेशन दिया है। रोड टैक्स और पैसेन्जर टैक्स के लिये अलग अलग ऑथोरिटी बनाई हुई है वसूल करने की, इससे बड़ी भारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं मोटे तौर पर कहता हूं कि सरकार जितनी रिश्वत लेना चाहे उसके लिये सीलिंग मुकर्रर कर दे। वे देना चाहेंगे वह लेकिन दो ऑथोरिटी न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

**श्रीमती सभानेत्री** : 15 मिनिट हो गये हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरे कट मोशन्स हैं उनसे बाहर नहीं जाऊंगा।

**श्रीमती सभानेत्री** : समय की पाबन्दी का तो खयाल रखना पड़ेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अच्छा पाबन्दी रखूंगा।

मेरा यह सुझाव है कि पैसेन्जर टैक्स की वसूली बाकी रहती है। आप टिकिट सिस्टम जारी कर दीजिये, लोग टिकिट खरीदेंगे। पेमेन्ट का सिस्टम होने से बकाया नहीं रहेगी। पेमेन्ट फौरन हो जावेगा और रिश्वत से छुटकारा हो जावेगा। इसमें सुधार कर देंगे, तो ठीक हो जावेगा।

इसी तरह से, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चन्दा कराना हो, कांग्रेस पार्टी को चन्दा कराना हो या और कोई चन्दा कराना हो, आर०टी०ओ० और इन्स्पेक्टर के पास काफी भेज देंगे। वे कहेंगे कि आपको रिन्यूअल करवाना हो तो 50) रु० के टिकिट कटवाईये। आपको लाइसेन्स रिन्यू कराना हो, टैक्स जमा करा दिया हो और सर्टिफिकेट लेना हो तो 50), 100) रु० के टिकिट ले लीजिये। हो सकता है मुझे उस चन्दे से ऐतराज हो, हो सकता है उस चन्दे के कलैक्शन से ऐतराज न हो, लेकिन मुझसे इस तरह पाबन्द करके वसूल करना चाहेंगे तो मुझे उस पर ऐतराज होगा। पैसा इकट्ठा करने की वजह से मोरल इतना डाउन करें कि गलत बातों को भी स्वीकार करलें, देश में आपने ऐसे नागरिक बना दिये तो इसका भयंकर नतीजा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही बात कह कर समाप्त करूंगा।

मनोरंजन कर के लिये मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। सभापति महोदया, आज राजस्थान में मनोरंजन कर के बारे में सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है, वह एक गलत नीति है। कुछ म्युनिसिपल कमेटीज हैं उनको मनोरंजन कर का हिस्सा मिलता है, कुछ म्युनिसीपलिटीज को बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलता। इसका आधार क्या है? कोई साइन्टिफिक बेसिस नहीं है कि आज हर एक म्युनिसिपेलिटी का मनोरंजन कर में हिस्सा होना चाहिये। म्युनिसिपेलिटी रिक्रिएशन और सफाई आदि का इन्तेजाम करती है इसलिये उसका उसमें हिस्सा होना चाहिये यह दृष्टिकोण नहीं है। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि अमुक तारीख को कोई म्युनिसिपेलिटी मनोरंजन कर वसूल करती थी तो उसको हिस्सा मिलेगा और नहीं करती थी तो उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री या सेक्रेटरी होंगे कि जिनकी जिन म्युनिसिपेलिटीज में दिलचस्पी थी इसलिये यह तारीख रखदी अगर उनकी दिलचस्पी नहीं होती तो और तारीख रख देते। यह क्या बेसिस है? जिस प्रकार राज्य सरकार के लिये सोचते हैं कि और क्या क्या इनकम के रिसोर्सेज राज्य सरकार को मिलने चाहिये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि म्युनिसिपेलिटीज के लिये भी मनोरंजन कर का हिस्सा मिलना चाहिये। अलवर म्युनिसिपेलिटीज की ऐसी हालत है कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपनी इस नीति को बदलिये। सब म्युनिसिपेलिटीज को पर्सेन्ट कर दीजिये। वसूली होती है उसका हिस्सा 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। यह उन म्युनिसिपेलिटीज को भी दिया जाना चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री गोकुल प्रसाद।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर) : सभापति महोदया, करों के बारे में कुछ मांगें रखी गई हैं। जहां तक आबकारी कर का सवाल है, इस पर से हमें कितनी आमदनी मिलती है। जब राजस्थान बना था उस समय 3½ करोड़ रुपये की आमदनी इस से होती थी और आज 18 साल के बाद 8 करोड़ की इस से आमदनी होती है। 3½ करोड़ होने का कारण था कि कुछ जागीरदार अपनी भट्टियां लगाते थे। जागीरदार

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

को अधिकार था। यह नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त से कम पीने लगे हैं, लोगों की आदत शराब पीने की ज्यादा हुई है। शराब ज्यादा पीने लगे हैं। आमदनी अवश्य कम हुई है। हमको जो 8 करोड़ की आमदनी है उसको मैं अधिक नहीं मानता। उस वक्त से जब कि कम कर थे इस पर। इसका परिणाम यह है कि चोरियां बहुत होती हैं और इसको हम रोक नहीं पाये हैं। इसलिये शराब बिल्कुल कतई बन्द होनी चाहिये। शराब पीने के कारण प्राचीन काल की कहावत है कि द्वारिका का विनाश ही इसी कारण से हुआ था। 56 करोड़ यादव इसी शराब के पीने के कारण कट मर गये। देश को बरबाद कर दिया। द्वापुर युग में भी यही कारण था शराब। आज उसी शराब को यहां मानते हैं कि बड़ी भारी आय बढ़ गयी है। गवर्नमेंट कहती है कि 8 करोड की आय कैसे छोड़ें? पर केपिटा 4 रुपया कैसे करें। चार करोड रुपया पहले ही था। आधे से अधिक जागीरदारों को छूट थी। शराब की मात्रा गांवों में अधिक बढ़ी है, जगह जगह दुकानें हैं और इसके मुकाबले में आमदनी नगण्य है। इसमें चोरियां होती हैं। स्प्रिट खुला बिकता है। एक स्प्रिट की बोतल से 6 शराब की बोतलें बना कर बेच देते हैं। गारन्टी सिस्टम इसीलिये किया कि लोग स्प्रिट मिला कर न बेच सकें। ठेके पाने वालों के लोग गारन्टी सिस्टम का विरोध करते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि शराब के ठेकेदारों में काफी पैसा बकाया है। वे लोग चाहते हैं कि शराब में स्प्रिट मिला कर बेचें। वे लोग कहते हैं कि गारंटी बन्द कर दी जाय। दूसरी तरफ वे लोग भी हैं, जो यह कहते हैं कि जितना बकाया है वह उनसे छोडा जाय। इधर और उधर दोनों ही तरफ इसका विरोध करते हैं। पता नहीं सरकार क्या कहती है? शराब की आमदनी कम हुई है। दूसरी तरफ गारन्टी सिस्टम में बाधा दी जाती है। गारन्टी सिस्टम छोडने का एक तरीका है। छोडना या रखना यह तो आपके हाथ में है। पर सरकार का जिनमें बकाया है वह पैसा रहना नहीं चाहिये। पूरा का पूरा वसूल होना चाहिये। अगर सरकार को शराब कायम रखना है तो कम से कम ऐसी शराब तो पिलाये जाने से रोका जावे कि जिसको पीने से आदमी मर जावे। जो अपने आपको नशाबन्दी के प्रवर्तक मानते हैं उनको यह कहना अच्छा नहीं लगता कि गारन्टी सिस्टम बन्द कर दें। अगर करना है तो यह करना है कि आप देश की इज्जत को बचाने के लिये शराब को कतई बन्द कर दीजिये। मत कहिये आठ करोड कहां से लावेंगे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांगिये। हम उसके कोई गुलाम नहीं हैं। वह हमारे यहां से अरबों रुपया टैक्स का वसूल करती है। तो जितना हक उस पर वे रखते हैं उतना हम भी रखते हैं। एक्साइज का रुपया उनके पास जाता है, इन्कम टैक्स का रुपया हमारे यहां से वे ले जाते हैं। अपने स्टाफ के लिये वे अन्धाधुन्ध खर्च करते हैं हमेशा उनकी पे बढाते जाते हैं। उनके पीछे हम घिसटते रहते हैं। उनसे साफ कहिये अपने हिस्से में से हमारा हिस्सा भी दो। यहां के हाउस की ताकत अपने साथ लेकर जाइये। कहिये हमारा हाउस चाहता है, हमारी जनता चाहती है कि शराब कतई बन्द करदीजिये, उसके बदले में दूसरा पैसा दीजिये ताकि उसकी पूर्ति कर सकें।

Page No. 85



(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

मैं कहता हूं कि अगर देश में शराब बन्दी नहीं की गई तो पुराने जमाने में जैसे यादव वंश नष्ट हो गया था वैसे हम भी नष्ट हो जावेंगे। दूसरी बात बताऊं, शराबी लोग यहां राज किया करते थे। उनके आपस में लड़ाइयां होती थीं। कोई कुछ ले गया तो दूसरे ने तलवार निकाल ली और लड़ने लग गये। इसी शराब की आदत के कारण हम आपस में लड़ते रहे और गुलामी सहन करनी पड़ी।

आज शराब का ठेकेदार स्प्रिट बेच बेच कर इतना पैसेवाला हो गया कि गांव में और मालदार नहीं मिलेगा, कलाल मालदार मिलेगा। उधर वह शराब बेचते हैं गरीब को, मजदूर को। शराब वह उधार बेचता है मजदूरों को जब मजदूरी मिलती है तो ठेकेदार वहां पहुंच जाता है। कारखाने में मजदूर काम करता है, उसको उधार देता है उधर महीने की तनखा मिलते वक्त खड़ा हो जाता है और उसकी मजदूरी लेकर चला जाता है। गरीब इस लिये दे देता है कि अगर आज नहीं दिया तो कल क्या पीऊंगा? उधर उस गरीब के बच्चे भूखों मरते हैं।

गरीबों को यह शराब मिलती है, बड़ों के लिये छूट है। अंग्रेजी शराब की दुकानों का ठेका नहीं। गरीब मजदूर अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते दूध नहीं पिला सकते। बीमारी में इलाज नहीं करा सकते। आप इनको शराब से बचाइये। एक व्यक्ति चाहे तो अकेला नहीं रोक सकता। एक वर्ग नहीं रोक सकता। सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। राज्य के रोकने से ही रुक पावेगा। नशे की चीजें हैं हर गांव में दुकान हो गई है तो ज्यादा पीने वाले हो गये हैं। नहीं होगी दुकानें तो लोग नहीं पीवेंगे तो आप इनको बन्द करें। मैं बताऊं तीस चालीस साल पहले की बात। बीकानेर शहर में बड़ी मुश्किल से चाय की एक आध दुकान थी। आज तीन चार सौ हो गई। जब एक दो थी तो उतने ही पीने वाले थे। अब ज्यादा दुकानें हो गई, तो पीने वाले भी ज्यादा हो गये।

टैक्स की चोरियां हुई हैं, होती हैं। इसको सख्ती से रोका जाना चाहिये। सेल्स टैक्स में हमने 15 करोड की आय कर ली। पर जितना पर्सेन्टेज बढ़ा दिया और जितनी चीजों पर लगाया क्या उतना वसूल होता है? आपकी सरकारी बसें कितनी चलती हैं और कितने यात्री बैठते हैं? जैसे रामानन्दजी ने बताया, पैसेन्जर दो हजार मील चलते हैं कुल 27 हजार मील में हमारी सड़कें हैं। उससे जो पैसेन्जर टैक्स मिलता है रोडवेज की तरफ से तो वह कितना मिलता है और उस पर्सेन्टेज से प्राइवेट ऑपरेटर कितना देते हैं? यह देख लीजिये। वे उतना नहीं देते। उनको छूट है। वे पैसेन्जर से लेकर उसे आपको नहीं देते। घर बैठ जाते हैं। वर्षों नहीं देते। लाखों रुपया सरकार का उनके पास जमा रहता है। इसके बाद आप कहते हैं धीरे धीरे वसूल करेंगे। किश्तों में करेंगे। क्यों? एक पटवारी लगान वसूल करके उसमें से 5) रु० अपने पास रखले तो उसको आप जेल भेज देते हैं और प्राइवेट ऑपरेटर अगर यात्री-कर का पैसा खजाने में जमा नहीं करावेगा तो कहते हैं कि धीरे धीरे वसूल कर लेंगे; किश्तों में कर लेंगे। ऐसा क्यों? पैसेन्जर का पैसा है वह। वह कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। उसी तरह से सेल्स-टैक्स हमारे से ग्राहक से वसूल कर ले जाते

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

हैं, वह सरकार के खजाने का पैसा है। सरकार की एजेन्सी की तौर पर दूकानदार वह पैसा लेता है। आप कहते हैं उसे तीन महीने में रिटर्न नहीं भरना है। साल भर में भी दे सकता है। आपने छूट देदी। दो साल का हिसाब दिखा दे। ज्यादा छूट देने का इसमें सवाल नहीं है। रिटर्न उसको हर महीने देना चाहिए। छूट देते हैं थोड़ी बहुत तो तीन महीने में दे दें पर साल भर की छूट ठीक नहीं है। यह आपने प्रोग्रेस की है, मैं इसको प्रोग्रेस नहीं मानता। यह तो करों की चोरी के लिये सुविधा दी गई है। इसको रोकिये।

सेल्स टैक्स पूरा ले लें तो आपके आबकारी टैक्स की चोरी बच जावेगी और पैसेन्जर टैक्स के लिए आप टिकिट इश्यू करिये। गाड़ियों वाले खरीद लें। उधार की जरूरत ही नहीं।

एक बात और है। गाड़ियों पर दोहरा काम चलता है। पैसेन्जर टैक्स की वसूली के लिए एक विभाग को हक नहीं है। व्हिकल टैक्स के लिए अलग से चैक पोस्टें हैं। परमिट दे देते हैं। गाडी चलाओ। पैसेन्जर टैक्स वाले रह जाते हैं। तो या तो इन सबको आप एक जगह कर लीजिए या यह निर्णय कर लीजिए कि पैसेन्जर टैक्स वसूल करने वाला न दे गाड़ी को चलाने का कम्पीटेन्सी सर्टीफिकेट नहीं दे, फिटनेस सर्टीफिकेट न दें, सेल्स टैक्स वाले घूमते रहेंगे। तो कहना है कि टैक्सों की वसूली सख्ती से करें। शराब कबन्द करिये। शराब को मैं इस देश के लिए लंक मानता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री रावतराम !

**श्री रावतराम** (छापर) : श्री सभापति महोदया, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक शराब बन्दी के सिलसिले में, दूसरा आपने गांव-गाव में ठेके चालू कर रक्खे हैं उस सिलसिले में।

माननीय सभापति महोदया, शराब बन्दी का मामला पिछले काफी अर्से से चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने शराबबन्दी के लिए बराबर जोर दिया है।

यही नहीं, हमारे महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ज्यों ही देश आजाद होगा तो जो शराब हमारे देश में बुराई पैदा करती है, उसे बन्द कर देना पड़ेगा। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने सालों के बाद भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने यह भी नहीं देखा कि इससे गरीब लोगों, को मजदूर लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनका जीवन बरबाद होता जा रहा है इससे। सरकार को सोचना चाहिये था। पर सरकार ने इससे उल्टा रवैया अपनाया। सरकार चाहने लग गई कि किसी तरह हो उसके खजाने में पैसा आना चाहिए। लेकिन, सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे आमदनी के स्रोत कैसे होने चाहिये। हमें देखना होगा कि उन स्रोतों से हमारे समाज पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ता है। हमारे समाज की तरक्की पर कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ता है। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए.....

(3 म० प०)

लेकिन सरकार नहीं देती है। बार बार इस सवाल को उठाया गया, इस हाउस में भी और बाहर भी, लेकिन सरकार का एक ही

(श्री रावत राम)

दिमाग रहा है कि 8 करोड़ रुपया कहां से लायें ? इतनी बडी रकम जो कि स्टेट रेवेन्यू की है उसको और बन्द कर देंगे तो काम कैसे चलेगा ? लेकिन सभापति महोदया, हम इस चीज के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि शराब को जल्दी से जल्दी बन्द किया जाय। हम भूखों रह सकते हैं, हम और तकलीफें सह सकते हैं, हम और टैक्स दे सकते हैं लेकिन शराब जैसी गन्दी चीज जो कि सामाजिक जीवन को बर्बाद करती है, हमारे देश को बर्बाद करती है, हम इसके पक्ष में नहीं हो सकते और सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। आज सरकार एक बात बार बार कहती है कि यदि हम शराब बन्द कर देंगे तो भी यह बन्द नहीं होगी और इसके स्थान पर नाजायज शराब चालू हो जायेगी, इसलिए शराब बन्द करने का कोई तुक नहीं है। दूसरी बात सरकार कहती है कि इससे हमारी आमदनी बढती है। सभापति महोदया, आमदनी होती है, वह तो ठीक है, लेकिन शराब से जो बुराइयां पैदा हुई हैं उनको रोकने के लिए आज सरकार दूसरे साइड में जो काम करती है जैसा अभी श्री रामानन्द जी ने कहा था कि एक तरफ तो हम इस शराब को बढाने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब में बुराइयां हैं इसके लिए आप पोस्टर्स लगाते हैं, प्रचार करते हैं और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मार्फत या दूसरे दूसरे डिपार्टमेंटों के मार्फत बराबर इसका प्रयत्न करते हैं कि शराब बन्द होनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए और शराब में ये ये बुराइयां हैं तो यह शराब से जो आमदनी होती है, यह आधे से ज्यादा आमदनी तो खर्च हो जाती है जो सरकार प्रचार करती है और पब्लिसिटी करती है उसमें। और दूसरी तरफ शराब को प्रोत्साहन देने के लिए सारी कार्यवाहियां होती हैं। सभापति महोदया, मैं इस शराब का घोर विरोधी हूं और मैं यह सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बुराई को मिटाया जाना चाहिए। अगर यह बुराई नहीं मिटी तो समाज के वह वर्ग और समाज के वह तबके जो कि दो रुपया मजदूरी का लाते हैं, सड़कों पर एक रुपया मजदूरी का लाते हैं, वह तबाह हो जायेंगे। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जो कि दो रुपये की मजदूरी करते हैं और उनको आदत है शराब पीने की और जब तक वह चार रुपये की शराब नहीं पी लेते तब तक उसको नींद नहीं आती और आज नतीजा यह है कि उनके ऊपर कर्जा बढता जा रहा है। उनकी सारी शांति लुप्त हो गयी और वह आज भूखों मर रहे हैं। आज आप चल कर देखिये गरीब लोगों के मोहल्ले में और उन इलाकों में देखें तो उनकी हालतें सबसे ज्यादा खराब हो रही हैं और इस सब का नतीजा यह शराब है।

लेकिन आज हम देखते हैं कि शराब का फैशन सा बनता जा रहा है और इतना बनता जा रहा है कि जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं और समाज के ठेकेदार लोग भी इसको महसूस नहीं करते हैं कि आखिर इसका क्या नतीजा होगा ? हम कहां इस देश को ले जायेंगे और हमारा समाज कहां जा रहा है ? सभापति महोदया, मुझे बडा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि आज शराब का जो दौर है वह गन्दी बस्तियों का जहां हम जिक्र करते हैं कि वहां ज्यादा पीते हैं और मजदूर लोग ज्यादा पीते हैं लेकिन आज हम देखते हैं कि जो मॉडर्न फेमिलीज हैं या आपके कालेजेज हैं, आपकी यूनीवर्सिटीज हैं, जहां हम चाहते हैं कि देश के भाग्य विधाता निकलेंगे, इस देश का कल्याण करेंगे, उन लोगों में और

# Page No. 88



(श्री रावत राम)

न स्टुडेन्ट् में शराब का प्रचार बढ़ता जा रहा है। आज उनके लिए शराब फेशन बन गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के नौजवान जो कि कॉलेजेज में शिक्षा लेकर आते हैं वह शराब पीने लगे हैं। आज हमें अफसोस होना चाहिए कि यहां तक हम नीचे चले गये हैं कि कॉलेज में अध्ययन करने वाली लड़कियां भी शराब पीने की आदी हो गयी हैं। तो यह हमारे लिए एक कलंक की बात है। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं। हम ऐसी आमदनी को बरदाश्त नहीं कर सकते जो कि लोगों को बिगाड़ती हो और उनमें बीमारी पैदा करती हो और बुराई पैदा करती हो। चाहे वह आमदनी 8 करोड़ हो या 15 करोड़ हो। उसका हमारे इस खजाने में लेखा-जोखा नहीं होना चाहिए। मैं खास तौर से इस डिपार्टमेंट के लिए यह नहीं कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार कर दिया जाय, या ऑफिसर्स कम कर दिये जायें या और किसी तरह की इकोनॉमी कर दी जाये—इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो शराब के खिलाफ हूं इसलिये यह आबकारी महकमा ही नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि यदि शराब बन्द कर देंगे तो नाजायज शराब हो जायेगी। मैं कहता हूं कि वह बुराई कम होगी और उसको रोकने के लिए उपाय हो जायेंगे और उसके लिए समाज के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए और यदि फिर भी नाजायज शराब होगी तो भी ऐसी होगी कि कुछ ही लोगों के हाथ लगेगी और आम लोगों के हाथ नहीं लगेगी। उदाहरण के तौर पर माननीय सभापति महोदया, मैं बताऊं कि इस गारन्टी सिस्टम से जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि इस गारन्टी सिस्टम ने हमें बड़ा बर्बाद किया है। इससे आमदनी के ऊपर क्या फर्क पड़ा? मैं इसका कैल्क्यूलेशन नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस गारन्टी सिस्टम से आप गंगानगर जिले में देखें आप कैसी भी सड़क से गुजर जाइये जो भी गांव पड़ेगा चाहे वहां 5 घरों की बस्ती होगी, उसके सामने भी ठेका होगा और वहां पर दस बीस लाल रंग की, हरे रंग की बोतलें होंगी। इतने आराम से और इतनी सरलता से वहां शराब मिलती है कि जिसका कुछ कहना नहीं....

**श्री भैरोंसिंह** : वहां तो गांधीजी की फोटो लगी है।

**श्री रावतराम** : वह तो नहीं देखी लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे लिए सोचने की बात है। लोग शराब पीते हैं, खुले में पीते हैं और शराब पीकर लोग फिरते हैं। और वहां से औरतें और बच्चे गुजरते हैं और उनके साथ व्यभिचार और अनाचार होता है। आप इस सारी हालत को देखें तो मालूम होगा कि इस शराब का आपने कितना प्रचार कर दिया है। यह सब गारन्टी सिस्टम के कारण है। मैं इस तरह की आमदनी के फेवर में नहीं हूं जो कि हमारे समाज को बर्बाद करे। इस तरह की चीज का सारे माननीय सदस्यों को विरोध करना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, यह शराब समाज के सारे आदर्शों को मिटा देगी तो हम पैसे इकट्ठे करके क्या करेंगे? हम करोड़ों रुपयों का क्या करेंगे? आखिर तो इन्सान का कोई नैतिक मूल्य होता है, उसके उसूल होते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज से दस साल पहले हमारे देश में वेश्यावृत्ति चालू थी। हमने उसको क्यों मिटाया? इसलिए मिटाया कि हमारी औरतें सरे बाजार में बैठती थीं और बुरा धंधा करती

(श्री रावत राम)

थीं और वह हमारे समाज के लिए कलंक था। उसको मिटाने के लिए हमने कदम उठाये और उसको खत्म कर दिया। कमाई तो उससे भी होती थी, उसको खुला कर दें तो आपकी आमदनी बढ़ जायेगी। सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए और भी कई तरीके हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वेश्यावृत्ति को हमने बन्द क्यों किया? इसलिए किया कि आखिर हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी कोई समाज है, हमारा कोई नैतिक मूल्य है, इसलिए हमने उस वेश्यावृत्ति का घोर विरोध किया और उसको बन्द किया। आज ठीक है वह बन्द हो गयी लेकिन लोग कहते हैं कि छिपे तौर से चलेगी तो जिन लोगों में बुराई की आदत है, वह बनी बनाई बात तैयार रखते हैं, लॉजिक तैयार रखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह हमने क्यों बन्द की इसलिए की कि हमें समाज को ऊंचा उठाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से मंत्री महोदय से कि आपका जो गारन्टी सिस्टम है, इसके अन्दर क्या किया है कि पहले तो ठेका होता था और एक ठेकेदार छोटे ठेकेदार को नहीं दे सकता था लेकिन अब आपने गारन्टी सिस्टम में यह कर दिया है कि इतनी शराब तो बेचनी ही पड़ेगी। इसलिए उसने जीप ले ली, ट्रक ले लिया और उसमें बोतलें भरकर बकायदा प्रदर्शन लगाकर और माइक लगाकर हमारे गांव में जाते हैं। पहले जहां शराब के दर्शन नहीं होते थे और पहले कहीं कहीं शहरों में ही केवल ठेके हुआ करते थे और एक दो बोतल कोई ही शहर से लाता था और शराब का केवल नाम ही सुनते थे, लेकिन आज प्रदर्शन होता है, माइक लगा हुआ है और गांव के बीच में से गुजरते हैं। तो फिर आपको इस तरह से ही करना है और पैसा ही वसूल करना है, तो और ही बहुत सारे तरीके हैं और बिल्कुल ही समाज को डुबोना है कि हमें तो पैसा ही चाहिए चाहे गली-गली में शराब बिके, चाहे व्यभिचार और जुर्म बढ़ें और हमें तो पैसा ही चाहिए तो फिर पैसा चाहने की बात है तो तब तो इसका कोई उपाय नहीं है, ,कोई भी लॉजिक हो नहीं सकता। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपके पास पैसा आए, तब तो बात दूसरी है लेकिन एक न एक दिन इसको आपको बन्द करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन करूंगा कि कम से कम आप शराब को बन्द कीजिए, किसी भी तरह से बन्द कीजिए। इसके लिए अगर जरूरी हो तो आप और टैक्स लगाइए। हम उन टैक्सों का विरोध नहीं करेंगे लेकिन इस शराब का तो कम से कम विरोध करेंगे ही। और जो गारन्टी सिस्टम के अन्दर प्रदर्शनी लगाने का रखा है, गांव गांव में बोतलें डाल रखी हैं और बोतलों को जो गांवों में घुमाते हैं, कम से कम उसको तो बन्द कीजिए। शहरों में लिए पड़े हैं वही बहुत है, गांव गांव में प्रदर्शनी क्यों लगाए फिरते हैं? तो मेरा जो कटौती का प्रस्ताव शराब के सम्बन्ध में था, उस बात के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शराब तो न मालूम आप कब तक बन्द कर सकेंगे और इसे बन्द करना आपके बस की बात भी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले दस साल से इसके लिए बराबर बात करते आ रहे हैं, लेकिन कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया

(श्री रावत राम)

है। लेकिन कम से कम गांवों में जो शराब की बोतलों की प्रदर्शनी की जाती है, उसे तो बन्द कर दीजिए।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप चाहें तो इससे कितनी ही बड़ी आमदनी का महल बनाए रखें।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री भीमसेन !

**श्री देवीदत्त गाडिया** : माननीय सभापति महोदया, हमारा नम्बर भी आएगा या नहीं ?

**श्रीमती सभानेत्री** : आएगा।

**श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : माननीय सभापति महोदया, मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उनके बारे में मैं समयाभाव के कारण संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। सभापति महोदया, सबसे पहले मैं एक्साईज डिपार्टमेंट के बारे में कहूंगा कि इस एक्साईज डिपार्टमेंट को एबॉलिश करके इसको टैक्सेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाय तो सरकारी खर्चे में काफी बचत होगी और जो प्रिवेंटिव फोर्स का काम है, इस काम को भी पुलिस के सुपुर्द किया जाय तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में प्रिवेंटिव फोर्स की बहुत कम तादाद है और इसलिए इस काम को भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाय। पुलिस का जाल जगह-जगह पर, गांव-गांव में फैला हुआ है, पुलिस के थाने जगह जगह पर हैं, तो अगर आप यह काम पुलिस को सौंप देते हैं तो इससे इल्लिसिट डिस्टिलेशन नहीं होगा। पुलिस के माध्यम से इसमें काफी रुकावट आ सकती है। आपके पास जो प्रिवेंटिव फोर्स है उसकी तादाद बहुत कम है। इसलिए इस फोर्स को पुलिस के साथ में मर्ज कर दें और इस काम को पुलिस विभाग को सुपुर्द कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि काफी आपके प्रशासन में भी बचत हो सकती है और जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है, व उसे रोकने में भी काफी इमदाद मिलेगी।

इसके साथ-साथ एक्साईज डिपार्टमेंट जो है और इसका अलग से प्रशासनिक तंत्र है, मैं समझता हूं कि आपके इस एक्साईज डिपार्टमेंट को टैक्सेशन में मर्ज कर दें तो आपके खर्चे में काफी कमी होगी और आपकी एफिशियेन्सी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इसके बारे में कुछ न कुछ विचार करना चाहिए।

इसके साथ-साथ कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पेसेन्जर्स टैक्स की....

(3·14 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वसूली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा होनी चाहिए, इसके बारे में कहा। यह कहा गया कि एक ही एजेंसी होनी चाहिए इस टैक्स को वसूल करने के लिए। इस समय दो एजेंसियां हैं। बसेज और ट्रक वालों से टैक्स वसूली और डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, पेसेन्जर्स टैक्स को वसूली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अलग से की जाती है और पुलिस वालों को इंस्पेक्शन की पॉवर और है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से ड्राईविंग के लाइसेंस और कण्डक्टरो के लाईसेंस पुलिस देती है, उसी तरह से बसेज और ट्रक्स का चेकिंग पुलिस डिपार्टमेंट करता है तो टैक्स वसूली का काम भी इसके जिम्मे ही कर दिया जाना चाहिए। सबके लिए एक ही एजेंसी हो जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ डील विथ करने वाली हो। जितने ज्यादा डिपार्टमेंट बसेज के और ट्रक्स

(श्री भीमसेन)

के ऑपरेटर्स को एप्रोच करेंगे उतना ही अधिक करप्शन होगा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना हिस्सा मांगने चला आया करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे ड्राईविंग का और कण्डक्टरी का लाइसेंस पुलिस डिपार्टमेंट देता है, उसी तरह आपकी बसेज और टैक्स के इन्स्पेक्शन का और रोड टैक्स को वसूली की काम पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाय, तो आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ में भी कुछ काम नहीं रहेगा। तो यह भी बात है कि पुलिस के पास भी ज्यादा काम नहीं है और पुलिस को ही यह काम भी सुपुर्द कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक रहेगा और आपके खर्चे में भी कटौती होगी, और आपकी बचत भी काफी होगी, और इसके साथ-साथ जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, वे भी परेशानी से बच जायेंगे।

इसके साथ-साथ मैंने ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए भी एक कटौती का प्रस्ताव रखा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से बसेज का, ट्रक्स के रजिस्ट्रेशन की ऑथोरिटी कलेक्टर को बना रखा है, उसी तरह से बसेज और वेहिकल्स के इस्पेक्शन और उनके चेकिंग का काम पुलिस के पास चला जाय तो वह आराम से और सुविधा से कर सकते हैं। रोड टैक्स वसूली का काम भी इनके साथ कर सकते हैं। अब रहा सवाल परमिट देने का, इसके लिए आप आर०टी०ओ० और एस०टी०ए० को अलग से रख सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अलग से न रहे और पुलिस में मर्ज कर दिया जाय तो भी इससे आपकी एफिशियेन्सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और खर्चे में कटौती होगी।

इसी तरह से यह मैंने जो दो-तीन सुझाव सरकार के सामने रखे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार इन पर विचार करेगी। कई माननीय सदस्यों ने आपको पैसेंजर टैक्स की बकाया के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि अब जो रूल्स में प्रोविजन किया गया है कि हर तीसरे महीने रोड परमिट लेने से पहले मोटर ऑपरेटर को क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि पैसेंजर टैक्स का बकाया उसमें नहीं है, या रोड टैक्स का बकाया नहीं है। उसके बाद हर तीसरे महीने में रिन्युअल कराना पड़ता है। तो जो रूल्स में प्रावधान पैसेंजर टैक्स के बारे में कर दिया गया है तो इससे नई बकाया तो रह नहीं सकती, जो कुछ बकाया दिखाई दे रही है वह पुरानी बकाया हो सकती है। नई बकाया तो अब किसी में रह नहीं सकती है। इसलिए जो रूल्स में पहले दिक्कत थी वह दूर करदी गई है, मैं समझता हूं कि जो एरियर्स दिखते हैं, वे रूल्स में तब्दीली करने से पहले के होंगे। मैं समझता हूं कि इनके सम्बन्ध में सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री आलम अली!

**श्री आलमअली** (फतेहपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं मोटर गाडियां के बारे में कहना चाहता हूं कि यह आर० टी० ओ० के मर्ज की दवा है, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५० सं पहल्या बसां चाल्या करती वी वगत पुलिस के द्वारा रजिस्ट्रेशन वनायो जाया करतो हो, टैक्स पुलिस के द्वारा जमा, वसूल कर्यो जातो हो। एक नयो महकमो खोल द्यो, नया नया टैक्सां के वास्ते, ओ महकमो सिरफ दिखावटी आमदनी वता कर खोल द्यो और ईमें सिवाय

(श्री आलम अली)

खर्चा के दूसरी बात कोनी। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स की रकम, यात्री कर रुप्या में दो पीसा राज का खजाना में जमा व्है, बाकी देवी देवता और खेतरपाल। टैक्स का पीस्या का आधा देवी देवता और आधा खेतरपाल हो जावे। उपाध्यक्ष महोदय, बीच बीच में पुलिस वाला और आर० टी० ओ० आवे। एक तरफ आर० टी० ओ० वाला मोटर वाला के सिर पर जूतो मारे और दूसरी तरफ पुलिस वालां को जूतो। उपाध्यक्ष महोदय, दो जूतां के बीच में तीसरो जूतो और है और वो तीसरो जूतो यात्री कर इंस्पेक्टर और रख छोड़यो है। मैं आपको ध्यान आमदनी आप बढ़ावा के वास्ते जिकी बात बताई है वींकी ओर कहणो चाहूंगो कि कित्ती आमदनी बढ़ी है और कित्तो ईमें नुकसान हुयो है। यात्री कर गरीब लोगों से वसूल कियो जावे है और राज का खजाना में वो नहीं आवे। तो जठे गलत आदमी, गलत भ्रष्टाचारी अफसर नियुक्त कर्या जावे है, वठे वठे खजाना में पीस्यो नहीं आवे और मोटर मालिक इं जिका झगड़ा में जाकर पड़े। मेरो सुझाव है कि यात्री कर नें, सीटिंग कैपेसिटि का टैक्स ने एक साथ कर दियो जावे तो कतई ही चोरी करण को मोको नहीं मिलेगो और मोटर मालिकान ने भी हर हालत में जमा कराणो पड़ेगो। ई वास्ते अलग से कोई टैक्स को जरूरत नहीं होगी अगर कैपेसिटि के साथ सीटिंग को जोड़ दियो जावे। आपने नापतोल के वास्ते अबार बतायो कि जिको गाड़ी सरकार चलाई है, वींको नापतोल कियो जा सके है माइलेज।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जियां को आर० टी० ओ० अबार बतायो तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मैकेनिकल इन्सपेक्टर पुलिस महकमा को हुवो है। वे गाड़ियां ने देख सके है, एक्सीडेन्ट हो तो वींको सेर्टीफिकेट दियो जाय। वींके बाद मैकेनिकल इन्सपेक्टर मोटर विभाग में राख्यो है। ईयां की फोज खडी कर दी कि जींके पास सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई बात कोना। नित नयो टैक्स लगायो जाय और वी टैक्स के पीछे रोज एक महकमो है। जिको भ्रष्ट महकमो होगो।

उपाध्यक्ष महोदय, आर० टी० ओ० के बीमारी है अो समझ में नहीं आई। टैक्स जमा करे है वे कलेक्टर सरकार के थ्रू जमा करे है। वींके बाद आर० टी० ओ० के बीमारी है? आ समझ में नहीं बैठी है। आने छोड़ दियो जाय और निमित्त रूप से कलेक्टर और दूसरा अफसर के जिम्मे कर दियो जाय तो खर्चा की बचत होसी।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार बहुत बढ़गो, क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट हुया तो जिका मोटरवाला है वींका 10 तरह का खसम है। वींकी लम्बी चौडी हिस्ट्री है।

मैं एक बात और बताऊंगो कि आ सीधी सी बात है के जिको शराब को गारन्टी सिस्टम है बीं तरह को गारन्टी सिस्टम पर इनें दे, देनो चाहिए तो पैसा बेजा वसूल को कियो जा सके। ठेकेदार नें, उपाध्यक्ष महोदय अगर ठेको दे दियो जायगो, तो मतई वसूल कर लेगो और राज चलाण के वास्ते लम्बी-चौडी सुविधा मिलेगी और मंत्री महोदय उद्घाटन कर सकेगा। आं को काम उद्घाटन करणो है और राज की गरीब जनता ने की नहीं देणो है। ठेकेदार ने ठेको दे दो ताकि वसूलो आराम से होवे।

**श्री विजयसिंह रावत** : उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष जी......

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीदत्त गाडिया !

**श्री देवीदत्त गाडिया** : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार ने सेल्स-टैक्स विभाग में सन् 65-66 के अन्दर 11,96,000 रु० के स्थान पर 14,17,000 रु० की आय करके बहादुरी का ढिंढोरा पीटा है और उसके द्वारा यह बताया गया है कि यह विभाग की तत्परता और जागरूकता थी कि उन्होंने इतनी वसूली की है। माननीय उपाध्यक्षजी, एक ओर तो राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने राजस्थान की सरकार ने बजट के अन्दर 11,96,000 रु० रखे और उसके बाद इस प्रकार से 14,17,000 रु० की वसूली करके और उसके द्वारा नये टैक्स और लगाकर जो 2,21,00,000 रु० की नई और जनता से वसूली की है, वे इस बात के प्रतीक हैं कि सरकार ने उस समय सदन के सदस्यों को अन्धकार में रखकर यह जो अधिक वसूली की है, उससे ऐसा लगता है कि इस विभाग के अधिकारी वर्ग ने बडी जुल्म और ज्यादतियां की इन व्यापारियों के साथ। उनके यहां नाजायज छापे मारकर, उनकी बहियों को जब्त करके और व्यापारियों को 6-6 महीनों तक बहियां न देकर उनको इस प्रकार से कुचला गया है, कि उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव डाला गया है, और अन्ततोगत्वा मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान के उन गरीब व्यापारियों से यह जो अनुचित ढंग से आय की हैं उतनी ही उन अधिकारियों ने रिश्वत भी ली होगी।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सरकार ने जहां सन् 63-64 के अन्दर कलेक्शन एक्सपेन्डीचर की जो रकम बताई है वह 27,35,000 रु० थी। वह खर्चा इस वसूली के अन्दर आगे बढ़ता गया। वह खर्चा सन् 64-65 के अन्दर इस सरकार ने 28,30,000 रु० किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इस निकम्मी सरकार ने, इस निकम्मी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने इस कलेक्शन को बढाने के लिये सन् 65-66 के अन्दर 36,00,000 रु० का खर्चा किया है। इस प्रकार से यह प्रतिशत जो 2·8 था वह बढ़कर 3·85 हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ओर तो जहां यह सरकार कहती है कि इस प्रकार से 2,81,00,000 रु० की अधिक आय हुई है, वहां दूसरी ओर, माननीय उपाध्यक्ष, इस सरकार ने जहां यह कहा है कि हमने 13 लाख की वसूली और व्यापारियों का अटेचमेंट करके की है। माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे बडे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस राज्य के कर्मचारियों ने, इस राज्य के अधिकारियों ने उन गरीब व्यापारियों के साथ जिनकी कि लायबिलिटीज और एसेट्स हैं वे बहुत थोडे हैं, जो व्यापार में 10-20 हजार रुपया लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं, उनके पास तो राज्य अधिकारी लम्बी २ फौज ले जाकर, बन्दूकें ले जाकर और पुलिस व्हिकल का उपयोग करके, उनकी दुकानों पर छापा मारते हैं और उन गरीब व्यापारियों की बहियों को जप्त करके उनका अटेचमेंट कर देते हैं, उनके धन्धों को रोककर उन्होंने उनसे 12 लाख रुपया वसूल किया है। वहां पर इस राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि 21 लाख रुपये की वसूली नहीं की। वह वसूली किससे नहीं की ? वह वसूली बड़े-बड़े उद्योगपतियों से नहीं की। जिनके बड़े-बड़े कारखाने चलते

(श्री देवीदत्त गाडिया)

हैं, जिनसे मिनिस्टर साहब की सांठ-गांठ हैं, माननीय उपाध्यक्ष, उन बडे बडे उद्योगपतियों की फर्मों से क्यों नहीं अटेच किया ? उनसे क्यों नहीं वसूली की ? सरकार वसूल नहीं करना चाहती है उन बड़े आदमियों से। लेकिन वे गरीब जो बोल नहीं सकते, उनके सारे रोजगार को इस सरकार ने इस प्रकार से अव्यवस्थित कर दिया जिसके कारण कई फर्में बेकार हो गई और उनका सारा रोजगार चौपट हो गया है।

मेरा एक सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जिन व्यापारियों के, छोटे छोटे व्यापारियों के, बही खातों की वसूली के लिए जो अटेचमेंट किया जाता है और यह अटेचमेंट जब हो तो उनको यह सुविधा देनी चाहिए कि जब तक हाई कोर्ट से अन्तिम फैसला न हो जाय, तब तक व्यापारियों का यह अटेचमेंट नहीं होना चाहिए और अन्तिम फैसले तक उनको मौका देना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं हो पाती। माननीय उपाध्यक्ष, इसका सबसे बडा ज्वलन्त प्रमाण यह है कि 65-66 के अन्दर राजस्थान के कई व्यापारियों से वसूली की और अनुचित ढंग से अटेचमेंट किया गया (जो वसूली की है उसको वे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले गये और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद 13 लाख रुपये की अटेचमेंट से जो वसूली की थी, उस पर रोक लगी। इसी के साथ साथ राजस्थान के कुछ व्यापारियों ने सरकारी अधिकारियों के गलत फैसलों पर रेवेन्यू बोर्ड में अपील की, और अपील करने पर रेवेन्यू बोर्ड से 3,22,000 रु० का स्टे आर्डर मिला। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, जिस विभाग के अधिकारियों ने जिन व्यापारियों से गलत ढंग से वसूली की तो गलत ढंग से वसूली के लिए गलत ढंग से अटेचमेंट किया और राजस्थान के कुछ व्यापारियों ने उसी विभाग की जो अपीलेट ऑथोरिटी है, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके यहां अपनी अपील की, तो वहां पर अपील करने के बाद उस विभाग से 2,67,000 रु० का स्टे आर्डर मिला है। इस प्रकार यह बात साबित कि जिस विभाग के डिप्टी कमिश्नर जो अपीलेट ऑथोरिटी हैं, उनसे जब इनको स्टे आर्डर मिला, तो यह साबित है कि उस विभाग के अधिकारियों ने नाजायज ढंग से व्यापारियों को परेशान किया और अनुचित ढंग से वसूली की उनसे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गलती से, गलत ढंग से जिन व्यापारियों से वसूली की गई है, जिन व्यापारियों के गलत ढंग से अटेचमेंट किये गये हैं, उन व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ है, उसमें कितना पैसा उनका खर्च हुआ है, कितना समय नष्ट हुआ है, और इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपने बजट के अन्दर ला चार्जेज के अन्दर 1965-66 में कुछ नहीं बताया था और 1966-67 के अन्दर तीन हजार रुपया बतलाया था। इस राजस्थान सरकार ने इस ला चार्जेज के अन्तर्गत जहां एस्टीमेट बताया था तीन हजार का, उस एस्टीमेट से बहुत अधिक, चालीस हजार का खर्चा किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह चालीस हजार रुपया किस तरह से खर्च हुआ ? इसका मुख्य कारण यह है कि यह सेल्स-टैक्स अधिकारी और बिक्री कर के अधिकारी गलत ढंग से असेसमेंट करते हैं, और व्यापारियों को परेशान करते हैं तब व्यापारी जाकर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और फिर इस विभाग को भी न्यायालय में जाना पड़ता है। विभाग को वकीलों को फीस देनी पड़ती है और वकीलों के आने जाने का गलत ढंग से पैसा भी देना पड़ता है। अगर गलत ढंग से फैसले नहीं होते, तो राजस्थान सरकार का जो 37 हजार रुपये का अधिक खर्चा हुआ है, वह नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय.......

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह फैसले नहीं होते तो कोर्ट से वसूली कैसे हो पाती।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : इतना ही नहीं, 1967-68 के अन्दर इस सरकार ने इस मद में पांच हजार का खर्चा बतलाया है। इससे मालूम होता है कि इस विभाग के अधिकारी ऐसे हैं जो अब तक गलत ढंग से फैसले करते आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में व्यापारी लोग न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पांच हजार में इनका कैसे काम चलेगा ? शायद अधिक खर्च बताने पर लोगों में असंतोष फैल सकता है, इसलिये कम आंकड़े बताये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि 1966-67 में जहां 40 हजार रुपये खर्च हुए है, वहां 1967-68 में निश्चित रुप से दुगने रुपये खर्च होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस तरह की बात है वहां राजस्थान सरकार ने 1967-68 के अन्दर बुक्स और पीरियोडिकल्स की मद के अन्दर दो हजार का खर्च बतालाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस मद के अन्दर दो हजार रुपये बहुत कम हैं। बुक्स एण्ड पीरियोडिकल्स के लिए बीस हजार रुपये रखे जायं या उससे भी अधिक रखे जायं तो उससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि इस विभाग के अधिकारियों के पास कानून से सम्बन्धित पुस्तकें नहीं होती हैं। इस विभाग के अधिकारियों के पास, जो कानून से सम्बन्धित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं, उसकी किताब नहीं होने की वजह से वह पुराने गजट या अन्य प्रकार की कुछ चीजें रखते हैं और उनके आधार पर फैसले करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जितने भी लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, रेवेन्यू बोर्ड के फैसले हैं, विभाग के अधिकारियों के फैसले हैं और जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट लिट्रेचर है, वह प्रत्येक क्षेत्र के अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए। यदि उनके पास यह सब लिट्रेचर पहुंच जायेगा तो व्यापारियों का गलत ढंग से असेसमेंट नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों की गलतियों के कारण सरकार का जो पैसा खर्च होता है और न्यायालय में जाकर जिन सरकारी अधिकारियों की गलती के कारण व्यापारियों को नुकसान होता है, आज तक राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। जब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे, तब गलत कार्यवाही करने से रुकेंगी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह इस ओर ध्यान दें और जो अधिकारी गलत कार्यवाही करे, जो गलत फैसला दे और जिसके कारण राजस्थान सरकार को हाई को

(श्री देवीदत्त गाडिया)
और सुप्रीम कोर्ट में नीचा देखना पड़े, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के वित्त मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ा स्कैन्डल हुआ है, वह कब का है, क्या है ? बारां नगर के अन्दर गोपाल दास एण्ड कम्पनी एक फर्जी फर्म बनी। उस फर्म ने आज के छः साल पहले किस प्रकार, किस कारण और किस माध्यम के द्वारा हमारे कोटा विभाग के अन्दर जाकर दो कापी सी० एस० टी० फार्म की ली। दो सी० एस० टी० फार्म की कापी लेकर फर्जी फर्म के वेश के अन्दर दिल्ली में गये, बम्बई में गये। मुझे विश्वास है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वे गौर से इस ओर ध्यान दें और इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से ध्यान दें। मुझे विश्वास है, वे इस ओर ध्यान देंगे। मैं आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं वह गोपाल दास एण्ड कम्पनी, जो दो सी० एस० टी० फार्म की कापियां लेकर दिल्ली गई, बम्बई गई और वहां से कम से कम पचास लाख रुपये की साइकिलें खरीदीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली और बम्बई से उस फर्म ने सी० एस० टी० फार्म देकर साइकिल खरीदीं और इस प्रकार उस प्रान्त की सरकार को धोखा दिया और पचास लाख की साइकिल खरीद कर वहां के छः पर्सेन्ट सी०एस०टी० टैक्स की उसने चोरी की। इतना ही नहीं, वहां से आने के बाद उस फर्जी फर्म ने राजस्थान में प्रवेश किया और राजस्थान में लाकर साइकिल बेचीं, उस फर्म ने जयपुर, बीकानेर और गंगानगर...

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज ! आप अपने वाद विवाद को आपके जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उन तक सीमित रखें.

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उनसे सम्बन्धित नहीं बोलें। स्कैन्डल के बारे में बोलेंगे।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सी० एस० टी० के..

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया। आपके कटौती प्रस्ताव में है नहीं, इसलिए इस पर चर्चा न करें।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से उस फर्म ने जो सी० एस० टी० फार्म की कापियां ली हैं, मुझे इससे ऐसा आभास होता है कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ है, इसलिए सी० एस० टी० फार्म की कापियां कोटा विभाग से दी गईं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विभाग ने....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! मैं जब जब कहता हूं तब आप उस बात को मानते हैं लेकिन फिर बोलने लगते हैं। आपके कटौती प्रस्ताव में यह चीज नहीं है फिर भी आप उस पर बोल रहे हैं।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : एक दो मिनट में कह कर मैं उस पर आ रहा हूं। यह अधूरा रह जायगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उस फर्म ने साइकिल खरीदीं और उसके बाद में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा, राजस्थान सरकार ने विभाग को लिखा और विभाग ने कोटा के विभाग को लिखा। उस मामले में जांच प्रारम्भ हुई लेकिन उस जांच को किसी प्रकार दबाया गया। उस जांच को क्यों दबाया गया? आज तक उस केस का क्या हुआ? गोपाल दास एण्ड कम्पनी के नाम से जो फर्जी फर्म थी, उसको चलाने वाले व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सके हैं, तो किस प्रकार राजस्थान सरकार राजस्थान की सरक्षा की व्यवस्था कर सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इस विभाग ने जो जीप का इस बजट के अन्दर 1967-68 में खर्चा बताया है, वह दो लाख का है। मेरी समझ में नहीं आता कि जीप के मेन्टिनेन्स के अन्दर, व्हिकल्स के सम्बन्ध में, इस प्रकार का खर्चा क्यों है? पुरानी जीप कहां गई? क्या आवश्यकता पड़ी जब एक ओर जो राजस्थान में प्रिवेन्टिव फोर्स को हटा रहे हैं? जिस कारण से यह फोर्स हटा दी गई, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, इस विभाग को जो तोड़ दिया गया है, इसके अन्दर राजनैतिक चाल है। आज यह विभाग तोड़ा जा रहा है, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्स सोल्जर हैं। यह उस विभाग का डिप्टी कमिश्नर है। उसके लड़के ने कांग्रेस उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ा, इसलिए एक बदले की भावना लेकर यह षडयंत्र रचा है। राजस्थान सरकार एक तरफ कहती है कि सोल्जर्स को काम देंगे और उनकी शक्ति का प्रयोग करेंगे लेकिन दूसरी तरफ प्रिवेन्टिव फोर्स को तोड़ दिया गया। आज शराब अनुचित ढंग से बिक रही है, उसको रोकने में इससे मदद मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह प्रिवेन्टिव फोर्स हटा दी गई तो जो नाजायज रूप से शराब बनाते हैं उसको कौन बन्द कर सकता है क्योंकि लोग उससे लाखों रुपये बना रहे हैं? मैं उदयपुर का उदाहरण देता हूं, शीतलवाडी के पास में एक जगह है वहां पर एक ऐसी डिस्टीलरी है। वहां पर नाजायज शराब बनती है। वह एक दिन या दो दिन से नहीं, तीन साल से बनती आ रही है लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। उसका कारण क्या? मुख्य मंत्रीजी से उसका अनुचित ढंग से सम्बन्ध है। जब भी कुछ होता है, वह मंत्री महोदय की शरण में आता है। इस कारण मुझे लगता है कि यह प्रिवेन्टिव फोर्स को हटाने का एक मात्र कारण है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर! मैं आपका ध्यान आपके कटौती प्रस्तावों की तरफ आकर्षित कर दूं, यदि जरूरी हो तो....

**श्री भैरोंसिंह** : यह ठीक है कि जिस विभाग के ऊपर डिबेट चल रही है, कोई स्ट्रिक्टली उस पर अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलें, ऐसा मुझे लगता नहीं है। उस विभाग के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। कटौती प्रस्ताव यदि एक एक पाइन्ट पर दिये जायं, तो इतनी लम्बी सूची हो जायगी कि आपके राजस्थान विधान सभा सचिवालय को सर्क्यूलेट करने में दिक्कत आयेगी।

# Page No. 98



**श्री उपाध्यक्ष** : आपका फर्माना ठीक है, जो चर्चा चल रही है, विवाद में कुछ बातें कही जा सकती हैं जो दूसरे कटौती प्रस्तावों में हैं, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उन पर तो कतई आते नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह**: दूसरों के कटौती प्रस्ताव हैं। सभी कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर बोलने वाले हों टैक्निकली, सब पर बोलने वाले नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर आप इस तरह से बोलेंगे, तो सामान्य वाद-विवाद और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा।

**श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बजट पर डिबेट नहीं है ....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह अपने कटौती प्रस्तावों का उत्तर नहीं चाहते, इसलिये दूसरों के कटमोशन्स पर बोल रहे हैं और बोल सकते हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : आर्मी वालों के लिये कोई जगह नहीं थी, तो उस पर बोल दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्मी वालों के लिये तो दांता साहब अधिकृत रूप से बहुत ज्यादा कह सकते हैं और यह अधिकार उनके लिये सुरक्षित है।

**श्री मदनसिंह दांता** : इसके लिये कोई पोर्ट फोलियो रख दिया जावे तो मैं आ सकता हूं।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता बसों की दुर्व्यवस्था और अधिकारियों की लापरवाही के कारण भेड़-बकरी की तरह से भरी जाती है और लोगों को बसों में बैठकर जाना पड़ता है, मगर उसके लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, कल एक्सीडेन्ट में दो आदमी मर गये, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती हैं, मगर आज उसके लिये किसी प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बारां में एक बस आर०जे०आर० 737 है। उस बस पर राजस्थान की सरकार का 20 हजार का टैक्स बाकी है। यह एक दो साल का हो, ऐसी बात नहीं है। यह पिछले 6 सालों से बराबर आता है। मगर उस बस से वह वसूल क्यों नहीं किया जाता? उस बस को नीलाम क्यों नहीं किया गया? उसको एटैचमेंट क्यों नहीं किया गया? मगर उसका इसलिये एटैचमेंट नहीं कराया गया और न उसको नीलाम कराया गया कि उसी क्षेत्र का रहनेवाला एक इन्सपेक्टर है, वह उस बस ओनर का रिश्तेदार है। उस बस का न तो कोई रोड टैक्स है न इन्श्योरेन्स है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बस का जिसमें 20 हजार रुपये पैसेन्जर टैक्स के बाकी हों और उससे रुपया वसूल इसलिये नहीं होता, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार है, वह इन्सपेक्टर है। मगर इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि एक दूसरी बस है और जिसका मालिक एक गरीब आदमी है, विश्वेश्वरदयाल शर्मा, उसमें सिर्फ 500 रु० बाकी है फिर भी उसका अटैचमेंट कर दिया गया। एक और जिसमें 20 हजार बाकी हैं,

(श्री देवीदत्त गाडिया)
उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दूसरी ओर जिस गरीब में 500) बाकी हैं उसका अटैचमेंट करते हैं, यह न्यायोचित नहीं है।

आज सरकार एक नीति को लेकर लोगों को रोड बसेज के पर्मिट देती है, लेकिन बारां में नाहरगढ़ की रोड है और दूसरे कई यातायात के भाग हैं जहां बसें नहीं चलती हैं, लेकिन लोगों को उसके लिये परमिट जारी किये हुए हैं। इसलिये, मैं आज आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आज इसकी जांच कराई जावे कि किस किस रोड पर कितने समय से बसें नहीं चलती हैं और किन कारणों से नहीं चल रही हैं? उसकी जांच करके उनको कैंसिल करने चाहिये और नये लोगों को परमिट देने की व्यवस्था करें ताकि वहां पर उन मार्गों पर बसें चल सकें और लोगों को लाभ हो। इसके अतिरिक्त जो बसें चलती हैं उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, उनको देखें तो वे इस तरह से चलती हैं जैसे कोई पीपा हो। वे 1954 के मॉडल, 1956-57 के मॉडल की बसें हैं, मगर लोगों के पास उसमें सफर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है और आज यह सरकार भी पुराने मॉडल की की सरकार है। अगर आज यह सरकार बदल जावे तो राजस्थान का भाग्य उदय हो जाय, लेकिन आज हमारे यहां नये-नये मंत्री आये हैं, जो चुनावो के समय में मस्जिदों में जा कर कहा करते थे कि कांग्रेस को वोट देना, अपना ईमान बेचना है। आज उनको कुर्सी मिल गई, मंत्री पद मिल गया तो उनका मस्जिदों में जा कर कहना कहां गया कि कांग्रेस को वोट देना अपना ईमान बेचना है।

**एक माननीय सदस्य** : यह कोई आपका कटौती का प्रस्ताव नहीं है जिस पर आप बोल रहे हैं। आउट ऑफ पॉइन्ट है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : आज इतना ही नहीं राजस्थान की रोडवेज भी ओवर लोडेड चलती है। इस प्रकार से आज राजस्थान की जनता परेशान है, गावों के नागरिक परेशान हैं, पैसेन्जर टैक्स इतना अधिक हो गया है कि गरीब लोगों की ताकत नहीं कि वे दे सकें। इतना होते हुए भी इसमें आज इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिसके कारण आज जनता सरकार के खिलाफ हो रही है। एक वक्त आएगा, जब सरकार के जुल्मों से क्रांति का बिगुल बजेगा और भ्रष्टाचार का अन्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सेल्स टैक्स विभाग पर ऐसे व्यक्ति जो ग्रेजुएट नहीं हैं, किन्तु मुख्य मंत्री के साले हैं, उनसे आबकारी विभाग परेशान है और हमारे भूतपूर्व राज्यपाल महोदय जिन्होंने गोलियां चलवाई, जाते-जाते ऐसी सिफारिश कर गये कि मुन्नालाल गोयल को आर० ए० एस० में ले लिया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं हो उसको आर० ए० एस० में लेने की सिफारिश की जावे, इससे बढ़कर कर राजस्थान का दुर्भाग्य क्या होगा? ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्राहिमाम् त्राहिमाम की दुहाई दी.....

**एक माननीय सदस्य** : मुन्नालाल गोयल तो उनके दामाद हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : मुन्नालाल गोयल नहीं, मुन्नालाल आर्य हैं।

**श्री मदनसिंह** : एक जवाई है और एक साला है ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : इनको सब बात मालूम है । अभी भी उपमंत्री का लालच है ।

**श्री मोहनलाल मोदी** : आपको मालूम नहीं है, उप-मंत्री, नहीं फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अंत में मैं मेरे इलाके की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शाहबाद इलाके में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जहां बसेज की दुर्घटनाएं नहीं होती हों । इसके कारण अनेक ऐसे व्यक्ति और बच्चे मर जाते हैं जिनके परिवार का जो एक-मात्र आधार होता है, मगर सरकार उनको कोई राहत नहीं देती । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो बस मालिकों पर यह जिम्मेदारी हो कि जो व्यक्ति मर जावें उनको तुरन्त मुआवजा दिया जावे और जो घायल हो जावें उनको भी मुआवजा दिया जावे । मगर आज होता क्या है कि पुलिस ऑफिसरों और मैकेनिकल इन्सपेक्टर से बसेज के मालिक मिल कर उनको रिश्वतें देकर उनसे रिपोर्ट अपने पक्ष में करा लेते हैं और जो लोग मर जाते हैं, उनकी कोई फरियाद नहीं होती और न उनको मुआवजा मिलता है ।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज बसों के सम्बन्ध में जितने चालान होते हैं, उसमें एक बस मालिक को जो रिश्वत देता है, उस पर आप देखेंगे कि जुर्माना 10 होता है और जो लोग रिश्वत नहीं देते हैं, उन पर 500 रु० जुर्माना किया जाता है । ऐसे एक दो, नहीं, कई केसेज हैं । आप बारां में पिछले 6 महीनों में जो फैसले हुए हैं उनको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोटा की रूट पर कितने चालान हुए हैं और उन पर 10) 20) और 50) जुर्माना हुआ है ।

लेकिन इस तरह से जो बस वाले हैं जिनका चालान हुआ है, उनपर 400-500 रु० तक जुर्माना किया गया । बसों में जो दुर्घटनायें होती हैं उसमें जिनका चालान होता है, उनका फैसला दो-तीन महीने के अन्दर अन्दर हो जाना चाहिए, लेकिन मामला इतना लम्बा चल जाता है कि चार साल हो जाते हैं तो इससे एवीडेन्सेज का मूल्य नहीं रहता । इससे क्या होता है-बस मालिक और बस ड्राइवर बच जाते हैं । बसें जो पुराने मोडल की हैं जो चलने लायक नहीं हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री विजयसिंह !

**श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री महोदय के विभाग से संबन्धित कट मोशन्स हैं । वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि राजस्थान के अन्दर जो प्रिवेन्टिव फोर्स हैं उनमें हम कमी करेंगे उससे उनकी कुछ बचत होगी । आप इस तरह से प्रिवेन्टिव फोर्स में कमी करके आप राज्य की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं । आज राजस्थान प्रिवेन्टिव फोर्स के अन्दर कुल 577 की स्ट्रेंथ है । उसके अन्दर ऐसे आदमी हैं जो एक्स-सर्विसमैन या एक्स सोल्जर्स हैं । जिन्होंने दस-पन्द्रह वर्ष तक भारतीय रक्षा सेनाओं में सेवा की है या पुलिस के सिपोही रिटायर हुए हैं । आज उनको वित्त मंत्रीजी कम करके राजस्व की आय में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं, आज मंत्रियों के पास

(श्री विजयसिंह रावत)

पी० ए० हैं, क्या वे उनको हटाकर उनके स्थान पर अपने विभाग के सुप्ररिन्टेन्डेन्ट या या डिप्टी सेक्रेट्री से काम नहीं चला सकते आप अपनी जिम्मेवारी समझें इसमें दो राय नहीं हो सकती 577 जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में यह सरकार निर्णय ले रही है, आप यह नहीं देखते कि इन 577 के कारण राजस्व में कितनी आय बढ़ी है। पिछले दिनों में इन्होंने 1,300 अपील के केस पकड़े हैं, जिससे 55·77 हजार की आमदनी हुई हैं। नाजायज शराब के 533 मामले पकड़े जिससे 12,44,872 रुपये की आय हुई है। 1907 से जानवरों को पकड़ है जिनका मूल्य 15,74,347 हुआ। इन सारी टोटल को आप मिलावें तो यह टोटल 3,49,64,544 रुपया होता है। आपने देखा होगा प्रिवेन्टिव फोर्स के ज्यादा दबाव के कारण इल्लिसिट लीकर बन्द हुआ। इस कारण राजकोष में ज्यादा आय हुई है। इल्लिसिट शराब को रोका गया इसके कारण जो सरकारी शराब थी, वह बेची गई। इससे राजकोष को करीब 9 करोड़ रुपये की आय हुई है। अगर सोल्जर्स की तनख्वाह को देखा जाय तो वह 9 लाख के करीब होती है। आपके राजकोष में प्रिवेन्टिव फोर्स में कमी करने से कुछ बढ़ोत्तरी होगी, यह आपका मानना गलत है।

इसी प्रकार आज इस विभाग में ऐसे अयोग्य अफसरों को रखा जाता है। उसमें एक अधिकारी है जो नॉन मैट्रिक है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया के साले हैं जिनके बारे में भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने यह रिकमण्ड किया है कि इनको आर० ए० एस० में ले लिया जाय। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ दिनों के अन्दर मेजर सरदारसिंहजी प्रिवेन्टिव फोर्स के कमिश्नर थे, उनको हटाकर उनकी जगह श्री मुन्नालाल आर्य को नियुक्ति कर दिया जाय? यह कोई असंभव बात नहीं है। एक तरफ इतना काम करने वाले, दौड़-धूप करने वाले सोल्जर्स को आपने कमी में लाने की सोची है, उनको आप नौकरी से हटा रहे हैं। जिन्होंने देश के प्रति लॉयल्टी बताई, आज उनको नौकरी से अलग करने की सोची जा रही है। आज वित मंत्री महोदय अजमेर जिले के अन्दर जो 32 लाख रुपया गारन्टी सिस्टम का बाकी है, उसको वसूल नहीं करते, लेकिन गरीब सोल्जर्स को जरूर नौकरी से अलग करेंगे। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि प्रिवेन्टिव फोर्स के अन्दर जो सिपाही हैं, उनको नौकरी करते करते 6-7 वर्ष हो गये, लेकिन किसी का भी फिक्सेशन नहीं हुआ, किसी को परमानेन्ट नहीं किया गया अगर आप सुव्यवस्थित प्रशासन करना चाहते हैं, तो ये जो छः-छः, सात-सात साल के पुराने लोग हैं, उनको परमानेन्ट करिये।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अजमेर जिले में नगरा में शराब का ठेका है। जिनको ठेका दिया गया वे भूतपूर्व आबकारी मंत्री के कृपापात्र हैं। उनके आपस में कोई रिलेशन्स होंगे, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात की जानकारी जरूर रखता हूं कि राजपुरा हुण्डी का ठेका उठा देने के बाद गारन्टी वाले को ना नहीं कर सकते। वह शहर के अन्दर होता हुआ उसको वहां तक एक्सटेन्ड किया है उसका ठेका। इसके लिये माधोपुर ग्राम पंचायत ने आपके पास डेपुटेशन भेजा, लेकिन उस पर सरकार के कान की जूं

# Page No. 102



(श्री विजयसिंह रावत)

नहीं रंगी। एक तरफ तो हम राजस्थान की आय को बढ़ाना चाहते हैं और राहत देना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने लिखकर दिया उसके अनुसार आपका समय हो गया है।

**श्री विजयसिंह रावत** : अभी हमारी पार्टी का समय बाकी है।

एक ओर तो आप दुहाई देते हैं कि हम राजस्थान की जनता को राहत देना चाहते हैं, राज्य की जनता को भरपेट खाना देना चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार इन बातों पर विचार करे कि मोटरों पर आपने कर लगाया है, बजट के अन्दर वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी दक्षता के साथ इतने कर बढ़ा दिये हैं। आखिर इनसे क्या होने वाला है ? क्या आप इतनी आमदनी बिक्री कर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ? मेरा ख्याल है कभी नहीं कर सकते ।

4.00 म० प०

यह कभी नहीं कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा इस राजस्थान के अन्दर एक दफा ट्रेक्टर पर कर बढ़ाया था और उसके परिणाम-स्वरूप साल भर में एक भी ट्रेक्टर राजस्थान में नहीं बिका। सभी जरूरतमन्द लोग ट्रेक्टर्स निकटतम राज्यों से खरीद कर लाये। आज फिर करों में बढ़ौतरी की है, इससे मोटरों की कीमतों में इतना फर्क आ गया है कि 4,500 रुपये का फर्क एक जीप की कीमत में आ गया है। कोई जीप खरीदना चाहे तो वह दिल्ली में 4,500 रुपये कम दे कर जीप खरीद सकता है, और वही जीप राजस्थान में खरीदेगा, तो उसे 4,500 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसा कौन होगा जो 4,500 रुपये ज्यादा देकर राजस्थान में जीप खरीदेगा ? तो ऐसी दशा में जो आयइन करों से आंकी गई है, वह कदापि नहीं हो सकेगी। या तो वित्त मंत्रीजी कोई जादू की मशीन बना कर इन करों से आमदानी कर लें या फिर करों से यह आमदनी पूरी नहीं होगी तो फिर कहेंगे कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारे साधन जुटाये थे, मैंने तो कर जुटाने की पूरी कोशिश की थी पर बिक्री ही नहीं हुई, कर नहीं आया, मैं पूरा का पूरा दिवालिया हूं। अब दूसरे कर लगाने चाहिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस मद में कर लगाते हैं उसके लिये पहले ही सोचना चाहिये कि उस कर की बढ़ौत्तरी करने से अपने राज्य में और निकटतम् राज्य में क्या फर्क है, उसका व्यापारी पर, व्यापार पर क्या असर पड़ेगा ?

एक ओर सरकार रोडवेज का नेशनेलाइजेशन करके इस बात की दुहाई देती है कि हम राजस्थान को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं.........

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आपकी बड़ी कृपा होगी कि अपने कटौती प्रस्तावों पर कम से कम एक दो मिनिट तो दे दें।

**श्री विजयसिंह रावत** : बिल्कुल उसी पर बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं बोल रहे हैं, मैं पढ़ कर सुना दूं।

एक है इल्लिसिट लिकर का, पत्थर वाला जिस पर आप बोल चुके, शराब में पानी मिलाया हुआ होना, प्राइवेट गाड़ियों का चेकिंग होना।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य खरे बोलने में स्वतन्त्र हैं।

श्री विजयसिंह रावत : आपने प्रभावित, उत्साहित किया है. उसके लिये धन्यवाद ।

जब से सरकार ने नेशनेलाइजेशन किया है, तबसे रोडवेज में घाटा ही घाटा हो रहा है । इसकी जिम्मेदारी या तो मंत्री महोदय की है, या ट्रान्सपोर्ट डिपार्ट-मेंट की जिम्मेदारी है, या टैक्स को वापिस करने वालों की जिम्मेदारी हो सकती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रोडवेज में कितना घाटा है ?

श्री भैरोंसिंह : 5 लाख ।

श्री विजयसिंह रावत : 5 लाख का ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उन्होंने कह दिया ।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे मालूम है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट रोडवेज की बात कह रहा था । इस सदन में एक-दो बार यह बात प्रश्नों के द्वारा आ चुकी है । भीलवाड़े का रूट है, अजमेर से भीलवाड़े का, उसका क्यों नहीं नेशने-लाइजेशन करते ? पर सरकार चुप है क्योंकि अजमेर से भीलवाड़े का रूट है, उसमें मुख्य मंत्री का भाग है, या उनके रिश्तेदार, या उनका समर्थन करने वालों का भाग है । इसी कारण से इतने वर्षों के बाद में भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां बसेज चलने लग गई हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : उसमें आपको हिस्सा मिलता होगा तो ठीक है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बसें चलने लग गई हैं भीलवाड़े की ।

श्री विजयसिंह : नहीं चल रही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : भीलवाड़ा-उदयपुर की बात कहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद माननीय सदस्य को भागीदार बता रहे हैं तो उनकी बात में सच्चाई होनी चाहिये ।

श्री विजयसिंह रावत : जयपुर-अजमेर वाया भीलवाड़ा का रूट खुला है, लेकिन अजमेर से भीलवाड़ा रूट में प्राइवेट बसेज चलती हैं । उसमें यह देखते हैं, कभी मंत्री महोदय आकर देखें, वहां शाम को यह लगा रहता है कि भीलवाड़ा की बस गई तो पीछे से स्टेट रोडवेज की बस लगी रहती है । कई एक्सीडेन्ट होते रहते हैं । स्टेट रोडवेज खाली रहती है । प्राइवेट बसेज सवारियां ले लेती हैं । फिर आप कहेंगे कि इतना घाटा इसमें और हो गया, तो क्यों नहीं उस मार्ग का नेशनेलाइजेशन कर लेते हैं ?

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कटौती पर कटौती करते हैं, कभी प्रिवेन्टिव फोर्स में कटौती करते हैं, कभी किसी में कटौती करते हैं तो क्यों नहीं जो रुपया बाकी है उसकी वसूली करते हैं ? करोड़ों रुपया बाकी है, इस टैक्स का बाकी है, गारन्टी सिस्टम में बाकी है, इन सारे रुपयों को इकट्ठा करिये, आपको न नये कर लगाने पड़ेंगे और न कटौतियां करनी पड़ेंगी । मैं तो यह कहूंगा कि शराब जैसी चीज से तो हमें कभी आय नहीं करनी चाहिए । जैसा कि माननीय

(श्री विजयसिंह रावत)
गोकुल प्रसादजी ने कहा, मैं भी उस सिद्धान्त का हूं हालांकि मिलिट्री में रहा हूं। यह प्रेक्टिकल भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमने गोआ एक्शन में यह देखा है। पुर्तगाल की सेना शराब और वेश्यागमन में चूर थी। हमने अटेक किया उस समय वह सोई हुई थी शराब में चूर हो कर। वे लोग सेटरडे को शराब पीते थे, सन्डे को और पीते। हमारा अटेक हुआ तो वे सोये हुए थे मस्ताने हो कर।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रीजी जितनी बकाया है उसको तो उगाह लें और इस शराब को बिलकुल बन्द कर दें, तो अच्छा होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल व्यास!

**श्री भैरोंसिंह** : अब श्री खेतसिंहजी का भाषण हो जाय, शराब पीने वालों की ओर से कोई नहीं बोला है।

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : खेतसिंहजी शराब नहीं पीते।

**एक माननीय सदस्य** : उन्होंने तो चक्खा भी नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहरसिंहजी महता के विचार अभी सुने। पिछले तीन-चार साल से बराबर इस शराब की जो अपने यहां नदियां बह रही हैं, उसको समाप्त करने के लिए बार-बार सदन से निवेदन किया जा रहा है। हमने बार-बार इस बात को देखा है कि जहां शराब का ज्यादा प्रचार होता है वह देश बरबाद हुए बिना नहीं रहता। शराब ऐसी खतरनाक वस्तु है जिससे अच्छे से अच्छा आदमी, अच्छे से अच्छा समाज, अच्छे से अच्छा देश, जो तरक्की के पथ पर पहुंच जाता है, पर इस शराब के ज्यादा प्रचलन से अपने स्थान से अपने आप गिर जाता है। हमने इतिहास के पन्नों को देखा है, अपने देश के इतिहास को पढ़ा है, जो भी आदमी इस शराब में चूर रहा, उसने अपने आपकी बरबादी की, अपने समाज की बरबादी की और अपने देश की व अपने देश की स्वतन्त्रता की बरबादी की, और हर प्रकार से अपने देश को क्षति पहुंचाई है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे देश से शराब का नामोनिशान उठ जाय। पर सरकार की जो मंशा है, जिस प्रकार का सरकार ने इसकी बढ़ोतरी करने का अपना एक तरीका अपनाया है, वह ठीक प्रतीत नहीं होता। यह हमने देखा कि पहले कम शराब बिकती थी, शराब की बहुत कम दुकानें थीं, उनकी दिन बदिन बढ़ोतरी हो रही है। गांवों में शहरों में जगह-जगह शराब की दुकानें खुली हुई हैं, वह चौराहों के पास, मंदिरों के पास, स्कूलों के पास खुली हुई हैं, आम रास्तों के पास हैं। जहां से स्त्री, पुरुष, बच्चे गुजरते हैं, वहां मदिरा की दुकानें हैं। बार बार निवेदन किया कि ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं खोली जायं जिससे कि आम लोगों के चरित्र पर बुरा असर पड़े, पर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

गारन्टी सिस्टम की वजह से, जैसा कि अभी कहा गया, मोटरों में, ट्रकों में और प्रदर्शन कर के शराब की बोतलें बेचते हैं, ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री करते हैं और सरकार को गारन्टी को पूरा करते हैं। इस वजह से जो आदमी शराब नहीं पीते थे, उन लोगों पर भी बुरा असर पड़ने लगा है, और शराब की बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जा

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

रही है । इसलिए इस चीज को समाप्त करना बहुत आवश्यक हो गया है । हम देख रहे हैं कि हमारे देश में समाज के आचरण में दिनोंदिन गिरावट आ रही है, और इसका मुख्य कारण शराब है । जब तक हम शराब को पूरी तरह से बंद नहीं कर देते तब तक वह गिरावट मिटा नहीं पायेंगे, और इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, समाज के लोगों को उठाना चाहिए । आप तो अपनी आमदनी को देख रहे हैं । दूसरी तरफ जो इस देश की गरीबी और भुखमरी है, वह और भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । जिन लोगों की रोजाना आमदनी 8–10 आने है, उस आमदनी से भी जो आदमी रोजाना शराब पीते हैं तो किस प्रकार से बाल-बच्चों को पाल सकेंगे, शिक्षा दे सकेंगे, कपड़ा-लत्ता पहनवा सकेंगे ? अगर इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरीके से दरिद्रता को और भी नजदीक लाने का प्रयत्न करेंगे । अगर एक साथ आप नहीं कर सकते हैं तो धीरे-धीरे कम करें । दुकानों की जो बढ़ोत्तरी कर रहे हैं उसको मिटाकर ऐसे क्षेत्र में दुकान खुलवायें जहां आम लोगों के मॉरल पर असर न पड़े जिससे जो आदमी इसके बिना नहीं रह सकता, वह उसका उपयोग करे और जो नहीं पीना चाहता उस पर उसका असर न पड़े ।

आप समझते हैं कि 8 या 9 करोड़ की आमदनी इससे है वह अगर समाप्त कर देते हैं तो उससे आर्थिक स्थिति पर असर होगा । लेकिन 8–9 करोड़ के नुकसान को आप देख रहे हैं, मगर आप उधर घर-घर जाकर देखें कि उन परिवारों का कितना नुकसान होता है, इस बात का आपको खयाल नहीं है । अगर आप जनता का जीवन-स्तर उठाना चाहते हैं तो कम से कम शराब को बंद करना होगा । यह शराब ऐसी चीज है जिसमें पैसा खर्च होने के अलावा दुर्व्यसन की चीज होती है । इसलिए एक तरफ 8–9 करोड़ का सरकार को नुकसान, दूसरी ओर अरबों रुपए का नुकसान होता है । कितने कत्ल होते हैं, रेप्स होते हैं, डकैतियां होती हैं, ये सब शराब पीने से होते हैं । इसलिए यह निंदनीय चीज है और इसको खत्म करना चाहिए । इस देश का आदर्श यह रहा है कि यह घी और दूध लोगों को पीने के लिए दे, लेकिन यहां पर तो दिनोंदिन शराब की बिक्री बढ़ रही है । यह ऐसी चीज है जिसको हम सब नफरत की निगाह से देखते हैं और उसी से हम आमदनी प्राप्त करके विकास के कामों को करना चाहते हैं, यह असंभव है । आमदनी प्राप्त करके आप योजना में लगाते हैं लेकिन जो योजनाओं में काम करने वाले हैं, उनकी हालत तो दिनोंदिन शराब की वजह से गिरती जा रही है, उनकी गरीबी तो उनके पीछे पड़ती रहेगी तो किस प्रकार योजनाओं से लोग ऊपर उठ सकेंगे ? तो उस रेश्यो से देखें कि समाज को कितना नुकसान इससे है । तो इस प्रकार का सिस्टम एडॉप्ट करें जिससे शराब हमारे देश से बिल्कुल खत्म करदें और लोगों का जीवन-स्तर ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश करें ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मांग के बारे में भी वही राय है ?

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में शराब बंदी लागू है । वहां की जो बोर्डर सीमायें हैं उनमें 10 मील के अंदर दुकानें स्थापित नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी गारन्टी सिस्टम की वजह से वहां की दुकानों की पिछले 8-10 सालों का एवरेज देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इस गारन्टी

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

सिस्टम से बोर्डर एरियाज की दुकानों की कितनी आमदनी बढ़ गई है। तो जहां एक राज्य ने नशाबंदी कानून लगाया है तो उस कानून की अवहेलना करने के लिये यहां के बोर्डर से शराब का तस्कर होता है। यह बहुत गलत है। इस चीज को समाप्त करना चाहिए।

हमारे देश में 26 जिलों में से 23 में अकाल है। अकाल की वजह से हमने सैकड़ों और हजारों की तादाद में राहत कार्य खोल रखे हैं और 9-10 करोड़ का राहत कार्यों के लिए बजट भी प्रस्तुत किया है। अगर उस बजट को आप देखें तो असर किस पर पड़ेगा? अकाल में काम करने वाले लोग आपकी गारन्टी सिस्टम की वजह से, जिनको प्रतिदिन एक रुपया दो आना मिलता है, वे दो रुपए की शराब पीते हैं। जिस देश में अकाल पड़ता हो, जिस देश की जनता गरीब हो, दो समय भरपेट भोजन भी नहीं मिलता हो, कपड़ा-लत्ता न हो वहां इस प्रकार शराब की भरमार करें और गारन्टी सिस्टम द्वारा इसका खुले रूप में प्रयोग करायें और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें यह सरकार के लिए शोभनीय चीज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री, जो आबकारी मंत्री भी हैं, आप हमेशा इस बारे में कहते आये हैं कि हमारे देश में शराब नहीं होनी चाहिए और आपके युग में शराब की और बढ़ोत्तरी हो, यह सब ठीक नहीं है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसे खत्म करने का निर्णय लें।

यातायात विभाग के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार धांधलियां चल रही हैं, जितने परमिट्स दिए जाते हैं, उनमें धांधली होती है खुले बाजार में बिकते हैं। कुछ दिन पहले आर० टी० ए० की मीटिंग उदयपुर में हुई थी वहां पर कई परमिट्स पांच-पांच हजार, सात-सात हजार में बिकी यह बड़े शर्म की बात है। अगर आप ऐसे आदमी को आर०टी०ए० का चेयरमैन बनाकर बिठा दें तो मैं मानता हूं कि इस प्रजातन्त्र के युग में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाया जाय और आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो, यह शोभनीय चीज नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे स्थान पर नहीं बिठाना चाहिए ताकि आम जनता में ऐसे लोगों की चर्चा हो और अंगुली उठायें। जब कुछ दिन पहले आर० टी० ए० की मीटिंग हुई थी, लोगों ने बाहर प्रदर्शन किए और सरकार की आलोचना की। सरकार का दोष नहीं है लेकिन जो ऐसे अधिकारी हैं, जो अपना पेट भरना चाहते हैं लोगों की जेबों को कोस करके, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए........

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : पेटी भरना चाहते हैं, पेट नहीं।

**श्री मदनसिंह** : यदि मंत्री ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा नहीं देते तो वे मंत्री भी भ्रष्टाचार से खाली नहीं हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : मैंने मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाया है, वह विचार करें और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ एक्शन लें।

राष्ट्रीयकरण के संबंध में कहा गया है कि हमारे राज्य को 5 लाख की हानि हो रही है और अलग अलग सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किए गए। मैं राष्ट्रीयकरण का हामी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

इन्डिजूअल जो बस चलाता है वह लाखों रुपया कमाता है और सरकार जिसको मोनोपोली दे दी है, चाहे जितना पैसा वसूल करे, दूसरी कोई गाड़ियां नहीं चल सकतीं, उसके बावजूद भी इतना नुकसान हो, तो यह सही नहीं है। इंतजाम में कुछ कमी नजर आती है। इस कमी को निकालकर ऐसी व्यवस्था करें जिससे राष्ट्रीयकरण की नीति से कोई असन्तुष्ट न हो। आपको चाहिए कि जितने भी रूट्स हैं और जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं, जिनको आपने अभी हाथ में नहीं लिया है, उन रूट्स को जल्दी से जल्दी हाथ में लेकर सरकारी गाड़ियां चलायें ताकि लोगों को भी सुविधा मिले और राज्य की आमदनी हो।

बिक्री-कर के संबंध में मेरा निवेदन है कि इसके अंदर बहुत से लेकुनॅाज हैं जिनसे हमारे राज्य की आमदनी निकल जाती है, और हमारे ए० एस० टी० ओज० जो जिलों में काम करते हैं, वे लोग जो 10-15 हजार की सीमा मुकर्रर कर रखी है उस सीमा में नहीं आते हैं, फिर भी जबरदस्ती जाकर उनसे धांधली करते हैं। और उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल करने का प्रयास करते हैं। हर दुकान पर कुछ न कुछ पैसा तय कर रखा है और बराबर माहवार की माहवार तय कर रखा है वह ले आते हैं। चेनपुरा और कटार इन दो जगहों के लिये, जो मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में है, अर्ज करना चाहूंगा कि इन्सपेक्टर छुट्टी में था। उसने जाकर व्यापारियों को तंग किया और दो हजार रुपया एंठ लाया। मैं यह बात भीलवाड़ा में एस० डी० ओ० के नोटिस में लाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार की इन लोगों द्वारा लूट चल रही है इससे व्यापारियों में बड़ा असंतोष है।

वित्त मंत्रीजी ने सरलीकरण की बात बतायी और बजट में भी बताया कि छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी। एक तरफ आप राहत देना चाहते हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों की इस प्रकार की लूट चल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पहले एक्साइज एन्ड टॅक्सेशन के लिये एक ही इन्सपेक्टर था। आज भी हर तहसील में इन्सपेक्टर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : एक मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं।

डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इन्सपेक्टर रहते हैं। वे अच्छी तरह से असेसमेन्ट नहीं कर सकते हैं। पैसा वसूल करना है वह नहीं कर सकते। महीने में एक दफा जाता है अपनी गोचरी करके जेबें भर लाता है। इन्सपेक्टर लेवल पर एक्साइज एन्ड टॅक्सेशन को एक कर दीजिये जिससे आपको काफी बचत भी होगी और लूट-खसोट हो रही है उसमें भी कमी आवेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय जवाब देंगे।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** : उपाध्यक्ष महोदय,...

**श्री उपाध्यक्ष** : रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति में रोडवेज चल रही है उस स्थिति पर असंतोष प्रकट करने के लिये कटौती-प्रस्ताव है। यह हमारे राज्य की स्टेट अण्डरटेकिंग का दुर्भाग्य

(श्री लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

समझती हूं कि वह घाटे में हैं। सन् 1964-65 में 17 लाख की आमदनी कमा कर दी थी। उसके बाद हर साल घाटा दे रही है। 65-66 में 5 लाख का घाटा और 66-67 में 15 लाख का घाटा दिया है। और साथ में मजा यह है कि सन् 1964-65 में हमारी केवल 421 बसें चलती थीं तब 17 लाख की आमदनी दी थी इस प्रोजेक्ट ने और सन् 1966-67 में जबकि बसेज की संख्या 516 हो गई तो 15 लाख का घाटा दिया। इससे अधिक हमारे लिये दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती!

बहुत संक्षेप में अर्ज करना चाहूंगी कि इस तरह की बसें चल रही हैं वह हमारे लिए एक दुःख की बात हो रही है। हमने रिपोर्ट प्रकाशित की कि टैक्स वगैरा लगाने के कारण दस पर्सेन्ट का खर्चा अधिक आ जाने से घाटे में चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि इतनी प्राइवेट बसें चलती हैं कितना उनको खर्चा करना पड़ता है न जाने रिश्वत देनी पड़ती है, टैक्स देने पड़ते हैं फिर भी वे फायदे में चलती हैं, और उनसे उनके परिवार वाले कमा कर खाते हैं। जब राज्य की मोनोपोली है और सब प्रकार की सहूलियतें हैं फिर भी रोडवेज नफे में क्यों नहीं चलतीं ?

एक शिकायत यह है कि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें यह नहीं बताया कि राष्ट्रीयकरण कितने मार्गों का किया? कितने मील किया? उसमें कितनी सफलता मिली या नहीं मिली? और कितना नहीं कर सके? इसके लिये अफसोस है कि एक लाइन भी उस रिपोर्ट में नहीं है। हमारे राज्य की नीति यह है कि अधिक से अधिक रूटों का राष्ट्रीयकरण किया जाय उसमें अधिक तेजी के साथ फेल होते गये हैं।

राज्य सरकार निर्णय लेती है कि अमुक रूट का राष्ट्रीयकरण किया जाय। आगे जाकर बसें चलती हैं तो स्टे ऑर्डर आजाता है। कोई न कोई लेकुना रह जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जोर देकर कहना चाहती हूं कि यह लेकूना रहता नहीं है वह रखा जाता है। ऑपरेटर्स लोग रखाते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहूंगी कि इस तरह से लेकूना रखे जाते है, इस तरह स्टे ऑर्डर आजाते हैं यह पॉलिसी का सेबोटेज है, एक सुनियोजित योजना है और उसके द्वारा हमारी इस पॉलिसी को फेल किया जा रहा है। हमारे पास कानूनी सलाहकार है, सब सुविधायें हैं फिर भी लेकूनाज क्यों रहते हैं? एक दफा लेकूना रह सकता है, दो दफा रह सकता है लेकिन बार बार क्यों रहते हैं? लेकूना रह जाय तो कोर्ट के फैसले होने चाहियें वे जल्दी होने चाहिएं। पेशियां पड़ती जाती हैं और इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसको मैं केवल नेग्लीजेन्स नहीं मानती। यह जानबूझ कर किया जाता है।

इसके साथ ही मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि लाखों रुपया ऑपरेटर्स में निकलता है, वसूली नहीं की जाती है। क्यों नहीं वसूल किया जाता है? पड़ौसी राज्यों में टिकिट पर स्टाम्प लगाने का नियम है। स्टाम्प लगा दिया जाता है तो उधार नहीं रहता बस मालिकों से हमें पेशगी मिल जाता है। आज तक राज्य सरकार ने ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की? यह मैं बता सकती हूं और सरकार ने लिख कर दिया है कि नासिक में ऐसे स्टाम्प छपने के लिये दिये थे। मंत्री महोदय यह बता दें कृपा करके कि कितने वर्षों से यह छप रहे हैं और वे अभी तक क्यों नहीं छपे हैं?

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

दूसरा राज्य सरकार यह कहती है कि टिकिट चिपकाने के लिये गोंद नहीं है। गोंद नहीं होने से लाखों रुपया आप आॅपरेटर्स में छोड़ते हैं। यह मजाक की बात है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह सरकार ने कब कहा गोंद नहीं है ?

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : मंत्री महोदय बड़ी तारीफ के साथ इसको रखते हैं। वे कहते हैं कि गोंद एक विशेष प्रकार का होता है जो फॉरेन से ही आता है।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं तो, माननीय सदस्या, बोला ही नहीं। यह कैसे कहती हैं कि गोंद चिपका नहीं है।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** : आपका विभाग कहता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपका विभाग यह कहता है कि फॉरेन करेन्सी न होने से फॉरेन से गोंद आ नहीं पाता है। क्या हिन्दुस्तान में ऐसा किसी प्रकार का गोंद तैयार नहीं किया जा सकता? इतने साइन्टिस्ट हैं, लेबोरेट्रीज हैं, क्या हमारा देश इतना मोहताज हो गया है, कि लाखों रुपयों की आमदनी होती है गोंद बनाने के लिये मोहताज होकर बैठ जाय? क्या हमारा देश टैक्निकली इतना खराब हो गया है कि गोंद का ईजाद न कर सके? दूसरे देश क्या क्या ईजाद कर रहे हैं, हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि गोंद न होने से स्टाम्प्स नहीं चिपका सकते ?

**एक माननीय सदस्य** : यह मजाक है।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** : मैं मजाक नहीं कर रही हूं। यह आपका मजाक है। आपके इन्तजाम का मजाक है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कटौती प्रस्ताव मैंने आबकारी के बारे में भी रखा है। हालांकि मैं इस आबकारी के बारे में कुछ कहना पसन्द नहीं करती लेकिन मैं देखती हूं कि आज जिस प्रकार इल्लिसिट शराब का गांव गांव में डिस्टिलेशन होता है उसको देख कर दुःख होता है। आज यह देशी शराब कॉमन मैन बात करते हैं कि एक कॉटेज इन्डस्ट्री के रूप में फैल गयी है। घर घर में शराब बनायी जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि घर की औरतें शराब बनाती हैं। और पुरुष बेचते हैं।

मैं आपके सामने सच्चाई के साथ कह रही हूं, और इसमें हमारा आबकारी विभाग खुद शामिल है। वे रेड करते हैं पर नाममात्र के लिये करते हैं। वे उनको पकड़ते हैं, पर फिर छोड़ भी देते हैं और इसमें आपकी पुलिस भी शामिल है।

इल्लिसिट वाइन का दिन दिन व्यापार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ मैं यह तथ्य भी प्रस्तुत करूंगी कि वह शराब किससे निकाली जाती है। डी० डी० टी० से डिस्टिल्ड होती है जो शरीर के लिये जहर के बराबर है। आप फर्टीलाइजर देते हैं खेतों में डालने के लिये पर उससे शराब निकाली जाती है। गरमी पैदा करने के लिये फर्टीलाइजर डालते हैं और निकालते हैं। यह तथ्य है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं।

इसके साथ ही साथ गुजरात राज्य को यह अनाप-शनाप भेजी जा रही है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में छोटे छोटे स्टेशन हैं। एक कामलीघाट स्टेशन है, वहां लाखों रुपयों की शराब बिकती है। वह सारी तो वहां नहीं बिक सकती। वह बम्बई की तरफ जाती है, गुजरात की तरफ जाती है।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

आपकी प्रिवेन्टिव फोर्सेज हैं । जीपें हैं उनके पास जिनमें न जाने कितने अफसर हैं, इन्सपेक्टर हैं वे सब करते क्या हैं ? आप इल्लिसिट शराब का निकालना इनके द्वारा नहीं रोक सकते । और यही नहीं, औरतें घरों में डिस्टिल करना और सीख जावें। फिर आप यह कहते हैं कि हम शराब इसलिये नहीं रोकना चाहते कि इससे आमदनी होती है। फिर न जाने कितना लाख रुपया ठेकेदारों में जमा पड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में खतम कर देती हूं। मैं व्यासजी जितना टाइम नहीं लगाऊंगी।

मैं आपकी मार्फत मन्त्री जी से कहूंगी कि उनसे रुपया पूरा-पूरा वसूल किया जाय।

जहां जहां प्रोहिबीशन का सवाल है वह सवाल उठता है, मैं मानती हूं कि इससे जितनी जल्दी हो सके मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये। जितनी जल्दी हो सके शराबबन्दी कर दी जानी चाहिये। पर इसके लिये जनमत बनाना पडेगा। जरबदस्ती के प्रोहिबीशन से काम नहीं चलेगा। यह हमने बम्बई में करके देखा पुलिस की जेबें भरने लगीं। बन्द होना दूर, दूना बढ़ने लगा। तो इसलिये सबसे पहले हमारा यह फर्ज है कि हम इसके लिये जनमत बनावें।

इस पर उधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत जोर से सरकार पर आक्षेप किये। ठेकों की आलोचना की। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले आप अपने घर में देखें।

पगां बलती नहीं दीखे, डूंगर बलती दीखे। उन्होंने क्या किया है। पावर में आने के बाद केरल ने संयुक्त दल वालों की सरकार ने प्रोहिबीशन था उसको खतम किया। अभी एक सप्ताह पहले उसने और किया। बीयर की बोतल के पीछे 1) कम कर दिया जावे यह और कर दिया। बोतलें और सस्ती दी जावेंगी यह उनकी सरकार ने किया।

दूसरी ओर कांग्रेसी सरकार ने जो कुछ किया, उत्तर प्रदेश में आपकी संयुक्त सरकार ने फैसला किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा शराब बेचेंगे। शराब से और आमदनी करेंगे।

**श्री विजयसिंह** (रावत) : तो आप भी यही चाहते हैं कि शराब पीकर लोग अपने कपड़े फाड़ दें। दूसरों के फाड़ दें और बरबाद हों। आप शायद यही चाहते हैं।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : हरियाणा की सरकार ने प्रोहिबीशन को तोड़ा है। तो आप कांग्रेस सरकार को दोष देने से पहले अपने पैर देखें। जहां कांग्रेस ने प्रोहिबीशन किया आप तो उसको वहां से खतम करने जा रहे हैं। आप पहले अपने साथियों को समझाइये कुछ करके दिखाना बहतर होता है।

वैसे मैं मन से चाहती हूं कि शराब जितनी जल्दी हो बन्द की जानी चाहिये। पर इसके लिये जनमत तैयार किया जाना चाहिये। इल्लिसिट को तुरन्त रोका जावे और जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा है उन अकालग्रस्त इलाकों में तो शराब बेचना एकदम तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलती है वह सारी की सारी शराब के ठेकेदार के पास पहुंच जाती है और उनके बाल-बच्चे भूख से बिलखते हैं। मेरे भीम में अकाल की मजदूरी मिली थी।

# Page No. 111



(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

तो बीस हजार रुपये की शराब एक दिन में बिकी थी। इसलिये जहां जहां अकाल है वहां शराब की बिक्री बिल्कुल बन्द कर दी जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी।

**श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : मुझे भी।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय काफी हो गया है। मन्त्रीजी को जवाब देना है।

**श्री श्रवणलाल** : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : बड़ी कृपा होगी दो मिनिट बख्श दें।

**श्री श्रवणलाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस मांग पर मेरे भी कटौती-प्रस्ताव हैं।

आज सुबह से इस विषय पर बहस चल रही थी। माननीय सदस्यों के सुझाव मैंने सुने। इस आबकारी के अन्दर जो हमारी सरकार की गलत नीति के कारण जो बकाया लोगों में रही है उसको वसूल करने में ढिलाई बरती गई। वे आंकड़े, उपाध्यक्ष महोदय, 21 लाख रुपये से अधिक के हैं। हमारी सरकार से इस प्रकार के सर्टीफाई प्राप्त किये हैं कि हमने आने वाले इसके अन्दर बहुत बड़ा भारी मुनाफा कमाया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस विभाग के अन्दर सन 58 से और 64 तक के कुछ इस प्रकार के मामले चल रहे हैं जिनके अन्दर 45,357 केसेज ऐसे हैं जो कि कर निर्धारण करने की वजह से पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 64 से 65 तक ये केस 85,245 के मामले बकाया थे जिनमें से उन्होंने 63-64 में 45,357 को निपटाया। 65-66 में ये बढ़कर 12,692 मामले हो गये। इनमें से अब जो उन्होंने डील किये हैं वे 72 हजार 526 केस हैं। बाकी अब भी पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से उन्होंने इस कर निर्धारण के मामले में अतिरिक्त ज किया जाने वाला है उसके अन्दर अब तक 40 प्रतिशत ही काम कर पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के साथ साथ जो बकाया की वसूली जो हमारी काफी दिनों से बढ़ती जा रही है अब और इसकी तरफ देखते हैं तो उस विभाग की यह बकाया क्यों चली आ रही है? इसका कारण क्या है? इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनमें उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे वगैरह या अन्य और किसी तरह से रुके हैं। करीब ये 13 लाख 23 हजार के हैं। कुछ बोर्ड के तहत हैं 3·5 के हैं।

इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो डिप्टी कमिश्नर के यहां पर हैं ये 2·67 लाख के हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जिनकी वसूली के प्रमाण-पत्र ही जारी नहीं किये गये हैं। वे हैं 43·91 लाख के।

इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिनकी वसूली नहीं कर पाये हैं जिनको किये वसूली के योग्य नहीं मानते हैं। वे हैं 2·48 लाख के।

इसके साथ साथ कुछ व्यापारियों के विरुद्ध जो बकाया बताई है उसके अन्दर भी कुछ ऐसे हैं 3·6 लाख के जो लापता हैं। उनका पता ही नहीं है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कुल मिलाकर 69·39 लाख की बकाया है और यह माना जाये कि यह कोई आज की बकाया हो ऐसा नहीं है। यह बकाया 59 से लेकर

(श्री श्रवणलाल)

अब तक की चली आ रही है। तो जो सरकार पिछली बकाया को वसूल नहीं करती है और उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती है और जनता के ऊपर दिनोंदिन नये टैक्स लगाती चली जाती हो तो वह इस जनता के ऊपर नये टैक्स लगाने का अधिकार नहीं रखती है। यह उसके लिए शोभायमान वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ पहले के वर्षों म जो बकाया 96·65 लाख की थी लेकिन 65-66 के अंदर वसूली नहीं होने के कारण वह रकम इतनी बढ़ गई कि 135·99 लाख रुपये हो गई। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जितने भी मामले हैं चाहे वसूली का मामला हो अगर किसी भी व्यक्ति के पर छोटा सा मामला ले लें, रेवेन्यू की वसूली का ले लें तो एक किसान अपने लगान का जैसा 15 दिन के अंदर नहीं देता है तो उसके मकान पर कुर्की आ ले आते हैं, उसके बैलों पर कुर्की ले आते हैं और उसके सामान को कुर्क करके उससे रकम वसूली कर ली जाती है और दूसरी तरफ जहां लाखों के मामले जो कि एक एक व्यक्ति लेकर बैठा हो उसके खिलाफ यह सरकार एक्शन लेने वाली नहीं है क्योंकि यह बड़े बड़े ऑफिसर्स के और मंत्रियों के आदमी हैं। जैसा मैंने पिछली बार भी सेशन में लिस्ट मांगी थी कि कितनी कितनी किस किस पर बकाया है तो उस लिस्ट से भी मालूम हुआ था कि गुलाम अब्बास जिसकी कि बस भीलवाड़ा की तरफ चलती है उसके ऊपर 80·80 हजार रुपये की यात्रि-कर की रकम एक व्यक्ति के खिलाफ बकाया है। तो इस प्रकार की वह लिस्ट भी मेरे सामने थी, वह मुझे मिली। अब भगवान को पता कि इन्होंने वसूल किया या नहीं। मैंने खास तौर से इसलिए कहा है कि कुछ उच्च अधिकारियों का संरक्षण जिनको मिला होता है या मंत्रियों का जिनके ऊपर हाथ होता है या नेताओं का हाथ होता है उनसे यह सरकार वसूल करने वाली नहीं है।

इसी के साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, शराब के बारे में भी मैं मोटे मोटे तथ्य आपके सामने रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस शराब के मामले में यह होता है कि गारन्टी सिस्टम आपने बना दिया है और उसके अन्दर आज जो दुकानें कस्बों से बाहर हुआ करती थीं आज वह दुकानें सरे आम बाजार के अंदर, मन्दिर के सामने, स्कूलों के सामने आ गई हैं और शराब की दुकानें आज आपको खुले बाजार में मिलेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी थोड़े दिन पहले भुसावल गया था। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पास में ग्राम पंचायत का भवन था, बड़ा आलीशान भवन था और उसके सामने बड़ा लम्बा चौड़ा बोर्ड लगा हुआ था और वह बोर्ड था हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार एक तरफ तो शराब की बढ़ोतरी के लिए अनेक प्रकार के जनता के ऊपर टैक्स लगाती है और शराब को दिन दूनी और रात चौगनी फैलाती है और उसी तरह से हमारी सरकार उसके ऊपर खर्चा भी करती है और वह इसलिए कि समाज कल्याण विभाग ने ऐसा बोर्ड लगाया है वह जिसके अन्दर शराबबन्दी की बात थी। वह बड़ा लम्बा चौड़ा बोर्ड बनाया था भगवान को पता शायद उस बोर्ड के अंदर भी 100

(श्री श्रवणलाल)

रुपये खर्च हुए होंगे। उस बोर्ड में एक शराबी महाशय मुंह पर बोतल लगाये पड़े थे और एक कुत्ता उनका मुंह चाट रहा था और उसकी औरत और बच्चा रो रहे थे पास में ग्राम सभा का भवन था और उसके सामने यह बोर्ड था और उसी के दो कदम आगे शराब की दुकान थी जो कि ग्राम बाजार में थी। मैंने उससे कहा कि भाई तुम भी अपना एक बोर्ड लगा लो। उसने कहा कि मेरे पास तो कुदरती ही लोग आ जाते हैं, मुझे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा कि हमें तो यह सर्टीफिकेट मिला हुआ है कि यह दुकान पहले गलियों में हुआ करती थी और आज यह बाजार में है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि जहां इस प्रकार की परम्परायें कि हम जिनको अनुचित मानकर चल रहे थे...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका कटौती प्रस्ताव तो भंग नहीं मिलने के बारे में है।

**श्री श्रवणलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि आज इस शराब को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज यह होता है कि हमारे यहां कुछ पत्थर की खान है और खानें होने के कारण उनको पीना लाजिमी होता है। वह कई बार मेरे पास आये कि एम० एल० ए० साहब क्या करें यहां के ठेकेदार तो बिल्कुल पानी देते हैं और जो कीमत है उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम इसको बन्द क्यों नहीं करते हो। वह कहने लगे कि क्या करें, हम पत्थर की खानों को खोदते हैं और हमारे मुंह के द्वारा सुबह से शाम तक कितनी रज को खा जाते हैं और उसका सीधा तरीका यही है कि शराब पीने से रज अलग अलग हो जाती है और शरीर के अंदर नुकसान नहीं होता है। इसलिए वह इसको यूज करते हैं। आज कोई भी ठेकेदार शराब में कितना भी पानी मिलाये, उसको आज कोई नहीं चेलेंज कर सकता है। आज एक बोतल की 6-6 बोतल बना कर वह बेचते हैं और गरीबों से पैसा एंठते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ शराब के बाद भांग का नम्बर आता है। तो इस पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव भी है। कुछ दिनों पहले चूंकि भांग की कमी पड़ गयी और कमी इसलिए पड़ी कि आज से कुछ दिन पहले फरवरी, 67 से पहले जितनी भी भांग के ठेके थे और जो उनको भांग दी जाने वाली थी, वह एक साल की भांग चुनावों के समय में दे दी गयी और उन दिनों में उसका वितरण कर दिया गया और जिन ठेकेदारों को वह भांग मिली, उन्होंने किसी को भी नहीं दी और अपने कब्जे में कर लिया, और, उपाध्यक्ष महोदय, उसी के साथ साथ यह होता है कि चुनाव हो गये और भांग मिलनी बन्द हो गयी। उन्होंने कहा कि हमें भांग दीजिए तो भांग खाने वालों को ठेकेदारों ने यह कहा कि इस साल की भांग तो चुनाव खा गया, अब भांग कहां है? उपाध्यक्ष महोदय, जो भांग पीने वाले हैं और हमेशा से जो पीते चले आ रहे थे और जिनको भगवान शिवजी की बूटी समझकर इस्तेमाल करते थे आज

(श्री श्रवणलाल)

उस भांग की खातिर धतूरे के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कई सज्जन कहने लगे कि हमें तो 50 पैसे की एक तोला मिलती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए दो चार छ दाने धतूरे के बीज डाल देते हैं जिससे नशे के अंदर हमें कुछ आराम मिलता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भांग का मामला है, वह अनुचित तरीके से देकर लोगों को भांग के बिना रखा गया है और ठेकेदारों ने एक पैसे के 4 पैसे या 6 पैसे वसूल करने का जो तरीका अपनाया है, यह बहुत गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ जहां तक यात्रि कर का संबंध है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ दो मिनट।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बसेज का जहां तक सवाल है जिस प्रकार की बसेज राजस्थान में चलती हैं, आप सब जानते हैं। माननीय सदस्य रोडवेज की बसों में भी बैठते हैं और प्राइवेट बसों में भी बैठते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका मिला और मैं कल यहां से मेरे गांव गया था और महुवा तक रोडवेज जाती है और महुवा से वापिस लौटते समय मुझे रोडवेज की बस से आना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि अभी मेरे से पूर्व माननीय वक्ता कह रहे थे कि प्राइवेट बसेज के अंदर जहां टैक्स उनको देना पड़ता है, इसके अलावा पुलिस के लिए, ट्रैफिक इन्सपेक्टर के लिए और अन्य अन्य जो भी उनके पीछे लगे हुए रहते हैं उनको देते हुए भी आज वह हर प्रकार से अपनी बसों को चला कर अपने परिवार का पालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज इस तरह से, मैं कल वहां से आ रहा था महुवा से, रोडवेज की बस में, और उस बस में बैठने के कारण मैंने देखा कि उस बस के ऊपर 25 सवारियां ऊपर बैठी हुई थीं, जब कि हमारे नियमों के अनुसार बस के अंदर जितनी सीटें हैं, उतनी सीटों से एक भी सवारी अधिक नहीं बैठा सकते। तो आज उस बस के अन्दर..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कल सुबह 8 बजे जो वहां से चली थी, वह बस बुरी तरह से भरी हुई थी। जिस प्रकार बोरियां भरी जाती हैं, उस तरह से वह बस अन्दर से भरी थी और अन्दर से भरने के अलावा करीब 25 सवारियां बस की छत पर बैठी हुई थीं। महुवा से चल कर वह बस महन्दीपुर के बालाजी तक आई और वहां पर कुछ सवारियां उतर जाने के बाद भी, उसमें उतनी ही सवारियां बैठी रहीं....

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : आपने कम्पलेंट की।

**श्री श्रवणलाल** : और उपाध्यक्ष..

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : आपने कम्पलेंट की क्या ?

**श्री श्रवणलाल** : कम्पलेंट का सवाल आप करते हैं तो कम्पलेंट की तो यह हालत है कि कम्पलेंट बुक मांगते हैं तो देते नहीं हैं। कहते हैं कि हमारे पास नहीं है और इस प्रकार से मुझे ताज्जुब

(श्री श्रवणलाल)

तो तब हुआ कि उस बस के साथ साथ एक इन्स्पेक्टर भी था जो कि चैकिंग करने वाला था, वह भी उसके साथ साथ शुरु से चल रहा था और वह भी जयपुर तक आया था। मुझे दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की दुर्व्यवस्था आपकी बसों की है। आप प्राईवेट बसों के बारे में कहते हैं कि उन गाड़ियों को इस तरह से चलाया जाता है लेकिन आपके विभाग के द्वारा जो गाड़ियां चलाई जाती हैं, उनकी भी यह हालत है, फिर भी आपके यहां पांच पांच लाख का घाटा होता है, यह क्यों है?

इसके अलावा आज बसेज के अंदर भी यातायात के एक्सीडेंट होते हैं तो वे क्यों होते हैं? उपाध्यक्ष महोदय......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका मुख्य कारण यह है कि......

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप काफी समय ले चुके हैं।

**श्री श्रवणलाल:** बस एक मिनिट में ही खत्म करने वाला हूं। एक ही मिनिट में खत्म करता हूं।

तो इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो शराब पीकर चलते हैं और उस शराब के नशे में गाड़ियों को टकरा देते हैं। शराब पीकर चलने से एक्सीडेंट अधिक होते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कल ही एक प्रश्न पूछा था, और, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो रिप्लाई मिला है, उसमें यह स्वीकार किया है कि इसका कारण सड़क की कम चौड़ाई है, ड्राईवर की लापरवाही, इन वेहिकल्स का तेज चलाना और इसके अलावा वेहिकल्स की कन्डीशन अच्छी न होने के कारण और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण। इन सब बातों को जब आप मानते हैं और इसके बावजूद भी दुनियां भर के आज तक एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आज तक कितनों को सजा हुई है? कितने ड्राईवरों को सजा हुई है? एक को भी नहीं। ड्राईवर आज दस आदमियों को खत्म करके एक्सीडेंट के अंदर खत्म करके, दो घंटे के बाद में आपके पास में आकर जमानत करवा कर छूट जाएगा। आज उसको खुली छूट है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस एक मिनिट में ही खत्म करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** बहुत हो गया। आर्डर प्लीज।

**श्री श्रवणलाल :** बस खत्म करता हूं। जब आपके द्वारा एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है इसीलिए एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इतना ही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय यातायात मंत्रीजी!

**श्री अमीनुद्दीन** (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी गाड़ियों के कर के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, उनके ऊपर थोड़ी मुझे भी जवाब के रूप में चर्चा करनी है। अभी कटौती प्रस्ताव दो दर्जन आए और 13 माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर मुख्तसिर में चर्चा

(श्री ग्रमीनुद्दीन)

की है। तो मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा थोड़ा हर एक ही माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं, उनका जवाब देता जाऊं ग्रौर जो ग्राम जवाब होगा, वह फिर ग्रपने ग्राप ही पहले सवालों को कवर कर लेगा।

भरतपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने 5-6 बातें कहीं। सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रौर रोडवेज कॉरपोरेशन का ग्रौर ग्रार० टी० ए० का जिक्र किया ग्रौर करप्शन की बातें कहीं। यह करप्शन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं यह नहीं कह सकता कि बिल्कुल कहीं पर ही नहीं, बल्कि यह तो एक तरह से ऐसा सवाल बन गया है जिससे हमारे देश को उस तरफ तवज्जोह देना बहुत जरूरी हो गया है। यहां जो रोडवेज के ग्रंदर करप्शन की ये सारी चीजें बताई हैं, उन सबको मैं मानने के लिए तयार नहीं हूं। इसके मायने यह नहीं है कि मैं उसको बचा रहा हूं। लेकिन मेरा कहना है कि इसका ताल्लुक सारी सोसायटी से है,

(4·55 म० प०)

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

सारे लोगों से है ग्रौर हम सबका फर्ज है कि उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करें। तो इसके मायने हैं कि ग्रगर ग्राप रोडवेज के प्रश्न पर शिकायत करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह कि रोडवेज़ की मुताल्लिक कम्पलेंट की जाय ग्रौर दूसरा तरीका यह भी होता है कि उके मुताल्लिक ग्रदालती कार्यवाही भी होती है। यदि हम इस चीज को लेकर समझ के साथ, हिम्मत के साथ चलें तो न सिर्फ करप्शन को रोडवेज से खत्म कर सकेंगे, लेकिन इसका ग्रसर दूसरी जगहों पर भी होगा। यह कहना कि महज करप्शन एक रोडवेज में ही है या उसके खत्म होने से ही कोई कामयाबी हो सकती हो, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ग्रापसे यह ग्रर्ज करदूं कि जहां तक रोडवेज में करप्शन का ताल्लुक है, जितना उसके मुताल्लिक कहा जाएगा, मैं यकीन दिलाता हूं कि उस पर पूरे तौर पर तवज्जोह दिला कर उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

फिर उन्होंने भरतपुर के परमिट का जिक्र किया कि जा ग्रौर बेजा परमिट मिला। इसके मुतल्लिक भी ग्रर्ज करदूं कि परमिट इश्यू करने की ऑथोरिटि है तो वह ग्रार० टी० ए० ऐसी चीज है जहां कि हर बस चलाने वाला परमिट हासिल करने के लिए चाहे वह रोडवेज हो या प्राईवेट बस ऑपरेटर, दरख्वास्त देते हैं ग्रौर उसके यहां से परमिट ग्रौर रूट्स हासिल करते हैं। उसके नियम बने हुए हैं। ग्रागे कार्यवाही करने के लिए ग्रदालती कार्यवाही भी है, ग्रपील्स भी है। तो उसके लिए जो भी कुछ होता है वह ग्रार० टी० ए० से बंधा होता है। ग्रगर बहुत ज्यादा नाजायज चीज है ग्रौर उसकी ग्रोर गवर्नमेंट की तवज्जोह दिलावें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ मुनासिब कार्यवाही होनी चाहिए, उसके मुत्तल्लिक कार्यवाही हो सकती है।

फिर माननीय सदस्य ने कहा कि कोई टेलीफोन मिनिस्टर को किया जिसका जवाब नहीं ग्राया। लेकिन मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, कोई

(श्री अमीनुद्दीन)

टेलीफोन नहीं आया। यह मैंने सिर्फ शक-शुबहा साफ करने के लिए कहा है।

फिर वे मानते हैं कि हमारे यहां पर टैक्सेशन का पॉइन्ट हाई है और इसका असर बहुत ज्यादा तिजारत पर और पैसेंजर्स पर भी पड़ता है। इस तरह की बातें उन्होंने कहीं। हमारे यहां को अगर आप आठ आइटम्स में मध्य प्रदेश, यू० पी० और गुजरात से मुकाबला करेंगे कि इन आठ आइटम्स में से सिर्फ मध्य प्रदेश में एक आइटम पर आगे बढ़े हुए हैं, यू० पी० में ३ पॉइन्ट पर आगे हैं और गुजरात से एक आइटम में बढ़े हुए हैं बाकी के और सब हमारे आइटम्स इन तीनों स्टेट्स से कम हैं।

अब एक सवाल आया एलोकेशन ऑफ कार्स का जिस पर उन्होंने चर्चा की। एलोकेशन आफ कार्स में यह है कि एक कोटा गवर्नमेंट को मिलता है और उसमें से गवर्नमेंट अलॉटमेंट करती है। उसके अन्दर ज़रूरियात के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किधर ज्यादा जरूरत है और कहां एलोकेशन किया जाय, इसको देखकर एलोकेशन किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक किस्म का उसूल बना लिया है जिस उसूल के तहत यह एलोकेशन हुआ करेगा और उसके कुछ नियम बना लिए गए हैं और एक कमेटी बना ली गई है ....

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो पहले भी थी।

**श्री अमीनुद्दीन** : जरूर होगी।

**श्री भैरोंसिंह** : फिर आपने क्या किया?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने कहा ना कि यह जरूरियात को देखकर दिया जाता है।

**श्री खेतसिंह** : नई चीज आपने क्या दी है फिर।

(5 म० प०)

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने नई कोई चीज नहीं की है। मैंने तो एक कार का भी परमिट इश्यू नहीं किया है और न करवाया है। यानि अभी कोटा ही पहुंचा ही नहीं है, वह जुलाई, अक्टूबर तक जाकर आयेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : एक पुरानी फिएट को बेचने की अनुमति दी है।

**श्री अमीनुद्दीन**: खैर। तो मैंने आपको अर्ज किया, इसके मुताल्लिक कुछ नियम हैं और इसका पूरे ध्यान से एलोकेशन होगा और एलोकेशन किया जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : जो पहले हो गये हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका?

**श्री अमीनुद्दीन** : पहले जो चीज हो गई है, वह तो हो गई है। अब उसके बारे में कोई कम्प्लेन्ट हो तो उसमें देखा जा सकता है।

**श्री भैरोंसिंह** : शिकायत तो की है।

**श्री अमीनुद्दीन** : यह शिकायत तो वर्बल शिकायत थी, राइटिंग के अन्दर शिकायत हो तो उसकी जांच हो सकती है।

**श्री अध्यक्ष** : ऑनरेबल मेम्बर जो बैठे बैठे बोलें, उसका जवाब न दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : यह रिवाज तो कुर्सी के लिए भी लागू है, अध्यक्ष महोदय!

**श्री अमीनुद्दीन** : और माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले ने एरिअर के बारे में चर्चा की, रोडवेज के एरिअर्स के बारे में कहा है। मैं मानता हूं कि कुछ एरिअर्स

(श्री अमीनुद्दीन)
हैं लेकिन पिछले दो साल के मुकाबले में बहुत थोड़े एरिअर्स हैं और उनसे कम तादाद हैं और उनकी पूरी वसूली की कोशिश की जा रही है ।

अब नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन चीजें कहीं । उसमें उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ ज्यादा रहती है बसेज के अन्दर । तो उनको यह चाहिए, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वह और दरख्वास्त दिलवायें रूट्स के परमिट के लिए तो उसका यह नतीजा हो सकता है कि आर० टी० ए० को यदि दरख्वास्त दिलवायें तो बसें सड़क पर आयें । या फिर हमसे कहा जाय तो उसकी शिकायत की जाय कि हमें ज्यादा जरूरत है बसेज की तो ज्यादा परमिट दिलवायें । परमिट के लिए दरख्वास्त देना तो उनका काम होगा, यह दरख्वास्त करने वाले पर भी निर्भर होगा ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : जिन लोगों की दरख्वास्तें पड़ी हैं उनका क्या हुआ ?

**श्री अमीनुद्दीन** : कोई यह शिकायत करे कि उसकी दरख्वास्त पड़ी है तो उसमें जवाब तलब कर सकते हैं कि क्यों पड़ी हुई है ?

अब उन्होंने कहा कि कम्प्लेन्ट बुक नहीं मिली । मैंने उनकी शिकायत नोट करली है । कम्प्लेन्ट बुक के बारे में पूरी जांच की जायगी और कहा जायगा कि कम्प्लेन्ट बुक रोडवेज में मौजूद हो ....

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : प्राइवेट बसेज के लिए ।

**श्री अमीनुद्दीन** : प्राइवेट बसेज के लिए भी है । सब जगह यह कम्प्लेन्ट बुक होनी चाहिए ।

नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टैक्स जमा कराने का गोया कोई अच्छा तरीका होना चाहिये । मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी उस तरफ पूरी तवज्जोह है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कलेक्शन का तरीका है, वह ज्यादा अच्छा रहे ।

फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट बसेज के अन्दर ज्यादा फायदा होता है, रोडवेज में नहीं होता है । उसके कई एक कारण हैं। पहला एक कारण यह है ....

**श्री अध्यक्ष** : मैं सदन की अनुमति से जब तक मांग स्वीकार न की जाय तब तक कि अवधि के लिए सदन का समय बढ़ाता हूं ।

**श्री पी० के० चौधरी**: व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, पांच बज कर तीन मिनट हो गये हैं । क्या तीन मिनट सदन स्थगित समझा जायगा ?

**श्री अध्यक्ष** : उसको भी आपकी अनुमति से क्योर किया जाता है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : कैसे क्योर किया जा सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : सदन है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : रिट्रॉस्पेक्टिव ईफेक्ट से नहीं हो सकता ।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि तीन मिनट समय आगे बढ़ गया है, उसको भी सम्मिलित कर लिया जाय ।

(विराम)

अनुमति है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : कैसे हो सकता है। तीन मिनट जो प्रोसिडिंग्स हुई है, वह निकाल दी जाय।

**श्री अध्यक्ष** : क्योर हो गया है। पास्ट भी क्योर हो गया और प्रेजेन्ट भी क्योर हो गया।

**श्री पी० के० चौधरी** : रिट्रॉस्पेक्टिव ईफेक्ट से नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष** : यस !

**श्री अमीनुद्दीन** : जैसा मैंने कहा, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि क्या वजह है कि रोडवेज में कम आमदनी होती है और प्राइवेट तरीके से चलने वाली बसों में ज्यादा आमदनी होती है। मैं कह रहा था कि प्राइवेट बस चलाने वाला होता है, वह अपनी कमाई के लिए काम करता है। ड्राइवर भी वही होता है, कन्डक्टर भी वही होता है, बस भी उनकी होती है, वही बस को धोता है, वही सब कुछ करता है। सारी व्यवस्था उनके हाथ में होती है। लेकिन रोडवेज में ड्राइवर अलग होता है, कन्डक्टर अलग होता है तो उसका खर्चा ज्यादा होता है। क्लीनर भी अलग होता है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : वह भी अलग-अलग लोगों को तनख्वाह देता है।

**श्री विजय सिंह** : यों क्यों नहीं कहते कि नये टायर घिस जाते हैं और पुराने टायर डाल दिये जाते हैं।

**श्री अमीनुद्दीन** : आप इसको फर्मा सकते हैं लेकिन ऐसी शिकायत हो तो उसकी अच्छी तरह जांच हो सकती है।

**श्री विजय सिंह रावत** : मैं पकड़वा भी सकता हूं।

**श्री अमीनुद्दीन** : जो रोडवेज के मुलाजिम हैं उनके कायदे-कानून होते हैं। उनका भत्ता होता है, उनकी तनख्वाह होती है। ओवर हेड चार्जेज होते हैं, जिससे प्राइवेट बस का मुकाबला नहीं कर सकते।

**श्री विजय सिंह रावत** : भ्रष्टाचार होता है। डट कर होता है।

**श्री अमीनुद्दीन** : हर चीज में भ्रष्टाचार हो, ऐसी बात नहीं है।

**श्री विजय सिंह रावत** : यहां के वर्कशाप में ही दिखा दूं आपको।

**श्री अमीनुद्दीन** : महुआ के माननीय सदस्य ने फर्माया कि जहां रेल्वेज नहीं हैं, वहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा फैसिलिटी देनी चाहिए। मैं कहूंगा कि उनको लिखना चाहिए ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, आर० टी० ओ० या और ऑफिसर को। हम यकीनी तौर पर, जहां रेल्वेज नहीं हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि वहां ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद हों।

नेशनेलाइजेशन के मुतल्लिक उन्होंने सवाल किया कि नेशनेलाइजेशन का एक खास प्रोग्राम....

**श्री विजय सिंह रावत** : लोगों ने सवाल नहीं किया, माननीय सदस्य ने सवाल किया।

**श्री अध्यक्ष** : हां माननीय सदस्य ने सवाल किया।

**श्री अमीनुद्दीन** : हां माननीय सदस्य ने सवाल किया, माफ कीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : बाहर किया हो लोगों ने तो पता नहीं, यहां माननीय सदस्य ने किया।

**श्री अमीनुद्दीन** : तो नेशनेलाजेशन के मुतल्लिक यह है कि इसको पूरे तरीके पर मुकम्मिल किये जाने की कोशिश की जा रही है (करतल ध्वनि) काफी हमारी इसमें कामयाबी हो चुकी है लेकिन इसमें कैपीटल का सवाल होता है, टाइम का सवाल होता है, कानून का सवाल होता है— तीनों सवाल इसके अन्दर मानी होते हैं। अभी हमारी दो हजार मील लम्बी सड़क पर बस चल रही है। रोडवेज का तीन वर्ष में तना बड़ा एरिया कवर करना काबिले तारीफ बात है। यह भी आपको मानना पड़ेगा माननीय सदस्यों को कि बहुत सी इसके अन्दर रुकावटें पैदा की जाती हैं और उनका भी सामना करना पड़ता है, जिनका ताल्लुक प्राइवेट बस ऑनर्स और वेस्टेड-इन्ट्रेस्टेड पर्सन्स से है। उसके अन्दर जब तक और लोगों का नेशनेलाइजेशन में पूरे तरीके के ऊपर हाथ न हो, उसकी कामयाबी में असर पड़ता है। हमारा मकसद इसको पूरा करना है और पूरा जरूर होगा, प्रोग्राम मुकम्मिल होगा... ।

**श्री भैरोंसिंह** : यह बता दीजिये, इस वक्त ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में घाटा हो रहा है, वह अगले वर्ष में घाटा खत्म हो जायगा या नहीं होगा ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मुझे पूरा यकीन है कि कतई लाभ होगा और घाटा नहीं रहेगा। साथ ही में उसके यह भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम है कि कोटा और जयपुर डिवीजन के अन्दर जो ओवरलेपिंग रूट्स हैं उनको हासिल किया जाय और पहले इन दो डिवीजन के अन्दर नेशनलाइ-जेशन को पूरी तरह से करें।

**श्री भैरोंसिंह** : उदयपुर के नाम को मत लेना, खतरनाक है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मिनिस्ट्री को खतरा है।

**श्री अमीनुद्दीन** : ऐसा नहीं है, उदयपुर तक डाइरेक्ट बस चल रही है, जोधपुर तक चल रही है।

**श्री विजय सिंह रावत** : भीलवाड़ा तक नहीं चलती है।

**श्री अमीनुद्दीन** : भीलवाड़ा की भी चल रही है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : उदयपुर में चल रही है ?

**श्री अमीनुद्दीन** : जरूर चल रही है और टेम्प्रेरी परमिट भी है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : अच्छी चीज का लाभ और डिवीजन्स को प्राप्त हो रहा है। हमें नहीं हो रहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके मंत्री जी तो कह गये कि रोडवेज की बस उदयपुर में चल रही है।

**श्री खेतसिंह** : यह नहीं कहा। यह कहा बस चलती है।

**श्री अध्यक्ष** : चल रही है, यह कार्यवाही चल रही है। शुरू रखिये, शुरू रखिये।

**श्री अमीनुद्दीन** : अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने यह चर्चा करते हुए, कहते हुए, अभी रोडवेज का, बसेज का और प्रोग्राम जिसमें कि एलॉटमेंट ऑफ कार का जिक्र किया—उसका जवाब अर्ज कर दिया है। लेकिन उन्होंने गंगानगर जिले के लिए कहा...

**श्री भैरोंसिंह** : इतना एश्योरेंश दे दीजिये कि प्रिवेट कार के एलॉटमेंट, में जो एलॉटमेंट के रूल्स थे, उनका वायोलेशन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो मैं एक एक करके कई उदाहरण आपको दे सकता हूं।

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने आपको कहा कि शिकायत लिख कर भेजें, यदि एक्शन लेने के लिए वाजिब होगी तो कार्यवाही की जायगी। वैसे तो क्या पता कि शिकायत सही हो या गलत हो....

**श्री भैरोंसिंह** : वह आपको पता नहीं है, जनता को पता है। आप यह बता दीजिये कि जनता लिख कर दे तो क्या उस पर एक्शन लेंगे ? यह बता दीजिये।

**श्री अमीनुद्दीन** : अब उन्होंने माननीय सदस्य अलवर से......

**श्री अध्यक्ष** : वह वाकयात पर मुनहस्सर है।

**श्री केसरी सिंह** : एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वाकयात तो बाद में देखेंगे।

**श्री अमीनुद्दीन** : अच्छा अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने गंगानगर जिले का जिक्र किया। उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां रोडवेज जारी हो जाय और टेम्प्रेरी परमिट मिल जायं, मगर जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सी कार्यवाहियें करनी पड़ेंगी। यह इजाजत मिलने पर हो सकता है। मगर गंगानगर इलाका इस प्रोग्राम में शामिल है।

अब मैंने जितने आपने सवालात किये उनमें बारां से आये हुए माननीय सदस्य ने एक्सीडेन्ट का जिक्र किया, उसको सुन कर हमें बड़ा दुख है कि इस प्रकार के एक्सीडेन्ट हुए। उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है और उसकी जांच के लिए यहां से रोडवेज के अफसर पहुंच गये हैं। हो सकता है जिसका संबंध हो कम्पेन्सेशन का रोडवेज से होगा या और किसी से, उसके अनुसार कार्यवाही होगी। मैं सदन से सीधा हॉस्पिटल मरीजों को देखने के लिये जाऊंगा और इसके लिये इन्क्वायरी बिठाई जावेगी और मालूमात कराई जावेगी कि इन एक्सीडेन्ट्स की क्या वजह है और जो एक्शन लेना होगा, लिया जावेगा जिससे एतिहात बरता जावेगा कि आयन्दा एक्सीडेन्ट न हो।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : जो लोग मर गये हैं, उनका आपने क्या किया ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने कहा कि मैं सीधा सदन से हॉस्पिटल आऊंगा। इसके अलवा बारां से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक बस के बारे में जिक्र किया कि उस बस ऑनर में 20 हजार रुपये 6 वर्षों से एरियर के मौजूद हैं। उसको वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे इस बाबत कुछ लिख कर भेजेंगे, जिससे मुझे मदद मिल सके, जिससे मैं कार्यवाही कर सकूं। वैसे ही मैं कार्यवाही करूंगा ही यह मैंने नोट कर लिया है। क्योंकि एरियर की वसूली तो हमारे फायदे की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एरियर की बात को सुन कर आंख बन्द कर दें।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : आपने सिफारिश की है।

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने तो यह आपसे ही सुना है। बस के नम्बर भी तो आप ही ने दिये हैं। यही आपकी थोड़ी सी गलतफहमी है। यह गलतफहमी आपकी दूर हो जावेगी।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह गलत-फहमी नहीं, यह तो आदत है ।

**श्री अमीनुद्दीन** : इसी तरह से आपने फरमाया शर्मा के बस के बारे में । उसके मुत्तल्लिक इत्तिला मंगवाली जावेगी । आपने यह भी सुझाव दिया कि जो बसें नहीं चलती हों और जिनको परमिट दिये हुए हैं तो उन पर पूरा एक्शन लिया जावेगा, कि जो शर्तों के मुताबिक रूटों पर नहीं चलती हैं तो उनके परमिटों को जल्दी से जल्दी केन्सिल कर दिये जावें ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : आप पता लगावें कि कितने रूटों पर नहीं चल रही हैं, आपके पास भी तो रेकार्ड होगा ।

**श्री अमीनुद्दीन** : मैंने आपसे निवेदन किया कि आप लिख कर दें तो जल्दी कार्यवाही हो सकती है, वगैर लिखे कैसे हो सकती है । नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने नसीराबाद के बारे में जिक्र किया लेकिन उनको सुन कर मुझे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि माननीय सदस्य ने हमसे कहा और हमने उनकी खिदमत की और इसके बावजूद भी उन्होंने यह कहा उनको तो शुक्रिया करना चाहिये था मगर हमारा तो दिल बड़ा दुखी हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसी हमें आंख दिखाई.....

**श्री विजयसिंह रावत** : मैं आपको जो कुछ आपने किया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं मगर......

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ! आप पहले इनको समाप्त करने दीजिये । आप धन्यवाद बाद में दे दीजिये ।

**श्री अमीनुद्दीन** : हमारा काम है आपकी खिदमत करने का । आप जिस तरह से चाहें अगर आप किसी काम को कहें और उस काम में कोई कमी रह गई हो, तो हम उस कमी को अवश्य पूरा करेंगे ।

अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने रोडवेज में लॉसेज के बारे में कहा उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि शुरू-शुरू में बहुत कुछ देखना पड़ता है । उसमें कुछ नुकसान भी होता है और थोड़ी बहुत खामियें भी रह जाती हैं । मुझे तो पूरा यकीन है कि अगली साल इस रोडवेज में कोई लॉस नहीं रहेगा ।

**श्री विजयसिंह रावत** : जब तक अच्छे टेक्निकल हैंड नहीं होंगे, तब तक लॉस ही होगा । जो टेक्निकल हैंड आपके पास हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं । वे बिल्कुल रा हैंड हैं और इससे आपको कभी लाभ नहीं हो सकता ।

**श्री अमीनुद्दीन** : अगले साल देख लेंगे ।

ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि परमिट बाजार में बिकते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनको ऐसी जानकारी हो तो वे बतावें कि कहां पर परमिट बिके हैं और किस तरह से बिके हैं ? वे महरबानी करके लिख कर भेजें ताकि हमें मालूम हो सके कि ऐसी गलती क्यों होती है ?

**श्री रणजीतसिंह** (ओसियां) : अकसर ऐसा होता है ।

**श्री अमीनुद्दीन** : अभी एक माननीय सदस्या ने लॉसेज के बारे में प्राइवेट बसेज और प्राइवेट एन्टरप्राइजेज की चर्चा करते हुए कहा कि रोडवेज की रिपोर्ट इनकम्पलीट हैं । उसके बारे में पूरी जांच करेंगे और इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि आयन्दा इस प्रकार की इनकम्पलीट रिपोर्ट नहीं रहे । आपने यह

(श्री अमीनुद्दीन)
भी बताया कि कोई न कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से नेशनेलाइजेशन के परमिट नहीं मिलते और उनके खिलाफ कार्यवाही होती है। मैं यह कहूंगा कि वक्त बवक्तन उनकी राय से फायदा उठाया जावेगा और आयन्दा जो कमेटी बनेगी उसमें भी उनको तकलीफ देंगे।

**श्री भैरोंसिह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों में इस प्रकार का भेदभाव क्यों ?

**श्री अध्यक्ष** : (मंत्री महोदय से), आप दोनों की राय शामिल कर लीजिये आपकी और इनकी।

**श्री अमीनुद्दीन** : मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। मैं अब सदन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका जवाब मैं भिजवा दूंगा और अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे तो जवाब दूंगा।

**श्री भैरोंसिह** : आपके यहां ट्रान्सपोर्ट और रोड ट्रान्सपोर्ट की बकाया कितनी है ?

**श्री अमीनुद्दीन** : 7 लाख की बकाया है।

**श्री विजयसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि हम मददगार रहे हैं और मदद की हैं उसके लिये हमारा शुक्रिया करना चाहिये था उसके लिये मैं कहूंगा कि उन्होंने मेरे प्रश्न पर ध्यान दिया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो बातें डिबेट में कही हैं कि भीलवाडा बसेज का निर्णय नहीं होने से अजमेर और कोटा में सवारियों को अड़चन होती हैं। उसके बारे में मैंने प्रश्न रखा, उसके बारे में आपने कहा...

**श्री अध्यक्ष** : अब तो सफाई हो गई।

**एक माननीय सदस्य** : क्या आपने जो रोड टेक्स की रकम बकाया बताई है, उसके अलावा भी है या इतनी ही है ?

**एक माननीय सदस्य** : बुरी तरह से सवारियें भरते हैं उसके लिये आपने कोई प्रबन्ध किया है ?

**श्री अमीनुद्दीन** : आप शिकायतें करते रहें और हम जांच कराते रहेंगे, यही हो सकता है।

**श्री केसरीसिंह** : इससे नतीजा क्या निकलेगा ?

**श्री विजयसिंह रावत** : दूसरा मेरा सुझाव है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज का रीपेयरिंग गेरेज है जयपुर में। उसके लिये मेरा सुझाव है कि जो सबसे बड़े रोडवेज के इंजीनियर्स हैं और फोरमेन हैं उनको इनका निरीक्षण करना चाहिये। इसमें 50 पर्सेन्ट ऐसे लोग हैं जिनको यह भी मालूम नहीं कि यह कौनसा पंप है गेस पंप है या दूसरा पंप है। They donot know anything practically. They know only theoretically. They have come direct from the college......

**श्री अध्यक्ष** : यह सीधा सा मामला है।

**श्री विजयसिंह रावत** : रोडवेज के रास्तों में मुसाफिरों को अटकना पड़ता है केवल इनके अनएक्सपर्ट होने के कारण। दूसरी बात वहां एंजिन खोले जाते हैं, अच्छे पुर्जे निकाल कर बाजार में बेचे जाते हैं और रद्दी पुर्जे डाल दिये जाते हैं, इससे राज्य सरकार को बड़ा नुकसान होता है, इसकी जांच करें तो अच्छा होगा।

**श्री अमीनुद्दीन** : पूरा ख्याल इस बात का रखा जायगा। एरियर्स का जो मैंने बताया उसका एक्च्युअल फीगर 7,94,497 रु० है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : फिटनेस के बारे में एस०डी० ओ० के तहत में एक कमेटी बनाई हुई है। उससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, एस० डी० ओ० एक्सपर्ट हैं नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में सोचेगी ?

**श्री अमीनुद्दीन** : यह भी सवाल है। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा है, वह सही है। दिक्कत दूर की जायगी। सवाल हमारे पास है। दो चार दिन में फैसला हो जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय, यहाँ एश्योरेंस कमेटी है, जितने एश्योरेंसेज दिये जाते हैं, उनका वह पूरा ध्यान रखती है कि उन एश्योरेंसेज की पूर्ति हुई या नहीं ?

**श्री अमीनुद्दीन** : मैं तो नया हूं।

(अनवरत हंसी)

**श्री भैरोंसिंह** : उनके भाषण में एश्योरेंस के सिवाय कुछ है ही नहीं, उस पर भी आप पाबन्दी लगा देंगे तो फिर रहेगा ही क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : ऑनरेबिल मिनिस्टर !

**श्री मथुरादास माथुर** (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने जो मांग संख्या 2 रखी थी, आबकारी कर के विषय में उसके बारे में पहले चर्चा करूंगा। इस विषय को लेकर माननीय सदस्य जो उधर बैठने वाले हैं उन्होंने और माननीय सदस्य जो इधर बैठने वाले हैं, उन्होंने बुलन्द आवाज में मांग की है कि राजस्थान में नशाबन्दी होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष, इस समय राज्य की जो आबकारी नीति है, उस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि जो नशाबन्दी की मांग सदन में रखी गई है, राज्य सरकार उसके विरोध में नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि हमारे यहां नशाबन्दी का कानून बने, हमारे यहां नशाबन्दी हो। पर सही माने में समाज में नशाबन्दी की इस बात को हमें गौर से समझना पड़ेगा कि सिर्फ नशाबन्दी का कानून पास करने से ही नशाबन्दी नहीं हो जाती है। इस सम्बन्ध में बॉम्बे की मिसाल हमारे सामने है, मद्रास की मिसाल हमारे सामने है, केरल की मिसाल हमारे सामने है। केरल में अब बदल दिया है, पहले प्रोहिबिशन का कानून बनाया था, वहां की मिसाल हमारे सामने है। हिन्दुस्तान के जिन प्रान्तों में कहीं पर पूरे तौर पर, कहीं अधूरे तौर पर, कहीं कुछ देहातों पर और कहीं कुछ शहरों पर प्रोहिबिशन का कानून बनाया था, इस कानून का तजुर्बा देश के सामने है, समाज के सामने है, समाज उसे भूल नहीं सकता। बम्बई में सबसे पहले नशाबन्दी का कानून बनने से वहां पर नशाबन्दी नहीं होगई। नशाबन्दी में विश्वास रखने वाले बड़े-बड़े नेता इस चीज को मानते हैं कि केवल नशाबन्दी का कानून पास करने से नशाबन्दी नहीं होगी। बम्बई में नशाबन्दी नहीं हो पाई है। मद्रास में नशाबन्दी नहीं हो पाई है, केरल में नहीं हो पाई है, तो केवल नशाबन्दी का कानून पास कर देने से नशाबन्दी नहीं होगी, बम्बई में नशाबन्दी का कानून बनाने से इल्लिगल डिस्टिलेशन, काला बाजारी और अन्य बीमारियां पैदा हो गई हैं, जिनसे गरीब इन्सानों का शोषण हुआ है।

**श्री अमृतलाल यादव** (राजसमन्द) : बम्बई में गरीब इन्सानों को प्रोहिबिशन से फायदा हुआ है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर प्लीज।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सदस्य सब्र रखें । आपके कहने से बम्बई का नक्शा नहीं बदला है । उसका नक्शा दुनिया के सामने है । टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट है, उसको आधार मान कर चलना पड़ेगा ।

मैंने शुरू में निवेदन किया कि हम लोग जिनको गांधीजी के नाम पर तकरीर में बातें कहीं हैं, उसको स्वीकार करते हैं । हम नशाबन्दी चाहते हैं, कांग्रेस की नीति है कि नशाबन्दी होनी चाहिए । पर सवाल यह है कि केवल नशाबन्दी का कानून बना देने से ही नशाबन्दी हो जाती है तो कानून बना कर नशाबन्दी कर सकते हैं पर इस प्रकार के कानून का तजुर्बा हमारे सामने है ....

**श्री अमृतलाल यादव** : अध्यक्ष महोदय,...

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर । व्यवधान न डालें माननीय सदस्य । भाषण में बाधा न डालें ।

**श्री भैरोंसिंह** : और कोई पूछें तो आपत्ति नहीं होती, अमृतलालजी पूछें तो क्यों आपत्ति होती है ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं । सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि भाषण के बीच में व्यवधान नहीं डालें, यदि कुछ पूछना हो, तो बाद में पूछ सकते हैं ।

**श्री मथुरादास माथुर** : सरकार की एक्साइज नीति जो बराबर बरतते आये हैं उस पर चिन्तन करें, फिर सुझाव दें । मैंने शुरू में ही कहा कि नशाबन्दी के पक्ष में सरकार है, कांग्रेस संस्था है जिसकी कि सरकार है । हम नशाबन्दी चाहते हैं, पर क्या नशाबन्दी सिर्फ नशाबन्दी का कानून पास करने से हो जायगी, अगर इस बात को जो लोग मानते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे सूबों में इन दस, पन्द्रह वर्षों में नशाबन्दी का कानून बना कर नशाबन्दी नहीं कर सके हैं । नशाबन्दी करने के लिये सिर्फ नशाबन्दी का कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है । जब तक समाज का आचरण इस प्रकार का नहीं होगा, जब तक समाज के लोग इसे अंगीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक नशाबन्दी नहीं हो सकती, नशाबन्दी का कानून तो एक एजेंट की तरह काम करता है । समाज यदि इसे अंगीकार नहीं करता है तो इससे कुछ नहीं होगा । मैं मिसाल देता हूं, हमारे यहां बाल-विवाह होते थे, अब भी होते हैं । बाल-विवाह को रोकने के लिए शारदा कानून 32 में बन गया, पर इन 35 वर्षों में करोड़ों शादियां ऐसी हो गई हैं कि जिनमें 12 वर्ष से नीचे की उम्र की लड़कियां थीं और 18 वर्ष की उम्र से नीचे के लड़के थे । समाज में वह कानून लागू नहीं हुआ, कानन कानून ही रह गया ।

माननीय सदस्यों की भावना के साथ मैं अपनी भावना को जोड़ना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि हमारे यहां प्रोहिबीशन हो, मुकम्मिल प्रोहिबीशन हो, गरीबों का शोषण शराब पिला कर नहीं हो, पर यही सवाल सामने आता है समाज द्वारा अंगीकार किये जाने का । मैंने आपके सामने बम्बई की और दूसरे सूबों की मिसालें रखी, शारदा एक्ट की मिसाल रखी, तो हमें पहले समाज म ऐसी नींव तैयार कर लेनी चाहिए....

**श्री विजयसिंह रावत** : राजस्थान में एक्सपीरियेंस करके देखा क्या ?

**श्री मथुरादास माथुर** : फिर भी राज्य सरकार चाहती है कि जब तक इस प्रकार की भावना पैदा नहीं हो जाय, दूसरे सूबों के तजुर्बों को देखते हुए, बराबर आगे बढ़ते रहें।

**श्री अमृतलाल यादव** : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न हों भाषण के बाद में किये जायें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मन्त्री महोदय का भाषण सम्पन्न होने के बाद इसके लिये समय रख दूंगा, इसलिये इन्टरप्शन नहीं करें बीच में।

**श्री मथुरादास माथुर** : राज्य सरकार ने इसके लिये एक कदम उठाया, पहले हमारे यहां प्राइवेट डिस्टिलेशन होता था, कितना डिस्टिलेशन होता था, किस तरह होता था, इस पर कोई कंट्रोल नहीं था कि कितना शराब बनता था, व्यक्तिगत रूप से मेन्यूफेक्चर करते थे, उसके स्थान पर सरकार ने बनाना शुरू कर दिया, यह प्रोहिबीशन की तरफ एक संकेत है, सदन का आदेश हो तो कल ताले लग सकते हैं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : सभी चाहते हैं कि लगा दें ताले, आप पूछ लें सब चाहते हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैंने आप सबको सुना है, आपने गांधीजी की आज तक दुहाइयां दीं, मैंने सुना, आप भी मुझे सुनें।

तो जो सरकार ने डिस्टिलेशन अपने हाथ में लेकर कदम उठाया है, वह एक ऐसा कदम है राज्य सरकार ने उठाया है कि जब चाहें प्रोहिबीशन को कर सकते हैं, जब हम यह समझें कि समाज इसे अंगीकार कर लेगा, कानून फेयरली अमल में आ जायगा, तब प्रोहिबीशन का कानून बना दिया जायगा, वरना कानून कानून ही रह जायगा और समाज में हजारों ऐब पैदा हो जायेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके अनुसार यह अवस्था समाज में कब हो जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर।

**श्री मथुरादास माथुर** : उसके अलावा राज्य सरकार ने लिकर पर हैवी ड्यूटी लगाकर इस स्थिति में लाने की कोशिश की है जिससे साधारण आदमी जिसकी क्रय शक्ति कम है, वह न पी सके। तीसरी बात, दुकानें इन वर्षों के अंदर नहीं बढ़ाई गई हैं। कन्ट्री लिकर शाप्स 2,300 थे। विदेशी लिकर की दुकानें बढ़ी हैं लेकिन देशी लिकर की दुकानें नहीं बढ़ी हैं। राज्य सरकार की नीति है कि जिसके पास पैसा है, वह पीना चाहते तो, भले पीयें लेकिन गरीब आदमी न पीये। अमीर पीता है तो छूट है। इस कारण हमने इस बात की कोशिश की............

**श्री भैरोंसिंह** : यह नीति कांग्रेस पर भी लागू होती है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : राष्ट्रपति शासन के समय एग्रीमेंट्स हो चुके थे नहीं तो हम और चिंतन करते फिर भी हमने फैसला किया है कि 50 दुकानें बंद कर दी जायगीं। हमेशा मेरी धारणा रही है कि गरीब को इस बीमारी से बचाया जाय। कोई बिल्कुल न पीये चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो तो और भी अच्छा है, लेकिन जहां तक हो सकता है गरीब को

(श्री भैरोंसिंह)

बचाया जाय। इस बात का भी हमने फैसला किया है कि लेबर एरियाज में पेडेज पर पूर्ण शराब बंदी लागू होगी, बिक्री नहीं होगी।

**श्री भैरोंसिंह** : लेबर एरियाज के साथ सिविल लाइन्स को भी शामिल कर दें।

**श्री मथुरादास माथुर** : हमने इस बात का फैसला किया है कि लेबर एरियाज में कोई भी दुकान शराब की नहीं खोली जायगी। अगर है तो हटा ली जायगी।

इस सदन में माननीय सदस्यों ने कहा कि कई जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। इसका हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि कोई भी देशी शराब का व्यापारी या ठेकेदार चाहे गारंटी वाला हो, बड़ा बोर्ड लगाकर एडवरटाइजमेंट नहीं कर सकता। बोर्ड की साइज निर्धारित कर दी जायगी। अगर बिल्कुल ही बोर्ड न लगाएं तो संभव है कि कल कोई किसी के मकान में घुस जाय, इसलिए बोर्ड लगाना भी जरूरी है। हमने यह भी प्रेस्क्राइब किया है ताकि बड़े बड़े एडवरटाइजमेंट्स सड़कों पर लगाकर, इस शराब का प्रचार करते हैं, वह बंद हो जायगा। राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया था जिसके अनुसार 22-3-66 को सर्क्यूलर निकाला गया था, कानून में तरमीम की गई थी :

As a result of the amendment made in the excise rules, no person can permit or publish in any newspaper, book, leaflet, booklet or in any periodical, or otherwise display or advertise any matter which solicits or is calculated to ...

यह पूरा कानून निकला था। इसलिए आज कोई कहता है कि लाउड स्पीकर लगाकर बोलते हैं, कोई कहता है कि पर्चेबाजी करते हैं, ये सब चीजें इस सर्क्यूलर द्वारा हटा दी गई हैं। अगर कोई ऐसा इन्डीवीजूअल केस है तो उसकी रिपोर्ट मुझे भेज दें, या एक्साइज कमिशनर को दें, तो जो ठेकेदार करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जो कुछ माननीय सदस्य सुझाव देते उनको ध्यान में रखकर उस चीज को पूरा करते हैं। इसलिए एडवरटाइजमेंट बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ हमने नोटिस बोर्ड की बात कही। उसके साथ साथ इस बात का भी फैसला किया कि हमारे यहां पर किसी होटल में पब्लिक ड्रिंकिंग नहीं होता है या तो कमरे में पीए या घर में। पेडेज पर बन्द रहेगा। इसके साथ-साथ जनता शराब न पीए, ये सब चीजें अमल में ली जायंगी और ली जा रही हैं नहीं तो स्पेशल कदम उठाये जायेंगे। हलके हलके हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट और लेबर को इससे बचाया जाय, हम कोशिश करेंगे।

यह जो चार्ज लगाया जाता है कि हम तो शराब में विश्वास नहीं रखते हैं और कुछ माननीय सदस्य ही विश्वास रखते हैं, सही नहीं है। हम सब विश्वास रखते हैं। कोई भी माननीय सदस्य इधर या उधर नहीं चाहता कि शराब बंदी नहीं होनी चाहिए। शराब बन्दी होनी चाहिए। मगर कैसे आगे बढ़ें ? टेकचंद कमेटी ने भी मियाद बढ़ाकर 1980 तक कर दी। यहां चाहते हैं कि गांधीजी की शताब्दी तक होनी चाहिए अगर गांधीजी की शताब्दी के दिन यदि कानून का अमल नहीं हुआ, तो उनकी आत्मा को अफसोस होगा। मैं चाहता हूं कि इस कानून को अमली जामा पहनाकर आगे बढ़ें। इसलिए अगर कोई

(श्री मथुरादास माथुर)

सामाजिक संस्थायें शराबबंदी के लिए काम करें तो राज्य सरकार उनको सहयोग देना चाहेगी । इस तरह की हवा बनानी है, चारों तरफ से आवाज उठनी चाहिए तब जाकर कानून प्रभावशाली बन सकता है ।

यह भी कहा जाता है कि हमने इन दिनों रेवेन्यू बढ़ाते हुए 5-6 सालों में 4 करोड़ से 8 करोड़ तक पहुंचा दी । लोग सोचते हैं कि हमने शराब की बिक्री बढ़ा दी । आमदनी के बढ़ने से यह नतीजा निकालना सही नहीं है। जो शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, वह 35 प्रतिशत है। 6 वर्षों में 35 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। आबादी बढ़ी है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है । माननीय सदस्य श्री मेहता साहब ने जैसे उनकी मांग है कि मुकम्मिल शराबबंदी होनी चाहिए, वह बात समझ में आती है, लेकिन गारंटी सिस्टम हटना चाहिए, यह बात समझ में नहीं आती । पहले ऑक्शन होता था, लाखों रुपए की बोली लगती थी फिर, ठेकेदार शराब में पानी मिलाकर बेचता था और करप्शन होता था । सरकार की रेवेन्यू भी जाती थी, पीने वालों को भी एतराज था, इल्लीसिट डिस्टीलेशन भी बढ़ता था । इस गारंटी सिस्टम से सरकार की आमदनी कुछ हद तक गारंटीड हो गई । दूसरी बात, इससे इल्लीसिट डिस्टीलेशन बहुत कम होगया । एक एक ठेकेदार अपने आपमें विजिलेंस कमीशन बन गया । गारंटी भी हमने जो कन्जम्पशन की कैपेसिटी है उसको देखकर बढ़ाई है, आर्बिट्रेरी नहीं है। तीन सालों का एवरेज निकालकर गारंटी मुकर्रर की । इससे शराब के वितरण भी कन्ट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि जितना चाहे वह बेचें। कन्ट्रोल होने की वजह से शराब का वितरण रेगूलेट हो गया है वरना नीलामी सिस्टम में इल्लीसिट डिस्टीलेशन होता था, डाइल्यूशन बढ़ता था, फिर करप्शन तो बढ़ता ही इसलिए जरूरी था कि गारंटी सिस्टम को अमल में लाया जाय। गारंटी सिस्टम से शराबबंदी में कहीं नहीं बाधा पड़ती। इसलिए गारंटी सिस्टम की जब आवाज उठती है तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, यह तो ठेकेदार की आवाज है, ठेकेदार गारंटी सिस्टम नहीं चाहते, उनके लिए लिमिटेड स्कोप हो गया, उसका मुनाफा कम हुआ है । अगर ठेकेदार का मुनाफा कम हुआ है . . . .

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो एक चार्ज है माननीय सदस्यों पर। क्या यह माना जाय कि टेकचन्द समिति ने गारन्टी सिस्टम को ग्रेजुएली डिस्करेज करने का सजेस्ट किया है । माननीय सदस्य कान्ट्रेक्टर की भाषा में बोल रहे थे ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय । आपके प्रश्न का बाद में उत्तर दे दिया जाय। यह आप नोट कर लें ।

**श्री भैरोंसिंह** : बाद में उत्तर देने का सवाल नहीं है । मेम्बर्स पर चार्ज लगाया है कि गारन्टी सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, वे कान्ट्रेक्टर की भाषा में बोल रहे हैं ।

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय सदस्यों पर चार्ज लगाने की कतई कोई बात नहीं है। मैंने जो कहा उससे यह गलत फहमी पैदा हुई हो तो मुझे उसका अफसोस है। ऐसे कतई मंशा नहीं है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था उस पर मैंने यह कहा है। इसलिये माननीय सदस्य इस ओर कतई ख्याल न करें । मैं यह किसी मेम्बर के लिये नहीं कहता और खास कर के मेहता साहब के लिये कि ये कान्ट्रेक्टर की ओर से बोल रहे हैं यह नहीं कहता ।

(श्री मथुरादास माथुर)

अलवर से आये माननीय सदस्य ने यह कहा था कि दुकानों की लोकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि दुकानें ऐसी जगह नहीं होनी चाहियें। धर्मस्थान, स्कूल, अस्पताल, लेबर एरिया, मील एरिया में दुकानें नहीं होनी चाहियें। हमारे जो एक्साइज रूल्स हैं, उनको आपने देखा नहीं है। रूल 75 में लिखा है।

"A shop for the retail sale of country liquor shall not be located in close proximity to a school, hospital, dispensary or place of worship,......"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी कोई जगह ऐसी हो, तो उसके लिये मुझे कह दीजिये। उसकी जांच करा ली जावेगी।

**श्री श्रवणलाल** : रूल्स में है, लेकिन पालन नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर !

**श्री मथुरादास माथुर** : इसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह हो, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जगह नहीं बताई, उसकी जांच की जा सकती है और उसको वहां से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार की नीति है कि ऐसी जगह दुकान नहीं होनी चाहियें और हो तो उसको अवश्य हटा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इल्लीसिट डिस्टीलेशन के बारे में चर्चा हुई और उसके लिये यह कहा कि प्रिवेन्टिव फोर्स को राज्य सरकार ने हटा दिया। इसको हटाने से इल्लीसिट डिस्टिलेशन बढ़ जायगा। आंकड़े दिये गये और प्रिवेन्टिव फोर्स की तारीफ की गई मैं इसके लिये आभारी हूं कि मेरे विभाग की माननीय सदस्यों ने तारीफ की। आपकी तकरीर इस बात का सबूत है कि एक्साइज डिपार्टमेंट इल्लीसिट डिस्टिलेशन रोकने के लिये जागरूक है। यह नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके लिये धन्यवाद। प्रिवेन्टिव फोर्स में कटौती नहीं होनी चाहिए, यह उन्होंने कहा। प्रिवेन्टिव फोर्स में हम कम से कम कटौती करेंगे। सिपाही में कम से कम कटौती करेंगे। इससे इल्लीसिट डिस्टिलेशन में बढ़ोतरी नहीं होगी यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। प्रिवेन्टिव फोर्स में जो व्यक्ति हैं, वे सरकार के नौकर हैं और वहां से हटेंगे तो एक एक व्यक्ति को दूसरी जगह लगाया जायगा, उसकी वही तनख्वाह होगी।

**श्री भैरोंसिंह** : खर्चे में कमी नहीं आवेगी जब दूसरे विभाग में एब्जार्ब किया जायगा ?

**श्री मथुरादास माथुर** : बाद में पूछ लेना आप, जवाब दे दूंगा।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है, जहां पर इस प्रकार की प्रिवेन्टिव फोर्स है। और कहीं नहीं है।

**श्री विजयसिंह रावत** : महाराष्ट्र में है।

**श्री मथुरादास माथुर** : बिलकुल नहीं। वहां तो प्रोहिबिशन है। कोई दूसरा ही कानून है वहां।

राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए पुलिस हमारे सामने है, पुलिस एक्जीक्युटिव लिम्ब है। वह इल्लीसिट डिस्टिलेशन को कन्ट्रोल करे, इससे स्टेट एक्सचेकर पर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों हो ? मैंने कटौती करने

(श्री मथुरादास माथुर)

की बात कही है। सिपाही को कम करेंगे। जो लोग सरप्लस हो जावेंगे, डिप्टी कमिश्नर हो, वे खुद चुनाव में खड़े हो जायं या नहीं, इसकी कोई चिन्ता नहीं। सरकार के नौकर हैं, इस जगह काम नहीं करेंगे, दूसरी जगह काम करेंगे। कटौती तो होगी। सरप्लस पोट्स हैं, उन पर रखा जायगा। 55 साल वाले रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर रखा जायगा। नसीराबाद से आने वाले एक्स सोल्जर हैं, इसलिए उनको दर्द होता है। कटौती में कोई आदमी घर नहीं जावेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले हमारे समाजवादी नेता श्री रामकिशनजी ने एक बात कही।

**श्री विजयसिंह रावत** : उनका 6 साल से फिक्सेशन नहीं हुआ है।

**श्री मथुरादास माथुर** : वह मैं बाद में जवाब दे दूंगा। इस वक्त नहीं।

उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले के बारे में इल्लीसिट डिस्टिलेशन के कितने केस पकड़े गये ? मैं उनको बताना चाहूंगा, वे हैं नहीं, 64-65 में 158, 65-66 में 200 और 66-67 के दिसम्बर, 66 तक के केसेज के मेरे पास आंकड़े हैं, वे हैं 132 केसेज। ऐसी सूरत में यह कहा जाय कि भरतपुर जिले में जागरूक नहीं हैं और केसेज नहीं पकड़ते हैं, यह उनकी धारणा गलत है।

अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दुकान का खानपुरा हटून्डी का जिक्र किया। लाइसेन्सदार गांव का सरपंच है। शराब अजमेर शहर में बेचा करता था। जांच करके उस दुकान को अजमेर शहर के साथ लगा दिया है। अजमेर की गारन्टी के साथ लगा दिया है। नाराज होकर वे रेवेन्यू बोर्ड में गये और उनकी अपील खारिज हो गयी, वे हार गये। सरकार के हक में फैसला हो गया।

**श्री विजयसिंह रावत** : यह सरपंच नहीं है। यह गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपने।

**श्री अध्यक्ष** : वे बैठे २ ही बोल रहे हैं। आप आरम्भ रखिये।

**श्री मथुरादास माथुर** : आप पता कर लीजिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने इस सिलसिले को लेकर एक्साइज ब्लाक की बात कही है, खास तौर से हमारे शिवचरणजी ने। इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक कॉम्प्रिहेन्सिव एक्साइज लॉ लाने की सोचता हूं। जो कमियां बताई गई हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान रखा जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया है। फिर भी दो तीन बातें दूसरे विषय में निवेदन करना चाहूंगा। खास कर यात्री कर के बारे में और माननीय सदस्या ने खास कर आखिर में जाकर बहुत जोर डाला। यात्री कर के एरियर्स रह जाते हैं इसलिए उनको स्टेम्प्स दिये जाने चाहिये। रूल्स बना कर नोटिफाई किया गया है। ऑपरेटर्स ने आब्जेक्शन्स भेजे हैं। उस पर राज्य सरकार विचार कर ही है। उन पर स्टेम्प्स लगाने का विचार कर लेंगे। छोटे-मोटे ऑपरेटर्स स्टेम्प्स लगाना पसन्द नहीं करेंगे। वे क्या चाहेंगे, इसके लिए उनके आब्जेक्शन्स को सुनकर कार्यवाही करेंगे।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो यह तो हम पहले ही से कर रहे हैं। गम पेपर वाली बात कही। इसके लिये गिलोय हिन्दुस्तान में नहीं बनता है। हिन्दुस्तान में क्या चीज नहीं बन सकती, उसके लिये कोशिस नहीं की गई, इसलिये यह नहीं बना। हिन्दुस्तान एटोमिक एनर्जी बनाता है, बिजली बनाता है तो क्या नहीं बना सकता है ?

इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक हमारे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का सवाल है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि यह म्यूनिसीपैलिटी का कर है। पर यह म्यूनिसिपैलिटी को नहीं मिलता है। इस सदन में सन् 57 में कानून जब बनाया गया था तो फैसला किया गया था कि धारा 14 के मातहत 55-56, 56-57 और 57-58 में जो म्यूनिसिपैलिटी कर लगा चुकी थी और इन तीन सालों में उनको जो कर मिलता रहा था उतने के बराबर सबसिडी राज्य-सरकार ने उन म्यूनिसिपैलिटियों को देने का फैसला किया था, और वह कानून पास किया हुआ है, इस सदन के द्वारा। इस तरह से इतना रुपया हम देते आ रहे हैं। अब उन दिनों में अलवर ने टैक्स लगाया नहीं था। तो अब मैं किसे दूं? और उनकी हालत खराब है तो वे हाउस टैक्स लगावें, ऑक्ट्राय कर वसूल करें पूरा पूरा। वह तो वे करें नहीं। तब फिर हम क्या करें? हमने तो कानून बनाया है, उसके माफिक कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं हुई। पर एक दो मुद्दे रखे गये। अमूमन सेल्स टैक्स की बढ़ोतरी से हमारे बिजिनैस का ट्रेड का बेलेन्स डिस्टर्ब हो जावेगा। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने तेल पर सेल्स टैक्स का जिक्र किया और मेरा ध्यान खींचा। मोटर वेहिकल्स पर 15 परसेन्ट के लिये भी कहा कि कहीं यह ट्रेड को इम्बेलेन्स न कर दें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कई बार मुख्य मन्त्रीजी ने भी और मैंने भी प्लानिंग कमीशन में कोशिश की है कि राजस्थान के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं उनमें सेल्स टैक्स आपस में करीब एक से होने चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। हमने प्रेशर भी डाला है। प्लानिंग कमीशन ने भी सहमति जाहिर की है। तो अगर इस टैक्स से हमारा ट्रेड इम्बेलेन्स होता है तो भारत सरकार से प्लानिंग कमीशन से कहेंगे कि पड़ोसी राज्यों पर प्रेशर डालियेगा कि हमारे रिसोर्सेज से हमने जो टैक्स बढ़ाये हैं वे दूसरों की वजह से कम न हो जावें। तो हम यह भी कोशिश करेंगे। फिर इनको बढ़ायें, अभी एक महीना भी नहीं हुआ। हम अपना ओपन माइन्ड रखते हैं और इसको एग्जामिन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कई माननीय सदस्यों ने एरियर के बारे में कुछ पैसेन्जर टैक्स का जो है, सेल्स टैक्स का और एकसाइज का है, उनके बारे में कहा। एक्साइज के ड्यूज में एरियर कतई नहीं है। एक्साइज ड्यूटी तो पहले ही वसूल करते है। इसमें एरियर का बड़ा फीगर गारन्टी का है। 10 लाख का। एक लाख का आधा और 85 हजार के बीच तो फिर 15 हजार निकल गया। अब वे यह शिकायत करते हैं कि मेरे यहां पर गारन्टी

(श्री मथुरादास माथुर)

से कम पर बिका तो इसका कारण यह है कि समय पर सप्लाई नहीं हो सकी। और भी कई कारण हो सकते हैं। आखिर फरियाद तो सबकी सुननी पड़ती है। तो राज्य सरकार ने कहा कि हम एग्जामिन करेंगे इसको। एग्जम्प्ट बिना एग्जामिन किये, किया नहीं जा सकता। एक कमेटी इसके लिये हमने एपोइन्ट करदी है। गैर वाजिब होगा, तो कतई नहीं माना जावेगा और रुपया वसूल कर लिया जावेगा। ये चीजें इसलिये कहता हूं कि एक का नाम लेकर दो का नाम लेकर कहीं कोई बात कही जावे कि किसी न किसी मन्त्री का रिश्तेदार होना ही चाहिए, चूंकि इतनी रकम रह गई है। तो इस पर तो मैं क्या निवेदन करूं। इसको सदन जानता है। इसलिये इन चीजों में मैं पड़ना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा वसूली हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एरियर वसूल किया जावेगा। अब अगर कोई एरियर हाई कोर्ट की स्टे की वजह से या और किसी लीगल कार्यवाही की वजह से रुक गया है, तो इसमें मेरी मजबूरी है।

इसमें अब लाखों रुपया रुक गया है, तो मैं इसको वसूल नहीं कर सकता। बाकी को वसूल करने की कोशिश की जावेगी। 75-80 लाख की वह एरियर है ऐसा कहते हैं। तो 8 करोड़ में से यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। पर्सेन्टेज में देखा जावे तो और दूसरी स्टेटों के मुकाबले भी देखा जावे तो हम इसमें भी नवमें-दसवें जगह पर आते हैं, एरियर के बारे में भी। तो ऐसी स्थिति में एरियर वसूली का मैं विश्वास दिलाता हूं। यह मैंने उत्तर देने के लिये उत्तर देने की कोशिश नहीं की है, सही स्थिति रखने की कोशिश की है।

अन्त में मेहता साहब जो प्रोहिबिशन में विश्वास रखते हैं उनके हर विचार की कद्र करते हुए मैं उनसे रजामन्द हूं। इनकी बातें बराबर गौर से, ध्यान से सुनता रहूंगा। जब मौका आवेगा, सिचुएशन पैदा होगी तो प्रोहिबिशन करने की कोशिश करेंगे।

**श्री अमृतलाल यादव :** माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये सदन कानून की भाषा में बात करता है और कानून प्रोहिबिशन का इसलिये नहीं बना कि समाज में उस पर पूरा अमल नहीं हो पाता है। तो यह बात हमारे गले नहीं उतरती।

इसके बजाय तो माननीय मन्त्रीजी अगर यह कहते कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इससे और भी अधिक बुरा असर पड़ेगा, इसलिये कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठा सकते, तो समझ में बात आती। इसके लिये सरकार 54 में कदम उठा चुकी थी। अब जो सरकार ने बात बताई, वह तो पहले भी बता चुकी थी। उससे आगे और कुछ किया जाता तो अच्छा था। वित्तीय स्थिति की दृष्टि से सरकार की मजबूरी समझ में आने वाली बात है और उसमें हम सहयोग देना चाहते हैं। पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी भी समाज के सम्भ्रान्त सदस्य हैं और वे जो फरमाते हैं उसका समाज पर असर पड़ता है।

यह सारे देश की समस्या है। आगे पीछे तो इसे बन्द करना ही होगा। इसे लाइटली नहीं लिया जावे। गम्भीरता से

(श्री अमृतलाल यादव)

लिया जावे। जो यहां सदन में सरकार की ओर से कहा जाय, ऐसा कहा जाय कि सदन के बाहर भी उसके फेवर में प्रभाव पड़े।

**श्री मथुरादास माथुर:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा। पूरी बात उनकी समझ में आई नहीं। प्रोहिबिशन नशाबन्दी राज्य सरकार चाहती है। पर मैं कहूं कि यह काम कानून बनाने से नहीं होगा। समाज भी इसके लिये तैयार होना चाहिये। और इसके लिये समाज को माननीय सदस्य को तैयार करना चाहिए।

आर्थिक स्थिति बहुत डिस्कस हो चुकी है। यह भी एक फैक्टर है। दूसरे भी कई सोशल फैक्टर्स हैं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने फरमाया कि आबादी बढ़ी है, इस कारण भी शराब में बढ़ोतरी हुई है। 16 साल का बच्चा हुआ होगा जब से आपने राज सम्भाला है। 16 साल का बच्चा भी आज शराब पीने लग गया है। इससे बढ़ कर इस गांधीजी के चेलों के लिये और इनकी सरकार के लिये शर्म की क्या बात होगी।

**श्री अध्यक्ष:** ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न के लिये कहा है आपको।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : मुख्य मंत्रीजी आबकारी मन्त्री होते तो मैं उनसे भी कहता। अब वित्तीय कारणों से कठिनाई इनको पड़ रही है तो इसके माने यह नहीं कि शराब ज्यादा पिलाएं। ये गारन्टी सिस्टम का गुणगान करते हैं। इनको शर्म नहीं आती, इस तरह की बात करते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न पूछिये जिसका क्लेरीफिकेशन हो।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : जागते हुए को जगाने का प्रश्न नहीं उठता। इतना अर्ज करना है। ये गांधीजी के अनुयायी कहलाते हैं, गांधीजी के वक्त में जेल गये हैं। उनके सिद्धान्तों का ही आज ये हनन कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आर्डर, ऑर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं प्रश्न के लिये कहूंगा, वे पूछ सकते हैं। भाषण न दें।

**श्री मनोहरसिंह मेहता:** आधा मिनिट में अर्ज कर देता हूं। इन सब ने शराबबन्दी के लिये विचार व्यक्त किये हैं। पर गांधीजी के चेले होकर, ये बेईमानी करते हैं। इसके विरोध स्वरूप में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

( 6 म० प० )

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बारां के अन्दर गोपाल दास एण्ड कम्पनी नाम की फर्जी फर्म है....

**श्री मथुरादास माथुर** : यह आपने मुझे यहीं पर कहा है और मैं यहां पर जवाब अभी नहीं दे सकता। आपने जो कहा है, वह मैंने नोट कर लिया है और आपको इसकी सूचना दे दी जायेगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई**: अध्यक्ष महोदय, आपने अजमेर के एरियर्स के बारे में बताया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और आपने कहा कि गारन्टी सिस्टम को बहुत ही एग्जामिन करके लगाया है तो फिर गारन्टी पूरी क्यों नहीं हुई वहां पर ? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपने डिपार्टमेन्टल और कामर्शियल शॉप्स बनाई हैं, इनमें करप्शन बहुत क्षेत्रों में आया है उसके बारे में आप क्या विचार करेंगे ? और तीसरा मेरा कटमोशन था कि राजस्थान में ओपीयम बहुत ज्यादा तादाद में स्मगलिंग की जाती है, इसके बारे में क्या होगा ? मेरी इन तीन बातों का आप जवाब दिलायें।

**श्री मथुरादास माथुर** : अध्यक्ष महोदय, आपका एक प्रश्न तो गारन्टी सिस्टम के बारे में था और फिर उसके तहत आपने कहा कि बहुत बड़े एरियर्स हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई लम्बे चोड़े एरियर्स नहीं हैं। जहां हम इससे 8 करोड़ की आमदनी करते हों तो इस 8 करोड़ की आमदनी में से कोई 30 लाख का डेफिसिट हो जाये तो यह फिगर कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप पर्सेन्टेज लगाने बैठें तो।

दूसरा आपने ओपीयम के बारे में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि ओपीयम में बहुत सारे केसेज पकड़े गये हैं। एक हमारे यहां इसके ब्यूरो है उसके रिप्रेजेन्टेटिव, हमारे रिप्रेजेन्टेटिव, पुलिस विभाग के रिप्रेजेन्टेटिव सब मिलकर हमने एक कमेटी बनाई है जो कि इन्टर-स्टेट गैंग वर्क करते हैं, ओपीयम की स्मगलिंग के लिये। उनको किस तरह से कन्ट्रोल करें, उसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई**: यह ओपीयम ज्यादातर चित्तौड़ से आता है और स्मगलिंग करने वाली पार्टीज वहां से रवाना होती हैं और ठेठ गुजरात तक जाती हैं तो जहां से यह पार्टीज शुरू होती हैं और जहां से स्मगलिंग शुरू होता है वहां के लिये क्या विचार करते हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जहां जहां से आते हैं, आप जानते हैं उनको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं।

**श्री आदित्येन्द्र** (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान में आजादी मिली थी सन् 47 में उससे पहले आज की अपेक्षा शराब का उपयोग कम होता था और यदि ऐसा है और जैसा कि इन्होंने भी माना है और मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी भी ऐसा ही मानते हैं तो आज यह जो वातावरण इतना दूषित हो रहा है, उसकी जिम्मेदार क्या कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी नहीं हैं ? मैं यह मानता हूं कि दूसरी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है लेकिन क्या ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की नहीं है ? यदि जैसे विचार आपने व्यक्त किये हैं और इसमें सच्चाई है और सिन्सीयेरिटी है, तो क्या फिर अच्छा वातावरण बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे ? यदि मैं या कोई और व्यक्ति उस वातावरण को ठीक करने के लिए अगर शिक्षण संबंधी कोइ आन्दोलन करें या शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करें, तो क्या वह कानून भंग नहीं समझा जायगा और क्या उसमें सरकार हमारी मदद करेगी?.....

**श्री अध्यक्ष** : समाज को शिक्षित करने के लिए और इस विचारधारा को लोगों के......

Page No. 135



(श्री अध्यक्ष)

दिमागों में भरने के लिए जो कोई कदम उठाये जाते हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग दिया जायेगा ।

**श्री शिवचरण माथुर** : राजस्थान में पहले राजाओं के राज्य थे, क्या उस समय की राज्य-प्रणाली और सामाजिक दशा इसमें आज कोई रोड़ा तो नहीं है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : क्या ? समझा नहीं ।

**श्री अध्यक्ष** : उत्तर नहीं चाहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन था ।

**श्री विजयसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहला मेरा प्रश्न है कि मैंने कटौती प्रस्तावों के ऊपर बोलते हुए यह अनुरोध किया था आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि जो सोलजर्स प्रिवेन्टिव फोर्स में हैं, उनको छः-छः और सात-सात वर्ष हो गये हैं, लेकिन उनको परमानेन्ट नहीं किया, उनको फिक्स नहीं किया गया है .......

**श्री मथुरादास माथुर** : इसके लिए मैंने कह दिया है ।

**श्री विजयसिंह रावत** : दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसा आपने कहा कि लेबर एरिया में और जो गरीब एरिया है या कोई और अड़चन है तो दुकानें वहां नहीं खोलेंगे मैं इसके लिए तो मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन आखा तीज पर अजमेर जिले में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं और उस समय क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि कम से कम उन दिनों 10 दिनों तक उस मौके पर शराब बन्द कर देंगे ?

**श्री मथुरादास माथुर** : अब की बार तो स्प्रिट ही नहीं थी इसलिए अपने आप ही बन्द हो गयी ।

**श्री विजयसिंह रावत** : तीसरा प्रश्न और है कि खानपुरा और हटूंडी की दुकानें हैं जो कि नगर अजमेर की दुकान है उसको एक्सटेन्ड करके वहां अलाट की गयी हैं, उसके लिए मंत्री महोदय ने कहा कि वहां का सरपंच है लेकिन दरअसल में उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कहता हूं कि वह सरपंच नहीं है। वह एक न्याय पंचायत का सदस्य है । मेरा प्रश्न यह है कि ....

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज!

**श्री विजयसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और कटौती प्रस्ताव....

**श्री अध्यक्ष** : महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन मुझे समय का भी ख्याल है ।

**श्री विजयसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब तो मिलना चाहिए । आप ....

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह फोरेन वाइन का लाइसेन्स देने की पद्धति रखी है उसमें कई लोगों के साथ बड़ा पक्षपात होता है और लोग बदनाम हो जाते हैं । इसलिए आप ठेके पर क्यों नहीं दे देते हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : अभी तो 15 दुकानें देने को थी । उसमें से एक भी किसी को नहीं दी । इसलिए पक्षपात का प्रश्न

(श्री मथुरादास माथुर)
पैदा नहीं होता और फिर में सदन में कह चुका हूं कि उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है कि लाइसेन्सेज का ऑक्शन नहीं हो सकता ।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में दुकानें नहीं रखना चाहे, तो क्या सरकार उसके लिए कदम उठायेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय सारे प्रश्नों को नोट करलें ।

**श्री रोशनलाल** (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आदेश हैं कि जहां गुजरात और राजस्थान की सीमा मिलती है वहां 10 मील के अन्दर शराब नहीं बेची जायेगी लेकिन आज भी कोटडा तहसील में 10 मील के एरिया में शराब बेची जा रही है और इसके लिए मैंने एक बार नहीं कई बार पत्र भी लिखे लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया है ।

**श्री प्रेमसिंह** (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि कोई पंचायत समिति अपने यहां शराब बन्द करना चाहे, तो क्या राज्य सरकार उसमें सहयोग देगी ?

**श्री मथुरादास माथुर** : बराबर देगी।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय नोट कर रहे हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : में सब नोट कर रहा हूं ।

**श्री लाभचन्द** (सुजानगढ ) : अध्यक्ष होदय, कानून बनाया जाता है, वह जन मानस बदलने के लिए बनाया जाता है ...

**श्री विजयसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की बकाया रकम है उसके लिए हम चाहते हैं कि वह कब तक उगा ली जायेगी ? दूसरे टैक्स के बारे में आपने कहा है कि अगर केन्द्रीय सरकार नहीं मानेगी इस बात को तो इस टैक्स के इम्बैलेन्स को बलेन्स करने के लिए होटलों पर कर लगाया है, उस पर दुबारा विचार करेंगे ?

**श्री देवीदत्त गाडिया** : अध्यक्ष महोदय, बारां नगरपालिका ने एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी । वहां पर आपके सरकारी गोदाम से ठेकेदारों को शराब दी जाती है और इस कारण से ठेकेदार हाई कोर्ट की शरण लेकर पहुंचे और उस पर यह हुआ कि सरकारी गोडाउन से शराब लेते हैं इस लिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी नहीं बनती है तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से म्युनिसिपैलिटी की ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मारी जाती है और जो सरकारी गोडाउन हैं या तो उसको म्युनिसिपल एरिया के बाहर रखा जाये या फिर...

**श्री अध्यक्ष** : समझ गये । अब श्री गोकुल प्रसाद !

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि हम कुछ दुकानें बन्द करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल कितनी दुकानें बन्द करने का आपने निर्णय लिया है और कितनी बन्द करते जायेंगे और कितने साल में यह सारी दुकानें बन्द हो जायेंगी ?

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री मथुरादास माथुर :** अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे थे, उनका उत्तर में दे चुका हूं। वह हैं तो उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि टैक्स इम्बैलेंस होगा तो हम एग्जामिन करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या कदम उठाया जाय। कोई भी यह नहीं चाहता है कि रेवेन्यू कम हो हमारी। अजमेर की बकाया के लिए एक कमेटी बैठी हुई है, उसकी तीन मीटिंगें हो चुकी हैं। उसकी रिपोर्ट आते ही उस पर निर्णय करेंगे।

बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही तो उसका सम्बन्ध म्युनिसिपैलिटी और ठेकेदार के बीच में मामला है, वह आप तय करें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

कोटड़ा के पास दस मील के अन्दर दुकान होने के बारे में कहा गया, तो इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह दुकान दस माईल के अन्दर नहीं है।

**श्री रोशनलाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कोटड़ा के पास चौकराना है वह गुजरात की सीमा के पास आधा मील का डिफरेंस है, वहां पर शराब बिक रही है। आप कहते हैं कि वहां पर कोई दुकान नहीं है। इसके अलावा मांडवा में शराब की दुकान है। जोगीगढ़ में शराब की दुकान है, कोटड़ा के अन्दर शराब की दुकान है और मैंने माननीय मंत्री महोदय का पहले भी ध्यान खींचा था।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** बडगांव है सिरोही में, वहां पर शराब बिकती है।

**श्री रोशनलाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के जब ऐसे आदेश हैं, तो विभाग उनका पालन क्यों नहीं कर रहा है चार साल से?

**श्री मथुरादास माथुर:** मैं इसको देखूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** वेरी फाइन।

(कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुए)

(अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष :** ऑर्डर! ऑर्डर!! ऑर्डर!!!

**श्री प्रेमसिंह :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष:** आर्डर प्लीज, आर्डर।

(व्यवधान) (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10 आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,13,71,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,61,000 रु० तक

# Page No. 138



(श्री अध्यक्ष)

की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि 'मांग सं० 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 63,10,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,53,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही तारीख 12 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बज कर 14 मिनिट पर सोमवार, दिनांक 12 जून, 1967 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

## शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 10 जून, 1967)

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 10 | श्री अमीनुद्दीन | श्री अमीनुद्दीन |
| 3 | 19 | चका था | चुका था |
| 6 | 17 | न ीं | नहीं |
| 6 | 23 | पदावार | पैदावार |
| 7 | अंतिम से 12 | बचारी | बेचारी |
| 8 | 10 से 24 | ह | है |
| 9 | 17 | पिछल | पिछले |
| 9 | अंतिम से 7 | हमशा | हमेशा |
| 10 | अंतिम से 10 | ह | है |
| 10 | अंतिम से 7 | के इलाकों | के इलाकों |
| 13 | 11 | की ओर | की ओर |
| 13 | 21 | के रूप | के रूप |
| 14 | 6 | 15 घर | 15 घर |
| 15 | 3 | नहीं हें। | नहीं है। |
| 15 | अंतिम से 5 | मालम | मालूम |
| 17 | शीर्षक | तरांकित | तारांकित |
| 17 | अंतिम | का हें। | का है |
| 19 | अंतिम से 11 | हें | है |
| 21 | 16 | रहा हें व नहीं हें | रहा है व नहीं है |
| 23 | अंतिम से 4 | फसला | फैसला |
| 24 | अंतिम से 2 | राजस्थान-हरिया । ोर | राजस्थान-हरियाणा और |
| 29 | 1 | श्री गिरधारीलाल व्यास: | श्री गिरधारीलाल व्यास |
| 29 | 9 | श्री शोभाराम: | श्री शोभाराम |
| 30 | 1 | वठक में | बैठक में |
| 33 | 4 | मितव्यता | मितव्ययता |
| 34 | अंतिम से 6 | श्री भेरांसिह: भ ोंसिह | श्री भैरोंसिह : भैरोंसिह |
| 34 | अंतिम से 4 | भ . . रों | भै . . रों |
| 34 | अंतिम से 3 | रोंसिह | भैरोंसिह |
| 36 | 17 | प्राथ ि क | प्राथमिक |
| 37 | अंतिम से 2 | ओथेरटी | ऑथोरिटी |
| 39 | 1 | (श्री अमिनुद्दीन) | (श्री अमीनुद्दीन) |
| 39 | अंतिम से 10 | दिया ह | दिया है |
| 42 | 3 | डिस्ट्रक्ट | डिस्ट्रिक्ट |
| 43 | अंतिम से 12 | शालवास | शालावास |
| 44 | 20 | 386. 55 सा. नि. मं. | 386. |
| 46 | 19 | सतीशच द्र | सतीशचन्द्र |
| 46 | अंतिम से 8 | ह । | है । |
| 52 | अंतिम से 6 | घोषणा को | घोषणा की |
| 52 | अंतिम से 4 | रूल्स लाग | रूल्स लागू |

## शुद्धि-पत्र

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 55 | 21 | उपनियम बनान | उपनियम बनाने |
| 56 | अंतिम से 7 | जसा | जैसा |
| 57 | अंतिम | रखग | रखेंगे |
| 60 | अंतिम से 4 | वालो ह | वाली हैं |
| 63 | अंतिम से 9 | श्री सताशचन्द्र | श्री सतीशचन्द्र |
| 64 | अंतिम से 4 | केन्द्र की | केन्द्र को |
| 73 | अंतिम से 9 | करती ह | करती हैं |
| 74 | अंतिम से 2 | फसला | फैसला |
| 81 | अंतिम से 3 | सवाल ह | सवाल है |
| 82 | अंतिम से 11 | ह । | हैं । |
| 85 | 9 | लनी | लेनी |
| 88 | अंतिम से 9 | दे दे | दे देते |
| 91 | 15 | म | में |
| 94 | अंतिम से 7 | ढुकानें | दुकानें |
| 99 | 13 | (राज्य सरकार | (राज्य सरकार द्वारा |
| 101 | अंतिम से 2 | महसूल म | महसूल में |
| 102 | अंतिम | राजस्थान म | राजस्थान में |
| 103 | अंतिम से 6 | श्री सहदव | श्री सहदेव |
| 107 | अंतिम | टक्स | टैक्स |
| 109 | 4 | मजदू रों | मजदूरों |
| 109 | 11 | दुर्भाय | दुर्भाग्य |
| 116 | अंतिम से 5 | कर म | कर में |
| 117 | 4 | और में | और में |
| 122 | 16 | पहुच | पहुंच |
| 125 | 16 | बढाई ह | बढ़ाई है |
| 129 | अंतिम से 6 | मने | मैंने |
| 131 | 5 | रूटस | रूट्स |
| 132 | 16 | बात ह | बात है |
| 135 | 3 | कम्पलट | कम्पलेन्ट |
| 144 | 6 | देत हैं | देते हैं |
| 145 | 3 | च री | चोरी |
| 150 | अंतिम से 7 | पड़ना । | पड़ता । |
| 153 | 3 व 7 | ह | है |
| 158 | 18 | म कम | में कम |
| 158 | अंतिम से 7 | ओैर | और |
| 159 | 18, 26 व 29 | राष्टीयकरण | राष्ट्रीयकरण |
| 168 | अंतिम से 3 | करदीजवे | कर दी जावे |
| 175 | 1 | न | इन |
| 176 | 1 | फर्क पड़ ? | फर्क पड़ा ? |
| 184 | 8 | आर टी. ो | आर. टी. ओ. |
| 187 | 11 | म ोदय | महोदय |

## शुद्धि-पत्र

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 188 | 9 | ॉर्डर मिला | ऑर्डर मिला |
| 188 | 10 | कि जिस | हूं कि जिस |
| 190 | 10 | विताव | किताव |
| 190 | अंतिम | हाई को | हाई कोर्ट |
| 191 | 9 | कुया है ? | क्या है ? |
| 193 | 17 | सरक्षा | सुरक्षा |
| 194 | 7 | पछना | पूछना |
| 199 | 15 | ोई | कोई |
| 203 | 9 | देते ह | देते हैं |
| 215 | शोर्ष | ( श्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत) | (श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत) |
| 220 | 13 | श्री विजयसिंह (रावत) | श्री विजयसिंह रावत |
| 231 | अंतिम से 2 | उके | उसके |
| 253 | शीर्ष | (श्री भैरोंसिंह) | (श्री मथुरादास माथुर) |